राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] ग्यारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का तीसवां दिवस [संख्या : 17

शुक्रवार

21 अप्रैल, 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक
11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर
में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदसीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : साहब, यह ट्यूब लाइट हमें आपके दर्शन नहीं करने देती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने सभी "छह" कक्ष वालों को नमस्कार किया, उसमें आप भी शामिल थे, आप और दिलावर जी दोनों को। (व्यवधान)

प्रश्न। श्री हरजीराम बुरड़क।

राजस्व मण्डल अजमेर में जिला नागौर के खातेदारी परिवर्तन के लम्बित प्रकरण

461. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम से जो कृषि की खातेदारी दर्ज है वह सवर्ण जाति के व्यक्तियों के नाम से स्थानान्तरित नहीं हो सकती ? यदि हां, तो राजस्व मण्डल, अजमेर में नागौर जिले के ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं और कब-कब से, जिनमें अनुसूचित जाति की खातेदारी भूमि पर सवर्णों ने कब्जा कर रखा है और खाते बदलवाना चाहते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त खातेदारी बदली नहीं जा सकती ? यदि हां, तो इतने लम्बे समय तक मामले विचाराधीन रखने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त मामले वहीं हैं जिनमें सम्बन्धित तहसीलदारों ने उक्त भूमियों का कब्जा खातेदार को देने के आदेश दिये हैं और ऐसी ही व्यवस्था राजस्व कानूनों में है तथा उन आदेशों को कानूनन किसी भी अपील में बदला नहीं जा सकता ? यदि हां, तो अपील दर्ज करके लंबे समय तक विचाराधीन क्यों रखा जा रहा है ?

राजस्व मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी, हां। यह सही है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(ख) में अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि को गैर अनुसूचित

(श्रीमती कमला)

जाति/जनजाति के व्यक्तियों को हस्तान्तरण पर पाबन्दी लगायी गई है एवं ऐसे हस्तान्तरण मूल रूप से अवैध हैं। इस धारा के विरुद्ध किये गये अवैध हस्तान्तरणों के प्रकरणों में धारा 175 के तहत संक्षिप्त जांच कर हस्तान्तरी को बेदखल किया जाता है। सहायक कलेक्टर के न्यायालय में उक्त कार्यवाही संक्षिप्त जांच में जहां तक संभव हो, 3 माह के भीतर पूर्ण की जाती है। दावा प्रस्तुत करने की समयावधि अवैध हस्तान्तरण से 30 वर्ष तक की है। सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष होती है। हस्तान्तरी के बेदखली के आदेश के पश्चात् उक्त भूमि राज्य में निहित हो जाती है एवं निहित भूमि का आबंटन राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1970 के तहत उसी वर्ग के अनुसूचित जाति/जनजाति के अन्य व्यक्ति को किया जाता है। नागौर जिले के ऐसे 5 मामले राजस्व मण्डल, अजमेर में वर्ष 1998 से लम्बित हैं। सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी, हां। मामले न्यायिक प्रक्रिया में हैं तथा उक्त मामलों में मण्डल द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों से अभिलेख तलब किये जा रहे हैं। अभिलेख उपलब्ध होने पर ही प्रकरण में अन्तिम सुनवाई सम्भव हो सकेगी।

(3) जी, हां। उक्त सभी प्रकरणों का निस्तारण अपीलीय प्रक्रिया के तहत राजस्व मण्डल के निर्णय उपरान्त ही सम्भव होगा।

(सूची के लिए परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल पूछा था कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम से आज भी खातेदारी दर्ज है और उसमें दूसरे लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं। ऐसे मामले हैं जिनमें काश्तकारी अधिनियम के अनुसार तहसीलदार के ध्यान में आने के बाद समरी इंक्वायरी करके वह कब्जे उनको दिलवाने की कार्यवाही करता है। आपने इसमें उत्तर दिया है हस्तान्तरण, लेकिन वे तो ऐसे मामले हैं जिनमें उनके नाम से ही खातेदारी है, कोई ट्रांसफर खातेदारी नहीं हुई है। यह प्रश्न के भाग एक में आपने सारा उत्तर दिया है, अगर किसी ने कोई खातेदारी चेंज करा ली हो उसको चेंज करने के बारे में है। आप पढ़ लीजिए, मेरा प्रश्न सिर्फ यही था कि आज भी खातेदारी जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम से है और उनको तहसीलदार ने कब्जा दिलाने का आदेश दिया, उनके विरुद्ध वर्षों तक अपीलें चलती रहती हैं। जो प्रोविजन टिनेंसी एक्ट में धारा 42 में आपने कर रखा है उसमें यह प्रोविजन है कि किसी भी सूरत में अगर उन्होंने बेचान कर दिया तो भी खातेदारी ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसके बाद में आपने प्रश्न के भाग 2-3 में जी हां कहा। जी हां कहने के बाद में आपने आगे यह लिखा कि मामला न्यायिक प्रक्रिया में है, तो फिर न्यायिक प्रक्रिया क्या है ? मैंने यह पूछा था कि खातेदारी चेंज नही हो सकती तो आपने कहा, नहीं हो सकती। उसके बाद में न्यायिक प्रक्रिया कहां रही ? मेरे कहने का मतलब है कि जिस उद्देश्य से यह कानून बनाया गया है, कांग्रेस पार्टी की पालिसी थी, सरकार ने इसके अनुसार इसमें संशोधन किया लेकिन उन लोगों को क्या लाभ मिला ? उसमें यह भी प्रोविजन है कि अगर

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कोई आदमी यह कहे कि मेरा इस पर कब्जा है और खातेदारी अनुसूचित जाति की है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलता है। पुराने टाइम में ऐसे बहुत से मामले हुए हैं, लेकिन अब इसमें इस प्रकार से ढिलाई बरत कर इस एक्ट की मूल भावना के अनुरूप कार्यवाही नहीं हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें कब्जा कब तक दिला देंगे ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि यह हस्तान्तरण का मामला नहीं है, यह नाजायज कब्जे का मामला है लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में इसलिए चले गये कि पार्टी नीचे न्यायालय में गई उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने जो फैसला दिया उसकी उन्होंने आर.ए.ए. के यहां अपील की। अपील के बाद दूसरी पार्टी ने राजस्व मण्डल में अपील की, राजस्व मण्डल में न्यायिक प्रक्रिया के तहत यह कार्यवाही चल रही है इसलिए हम उसकी जो दूसरी प्रशासनिक कार्यवाही है या कानूनी कार्यवाही अपेक्षित है उसको करने में सक्षम नहीं हैं। राजस्व मण्डल में 1998 के अंदर यह केस आया है, राजस्व मण्डल उसके अभिलेख वगैरह आर.ए.ए. से या अधीनस्थ न्यायालय से मांगकर जल्दी ही इसका निस्तारण करे, इसके लिए हम चेष्टा करेंगे। बाकी हम बेदखली करने की, पैनल्टी लगाने की, उनको जेल में भेजने की जो 91 की प्रक्रिया होती है उसको करने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : मंत्री महोदया, मुझे एक बात का उत्तर दे दीजिए कि न्यायिक प्रक्रिया में जो मामले चल रहे हैं, क्या राजस्व मण्डल उनकी खातेदारी चेंज कर सकता है किसी भी सूरत में ? जब किसी भी सूरत में वो चेंज नहीं कर सकता तो न्यायिक प्रक्रिया क्या हुई, एक बात ? दूसरी बात, आपने कहा कि हम वे मामले दर्ज नहीं करा सकते। यह बात बिलकुल गलत है। टिनेंसी एक्ट में दोनों प्रोविजन हैं। ज्यों ही तहसीलदार के ध्यान में आये कि किसी अनुसूचित जाति की जमीन पर सवर्ण जाति ने कब्जा कर लिया और वह लिखकर दे दे कि मेरा कब्जा है, वह तुरन्त ही मामला दर्ज कराएगा। फौजदारी कार्यवाही अलग है, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। किसी भी हालत में आप खातेदारी चेंज ही नहीं कर सकते तो फिर न्यायिक प्रक्रिया क्या हुई ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून में यह भी प्रावधान है कि 30 वर्षों के अंदर कभी भी अपनी खातेदारी के लिए या कब्जे के लिए कार्यवाही करा सकता है।

श्री हरजीराम बुरड़क : वह 30 साल वाला प्रोविजन खातेदारी चेंज ...(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप मेरी पूरी बात तो सुनो। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : चेंज उसमें होती है जब खातेदारी...(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं, आप बात तो पूरी सुनो। उस प्रावधान के साथ में यह भी प्रावधान है कि अगर वह कब्जा या वह कार्यवाही 12 वर्ष से पहले की है तो इतने वर्ष के अंदर उनको खातेदारी मिल सकती है। उसके बाद मे दूसरा संशोधन हुआ, उसमें इतने वर्ष की है तो मिल सकती है। उन

(श्रीमती कमला)

सबका लाभ लेने के लिए इन पार्टीज ने अपना मुकदमा दायर किया हुआ है। बाकी आपकी यह बात सही है कि जब उनके पास खातेदारी मौजूद है तो हमें उनको बेदखल उसी वक्त कर देना चाहिए था। लेकिन बेदखल करने के बजाय गलती यह हुई कि अधीनस्थ न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही करना शुरू कर दिया और मुकदमा दर्ज करने के बाद में यह प्रोसेस चालू है। अब जब केस सबजुडिस है उस वक्त में हम उस कार्यवाही को करने की स्थिति में नहीं हो सकते, यह तो आप भी समझते हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सा सवाल है कि अधीनस्थ न्यायालय ने किसी ने उनकी खातेदारी चेंज करने का नहीं कहा। दूसरी बात आप यह कह रहे हैं कि 12 साल का, वह सारा इस एक्ट में प्रावधान है कि दूसरे जितने भी, जो भी प्रोविजन हैं 12 साल के, कब्जा नहीं छोड़ने के, वे सारे इसमें लागू नहीं होंगे। या तो आपने एक्ट पढ़ा नहीं या आपके अधिकारियों ने यह बात नहीं बताई। न तो इसमें 12 साल का लागू है, न कोई दूसरा प्रोविजन लागू है। आपको खातेदारी हर हालत में उन्हीं की रखनी है तो फिर कब्जा दिलाने में क्या दिक्कत आ गई ? फिर यह न्यायिक प्रक्रिया क्या हुई ? जब आप किसी हालत में चेंज नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या न्यायिक प्रक्रिया हुई ?

श्री अध्यक्ष : लेकिन पार्टी कोर्ट में चली गई...(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, कोर्ट को तो अधिकार ही नहीं है चेंज करने का। (व्यवधान) कोर्ट क्या करेगा ?

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें जो पैंडिंग है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोर्ट ने काग्निजेंस ले लिया, कोर्ट के सामने अपील पैंडिंग है।

श्री हरजीराम बुरड़क : कोर्ट कर ही नहीं सकता है कुछ भी, फिर अपील किस बात की ?(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोर्ट कर नहीं सकता लेकिन...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : कोर्ट के सामने है, विचाराधीन है। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं सीधी बात कह रहा हूं कि क्या कोर्ट इसमें खातेदारी चेंज कर सकता है, एक लाइन का आप उत्तर दे दीजिए। (व्यवधान) नहीं कर सकता है तो फिर अपील किस बात की ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ऐसा स्टैप ले नहीं सकती हैं, जब ले लिया उन्होंने...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो मुकदमे न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन हैं और जिनको स्टे नहीं मिला है उनमें तो आप कार्यवाही कर ही सकती हैं। खाली यह कि सबजुडिस है, कोई भी दावा कर देगा और सबजुडिस हो गया ! लेकिन जब तक स्टे नहीं है तब तो आप कार्यवाही करवा सकती हैं।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के सामने एक दिक्कत यह आ गई कि हम उसकी जानकारी पूरी नहीं ले पाये कि अधीनस्थ न्यायालय ने किसके पक्ष में, किसके खिलाफ में कार्यवाही की थी, फिर अपीलेट अथारिटी ने किसके पक्ष में और किसके खिलाफ कार्यवाही की, क्योंकि वह स्थिति अगर आती है तो हम इसको पूर्ण रूप से देखकर कह सकते थे। मैंने यह सारा ब्यौरा मंगवाया है और ला डिपार्टमैंट से भी यह राय ली है, इस तरह से कोर्ट में केस चलते हुए भी हम उनको बेदखल कर सकते हैं तो हम उनको करने की कार्यवाही करेंगे।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कब्जे दिलाना राजस्व अधिकारियों के कर्तव्य में है, क्या डेढ़ साल में इस तरह की कहीं कोई आपको शिकायत मिली है ? और मिली है तो राजस्थान में कितने राजस्व अधिकारियों के खिलाफ आपने डेढ़ साल में कार्यवाही की है ?

श्रीमती कमला : यह दूसरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

श्री हरजीराम बुरड़क : मंत्री महोदय, एक बात रह गई। जो फौजदारी कार्यवाही है, जो केस दर्ज का मामला था उसमें क्या कार्यवाही हुई ? (व्यवधान) उसमें केस दर्ज कराएंगे क्या ?

श्री बाबूलाल नागर : इसी से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्रीमती कमला : किसका ?

श्री हरजीराम बुरड़क : इसमें जिस सवर्ण व्यक्ति ने अनुसूचित जाति की जमीन पर कब्जा कर रखा है और एक्ट में यह प्रावधान है कि अगर वह कह दे कि मेरा इस पर कब्जा है तो वह केस दर्ज कराया जा सकता है, तो क्या आप केस भी दर्ज कराएंगे ?

श्री अध्यक्ष : कैसे कराएंगे ये, कोर्ट में चले गये, कोर्ट ने काग्निजेंस ले लिया।

श्री हरजीराम बुरड़क : कोर्ट का मामला अलग है, कोर्ट का मामला तो...

श्री अध्यक्ष : रेवेन्यू अपीलेट अथारिटी ने जो स्टैप लिया है उसको मंगवाकर आप देखना चाहती हैं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : गवर्नमैंट की दृष्टि से जो ठीक होगा, करेंगे।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया कि वह नाजायज का केस चल रहा है तो मेरा यह निवेदन है कि उस व्यक्ति की जिसकी खातेदारी है, नाजायज जबर्दस्ती किसी ने कर लिया तो उसका केस कहां चले। उसके खाते की जमीनें, वह उसकी हासील भर रहा है और उसकी उगी हुई फसल को कोई जबर्दस्ती जाकर खराब कर दे और उस पर नाजायज कब्जा कर ले, यह अन्याय की बात है। मेरा तो यह निवेदन है कि जो खातेदारी हक है और उसके ऊपर जो किसी ने कब्जा कर लिया है तो उसका फैसला कराइये।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, बैठिए। यह बात आ गई है, देवीलालजी, आप बैठिए।

श्री देवीलाल बैरवा : ऐसे हजारों केस राजस्थान में हैं, गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है और लोग बड़े दुःखी हैं। लड़ते-लड़ते 12-15 वर्ष हो गये और उनका फैसला नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए। हजारों का मामला नहीं है, यह नागौर के सम्बन्ध में है।

श्री बाबूलाल नागर : यह बहुत ही गम्भीर प्रवृत्ति का मामला है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को अविलम्ब कब्जा दिलाने के लिए क्या सरकार विचार रखती है ? कितने समय तक ऐसे लोगों को जिनके नाम से खातेदारी की जमीन है और कब्जा सवर्णों ने ताकत के बल पर ले रखा है...

श्री अध्यक्ष : राजस्थान का नहीं है, सिर्फ नागौर के सम्बन्ध में क्वेश्चन है और वहां भी 4-5 मामलों के अन्दर, जो कोर्ट में पैंडिंग हैं।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, यह पूरे राजस्थान से जुड़ा मामला है और बहुत ही गम्भीर प्रवृत्ति का मामला है। गरीब लोगों का...

श्री अध्यक्ष : गम्भीर है लेकिन पूरे राजस्थान का नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर है। इनके हितों की रक्षा के लिए ही सरकार ने यह प्रावधान किया है...(व्यवधान)...

श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर) : अध्यक्ष महोदय, यह पूरे राजस्थान का मामला है। बहुत-से लोगों के ऊपर इस तरह से आक्रमण हो रहा है इसलिए इसमें कुछ तो प्रावधान आपको रखना ही पड़ेगा और खाली कराना ही पड़ेगा आप लोगों को।(व्यवधान)

श्रीमती कमला : सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी भावनाएं दर्ज करा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि राज्य सरकार ने बहुत पहले यह प्रावधान किया था कि जिस किसी की भी जमीन के साथ में इस तरह की हरकत होगी वह 30 वर्षों के बाद तक भी अपना क्लेम कर सकेगा। यह हमने ही इसका प्रावधान किया था और इसलिए किया था कि इनकी जमीनों को, चाहे उनकी मजबूरी के कारण से, चाहे पैसे के बल पर, प्रभाव के कारण से किसी ने रजिस्ट्री भी करवा ली है तो भी 30 वर्ष तक वह एस.सी., एस.टी. का व्यक्ति अपना क्लेम कर सकता है। राज्य सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने यह प्रावधान किया था। आज इसके अन्दर एक्शंस में गलतियां आ रही हैं, प्रावधान तो बहुत सम्पूर्ण है लेकिन जहां-जहां भी अधिकारियों की तरफ से कहीं गलतियां नजर आती हैं उनको हम सजा भी देते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही भी करते हैं और वापस उनको उनकी जमीन संभलाने की व्यवस्था करते हैं। परन्तु सारे राजस्थान के बारे में इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं आपको ब्यौरा नहीं दे सकती हूं, सिर्फ यह नागौर के 5 केसेज का मामला है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत।

श्री अशोक (खण्डार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 10-15 साल पहले आवासीय जमीन, एस.सी., एस.टी. के लोगों को आज

(श्री अशोक)

तक कब्जे नहीं मिलें। यह तो पूरे राजस्थान का प्रश्न है, साहब।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, नैक्स्ट क्वेश्चन, सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत।

श्री अशोक : जो सरकार की आबंटित जमीन हुई है, उनको 15-15 साल से कब्जे नहीं मिले। यह तो पूरे राजस्थान का मामला है। (व्यवधान) अनुसूचित जाति का मामला है।

श्रीमती शांति पहाड़िया : कुछ जिलों का ही नहीं है, सारे राजस्थान का... भरतपुर में भी बहुत केसेज ऐसे हैं। (व्यवधान) भरतपुर में भी ऐसे...

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व अधिकारियों के...(व्यवधान) कराना चाहिए इसके साथ ही अनुसूचित जाति की जमीनों पर जो सवर्ण लोगों ने...(व्यवधान) उनको खातेदारी अधिकार देने चाहिए। (व्यवधान) अनुसूचित जाति के लोग, उनकी जमीन...(व्यवधान) मेरा अनुरोध है कि इसको गम्भीरता से लिया जाए। (व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया : अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के ऊपर (व्यवधान) ऐसे बहुत से केसेज हैं...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : जैसा की सरकार की नीयत है इसको गम्भीरता से लेना चाहिए और इस प्रश्न को गम्भीरता से लेना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : यह पूरे राजस्थान का मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए। सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत।

श्री जीतमल खांट : यह पूरे राजस्थान का मामला है।

श्री अध्यक्ष : बैठिए। सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत।

दलहनपुर मऊ बोरदा (झालावाड़) के प्राचीन स्मारकों का पर्यटन की दृष्टि से विचार

462. **सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत** (खानपुर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ के छापी बांध के नजदीक दसवीं शताब्दी के दलहनपुर के स्मारक हैं ? क्या सरकार इनको पुरातात्विक एवं पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(2) क्या सरकार जिला झालावाड़ के भीमसागर के नजदीक मऊ बोरदा के महलों को पुरातात्विक दृष्टि से संरक्षित एवं विकसित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त दोनों स्थानों की मरम्मत इत्यादि हेतु कोई राशि आबंटित की गई है ? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अब मरम्मत हेतु राशि आबंटित

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

करने का विचार रखती है ? यदि, हां तो कब तक ?

सामान्य प्रशासन मंत्री (श्री बुलाकीदास कल्ला) (पर्यटन राज्य मंत्री के स्थान पर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से।

(1) जी हां। झालावाड़ के छापी बांध के नजदीक दलहनपुर के स्मारक हैं। वर्तमान में सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण इन पुरा स्मारकों को पर्यटन विभाग का पुरातात्विक एवं पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का विचार नहीं है।

(2) जी नहीं। सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण उक्त स्थल का विकास वर्तमान में विभाग की प्राथमिकता में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : आप चाहें तो करें, नहीं तो मत करो लेकिन हर बार आप आर्थिक अभावों की चर्चा क्यों करते हैं ? सारे देश में एक वातावरण राजस्थान के विरुद्ध आपने पैदा कर दिया। आप करें, आपकी मर्जी आए उसे, लेकिन हर चीज में धनाभाव, धनाभाव।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पर्यटन विभाग का जो बजट होगा, उसी आधार पर तो होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप और कोई कारण दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उसका कारण आप ही हैं, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो कारण हूं लेकिन और कारण दें। मैं तो कारण था तो आठ वर्ष में बारह हजार करोड़ लिए, आपने एक वर्ष में बारह हजार करोड़ का कर्जा ले लिया। कोई अभाव नहीं, कमी नहीं है। अभाव, अभाव। अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में कोई डवलपमेंट नहीं हो सकता, ऐसा प्रचार कर दिया इन्होंने।

श्री बुलाकीदास कल्ला : (3) उक्त स्थानों की मरम्मत इत्यादि हेतु विभाग द्वारा कोई राशि आबंटित नहीं की गई है। सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण मरम्मत हेतु राशि आबंटित करने का विचार नहीं है।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मंत्रीजी ने इसको विकसित करने का हर जगह जवाब दिया है, इसको संरक्षित करने का कोई जवाब नहीं दिया। क्या यह सरकार की घोषित नीति नहीं है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की रक्षा, विकास और रखरखाव में कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी ? विभाग ने क्या इसका अनुमान लगाया कि कितना खर्चा होगा ? बिना अनुमान लगाये यह कह देना कि हमारे पास आर्थिक संसाधन नहीं हैं, क्या मंत्री महोदय खुद इस जवाब से संतुष्ट हैं ?

आज इस स्थान का इतना महत्व है कि जो युद्ध हल्दीघाटी में हुआ था उससे 7 साल पहले मऊ बोरदा में यह युद्ध हुआ था। अकबर जब रणथम्भौर में थे, तब उन्होंने अपने सेनापति मानसिंह को भेजकर यह युद्ध किया था। (व्यवधान) 4-5 मील तक यह युद्ध लड़ा

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

गया था। इसके स्मारक, महल और शिलालेख आज भी वहां पर उपलब्ध हैं। आज ये कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं हैं लेकिन आज वहां पर मूर्तियां चोरी हो रही हैं। जिस तरह विधवा की मांग से सिन्दूर मिटा देते हैं उसी तरह ये मूर्तियां मिटाते जा रहे हैं। क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं है ? पिछली जनवरी में भी 15 मूर्तियां कालीसिंध के यहां से पकड़ी गई थीं, दलहनपुर की। आज वहां पर जो मूर्तियां गायब हो रही हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या आर्थिक साधनों के बिना हम इसकी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर स्मगलिंग होते रहने देंगे या सरकार कुछ कहेगी ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, वैसे इन्होंने कोई प्रश्न तो मेरे से किया नहीं है लेकिन मैं एक मिनट पहले इसका जवाब दे दूं।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मूर्तियों की अन्तरराष्ट्रीय तस्करी हो रही है उसको रोकने के लिए तो सरकार को कोई धन की आवश्यकता नहीं है, मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से मूर्तियों की चोरी हो रही है, इसको रोकने के लिए सार्थक प्रयास करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : दलहनपुरा झालावाड़ मुख्यालय से 54 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित है और वहां पर देवालयों के खण्डहर हैं। न तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा और न राज्य सरकार द्वारा इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया हुआ है। मऊ बोरदा में दो मकानों के खण्डहर हैं और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में उसका परकोटा है। इसकी जगह गागरोन का किला जो है झालावाड़ में, वह राज्य सरकार की तरफ से संरक्षित स्मारक है। कोलवी और भिनाय की गुफाएं जो छठी शताब्दी की हैं, वे भी संरक्षित स्मारक हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा उनका रखरखाव और सारी चीजें पूरी तरह से की जा रही हैं। चूंकि यह संरक्षित स्मारक नहीं है इसलिए पर्यटन विभाग इसकी देखरेख नहीं कर रहा है।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : मंत्रीजी, आपका जवाब बिलकुल गलत है। मैं पिछले दो दिन से वहीं हूं और वहां केवल दो खण्डहर नहीं हैं। क्या यह सही नहीं है कि मऊ बोरदा में 99 मस्जिद के अवशेष अभी भी हैं ? 100 मस्जिदें इसलिए नहीं बनाई गई थीं क्योंकि मक्का-मदीना में 100 मस्जिदें हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मऊ बोरदा स्थल झालावाड़ जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। भीमसागर बांध के नजदीक स्थित है तथा यहां महल मऊ बोरदा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में उक्त स्थल पर केवल दो मकानों के खण्डहर शेष बचे हैं। इन मकानों की एक दीवार पर स्थानीय लोगों ने एक सईद का चित्र बना रखा है जिसकी पूजा वगैरह होती है। महल के बाहर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में एक परकोटा है।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : मंत्रीजी, मैं इसकी आपको कटिंग भी दे सकती हूं सदन में और पूरा लेख भी दे सकती हूं कि कहां-कहां कौनसे स्मारक हैं और कहां-कहां कौनसी

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

मूर्तियां रखी हुई हैं और कहां-कहां से कौनसी मूर्तियां गायब हो चुकी हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप अपना प्रश्न कीजिए न, आप क्या जानकारी चाहती हैं ?

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : हम तो आपको जानकारी दे रहे हैं। क्या आपके विभाग ने जानकारी गलत दी है तो उनके विरुद्ध आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री जुगल काबरा : मंत्रीजी, इसकी जांच कराएं और कार्यवाही करें।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : आज धन के लालच में वहां पर मऊ बोरदा में जो महल हैं उनकी लोग खुदाई कर रहे हैं। आज भी जब बिजली कड़कती है तो पूरा मऊ बोरदा गांव खाली हो जाता है क्योंकि उनको पता है कि वहां पर धन मिलेगा। जब वहां पर बांध बन रहा था बहुत बड़ा तो इस कारण से ठेकेदार अपने साधन छोड़कर वहां से भाग गये जबकि इतने कीमती साधन थे क्योंकि उसको वहां पर धन मिल गया था और वह अपने साधन छोड़कर चला गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने जानकरी दी है, उसके आधार पर भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग को, जो ऐतिहासिक स्थलों, स्मारकों का संरक्षण करता है, इस स्थान को संरक्षित स्मारक घोषित करने के बारे में और इसके रखरखाव के बारे में एक पत्र हम भिजवा देंगे।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : अध्यक्ष महोदय, एक और आखिरी सवाल है मेरा। झालावाड़ पुरातत्व विभाग में एक म्यूजियम है उस म्यूजियम में काफी समय से प्रभारी का पद खाली पड़ा हुआ है, उस म्यूजियम को केवल एक क्लर्क और एक फोर्थ क्लास कर्मचारी चला रहे हैं। उसका प्रभारी का पद कब तक भरा जाएगा, उसकी भी सरकार जानकारी दे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, म्यूजियम का अलग से प्रश्न है, कोई पद इन्होंने खाली बताया है तो मैं विभाग से पता करके इसको भरवाने का प्रयत्न करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह चीज जानना चाहूंगा कि ...(व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : मंत्री महोदय, जैसा माननीय सदस्या ने बताया, अगर आपका जवाब गलत है तो इसके बारे में कार्यवाही की जाएगी क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : मंत्री महोदय, आपने यह तो बता दिया कि यह झालावाड़ के छापी बांध के नजदीक जो दलहनपुर के स्मारक हैं उनको पुरातत्व संरक्षण विभाग के अन्दर लिया नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस तरह के सारे स्मारक जिसमें हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास छुपा है, उनके रखरखाव के लिए इस बजट में आपने कितनी राशि का प्रावधान किया है ? पिछले बजट में आपने कितनी राशि का प्रावधान किया था और कितनी खर्च की?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सन् 2000-2001 में राजस्थान के आयोजना मद में कुल 3.85 करोड़ का

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

प्रावधान किया गया है। इससे पहले वर्ष में जो प्रावधान था वह लगभग दो करोड़ का नहीं, दस करोड़ का प्रावधान था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने खर्च कितना किया ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : खर्च कितना किया,यह तो अलग से प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को यह मालूम नहीं है कि इस तरह के स्मारक और यहां हमारा सारा इतिहास है, उसके ऊपर कितनी राशि खर्च की है। मालूम नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, बजट के बारे में प्रश्न ही नहीं है। यह तो दहलनपुर और मऊ बोरदा का प्रश्न है। वह तो बाई-दी-वे मेरे पास जानकारी थी, मैंने बता दिया आपको।

श्री हेमन्त कुमार : अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्या ने कहा, वे सन्तुष्ट नहीं हैं आपके उत्तर से और वे कह रही हैं कि आपने जो जवाब दिया यह बिलकुल गलत जवाब है। तो जिन्होंने आपके पास गलत जवाब भिजवाया है उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या गलत जवाब दिया ?

श्री हेमन्त कुमार : सरकार कह रही है, जो भी आप बता रहे हैं, वह गलत है। वे तो बता रही हैं कि 100 मस्जिदें हैं और आप कह रहे हैं कि केवल दो खण्डहर हैं, काफी विरोधाभास चल रहा है। मऊ बोरदा के बारे में जिन...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, मऊ बोरदा नाम के स्थान पर जो खण्डहर और चारदीवारी और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में उसका विवरण दिया है, वह मैंने बिलकुल सही दिया है।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : मैं इसके नोट्स आपको दे सकती हूं, इसके फोटो आपको दे सकती हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, माननीय सदस्या द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है, उन तमाम स्थानों का मंत्री महोदय स्वयं निरीक्षण करके राज्य सरकार की तरफ से कोई शीघ्र व्यवस्था कराने का विधान सभा में आश्वासन देने की स्थिति में हैं ? आप खुद जाकर देखें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया, इन स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित करने के बारे में पर्यटन विभाग की तरफ से भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग को अलग से पत्र लिखकर इनका संरक्षण कराने का प्रयत्न किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दहलनपुर में जो स्मारक है जब तक पुरातत्व विभाग उसको सूची में शामिल नहीं करता है तब तक उसकी सुरक्षा के लिए

(श्री मदन दिलावर)

कि लोग चोरी कर करके न ले जाएं, आप कोई न कोई व्यवस्था करेंगे क्या ?

श्री हरजीराम बुरड़क : सवाल यह है, माननीय मंत्री महोदय, कि आपके उत्तर को माननीय सदस्या ने चैलेंज किया है और आपको यह कहा है कि यह उत्तर गलत है, तो आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री मदन दिलावर : पुरातत्व विभाग के अवशेष माने जाएं ताकि लोग चोरी कर नहीं ले जाएं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को स्वयं जाकर क्या निरीक्षण नहीं करना चाहिए जबकि माननीय सदस्या ने जो बताया है और आपने जो उत्तर दिया है उसमें फर्क है ? उसको समाधान करने के लिए स्वयं क्या नहीं जाना चाह रहे हैं ?

श्री घासीलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या कह रही हैं कि यह जवाब गलत दिया गया है, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि गलत जवाब देने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या सरकार कार्यवाही करने की मंशा रखती है ?

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पुरातत्व की सूची में नहीं आ जाए वहां तक उन सारे पुरातत्व अवशेषों मूर्तियों की रक्षा करने के लिए कोई न कोई वहां रक्षक नियुक्त करेंगे क्या ताकि वे मूर्तियां चोरी नहीं हों ? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के प्रश्नों के आधार पर मैं पर्यटन विभाग के सक्षम अधिकारी को वहां भेजकर पूरे स्थल का निरीक्षण प्रतिवेदन एक महीने के अन्दर-अन्दर मंगा लूंगा और यथास्थिति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर जो भी आगे कार्यवाही करनी होगी वह करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्रीमती शांति पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसमें थोड़ा-सा पूछना चाहती हूं। मेरे क्षेत्र में पार्वतीजी की पांच मूर्तियां चोरी हुई हैं, क्या ऐसे आप कोई प्रावधान रखेंगे या उनकी कहीं पर तलाश कराएंगे ? पांच मूर्तियां उठा कर ले गये हैं। मूर्तियां चोरी जा रही हैं, सब जगह चोरी जा रही हैं। एक देवी की मूर्ति ले गये और पांच पार्वतीजी की मूर्तियां ले गये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहती हूं कि मंदिरों की रक्षा के लिए कुछ ऐसे प्रावधान हैं क्या जिससे कि मूर्ति चोरी करने वाले चोरी नहीं करें ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अलग से प्रश्न है, इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है पार्वतीजी की मूर्ति का। श्री घासीलाल।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय गेण्डोली (बूंदी) में कार्यरत अध्यापकों के स्थानान्तरण

463. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि समानीकरण के नाम से सैकण्डरी स्कूलों से तृतीय श्रेणी के अध्यापकों को हटाया गया है ? यदि हां, तो बूंदी जिले में कितने अध्यपकों को हटाया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घासीलाल मेघवाल)

(2) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गेण्डोली में कार्यरत अध्यापकों को हटा दिया गया है ? यदि हां, तो वहां के प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाने की क्या व्यवस्था है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री सी.पी.जोशी) : (1) जी हां। जिला बूंदी में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों से माध्यमिक शिक्षा संवर्ग के 45 एवं प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के 72, कुल 117 तृतीय श्रेणी अध्यापकों को समानीकरण के अन्तर्गत समायोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के 14 अधिशेष रिक्त पद भी आवश्यकता वाले विद्यालयों में स्थानान्तरित किये गये हैं।

(2) कार्यरत अध्यापकों में से पूल बजट के 9 शिक्षक तथा एक रिक्त पद को समानीकरण के अन्तर्गत हटाया गया है। माध्यमिक शिक्षा संवर्ग से प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए कार्यरत एक रिक्त पद के अलावा दो अन्य तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद सृजित किये गये हैं।

श्री घासीलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, मैं उससे कतई संतुष्ट नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, यह जवाब दिया गया है कि बूंदी जिले में प्रारम्भिक शिक्षा से 72 अध्यापक और माध्यमिक शिक्षा से 45 अध्यापक हटाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो समानीकरण किया गया है, उसके क्या मापदण्ड अपनाये गये हैं ? नम्बर दो, ऐसे आवश्यकता वाले कौन-कौनसे विद्यालय हैं जिनमें इन अध्यापकों को लगाया गया है ? नम्बर तीन, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गेण्डोली से 9 अध्यापकों को हटाया गया है तो क्या वहां प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक बचा था ? यदि नहीं बचा था तो वहां के विद्यार्थियों को पढ़ाने की क्या व्यवस्था की ?

श्री सी.पी.जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस माध्यमिक विद्यालय को 1994-95 में क्रमोन्नत किया गया था। जब यह विद्यायल क्रमोन्नत किया गया था तब जिला परिषद को पांचवीं तक की कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने की अलग व्यवस्था करनी थी। पांचवीं तक के विद्यार्थियों को अलग पढ़ाने की व्यवस्था जिला परिषद में नहीं करने से वहां दस अध्यापक जबकि प्राथमिक विद्यालयों में दो अध्यापक के पढ़ाने की व्यवस्था है, उसकी जगह दस अध्यापक पूल बजट से काम कर रहे थे। यदि यह सैकण्डरी स्कूल हो गया तो सैकण्डरी स्कूल की जो व्यवस्था है उस सैकण्डरी स्कूल की व्यवस्था के अन्तर्गत एक प्रधानाध्यापक, छह पद सैकिण्ड ग्रेड के और पांच पद तृतीय श्रेणी अध्यापक के होने चाहिए और जब पहली से पांचवीं के विद्यार्थी हट जाते हैं तब यह पदों की संख्या- एक प्रधानाध्यापक, छह पद सैकिण्ड ग्रेड के तीन पद तृतीय श्रेणी के होने चाहिए। इसलिए राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के अलग नहीं होने के कारण समानीकरण में प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के जो अध्यापक थे तृतीय श्रेणी के, उन अध्यापकों को, पूल बजट को वहां से हटाया और सैकण्डरी स्कूल के जो मापदण्ड हैं उसके

(श्री सी.पी.जोशी)

आधार पर वापस पद क्रिएट कर दिये गये। इसलिए यह कहना कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पढ़ाने की व्यवस्था ठीक नहीं है, राज्य सरकार ने जिला परिषद को ये निर्देश दिये हैं कि पांचवीं क्लास तक पढ़ाने की व्यवस्था अलग की जाए। इस विद्यालय में आज के दिन एक प्रधानाध्यापक, छह द्वितीय श्रेणी के अध्यापक और तीन तृतीय श्रेणी के अध्यापक आज भी काम कर रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि आपका यह जो प्रश्न है इसका सीधा सम्बन्ध है कि जिला परिषद को शीघ्रातिशीघ्र पांचवीं क्लास की पढ़ाने की अलग व्यवस्था करनी है, तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी।

श्री घासीलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, गेण्डोली विद्यालय में चार महीने से प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाने के लिए एक भी अध्यापक नहीं है। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके हजार रुपये महीने के हिसाब से तीन अध्यापकों को लगाया है और चार महीने से गांव वाले पैसे इकट्ठे करके उन अध्यापकों को दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले में जो समानीकरण किया गया है उसमें बहुत ही धांधलियां की गई हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मेरा गांव नया गांव जिसके विद्यालय को क्रमोन्नत किया गया था, उसमें अभी तक भी प्रधानाध्यापक नहीं लगाया गया है। वहां पर चार प्रधानाध्यापक लगा चुके लेकिन तीन दिन बाद उनको हटा दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे जो जिला शिक्षाधिकारी हैं, जो मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखेंगे ?

श्री सी.पी.जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी अधिकारी को डिमोरलाइज करने का माननीय सदस्य का जो उद्देश्य है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। समानीकरण की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। समानीकरण की प्रक्रिया में यदि वहां पांचवीं क्लास के संवर्ग में प्रारम्भिक शिक्षा के तृतीय श्रेणी के पद हैं तो समानीकरण के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के जो पद हैं वे हटेंगे। (व्यवधान) चार-आठ बता देंगे, बातें तो सुननी पड़ेगी पहले। जो बात कही है उसमें बात सुननी पड़ेगी । दो अलग-अलग प्रश्न पूछ लिए। पहले समानीकरण में इन्होंने गेण्डोली स्कूल की बात की है उसमें प्रारम्भिक शिक्षा में जहां पर दो अध्यापक होने चाहिए वहां दस अध्यापक काम कर रहे थे, तो दस अध्यापकों को वहां से हटाने की व्यवस्था करनी थी। इसलिए वह व्यवस्था की उन दस अध्यापकों को हटाने की। यह पहला भाग है। अभी आप दूसरा कह रहे हैं कि हमारे वहां पर अध्यापकों को लगाकर काम चला रखा है, मैं आपकी इस बात की जांच करवा लूंगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। डी.ई.ओ. ने यदि समानीकरण में निर्देशों के खिलाफ कोई काम किया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। लेकिन यदि निर्देशों की अनुपालना में उसने कोई काम किया है क्योंकि हमने छूट दी थी कि समानीकरण में जो अध्यापक इसमें परिवेदना के अन्तर्गत चाहता है तो वह खाली जगह दुबारा अपनी एप्लीकेशन देकर वहां जा सकता है। कुछ अध्यापकों को समानीकरण में ट्रांसफर के बाद यह छूट मिली हुई थी कि परिवेदना के आधार

(श्री सी.पी.जोशी)

पर दूसरे विद्यालयों मे अपनी चाइस दे सकते हैं। कुछ अध्यापकों के ट्रांसफर इस आधार पर भी हुए हैं। उनके ट्रांसफर के बाद वे अपनी इच्छित जगह बिना टी.ए., डी.ए. लिए गये। इसलिए उन अध्यापकों को हमने छूट दी, इसके अन्तर्गत हुआ है। आपने कहा, अमुक अध्यापक का चार बार ट्रांसफर हुआ, मुझे आप लिखकर दे दें, उस अध्यापक के संबंध में विभागं के अधिकारी से जांच करके उसके खिलाफ कार्यवाही करने की कोशिश करूंगा।

श्री घासीलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं प्रधानाध्यापक का मामला बता रहा हूं। जो विद्यालय क्रमोन्नत किया गया था उसमें बारबार प्रधानाध्यापक लगा दिया जाता है, बारबार हटा दिया जाता है। यह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नया गांव का मामला है, अभी भी वहां प्रधानाध्यापक नहीं है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने पूरे राजस्थान में समानीकरण के नाम पर खुली छूट दी है क्या ? पूरे राजस्थान में ऐसे हालात बने हैं। लूटने की और खाने की छूट दी है या आपने ये अन्धाधुंध तबादलों की छूट दी है ? समानीकरण के नाम पर पूरे राजस्थान में यह बात हुई है। समानीकरण, कहां का समानीकरण कर रहे हो आप।

श्री सी.पी.जोशी : जन प्रतिनिधियों को यह बात समझने की आवश्यकता है। हम एक ब्लैकेंट आरोप लगा दें कि खुली छूट दी, मैं इससे समहत नहीं हूं। समानीकरण में आपके पास कोई आरोप है तो लिखकर दें, मैं जांच करवा लूंगा। एक जनरल आरोप लगाने से...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि एक स्कूल से दस अध्यापक हटाने हैं...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : आपने इतनी स्कूलें क्रमोन्नत की तो क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : समानीकरण के नाम पर जो स्थानान्तरण हुए...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : नई भर्ती भी आपने नहीं की, नियुक्ति नहीं की। नई भर्ती तो आपने किसी को दी नहीं और क्रमोन्नत करते जा रहे हो। समानीकरण के नाम से दस साल से वहां कोई अध्यापक बैठा है उसको तो हटाया नहीं और एक साल वाले को हटाकर कहीं और दूसरी जगह भेज दिया। इस तरह की धांधली हर डी.ई.ओ. ने की है और मनमर्जी से वे पैसे ले रहे हैं। (व्यवधान) डी.ई.ओ. पैसे लेकर...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपने यह कहा है कि दस अध्यापक वहां अधिक थे और उनको हटाना है तो दस अध्यापकों को हटाने के बाद वहां दूसरे दो अध्यापक लगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई ? उसी स्कूल में दूसरे दो अध्यापक लगा दिये, इसका क्या कारण है ? क्या यह नहीं समझते हैं आप ?

श्री सी.पी.जोशी : माननीय सदस्य, एलीमैंटरी एजुकेशन का डायरेक्ट्रेट अलग है, सैकण्डरी एजुकेशन का डायरेक्ट्रेट अलग है। द्वितीय श्रेणी के पद सैकण्डरी एजुकेशन में होते हैं और तृतीय श्रेणी के पद प्रारम्भिक शिक्षा के अंदर होते हैं। जब पांचवीं कक्षा में वहां पर उसको अलग हो जाना चाहिए था प्रारम्भिक शिक्षा के जो पद तृतीय श्रेणी के थे पूल बजट के अन्तर्गत, उनको हटाया है तो और सैकण्डरी संवर्ग के तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की व्यवस्था करनी है, सैकण्डरी में तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की व्यवस्था की है। दो अलग संवर्ग हैं। मैं माननीय सदस्य को अब निवेदन करना चाहता हूं कि एक भी माननीय सदस्य किसी भी डी.ई.ओ. के खिलाफ यह लिखकर देगा कि यहां समानीकरण में गड़बड़ी हुई है तो मैंने पहले भी कहा था कि मैं जांच करवा लूंगा। कोई लिखकर देना नहीं चाहता, खाली ब्लैकेंट आरोप लगाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : मैंने लिखकर दिया है, मंत्री महोदय, आपको। मैंने दो अध्यापकों के लिए लिखकर दिया है कि इनके गलत किये गये हैं अब आप उसको...(व्यवधान)

श्री सी.पी.जोशी : कार्यवाही होगी न, आप चिंता क्यों कर रहे हैं ? (व्यवधान) आगे एक्शन...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : अब आप कब तक इश्यू करेंगे ? (व्यवधान) सारा सीजन ही निकल जाएगा, उसके बाद क्या होगा फिर ? (व्यवधान) कब तक होगी यह कार्यवाही ? तुरन्त होनी चाहिए कार्यवाही। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि समानीकरण के नाम पर कोई अनियमितता हो तो उसकी जांच करवाएंगे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या विभिन्न शिक्षक संगठनों ने समानीकरण के नाम पर जिस तरह की धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी शिकायत आपको दी ? आपने उसकी जांच करवाई, जांच का प्रतिवेदन आ गया, मैं विशेष तौर पर चूरु और बीकानेर की बात कर रहा हूं, आपने वह प्रतिवेदन ठण्डे बस्ते में डाल दिया। आज कितने दिनों से वहां आन्दोलन चल रहा है कि हमारा स्थानान्तरण पैसों की खुली लूट करके जहां चाहा, वैसा हुआ है। जांच रिपोर्ट आपके पास है तो आप कार्यवाही क्यों नहीं करते ?

श्री सी.पी.जोशी : यह प्रश्न तो अलग है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री सी.पी.जोशी : इससे कोई सम्बन्ध नहीं है इसका। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अभी इतने माननीय सदस्यों ने कहा है, खुलेआम कहा है सदन के अन्दर कि समानीकरण के नाम पर खुली लूट हुई है राजस्थान के अंदर। आपके सत्तारूढ दल के सदस्सों ने कहा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न बूंदी से संबंधित है। नहीं-नहीं, आप कोई जनरल बात नहीं पूछ सकते। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह पूरे राजस्थान में हो रहा है, हर जिले में हो रहा है। समानीकरण का मामला पूरे राजस्थान में हो रहा है, हर जिले में हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज झगड़ा चल रहा है, निदेशालय के सामने लोग बैठे हैं.. (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : अध्यक्ष महोदय, समानीकरण का काम पूरे राजस्थान में हो रहा है।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जुगल काबरा।

श्री जुगल काबरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, समानीकरण का काम पूरे राजस्थान के अंदर हुआ है, केवल बूंदी जिले में नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा...

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : हम विधान सभा में कह रहे हैं, माननीय मंत्रीजी जांच के लिए...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बीच में कहां बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : जहां भी समानीकरण के नाम पर जिला शिक्षाधिकारियों ने कोई गड़बड़ी की है तो उनके खिलाफ क्या मंत्री महोदय कोई कार्यवाही करेंगे, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच के प्रतिवेदन आपके पास पड़े हैं।

श्री सी.पी.जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरे यह बात समझ में नहीं आ रही है। यह बात मैं कह चुका हूं, पहले भी यह प्रश्न आया है, उसके बाद में मुझे पांच-छह माननीय सदस्यों ने लिखकर दिया है। इनकी मैं जांच करवा रहा हूं। बाकी आप माननीय सदस्य हड़बड़ाकर कुछ बोलें...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, जांच हो गई उसका क्या करोगे आप ? (व्यवधान)

श्री सी.पी.जोशी : आपके भरोसे नहीं है। (व्यवधान) +++ करने से थोड़े ही होता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच हो गई, उसमें क्या करोगे आप ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमने सबने लिख कर दिया है आपको (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच अधिकारी नियुक्त किया और जांच अधिकारी ने रिपोर्ट दे दी, उस पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : जालौर जिले के डी.ई.ओज. के खिलाफ...(व्यवधान) हमने सबने लिख करके दिया, उसकी आपने क्या कार्यवाही की ? (व्यवधान) रोज आप कहते हो हम जांच करा लेंगे, जांच करा लेंगे, अभी तक वह जांच हुई नहीं, कब होगी जांच ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जांच होनी चाहिए, जांच होगी उस पर भी कार्यवाही करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : कहते रहते हैं जांच करा लेंगे। (व्यवधान) हम आपको कह

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री हीरालाल विश्नोई)

रहे हैं, हम आपको दस बार इस बात के लिए मिले हैं कि डी.ई.ओज. वहां बात नहीं कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं और पैसे लेकर कार्यवाही कर रहे हैं। हम आपसे दस बार मिले हैं, दस बार आपको लिख कर दिया है। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, एक साल से तो मिडल स्कूल में कोई अध्यापक नहीं गये...(व्यवधान) सैकण्डरी स्कूल में अध्यापक नहीं हैं। (व्यवधान) सैकण्डरी स्कूल से मिडल में भेजे गये हैं... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप प्रतिवेदन दिखाओ उसका। क्यों नहीं कार्यवाही करते ? (व्यवधान) आपने जांच अधिकारी नियुक्त किया...(व्यवधान)

श्री घासीलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता मैं हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच में दोषी अधिकारियों को पाइंट आउट किया गया हैं, आपने क्यों कार्यवाही नहीं की ?

श्री अध्यक्ष : आप तीन-तीन खड़े हो रहे हैं सप्लीमैंट्री पूछने, मैंने अनुमति नहीं दी है। (व्यवधान) सप्लीमैंट्री पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमैंट्री यह है कि जो जांच प्रतिवेदन उनके पास पड़ा है उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ? (व्यवधान)

श्री सी.पी.जोशी : मेरे पास कोई जांच प्रतिवेदन नहीं मिला, बोलिये आगे।

श्री घासीलाल मेघवाल : मूल प्रश्नकर्ता मैं हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चूरू...(व्यवधान)

श्री सांवल लाल : चूरू, बीकानेर...(व्यवधान)

श्री सी.पी.जोशी : कोई प्रतिवेदन नहीं मिला मेरे पास। (व्यवधान)

श्री सांवल लाल : अजमेर जिले का पड़ा हुआ है।

श्री सी.पी.जोशी : कोई प्रतिवेदन नहीं मिला मेरे पास। क्या कहते हो, आप आरोप लगा रहे हो ? कोई प्रतिवेदन मेरे पास नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जिला कलेक्टर, अजमेर ने भेजा। (व्यवधान)

श्री सी.पी.जोशी : सरकार हम चला रहे हैं, आप अपने मन से करते जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री घासीलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नया गांव जिसके प्रधानाध्यापक को बार-बार हटाया गया है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को बचाना है तो बताओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सांवर लाल, आप बैठिए। (व्यवधान) आप बैठिए, बैठिए।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय,अजमेर में तो इतनी हुई है...(व्यवधान)

(श्री रमजान खान)

जिला कलेक्टर, अजमेर ने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री अशोक (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, जब मंत्रीजी ने अपना जवाब दे दिया, उनकी मंशा साफ है तो फिर यह क्या पूछना चाहते हैं बारबार ? (व्यवधान) एक ही प्रश्न को बारबार रिपीट कर सदन का समय जाया करते हैं। जब मंत्रीजी ने यह स्पष्ट जवाब दे दिया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री अमरा राम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : यह बहुत अच्छा काम किया, तमाम स्थानान्तरण पर रोक लगाई है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि समानीकरण की वजह से कई विद्यालय बंद होने की स्थिति में आ गये हैं और कई विद्यालय बंद हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक : जब मंत्रीजी ने स्पष्ट जवाब दे दिया फिर एक ही प्रश्न को बारबार घुमा कर पूछा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलते जाइये। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : ऐसे विद्यालयों में कब तक अध्यापक लगा दिये जाएंगे ? कितने समय में अध्यापक लगा दिये जाएंगे, मंत्री महोदय, यह बताने का श्रम करें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इनकी रिपोर्ट है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सांवर लालजी, बैठिए।

श्री अशोक : अध्यक्षजी, सरकार की मंशा साफ है। जो अधिकारी गलती करें उनके लिए कार्यवाही के लिए आश्वस्त कर दिया, फिर बारबार क्यों घुमा कर पूछ जाता है ? बारबार सदन का समय जाया किया जाता है।

श्री अमरा राम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय स्कूल, गेण्डोली का जो 1994-95 में क्रमोन्नत होने का यहां मंत्री महोदय ने सदन को सूचित किया है, क्रमोन्नत होने पर आपकी सरकार...(व्यवधान)

श्री अशोक : बारबार समय जाया किया जाता है। प्रश्नकर्ता संतुष्ट हैं, मंत्री महोदय ने उनको आश्वस्त कर दिया। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : प्रश्नकर्ता रह गया और आप सब हावी हो गये, क्या मामला है यह, यह क्या मजाक है ? (व्यवधान) जिस माननीय सदस्य का प्रश्न है वह तो रह गया और आप सब हावी हो गये, यह क्या है ? (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपके विभाग के स्पष्ट नियम हैं कि क्रमोन्नत होने के द्वितीय शिक्षण सत्र में प्राइमरी एजुकेशन जिला परिषद को अलग कर देना चाहिए। 1994 और 95 में जो क्रमोन्नत हुआ, 1995-96 के सत्र में प्राइमरी सैक्शन अलग हो जाना चाहिए था। जिला परिषद ने 1999-2000 तक, आज तक अलग नहीं

(श्री अमरा राम)

किया, क्या ऐसे सी.ओ. के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ? मैं मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : अब बैठिए आप। आपने पूछ लिया प्रश्न, आप बैठिए।

श्री अमरा राम (धोद) : ऐसे प्राइमरी एजुकेशन अलग करते हैं, उनमें जिला परिषद, पंचायत समिति को पद नहीं देते हैं, क्या पद भी देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। प्रश्नकर्ता।

श्री घासीलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नया गांव जिसको क्रमोन्नत किया गया था, क्रमोन्नत करने बाद वहां पर बारबार प्रधानाध्यापक लगाया गया और बारबार हटा दिया गया। आज भी वह प्रधानाध्यापक का पद खाली है, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि कब तक उस पद को भर दिया जाएगा ?

दूसरा गेण्डोली का प्रश्न है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गेण्डोली है, अध्यक्ष महोदय, वहां अलग से कोई प्रारम्भिक विद्यालय मौजूद नहीं है, जो सैकण्डरी विद्यालय है उसी में प्राथमिक विद्यालय संचालित है। क्योंकि द्वितीय श्रेणी के अध्यापक प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने से मना कर देते हैं और जो प्रारम्भिक शिक्षक हैं उनको सभी को हटा दिया गया है, गांव वालों ने पैसा इकट्ठा कर तीन अध्यापकों को लगा रखा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवदेन करूंगा कि अतिशीघ्र वहां पर अध्यापकों की व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री सी.पी.जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रमजानजी, आप सुनिये।

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, एक बात है। अजमेर जिले के जिला कलेक्टर ने इस समानीकरण के मामले के स्थानान्तरण के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले को सही मानते हुए तमाम स्थानान्तरण पर रोक लगा दी है और इसके बारे में मंत्री महोदय को लिख कर दिया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री सी.पी.जोशी : अध्यक्ष महोदय, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह बात बिलकुल सही है कि जब तक प्राथमिक विद्यालय वहां से अलग नहीं होगा तब तक जो आपकी चिंता है उसमें व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। हमने जिला परिषद को लिखा है, शीघ्र से शीघ्र वहां प्राथमिक विद्यालय अगले सत्र में अलग हो सके, उसकी व्यवस्था अलग हो सके, यह व्यवस्था मैं करूंगा।

मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं जिसमें मैं आपकी शैल्टर चाहता हूं, क्योंकि यह जो शिक्षा विभाग है, इसका सभी माननीय सदस्यों की चिंता से सम्बन्ध है। समानीकरण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत हमने 17 हजार अध्यापकों को, जो सैकण्डरी एजुकेशन के कैडर में थे, उनको हमने एलीमैंट्री एजुकेशन में लाकर 17 हजार अध्यापकों को अलग-अलग जगह भेजने की व्यवस्था की है।

(श्री सी.पी.जोशी)

उस व्यवस्था में डी.ई.ओ. को जो अधिकार दिये गये थे वह डी.ई.ओ. को अधिकार देने के अन्तर्गत माननीय सदस्यों की यह फीलिंग है कि वहां पर जो ट्रांसफर हो रहे हैं वह ट्रांसफर डी.ई.ओ. की मनमर्जी से हो रहे हैं। मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि डी.ई.ओ. ने यदि जो विभाग के निर्देश दिये हैं उनके खिलाफ कोई काम किया है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। लेकिन यदि हाइपोथेटिकल करें कि कलेक्टर, अजमेर ने रोक दिया, कलेक्टर, अजमेर की कोई रिपोर्ट इस क्षण तक विभाग के पास नहीं आई है। इस पर हाइपोथेटिकल... (व्यवधान) होगी आपके पास जानकारी। (व्यवधान) मुझे अपना जवाब देने दीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए।(व्यवधान)

श्री रमजान खान : सभी स्थानान्तरण जितने भी आपके डी.ई.ओ. ने किये हैं...(व्यवधान) और निश्चित रूप से आपके पास रिपोर्ट भेजी है। (व्यवधान)

श्री सी.पी.जोशी : आप अपनी बात कहें, मुझे भी अपनी बात कहने दीजिए। आप बैठिए, आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए। कोई भी मंत्री बोले, उसको इस तरह से डिमोरलाइज करके हम अपनी बात कहना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, तसल्ली से, गुस्सा मत करों आप। जनहित में...

श्री सी.पी.जोशी : किसका गुस्सा नहीं करो ? जनहित में मैं वो काम नहीं करता हूं। अधिकारियों को दबाकर अपना काम करना चाहूं, ऐसा काम मैं नहीं करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह समानीकरण की प्रक्रिया से 17 हजार अध्यापकों को एलीमेंट्री एजुकेशन, जो गांवों में शिक्षा का काम नहीं हो रहा था उनको शिक्षण के काम में जोड़ने के लिए हमने किया। उसका एप्रीशियेशन तो नहीं मिल रहा है लेकिन उल्टा मामला हो रहा है। 17 हजार अध्यापक के पद खाली पड़े हुए थे तब तो हमारी चिंता नहीं थी। 17 हजार अध्यापकों को जोड़ कर एलीमेंट्री एजुकेशन में पढ़ाने का काम करवाया, उसका सरकार को एप्रीशियेशन मिलना चाहिए। उसकी बनिस्बत जिन अधिकारियों ने यह काम करने के लिए अपना काम किया, उसमें कभी और खामी हो तो मैंने कहा है, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि समानीकरण के नियम को दोबारा पढ़ लें तथा उसके खिलाफ यदि किसी भी डी.ई.ओ. ने काम किया है तो वे डी.ई.ओ. मेरे लगाये हुए नहीं हैं, वे डी.ई.ओ. लगाये हुए हैं तत्कालीन सरकार के अन्दर। उनके अनुभव इस तरह के हो, उन्हें चोरी की, बेईमानी की, इस तरह की ट्रेनिंग दी है तो मैं जांच करूंगा। उनको किसी को डी.ई.ओ. नहीं रहने दूंगा। यह मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि ऐसा जून में एक भी डी.ई.ओ. नहीं रहेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामस्वरूप मीणा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री सांवर लालजी, बैठिए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह सारी की सारी जानकारी दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सांवर लालजी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जिला कलेक्टर, अजमेर न सारे ट्रांसफर पर रोक लगाई थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच रिपोर्ट आने के बाद भ्रष्ट लोगों को बचाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : और भ्रष्ट अधिकारियों को बचाना चाहते हैं अपनी कमजोरी छिपाने के लिए। अगर विभाग ने आपको रिपोर्ट...(व्यवधान) आप कार्यवाही करिये। (व्यवधान) मंत्री महोदय, जिला कलेक्टर, अजमेर ने सारे समानीकरण के नाम पर ट्रांसफर किये हैं, इन पर रोक लगाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक क्वेश्चन को इतना लम्बा कर रहे हैं। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री सी.पी.जोशी : मैं फिर कह रहा हूं, कलेक्टर की रिपोर्ट नहीं आई है मेरे पास। (व्यवधान) फिर कह रहा हूं, कलेक्टर की रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन । श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री सी.पी.जोशी : कलेक्टर की रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामस्वरूप मीणा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : फिर आप किसके लिए बैठे हो यहां पर ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, यह राजस्थान की विधान सभा है। (व्यवधान)

श्री सी.पी.जोशी : यह आपकी विधान सभा नहीं है, मुझे भी मालूम है।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

श्री सी.पी.जोशी : आपकी विधान सभा नहीं है, हमें भी मालूम है। +++ करने से थोड़े ही होता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, ज्यादा जोर से बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास चूरू के मामले में जांच रिपोर्ट...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जवाब चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सांवर लालजी। (व्यवधान) राजेन्द्रजी, बैठिए।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, एक भी अनियमितता की जानकारी खुद को नहीं है, मंत्री महोदय को, सारी जानकारी क्या

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री सांवर लाल)

माननीय सदस्य देंगे ? विभाग के ऊपर इनका नियंत्रण नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बैठिए आप। (व्यवधान) नहीं, अब नहीं पूछ सकते। (व्यवधान)

श्री सी.पी.जोशी : आपके ऊपर नियंत्रण है मेरा, चिंता करने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रमजान खान : आप कह रहे हैं कि मेरे को मालूम ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच प्रतिवेदन आता है, कार्यवाही नहीं करना चाहते। भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देने की न तो मेरी ट्रेनिंग है। आपका अनुभव ज्यादा होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या कहना चाहते हो आप ?(व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : आपका अनुभव सीखूंगा मैं। (व्यवधान) मेरा तो अनुभव नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या कहना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन के अन्दर जो आपने कीर्तिमान स्थापित किये हैं, राजस्थान की जनता देखेगी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : रिकार्ड रहा है न राजस्थान का। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : भ्रष्टाचार कैसे कर लेंगे, नाक से निकलवा लेंगे। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : निकाल देना। तीन एक साथ खड़े हुए हो, कहां तकलीफ है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा। आर्डर प्लीज।

राज्य में दुधारू पशुओं में नस्ल सुधार

464. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 1997 से 2000 तक राज्य में पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में कितने प्रजनन केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं ? उक्त में से कितने चालू एवं कितने बंद हैं ? क्या अब सरकार इस वर्ष नये प्रजनन केन्द्र और खोलने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने किसानों के दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान योजना चला रखी है ? यदि हां, तो कहां पर ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रजनन केन्द्रों पर जो कृत्रिम वीर्य से गर्भाधान किया जाता है उसकी क्या सरकार जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

राज्य मंत्री, डेयरी एवं पशुपालन (श्री हरिसिंह) (कुम्हेर) : (1) वर्ष 1997 से 2000 तक राज्य में पशुओं की नस्ल सुधार के लिए निम्नलिखित प्रयास किये गये :-

1. वर्ष 1997 से 2000 तक राज्य में 239 पशु चिकित्सालय एवं 682 उप केन्द्र खोले गये।

2. वर्ष 1984 में पशु प्रजनन नीति का निर्धारण किया गया था जिसका पुनर्निधारण वर्ष 1998 में किया गया ताकि पशुओं के नस्ल सुधार कार्यक्रम को गति दी जा सके। इसी प्रकार थारपारकर एवं कांकरेज नस्ल के विकास हेतु गाय एवं भैंस विकास परियोजना के तहत 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये जो केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं।

3. विभाग के अधीन कार्यरत पशु चिकित्सालय/औषधालय एवं उप केन्द्रों तथा डेयरी के केन्द्रों पर तरल नाइट्रोजन व फ्रोजन सीमन निरन्तर वितरण करने तथा उपकरण उपलब्ध कराने एवं पशु चिकित्सकों व कृत्रिम गर्भाधानकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से एक स्वायत्तशासी संस्था "राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड" का सृजन मार्च, 1998 में किया गया जो राज्य में कार्यशील है।

4. वर्ष 1997-98 में विभागीय पशु प्रजनन केन्द्रों को बछड़ा पालन केन्द्रों में परिवर्तित किया गया है जहां उच्च श्रेणी के बछड़ों का संधारण किया जाकर पशुपालकों को नि:शुल्क सांडों का वितरण किया जा रहा है।

5. केन्द्रीय पशु पंजीकरण योजना को राज्य में 109 स्थानों पर लागू किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य उन्नत नस्ल के बछड़ों की पहचान कर उनका पंजीयन करना एवं भविष्य में प्रजनन के लिए प्रदेश में उपलब्ध कराना है।

(2) राज्य में 3000 प्रजनन केन्द्र चलाये जा रहे हैं। इनमें से वर्तमान में 2311 स्थानों पर प्रजनन सुविधा उपलब्ध है।

(3) जी हां। सरकार किसानों के पशुओं की नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान योजना चला रही है। विभागीय संस्थानों द्वारा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सूची (क) संलग्न है।

(4) प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य पशु चिकित्सालयों/औषधालयों एवं उप केन्द्रों द्वारा सम्पादित किया जाता है। वितरण से पूर्व वीर्य की जांच करवाकर भिजवाये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि 239 पशु चिकित्सालय खोले और 682 उप केन्द्र खोले, इसके लिए तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे प्रश्न का जो नस्ल सुधारने का मामला है, मैं तो कह रहा हूं नस्ल सुधार के बजाय नस्ल बिगाड़ हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसके लिए पहले विदेश से उपाय करते थे, अब क्या आपने विदेश से वीर्य मंगवाना छोड़ दिया है ? यदि हां, तो अब क्यों नहीं आप विदेश से मंगवा रहे हैं ? मंगवा रहे हैं तो इस साल कितना मंगवाया ? आप एम.बी.ओ. प्लांट खोलना चाहते थे, लेकिन एम.बी.ओ. प्लांट

(श्री रामस्वरूप)

अभी तक आपने नहीं खोले। क्या सरकार की मंशा एम.बी.ओ. प्लांट खोलने की है, दो प्रश्न ? तीसरा मेरा प्रंश्न है कि आपने 1984 में पशु प्रजनन नीति का निर्माण किया ताकि नस्ल सुधान हो सके, आपकी वह पशु प्रज़नन नीति क्या है ? चौथा मेरा है कि नस्ल सुधार हेतु गाय भैंस परियोजना के तहत प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को भेज दिये हैं, माननीय मंत्रीजी यह बताएं कि आपने कब भेजे ? केन्द्र सरकार तो नस्ल सुधारना ही नहीं चाहती है, उनकी तो नस्ल सुधारने की मंशा ही नहीं है। अगर राजस्थान में नस्ल सुधार हो गया तो इससे हम लोगों को यहां फायदा होगा इसलिए वे तो चाहेंगे कि सुधार नहीं हो। तो क्या आप कोई अन्य उपाय सोच रहे हैं ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्षजी, आपने सीमन की बात कही कि सीमन कहां से मंगवाते हैं, तो अधिकतर तो हमारा सीमन हम स्वयं पैदा कर रहे हैं बस्सी में।

श्री रामस्वरूप : बहुत बढ़िया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ...(व्यवधान) बन्द कर दिया आपने।

श्री रामस्वरूप : आपका सीमन तो बेकार हो चुका है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सीमन प्रयोग करने से पहले उसका टैस्ट करते हैं। हमारी जो सक्सैस रेट है उसकी, वह भी बहुत अच्छी सक्सैस रेट है। उसके अलावा भी हम सीमन मंगवाते हैं, फेरा से मंगवाते हैं, वैट से मंगवाते हैं, गुजरात से सभी मंगवाते हैं और हम इम्पोर्टेड ज़र्सी का सीमन भी प्रयोग कर रहे हैं। यह तो आपके लिए एक निवेदन किया है मैंने। दूसरा आपको बताया कि हमने 4.94 करोड़ की योजना भारत सरकार को भेजी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उस योजना को हमने सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति दी है इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह शीघ्र योजना स्वीकार हो जाएगी। तीसरा सवाल आपका था ...और क्वेश्चन क्या रह गया आपका ?

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो विनम्र निवेदन है कि कृत्रिम गर्भाधान के जो केन्द्र आपने खोल रखे हैं ये फेल हो गये। यहां पर भी ये जाते हैं गांवों के अन्दर नस्ल सुधार नहीं हो रहा है। इस प्रकार की आपने कोई जांच करवायी है क्या ? ये कहते हैं कि हम जांच करके वहां भेजते हैं लेकिन उसके बावजूद भी फेल हो रहे हैं। जिन्होंने जांच की है, माननीय मंत्रीजी, क्या उनके खिलाफ आप कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अमरा राम (धोद) : मंत्री महोदय, टोडाभीम की नस्ल जरूर सुधारो आप।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय सदस्य को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृत्रिम गर्भाधान भी करते हैं और प्राकृतिक गर्भाधान भी करते हैं। प्राकृतिक गर्भाधान के लिए हमारे पास चार सेन्टर हैं, इन चारों सेन्टर्स से बछड़े फ्री सप्लाई करते हैं। यह जो आपका शक है कि केवल कृत्रिम गर्भाधान की बात है, जहां कहीं कोई आवश्यकता होती है, आप जहां

(श्री हरिसिंह)

बताएं वहां भी प्राकृतिक रूप से सामान उपलब्ध करवाया जाएगा।

श्री रामस्वरूप : अब तक आपने कितने बछड़े कहां-कहां सप्लाई किये, बताइये, माननीय मंत्रीजी। कितने सांड आपने सप्लाई किये ? किस-किस केन्द्र पर भेजे ?

एक माननीय सदस्य : नस्ल सुधारनी है तो नागौरी सांड लेओ आप।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हमारे यहां पर चार सेन्टर हैं - कुम्हेर में मुर्रा नस्ल का है, अजमेर के पास रामसर में गिरि नस्ल का रखते हैं, नागौर में नागौरी नस्ल है और डग में मालबी नस्ल है। इनसे हर साल बछड़े, जैसी मांग आती है उसके हिसाब से हम उनको सप्लाई करते हैं। आपकी अगर कोई अपने सेन्टर पर मांग होगी टोडाभीम में, तो हम वहां सप्लाई कर देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले की थारपारकर नस्ल के लिए चांदन में इन्होंने फार्म खोल रखा है वहां कृत्रिम गर्भाधान की कोई व्यवस्था नहीं है। थारपारकर नस्ल बढ़ाने के लिए चांदन में यूनिवर्सिटी का फार्म है वहां कृत्रिम गर्भाधान की चर्चा चल रही है परन्तु वहां कोई व्यवस्था नहीं है और जो सांड दिये जा रहे हैं वे प्रापर नहीं हैं। पूरे जिले के गांवों से थारपारकर नस्ल बरबाद हो चुकी है। मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे थारपारकर नस्ल को बचाने का प्रयास करें जो राजस्थान की अच्छी नस्ल है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्षजी, आपकी चिन्ता से मैं सहमत हूं। कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से चांदन में फार्म स्थापित है, वहां पर नस्ल सुधारने के लिए कार्यक्रम चल रहा है। उसको और सुधारने के लिए इस विश्वविद्यालय ने केन्द्र सरकार के लिए 3.69 करोड़ की योजना भेज रखी है। इस योजना के अन्तर्गत हम दस किलोमीटर का जो एरिया है उसमें थारपारकर नस्ल को सुधारने के लिए स्वीकृत होने के बाद में कार्यवाही करेंगे।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, आपने 250 अस्पताल खोले हैं उनमें कर्मचारी पदस्थापित ही नहीं किये तो खोलने का क्या औचित्य रहा आपका ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं खोलने का अपना अलग औचित्य है। हमारी वित्त मंत्रीजी से चर्चा चल रही है, इसका समाधान करने का हम प्रयास कर रहे हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई : औचित्य खोलने का अलग है तो वहां डाक्टर और कम्पाउण्डर पदस्थापित नहीं करेंगे तो खोलने का क्या औचित्य रहा, बताइये आप। आप ढाई सौ अस्पताल बता रहे हैं कि खोल दिये पर उनमें पदस्थापित एक भी डाक्टर नहीं कर रहे हैं, एक भी कम्पाउण्डर पदस्थापित नहीं कर रहे हैं। आप हमारे यहां पधारे थे तब आप कह कर आये थे और अब कह रहे हैं कि मेरे पास डाक्टर नहीं हैं, तो फिर अस्पताल खोलने का क्या औचित्य रहा ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आपने वहां पर एक सम्मेलन किया था और मुझे भी बुलाया

(श्री हरिसिंह)

था। आपकी मांग थी कि वहां पर एक चिकित्सालय खोला जाए। चिकित्सालय खोला जा चुका है। आप जहां की बात कर रहे हैं वहां पर हमारी टीम लगी हुई है। आप डाक्टर को लगाने के लिए मांग करते हैं, जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि जब हमारे पास डाक्टर्स उपलब्ध होंगे, आपके यहां हम डाक्टर्स पदस्थापित कर देंगे।

श्री हीरालाल विश्नोई : वह कब तक होंगे ? वही तो जानकारी चाहता हूं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैंने बताया कि राजस्थान के अन्दर काफी पद रिक्त पड़े हुए हैं। इस बारे में वित्त मंत्रीजी से चर्चा हो रही है।

श्री हीरालाल विश्नोई : माननीय वित्त मंत्रीजी भी बिराजमान हैं, आप बतला दें कि इसको कब तक करेंगे। यह तो बताइये। आपने अस्पताल खोल दिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी पूछ लूं ?

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य का मतलब विदेशी नस्ल से क्रास ब्रीडिंग से था। आपने जितने किये हैं चारों अलग-अलग जगहों पर, वह देशी नस्ल है और देशी नस्ल आपको कभी भी ब्रीडिंग के जरिये उतना दूध नहीं दे पाएगी, जितना विदेशी नस्ल का देती है। उसके बारे में आपने क्या किया ?

(12.00 बजे)

आपका डिपार्टमैंट खुद मानता है यह बात कि धीरे-धीरे हमारी विदेशी नस्ल की जो अच्छी ब्रीड थी वह डिटीरियोरेट हो रही है। यह बात भी सही है कि आपने इम्पोर्ट करना बंद कर दिया सीमन। उसी से बढ़िया बछड़ियां मिल रही थीं। अब आप जिस तरीके से, प्राकृतिक तरीके से बात सोच रहे हैं उससे इनब्रीडिंग होगी और इनब्रीडिंग हमेशा दूध कम करती है, यह बात बिलकुल सही है, इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे। इसलिए यह कृत्रिम ही होना चाहिए, आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन ही होना चाहिए। सांड के जरिये आपकी नस्ल गिर जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खान।

श्री अमीन खान (शिव) : अध्यक्ष महोदय, हम खुद पशुपालक हैं, हमारा धंधा ही यह है, जैसे पशुओं की थारपारकर नस्ल या कांकरेज नस्ल की आप ब्रीड का बचाव करने की सोच करते हैं, हमारे दिमाग में तो यह है कि इस नस्ल को सुरक्षित रखने का आपके विभाग और सरकार के हाथ में नहीं रहा और न लोगों के हाथ में। अनाप-शनाप बेकार नस्ल के बलद आवारा घूम रहे हैं, गौशाला वाले अलग छोड़ रखे हैं। उनको कोई पकड़ता है तो मुकदमा बनता है। उनके ऊपर चोट लगी तो पुलिस चालान कर देगी। जब ये गायों के साथ खुलेआम घूम रहे हैं, आपकी नस्ल कहां सुरक्षित रहेगी, मेरे खयाल में रह नहीं सकती, है।

श्री अध्यक्ष : ये थारपारकर ब्रीड की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

(2) सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-क)

(3) जी हां। चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी के मकान राज्य सरकार द्वारा शासन सचिवालय के कर्मचारियों हेतु अलग से निर्धारित हैं।

जी नहीं।

(4) राजकीय आवासों का आबंटन समय समय पर रिक्त होने वाले आवासों की उपलब्धता के आधार पर वरीयता सूची के अनुसार किया जात है। जहां तक विधान सभा कर्मियों को वर्ष 1996, 1997 तक पंजीकृत कर्मचारियों को आवास आबंटन का समय रिक्त होने वाले राजकीय आवासों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 4 देखें।)

राज्य में शराब तस्करी के दर्ज प्रकरण

581. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 1999 से जनवरी, 2000 तक राज्य में कितने शराब तस्करी के मामले दर्ज किये गये तथा उसमें कितनी राशि की तस्करी का अनुमान लगाया गया.?

(2) क्या सरकार शराब तस्करी को विभाग का अभिन्न अंग मानती है ? यदि हां, तो इसका स्थाई हल निकालने के क्या प्रयास किये गये ?

(3) क्या इससे सरकार को कोई आर्थिक लाभ होता है ? यदि हां, तो कितना ?

उत्तर

(1) राज्य भर में माह जनवरी, 1999 से जनवरी, 2000 के मध्य शराब तस्करी (अवैध उत्पादन, बिक्री, संग्रहण तथा परिवहन) के 6,971 मुकदमे दर्ज किये जाकर निम्नानुसार माल जब्त किया गया :-

क्र.सं.	सामग्री का नाम	मात्रा
1.	<u>देशी मदिरा</u>	
	(अ) बोतल	89,438
	(ब) पाऊच	9,34,032
	(स) वाश (बोतल में)	18,974
2.	<u>भा.नि.वि.मदिरा</u>	
	(अ) बोतल	34,749
	(ब) अद्दे	2,695
	(स) पव्वे	1,20,924
	बीयर	9,786

इन मामलों में तस्करी में निहित राशि का आकलन कर पाना संभव नहीं है।

(2) जी, नहीं।

(3) यदि राज्य से कोई मदिरा उस पर देय समस्त शुल्क चुका कर भेजी जाती है तो इससे राज्य सरकार को परमिट फीस/लाइसेंस फीस आदि शुल्कों का लाभ होता है तथा यदि मदिरा बाहर से अवैध रूप से लाकर बेची जाती है तो सरकार को इन शुल्कों की हानि होती है। इस प्रकार मदिरा की तस्करी से राज्य सरकार को होने वाले लाभ अथवा हानि का वस्तु-परक (Objective) आकलन संभव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में सार्वजनिक स्थानों पर शराब के ठेके

582. श्री राजेन्द्र सिंह गण्डूरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में कुल कितने देशी/अंग्रेजी शराब के ठेके कहां-कहां चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या देशी/अंग्रेजी शराब के ठेके धार्मिक स्थलों, विद्यालयों भवनों, आश्रम छात्रावासों, पंचायत मुख्यालयों के पास खोलने की छूट दे रखी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में उक्त स्थानों से ठेके हटाने का विचार रखती है ? अब सरकार उक्त ठेकों को कब तक हटाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (जिला अलवर) में देशी एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानें निम्न स्थानों पर स्वीकृत हैं :-

<u>देशी मदिरा</u>

1. लक्ष्मणगढ़ प्रथम
2. लक्ष्मणगढ़ द्वितीय
3. ग्राम पैतपुर
4. मालाखेड़ा कस्बा
5. अकबरपुर
6. कलसाड़ा बाइपास
7. उमरेण
8. इन्दोख
9. श्यामगंगा
10. बुजा
11. सुमेल
12. मोजपुर
13. बडोदामेव
14. करोरिया

<u>भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर</u>

1. लक्ष्मणगढ़ कस्बा

(2) प्रश्न के प्रथम भाग में उल्लिखित दुकानें धार्मिक स्थलों एवं विद्यालयों से निर्धारित दूरी पर स्थित हैं। नियमों एवं अनुज्ञापत्र शर्तों में आश्रम छात्रावासों व पंचायत मुख्यालयों के समीप मदिरा की दुकान खोलने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

आबकारी निरीक्षकों द्वारा अपराध पंजीयन के मानदण्डों पर पुनर्विचार

583. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या आबकारी निरीक्षकों के लिए आबकारी अपराध पंजीकृत करने के मानदण्ड निर्धारित किये हुए हैं ? यदि हां, तो कितने ? उक्त मानदण्डों का क्या आधार है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मानदण्डों को पूर्ण नहीं करने वाले निरीक्षकों को दण्डित किया जाता है ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने निरीक्षकों को मानदण्ड पूर्ण नहीं करने पर दण्डित किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त मानदण्डों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध विपरीत

(डा. किरोड़ी लाल)

टिप्पणी अंकित की है ? यदि हां, तो किस प्रकरण में और कब ? क्या सरकार ने उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील की है ? यदि हां, तो कब-कब तथा उसमें क्या फैसला हुआ ?

(4) क्या सरकार इस न्यायालय निर्णय की पालना में आबकारी अपराध पंजीकरण को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, आबकारी निरीक्षकों के वृत्तों को "अ" एवं "ब" श्रेणी में विभक्त किया जाकर "अ" श्रेणी के लिए 6 एवं "ब" श्रेणी के लिए 4 अभियोग प्रतिमाह पंजीकृत करने के मानदण्ड निर्धारित किये हुए हैं। निरीक्षकगण मदिरा के अवैध निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु सतर्क रहें, इससे अभियोग पंजीयन की तत्कालिक संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1987 में यह मानदण्ड निर्धारित किये गए थे।

(2) जी हां। मादण्ड पूर्ण नहीं करने के आधार पर गत तीन वर्षों में 76 आबकारी निरीक्षकों को राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत दंडित किया गया।

(3) एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 490/98 राज्य बनाम भंवरलाल मालाकार में हुए निर्णय दिनांक 8.7.98 में इस बाबत टिप्पणी की गई थी। उक्त एस.बी. सिविल रिट याचिका के निर्णय दिनांक 8.7.98 के विरुद्ध डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 53/98 राज्य बनाम भंवरलाल मालाकार दिनांक 11.8.98 को पेश की गई जो निर्णय दिनांक 4.2.99 द्वारा अस्वीकार कर दी गई। उक्त डी.बी. सिविल स्पेशल अपील के निर्णय दिनांक 4.2.99 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में राज्य सरकार की ओर से एस.एल.पी. सं. 1963/2000 दायर की गई जो निर्णय दिनांक 27.3.2000 द्वारा खारिज हो चुकी है।

(4) कानूनी राय लेकर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

पाली में राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन

584. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली में गत पांच वर्षों में कौन-कौनसे खिलाड़ी ने किस-किस खेल में अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त वर्ष में उक्त जिले में कोई राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौनसी और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के आधार पर जिला पाली में गत पांच वर्षों में किसी भी खेल में किसी भी खिलाड़ी ने अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त नहीं किये है। अत: सूची सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(राज्य मंत्री, खेलकूद)

(2) जी नहीं। राज्य सरकार स्वयं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओ का आयोजन नहीं करती है। यह कार्य सम्बन्धित खेल के राज्य संघ द्वारा उस खेल के राष्ट्रीय संघ की अनुमति से किया जाता है।

माउन्ट आबू का सफेदे के पेड़ों के कारण गिरता भू-जल स्तर

585. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पर्यटन स्थल माउन्ट आबू में भू-जल स्तर निरंतर गिरने से पेयजल संकट बढ़ता जा रहा है ?

(2) क्या सरकार ने इस हेतु कोई सर्वे कराया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक सर्वे करवाया जाकर पेयजल समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा ?

(3) क्या भू-जल स्तर गिरने का एक मुख्य कारण वहां लगाये गए सफेदे (यूक्लिपिट्स) के पेड़ हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या प्रभावी कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) माउन्ट आबू पर्यटन क्षेत्र में वर्ष 1992 से 1999 तक भू-जल स्तर में 3.58 मीटर की गिरावट मापी गई है, परन्तु इस क्षेत्र में पेयजल भू-जल से उपलब्ध नहीं कराया जाता बल्कि सतही जल से उपलब्ध कराया जाता है। गत दो वर्षो में औसत से कम वर्षा होने से जलाशयों में पानी की आवक कम होने से पेयजल के स्रोत में कमी आई है।

(2) जी हां, भू-जल विभाग द्वारा माउन्ट आबू क्षेत्र में वर्षा पूर्व एवं वर्षा उपरान्त चयनित कुओं का सर्वे किया जाता है। जलदाय विभाग द्वारा पेयजल समस्या निराकरण करने के लिए एक वृहद योजना बनाई जा रही है।

(3) जी नहीं।

प्रश्न संख्या 586

(स्थगित)

सरकार द्वारा जारी नागरिक अधिकार पत्र की क्रियान्विति

587. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही हैं कि सरकार द्वारा "नागरिक अधिकार पत्र" जारी किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी को किन निर्देशों के साथ भिजवाया गया ? अधिकार पत्र व आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि "नागरिक अधिकार पत्र" के बारे में ग्रामीण यहां तक कि सरपंचों को भी जानकारी नहीं दी गई है ? यदि हां, तो इसके प्रचार-प्रसार व जन-जन तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) जिला दौसा, करौली व सवाईमाधोपुर की तहसीलों में राजस्व अभिलेखों की नकल, रास्तों के विवाद, सीमाज्ञान, नामान्तरण, जोत विभाजन, वृक्ष कटाई, शुद्धिपत्र और खातेदारी अधिकार, बैंकों को अदेयता प्रमाण पत्र, भूमि रूपान्तरण भी प्रभार में पेंशन के कितने प्रकरण

(डा. किरोड़ी लाल)

वर्ष 1999 में प्राप्त हुए ? तहसीलवार प्रमाणों की संख्या व निस्तारण की संख्या सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि "नागरिक अधिकार पत्र" केवल कागजी कार्यवाही है ? राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों को इस बाबत गंभीरता से निर्देश नहीं दिये गये हैं ? क्या सरकार नागरिक अधिकार पत्र को गंभीरता से लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस तरह से ?

उत्तर

(1) जी हां। अधिकार पत्र एवं समस्त जिला कलेक्टरों को राजस्व मंडल अजमेर द्वारा प्रेषित निर्देश दि. 12.10.99 की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं। राजस्व विभाग के नागरिक अधिकार पत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार राजस्व विभाग के प्रत्येक स्तर से किया गया तथा जन प्रतिनिधिगणों को जिला स्तर से इसके उद्देश्य, महत्व की जानकरी उपलब्ध कराई गई।

नागरिक अधिकार पत्र के विमोचन एवं इसे 1 नवम्बर, 99 को लागू करते समय प्रेस व मीडिया को भी आमंत्रित कर जानकारी दी गई।

सितम्बर 99, के द्वितीय पखवाड़े में "रा.वि.रा." अंक 84 जुलाई, 99 की एक-एक प्रति सभी सरपंच जिलों को संबंधित तहसीलदारों द्वारा उपलब्ध कराई गई।

नागरिक अधिकार पत्र की प्रति पटवार मण्डल के नोटिस बोर्ड पर लगाये जाने के भी निर्देश दिये गये। माननीय मुख्य मंत्रीजी की ओर से दि. 27.11.99 को सभी सरपंचगणों को अ.शा. पत्र भेजकर नागरिक अधिकार पत्र के महत्व व उसके विधिवत लागू करने की ओर ध्यान आकर्षित किया।

(3) जिला दौसा, करौली एवं सवाईमाधोपुर में वर्ष 99 की तहसीलवार प्रकरणों की संख्या व निस्तारण क्रमश: परिशिष्ट "क", "ख", "ग" में दर्शाया गया है, जो संलग्न हैं।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार ने नागरिक अधिकार पत्र को गंभीरता से लागू किया एवं उसी अनुरूप समय-समय पर आदेश जारी कर इसके व्यापक प्रचार-प्रसार एवं इसके क्रियान्वयन की प्रभावी मानीटरिंग की व्यवस्था की है। जिला स्तर, उपखण्ड स्तर, तहसील स्तर पर इसके क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं।)

ग्राम न्योलखी (हनुमानगढ़) का फर्जी नामान्तरण प्रकरण

588. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या श्री भूराराम पुत्र श्री कालूराम जाति जाट, निवासी गांव न्योलखी, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ के नाम सम्वत् 2012 में ग्राम इदासर, तहसील रावतसर,

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

जिला हनुमानगढ़ में केवल 50 बीघा भूमि दर्ज थी।

(2) क्या श्री भूराराम पुत्र श्री कालूराम ने सरकारी अभिलेख में कांट-छांट कर 50 बीघा भूमि के स्थान पर 123.06 बीघा सरकारी भूमि अपने परिवार के सदस्यों के नाम नामान्तरण करवाकर कब्जा प्राप्त कर लिया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) राज्य सरकार की ओर से अनधिकृत रूप से शिफ्ट करवाई गई भूमि को पुन: प्राप्त करने व दोषी को सजा दिलवाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो अब सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(4) क्या इस संदर्भ में श्री देवकरण पुत्र श्री मनफूल राम, जाति जाट, निवासी ग्राम न्योलखी, तहसील रावतसर ने एक इस्तगासा न्यायिक मजिस्ट्रेट रावतसर की अदालत में दिनांक 6.9.99 को प्रस्तुत किया, जिस पर प्रकरण संख्या 64/99 पुलिस थाना पल्लू (हनुमानगढ़) में दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो सरकार की ओर से अपने हित के लिए क्या पैरवी की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या श्री भूराराम द्वारा 123.06 बीघा भूमि अनधिकृत रूप से अपने परिवार के सदस्यों के नाम कब्जा व फिट करवाकर अब पुन: और ग्राम इदासर (तहसील रावतसर) की 124.10 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है व उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ़) को झूठा दावा धारा अन्तर्गत 88, 188 प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(6) अब अनधिकृत कब्जा की गई सरकारी भूमि से श्री भूराराम को बेदखल करने की क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 1.12.94 को यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या अमल हुआ ?

(8) क्या स्थगन आदेश व दावा प्रस्तुत करने के समय श्री भूराराम के द्वारा दावे में चाही गई सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा था ? यदि नहीं, तो कब-कब कब्जा किया गया ?

(9) दिनांक 1.12.94 का आदेश यथास्थिति बनाये रखने का था, अत: क्या श्री भूराराम के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(10) क्या सरकार न्यायालय की अवमानना व स्थगन आदेश के बाद कब्जा की गई भूमि को प्राप्त करने की कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(11) क्या उक्त प्रकरण में सरकार यह मानती है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है तथा भविष्य में इस प्रकार झूठे दावे प्रस्तुत कर सरकारी भूमि को हड़पने से रोकने के लिए दोषी को सजा के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। भू-प्रबन्ध के दौरान 123 बीघा 06 बिस्वा भूमि का खसरा परिशोधन सं. 34 भरा गया था, जिसमें भूराराम ने अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के नाम 123.06 भूमि दर्ज करवा ली।

(3) अनधिकृत रूप से करवाई गई प्रविष्टि से संबंधित भूमि को आराजी राज दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार, नोहर ने राज. भू-राजस्व अधिनियम धारा 136 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.8.76 द्वारा ख.नं. 1051 की 15 बीघा जोहड़ पायतन से लगती भूमि को छोड़कर शेष भूमि श्री भूराराम के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये गये। दिनांक 8.2.73 को रामेश्वर पुत्र भानीराम ने एक प्रार्थना-पत्र सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया कि ख.नं. 300 व 303 की 43 बीघा भूमि श्री भूराराम ने खसरा नं. 297 व 298 के बदले में फिट करवा लिया है इसे निरस्त किया जावे। भू-प्रबन्ध की कार्यवाही सम्पन्न हो जाने के कारण उपखण्ड अधिकारी, नोहर के यहां स्थानान्तरित किया गया। उपखण्ड अधिकारी, नोहर ने बाद जांच निर्णय दिनांक 12.9.77 से ख.नं. 1055 की 13.11 बीघा, 1051 की 43 बीघा कुल 56.11 बीघा को जोहड़ पायतन दर्ज करने के आदेश दिये। इस निर्णय के विरुद्ध भूराराम ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर में अपील प्रस्तुत की। अपील कोर्ट ने निर्णय दिनांक 22.12.77 द्वारा अपील निरस्त की गई। इस निर्णय के विरुद्ध श्री भूराराम वगैरह ने माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के यहां अपील प्रस्तुत की जिन्होंने कुल बिन्दुओं पर पुन: गौर कर निर्णय करने हेतु मामला उपखण्ड अधिकारी, नोहर को रिमाण्ड किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर ने पुन: सुनवाई कर अपने निर्णय दिनांक 19.10.85 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नोहर के पूर्व निर्णय दिनांक 12.9.77 के अनुरूप ही विवादित भूमि को आराजी राज दर्ज करने का निर्णय पारित किया। रिकार्ड में रकबा आराजी राज दर्ज किया गया। निर्णय दिनांक 19.10.85 के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील दायर की गई जो विचाराधीन है तथा दिनांक 19.12.85 को स्थगन आदेश यथास्थिति बनाये रखने बाबत जारी किया हुआ है। वर्तमान में उक्त प्रकरण राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़ के यहां विचाराधीन है।

(4) जी हां। मुलजिम भूराराम को गिरफ्तार कर जे.सी. कराया गया है। पुलिस को अनुसंधान हेतु आवश्यक राजस्व अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये हैं। प्रकरण में सी.आई.डी., सी.बी. जयपुर द्वारा तफतीश की जा रही है।

(5) जी हां। उपखण्ड अधिकारी, नोहर के न्यायालय में दिनांक 4.7.94 को दायर किया गया। वाद में सरकार पक्ष की ओर से संशोधित जवाबदावा प्रस्तुत करने एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वास्तविक तथ्यों को उजागर करते हुए जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, के जाबबुल जवाब सायल हेतु प्रकरण विचाराधीन है।

(राजस्व मंत्री)

(6) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर का विवादित भूमि पर दिनांक 1.10.94 का स्थगन आदेश जारी किया हुआ होने तथा वर्तमान में प्रभावशील होने से समस्त अतिक्रमण बाबत वर्षवार पत्रावलियां फसल स्कुन्ता की रिपोर्ट फाइल में शामिल करते हुए पैंडिंग रखी गई है।

(7) जी हां। स्थगन आदेश की पालना में गैर सायल भूराराम द्वारा विवादित भूमि पर काश्त करने पर अतिक्रमण की कार्यवाही को पैंडिंग रखा गया है।

(8) वक्त स्थगन आदेश व दावा प्रस्तुत करने से अब तक मुताबिक खसरा गिरदावरी निम्नानुसार कब्जाकाश्त रहा है :-

सम्वत्	खसरा नम्बर मय तादाद रकबा
2051	1048/4.00,1052/1.00, 1054/2.10 = 7.10 बीघा
2052	1028/5.00, 1048/4.00, 1052/1.00, 1054/2.10 = 12.10 बीघा
2053	1028/5.00, 1048/6.00, 1052/1.00, 1054/2.10 = 14.10 बीघा
2054	1028/2.10, 1048/6.00, 1052/2.00, 1054/2.10 = 12.10 बीघा
2055	1028/6.00,1048/22.00, 1052/3.00, 1054/2.00, 1047/4.00 = 37.10 बीघा
2056	1028/2.00, 1048/5.00, 1052/2.00, 1054/2.00 =11.00 बीघा

(9) न्यायालय के आदेश की अवमानना नहीं पाई गई है, इसलिए अवमानना की कार्यवाही नहीं की गई।

(10) विवादित भूमि जिसके लिए वाद दायर किया गया है एवं स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है, उसके अतिरिक्त अन्य भूमि पर अतिक्रमण नहीं पाया गया है।

(11) वर्तमान में यह प्रकरण सक्षम न्यायालय के अधीन विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अन्य कार्यवाही संभव नहीं है।

पटवार हल्का रताऊ (लाडनूं) पटवारी के विरुद्ध जांच

589. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पटवार हल्का रताऊ तहसील लाडनूं में पटवारी के विरुद्ध निर्वाचन विभाग के आदेश के अनुसार दिनांक 15.7.99 को कोई जांच हुई है ? यदि हां, तो क्या ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जांच रिपोर्ट मय पत्रावली भेजने के लिए जिला कलेक्टर नागौर ने समय-समय पर निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो किस-किस तारीख को तथा जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर को कब भिजवाई ?

(3) क्या सरकार दोषी पटवारी व जांच में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विलम्ब करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) एक शिकायत पत्र दिनांक 8.1.97 को अभाव अभियोग, मुख्य मंत्री कार्यालय, जयपुर से जिला कलेक्टर, नागौर को प्राप्त होने पर तहसीलदार लाडनूं से जांच करावाई गई। तहसीलदार, लाडनूं ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 23.6.97 में शिकायत निराधार पाई, तत्पश्चात् दिनांक 15.7.97 को मुख्य निवार्चन अधिकारी, राज., जयपुर से पटवार हल्का, रताऊ, तहसील लाडनूं के सम्बन्ध में पूर्व में प्रेषित शिकायत पत्र की छाया प्रति प्राप्त हुई, जिसकी पुन: जांच करवायी गई। उपखण्ड अधिकारी द्वारा भी जांच से सहमति जताई गई है। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न प्रस्तुत है।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट भिजवाने के लिए जिला कलेक्टर, नागौर ने तहसीलदार, लाडनूं को दिनांक 27.3.97 व 6.5.97 को निर्देश दिये। जांच रिपोर्ट दिनांक 26.6.97 को भिजवाई गई।

(3) जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी निर्दोष पाया गया, जांच रिपोर्ट भी समय पर प्राप्त हुई इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(प्रति के लिए परिशिष्ट 5 देखें।)

विधान सभा में क्षेत्र बस्सी के प्राथमिक विद्यालयों की भूमि पर अतिक्रमण

590. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बस्सी की प्राथमिक शालाओं के लिए आबंटित भूमि पर हुए अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? उक्त क्षेत्र के ऐसे विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सम्बन्ध में आम जनता व अध्यापकों द्वारा बार-बार आग्रह किया गया है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? उक्त पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। तहसील विधान सभा क्षेत्र बस्सी में 45 प्राथमिक शालाओं के लिए 96.13 बीघा भूमि राज्य सरकार द्वारा आबंटित की गई है। उक्त आबंटित भूमि पर किसी का भी अतिक्रमण नहीं है।

किन्तु ग्राम विराजपुरा में प्राथमिक विद्यालय विराजपुरा की पट्टेशुदा आबादी भूमि पर अतिक्रमण है। जिसके संबंध में ग्राम पंचायत एवं अतिचारी के मध्य न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर के यहां वाद विचाराधीन है।

एक प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी पंचायत समिति बस्सी को प्रधानाध्यपक राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीनगर द्वारा अतिक्रमण हटाने के क्रम में प्रस्तुत किया गया था। परन्तु राजस्व रिकार्ड के अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीनगर के नाम कोई भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। यह विद्यालय ख.नं. 110 में स्थित है, जो मुख्य आबादी से लगता हुआ है। ग्राम के समीप होने के कारण स्थानीय

(राजस्व मंत्री)

लोगों द्वारा ढोल, डेहरा, रेवडा डालकर लगभग 5 बिस्वा भूमि पर अस्थाई अतिक्रमण किया हुआ है। जिसको हटाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा तहसीलदार बस्सी को निर्देशित कर दिया गया है।

(2) इस संबंध में प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीनगर द्वारा एक प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी पंचायत समिति बस्सी को प्रस्तुत किया गया था। अतिक्रमण पूर्णतया अस्थाई है जो राजस्व रिकार्ड के अनुसार विद्यालय को आबंटित भूमि नहीं है। बल्कि राजकीय भूमि है जिस पर अतिक्रमण हटवाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा तहसीलदार बस्सी को निर्देशित कर दिया गया है। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रस्तुत पत्र की प्रति संलग्न है।

(प्रति के लिए परिशिष्ट 6 देखें।)

ग्राम रायथल (बूंदी) की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण

591. श्री मदन लाल वर्मा (डग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ग्राम रायथल जिला बूंदी की राजकीय भूमि खसरा संख्या 201 के अतिक्रमियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि अतिक्रमियों के विरुद्ध तहसीलदार बूंदी द्वारा पत्रावली संख्या 490 वर्ष 1997 के जरिये अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया गया था ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अतिक्रमियों द्वारा उक्त राजस्व ग्राम की सीमा में अन्य खसरा नम्बर की भूमि पर भी अतिक्रमण किया हुआ है ? यदि हां, तो किस-किस खसरा नम्बर की कितनी-कितनी भूमि पर तथा इस बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम रायथल जिला बूंदी की राजकीय भूमि ख.नं. 201 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा में से 4 बीघा पर संवत् 2056 खरीफ की रिपोर्ट पटवारी अनुसार श्री भंवर लाल आत्मज बजरंग लाल मीणा नि. रायथल का अतिक्रमण होने से अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर निर्णय दिनांक 14.3.2000 नायब तहसीलदार बूंदी द्वारा अतिक्रमी को बेदखल कर दिया गया है।

(2) अतिक्रमियान श्री भंवर लाल, रामकरण, मोहन, छोटू पि.बजरंगा कौम मीणा साकिन रायथल को जरिये मिसल नं. 490/97 निर्णय दिनांक 15.3.97 को अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 एवं धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के तहत एक माह का सिविल कारावास एवं रुपये 560 मात्र जुर्माना से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखली के आदेश जारी किये गये थे। आदेश की छाया प्रति संलग्न है।

(3) उक्त अतिक्रमियों में से श्री भंवर लाल आ. श्री बजरंग लाल जाति मीणा, नि. रायथल द्वारा उक्त राजस्व ग्राम की अन्य राजकीय भूमि ख.नं. 665 रकबा 3 बीघा पर

(राजस्व मंत्री)

भी अतिक्रमण किया गया था। अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर निर्णय दिनांक 14.3.2000 द्वारा बेदखली के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(छाया प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

कस्बा लाडनूं में कृषि भूमि पर नये सिनेमा हाल का निर्माण

592. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कस्बा लाडनूं (नागौर) में नये सिनेमा हाल का निर्माण हुआ है या हो रहा है ? यदि हां, तो कहां तथा किस भूमि पर और क्या उक्त भूमि कृषि भूमि है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सिनेमा हाल व्यावसायिक गतिविधियों में आता है ? यदि हां, तो उक्त भूमि का व्यावसायिक उपयोग के लिए कब परिवर्तन किस स्तर से किस प्रकार से कराया गया ?

(3) क्या कृषि भूमि पर बिना व्यावसायिक कार्य में परिवर्तन कराये सिनेमा हाल का निर्माण किया जा सकता है ? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो राजस्व विभाग ने इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की तथा नहीं तो अब क्या कार्यवाही की जा सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि कस्बा लाडनूं (नागौर) में नये सिनेमा हाल का निर्माण हुआ है। प्रस्तावित भूमि ग्राम लाडनूं के खसरा नम्बर 1125 रकबा 1900.78 वर्ग मीटर किस्म बारानी कृषि भूमि है।

(2) यह सही नहीं है कि सिनेमा हाल व्यावसायिक गतिविधियों में आता है। नगरीय क्षेत्रों में राजस्थान भू-राजस्व (सिनेमा निर्माण एवं पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु कृषि भूमि का आबंटन संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम, 1978 के तहत सिनेमा पृथक गतिविधि है। भूमि का संपरिवर्तन सिनेमा प्रयोजन के लिए कराया है।

(3) प्रश्नगत भूमि सिनेमा कार्य के लिए रूपान्तरण करवाकर ही उपयोग किया गया है। कोई अनियमितता नहीं है अत: कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

ग्राम पचार (सीकर) के आम रास्तों पर अतिक्रमण

593. श्री हरीश चन्द (नावां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पचार, तहसील दांतारामगढ़ (सीकर) में पचार से चारणवास ग्राम को जाने वाले आम रास्ते पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर उसे बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो किसके द्वारा ?

(2) क्या उक्त रास्ता गत 50 वर्षों से आम रास्ते के रूप में चला आ रहा है और उक्त रास्ते को बंद कर दिये जाने से स्थानीय काश्तकारों एवं कुछ अनुसूचित जाति के परिवारों का आवागमन का रास्ता बंद हो गया है ? यदि हां, तो अब उक्त आम रास्ते पर हुए

(श्री हरीश चन्द)

अतिक्रमण को कब तक हटाकर पूर्व की स्थिति बहाल कर दी जाएगी ?

(3) क्या गांव पचार में हुए उक्त अतिक्रमण व अन्य रास्तों/सार्वजनिक स्थानों पर हुए अतिक्रमणों के बाबत स्थानीय पटवारी ने जिला प्रशासन को सूचना दी है ? यदि नहीं, तो इसके लिए दोषी पटवारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी और अब गांव पचार में आम रास्तों/सार्वजनिक स्थानों (यथा होली मैदान, दशहरा मैदान, वीर तेजाजी मन्दिर के आसपास का क्षेत्र आदि) से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। यह सही नहीं है कि ग्राम पचार से चारणवास ग्राम को जाने वाले आम रास्ते पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर उसे बन्द कर दिया गया है। ग्राम पचार से चारणवास जाने का आम रास्ता चालू है, परन्तु एक लिंक रास्ता जो मुख्य रास्ते से मिलता है, को एक खातेदार श्री प्रहलाद सहाय पुत्र श्री हजारी दास जाति ब्राह्मण द्वारा अपने खेत में बन्द कर दिया गया है।

(2) जी, हां। यह सही है कि उक्त लिंक रास्ता गत 50 वर्षों से चालू रहा है और रास्ते को अब बन्द कर दिये जाने से कुछेक स्थानीय काश्तकारों व अनु. जाति के परिवारों का आवागमन का रास्ता बन्द हो गया है। परन्तु ग्राम पचार से चारणवास जाने के आम रास्ते में कोई अवरोध नहीं है। ग्राम पचार के नागरिकों ने उक्त रास्ता खुलवाने बाबत एक आवेदन पत्र दिनांक 5.4.2000 को प्राप्त होने पर राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(2) के अन्तर्गत रास्ता खुलवाने के लिए ग्राम पंचायत पचार को मूल आवेदन पत्र दि. 7.4.2000 को भिजवाया जा चुका है, जिस पर अधिनियम के अन्तर्गत 45 दिन में ग्राम पंचायत द्वारा रास्ता खुलवाने की कार्यवाही की जावेगी। यदि ग्राम में पंचायत 45 दिन में रास्ता खुलवाने में असफल रहती है तो तहसीलदार द्वारा तत्पश्चात अतिक्रमण नियमानुसार हटवा दिया जाएगा।

(3) ग्राम पचार में उक्त रास्ते पर हुए अतिक्रमण बाबत स्थानीय पट्वारी द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा पटवारी के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने बाबत जिला कलेक्टर, सीकर को निर्देश जारी किये जा रहे हैं। गांव पचार में अन्य सार्वजनिक स्थानों, यथा होली मैदान, दशहरा मैदान, वीर तेजाजी मन्दिर के आसपास का क्षेत्र ग्राम पंचायत पचार के अन्तर्गत है, जिस पर अतिक्रमण होने की कोई सूचना नहीं है।

ग्राम चन्दपुरा (सीकर) की आराजी खसरा नम्बर 315 का प्रकरण

594. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चन्दपुरा तहसील व जिला सीकर के आराजी खसरा नम्बर 315 रकबा 0.17 हैक्टेयर भूमि, खसरा नम्बर 317 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 417 रकबा 0.85 हैक्टेयर भूमि पर श्री पन्नाराम का कब्जाशुदा पक्का मकान है ? यदि हां, तो कब से बना हुआ है ?

(श्री बाबूलाल नागर)

(2) क्या यह भी सही है कि खसरा नम्बर 417 रकबा 0.85 हैक्टेयर में से सवा बीघा भूमि श्री जवाहर मल ब्राह्मण को दिनांक 27.3.1956 को संकल्प करके श्री बोदू पुत्र उदा जाट निवासी चन्दपुरा द्वारा दान में दी गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत चन्द्पुरा, पंचायत समिति पिपराली, पंचायत समिति सदस्य पिपराली, प्रधान, पंचायत समिति पिपराली व जिला प्रमुख, जिला परिषद् सीकर ने प्रमाण पत्र जारी कर उक्त भूमि श्री पन्नालाल की होनी बताई है ?

(4) क्या उक्त भूमि के सम्बन्ध में श्री पन्नालाल ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर के समक्ष पेश किया था ? यदि हां, तो किस तिथि को ?

(5) क्या उक्त वाद का निपटारा न्यायालय द्वारा कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और क्या फैसला दिया गया ? फैसले की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त वाद में वादी ने विक्रय/दान सम्बन्धी दस्तावेजात की प्रति भी न्यायालय में प्रस्तुत की थी ? यदि हां, तो क्या-क्या ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) अब उक्त वाद का निस्तारण कब तक होने की सम्भावना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम चन्दपुरा, तहसील व जिला सीकर के खसरा नं. 315 में मौके पर कोई मकान बना हुआ नहीं है। खसरा नं. 317 में मौके पर एक ईंटों का जीर्ण-शीर्ण झूंपा बना हुआ है, जो बाईपास बाउण्ड्री में आ चुका है। खसरा नं. 417 में लगभग 200 वर्गगज भूमि पर पुख्ता मकान बने हुए हैं, जो काफी पुराने प्रतीत होते हैं।

(2) ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ है।

(3) श्री पन्नाराम द्वारा वाद सं. 311/96 व 84/99 उपखण्ड अधिकारी, सीकर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्रावली में ऐसे कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।

(4) जी हां। वाद दिनांक 18.10.96 को पेश किया गया।

(5) वाद सक्षम न्यायालय में अभी निर्णयाधीन है।

(6) लम्बित वाद में वादी ने विक्रय/दान सम्बन्धी दस्तावेज पेश नहीं किये हैं।

(7) वाद सक्षम न्यायालय के विचाराधीन है। वाद में नियमानुसार सुनवाई आदि पूर्ण होने पर ही निर्णय संभव हो पायेगा।

जिला जैसलमेर के सरकारी देवालयों पर अनधिकृत कब्जे

595. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जैसलमेर रियासत विलीनीकरण के समय राज्य में कितने देवस्थान मंदिर व धर्मशालाएं राज्य सरकार को सुपुर्द किये थे ?

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(2) क्या उक्त मंदिर/धर्मशालाएं अभी भी राज्य सरकार के अधीन हैं ?

(3) क्या यह सही है कि कई मंदिरों को पुजारियों ने निजी सम्पत्ति बना दी है ?

(4) क्या सरकार उक्त कब्जों को छुड़वाने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जैलमेर रियासत के विलीनीकरण व राजस्थान राज्य के गठन के समय देवस्थान विभाग को निम्न मंदिर प्राप्त हुए :-

1. मं. श्री गिरधारीजी, जैसलमेर,
2. मं. श्री बांकड़े बिहारीजी, जैसलमेर।

(2) जी हां। उक्त मंदिर वर्तमान में भी विभाग के अधीन होकर प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी में श्रेणीबद्ध हैं। विभाग के अधीन कोई धर्मशाला नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) चूंकि विभाग को सौपें गये मंदिर देवस्थान विभाग के ही स्वामित्व एवं सेवा-पूजा में है अत: उक्त मंदिरों का कब्जा छुड़वाने का कोई बिन्दु अधिशेष नहीं है।

वक्फ बोर्ड में कार्यरत कर्मी की विदेश यात्रा

596. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या वक्फ बोर्ड के कर्मचारी/अन्य पदाधिकारी ने विदेश यात्रा की है ? यदि हां, तो कब-कब ? उक्त यात्रा हेतु किस सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त यात्रा किस देश की थी और उस यात्रा का उद्देश्य क्या था ?

उत्तर

(1) जी हां विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी/ पदाधिकारी	कब से कब तक	सक्षम अधिकारी
1.	श्री अब्दुल गफ्फार	1969	राज्य सरकार
2.	श्री अताउर्रहमान	03.03.80 से 10.04.80	सचिव, वक्फ बोर्ड
3.	श्री अताउर्रहमान	28.09.98 से 07.11.98	सचिव, वक्फ बोर्ड
4.	श्री एहतरामउल्ला खान	06.05.85 से 29.06.85	सचिव, वक्फ बोर्ड
5.	श्री अनीस मोहम्मद	14.10.94 से 14.11.94	उपसचिव, वक्फ बोर्ड
6.	श्री मोहम्मद अनवर (मैम्बर वक्फ बोर्ड)	12.11.99 से 12.12.99	राज्य सरकार (गृह विभाग)
7.	श्री अब्दुल अजीज (मैम्बर वक्फ बोर्ड-वक्फ मंत्री)	10.3.2000 से 28.3.2000	राज्य सकार

(राज्य मंत्री, वक्फ)

(2)

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी/ पदाधिकारी	देश	उद्देश्य
1.	श्री अब्दुल गफ्फार साहब	मक्का शरीफ	हज (निजी यात्रा)
2.	श्री अताउर्रहमान	पाकिस्तान	निजी यात्रा (शादी श्री हबीबुर्रहमान-भ्राता)
3.	श्री अताउर्रहमान	पाकिस्तान	निजी यात्रा (श्री हबीबुर्रहमान के इंतकाल)
4.	श्री एहतरामउल्ला खान	पाकिस्तान	निजी यात्रा (रिश्तेदारों से मिलने)
5.	श्री अनीस मोहम्मद	नेपाल	निजी यात्रा
6.	श्री मोहम्मद अनवर	मक्का शरीफ	राजकीय यात्रा (हाजियों हेतु भवन चयन चयन समिति सदस्य के रूप में।
7.	श्री अब्दुल अजीज (मैम्बर वक्फ बोर्ड-वक्फ मंत्री)	मक्का शरीफ	हज यात्रा पर (निजी)

आगरा रोड, पुराना घाट, जयपुर स्थित कुष्ठ रोग चिकित्सालय

597. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आगरा रोड, पुराना घाट, जयपुर स्थित कुष्ठ रोग चिकित्सालय को मौखिक आदेश से 12 जनवरी, 2000 को बंद कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो 12 जनवरी, 2000 के पश्चात् भर्ती हुए मरीजों की संख्या दिनांकवार सदन की मेज पर रखें।

(2) कुष्ठ रोग चिकित्सालय में कितना बजट वर्ष 1999-2000 में केन्द्र सरकार ने व कितना बजट राज्य सरकार ने विभिन्न मदों से स्वीकृत किया है और उसमें से अब तक कितना व्यय हुआ ?

(3) उक्त चिकित्सालय में कितने चिकित्सक व कर्मचारियों के पद सृजित हैं तथा कितने कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं ? चिकित्सालय बंद होने के पश्चात् इनका समायोजन कहां किया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं, 12 जनवरी, 2000 के पश्चात् कुष्ठ रोग से पीड़ित व गम्भीर अवस्था के रोगी अस्पताल में नहीं आने के कारण भर्ती नहीं हुए हैं।

(2) कुष्ठ रोग चिकित्सालय में केन्द्रीय

(चिकित्सा मंत्री)

सरकार द्वारा कोई बजट स्वीकृत नहीं किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 में आयेजना भिन्न व्यय में स्वीकृत प्रावधान के अन्तर्गत रुपये 22.45 लाख विभिन्न मदों में आबंटित किया गया, जिसमें से रुपये 14.98 लाख सम्भावित व्यय किया गया। मदवार आबंटित एवं व्यय का विवरण संलग्न है।

(3) राज. कुष्ठ रोग चिकित्सालय में वर्तमान में स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
चिकित्सा अधिकारी	1	1	-
नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	-
जमादार	2	-	2
कनिष्ठ लिपिक	1	1	-
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	12	9	3
स्वीपर	2	2	-
शेष प्रश्न नहीं उंठता	1		

(विवरण के लिए परिशिष्ट 7 देखें।)

श्रीडूंगरगढ़ (चूरू) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पद

598. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्रीडूंगरगढ़ (चूरू) में किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? संवर्गवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कब से कार्यरत है और कितने पद किस-किस संवर्ग के कब-कब से रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्रसवोत्तर केन्द्र डूंगरगढ़ (चूरू) में स्टाफ के स्वीकृत पदों का पदवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त चिकित्सा संस्थानों में पदवार कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण अधिकारी/कर्मचारियों के नाम सहित मय कार्यरत एवं रिक्त की अवधि के प्रश्न के भाग एक की सूची में दर्शाया गया है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

जी हां। कनिष्ठ विशषज्ञों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर एवं नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पद को राज्य सरकार से नवनियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा। वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के रिक्त पदों को भरे जाने पर राज्य सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है। राज्य सरकार से शिथिलता एवं नियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही भरा जाना संभव हो सकेगा।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 8 देखें।)

मेडिकल कालेज कोटा में रिक्त पद

599. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मेडिकल कालेज कोटा में वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कौन-कौन से पद रिक्त हैं ? अब रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या मेडिकल कालेज पूर्ण रूप से नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो अब कब तक कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) मेडिकल कालेज, कोटा में राजपत्रित वर्ग में 49 एवं अराजपत्रित वर्ग में 50 पद रिक्त हैं। सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

रिक्त पदों को राजस्थान लोक/सेवा आयोग/विभागीय पदोन्नति समिति एवं संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत भरने का प्रयास किया जा रहा है।

(2) मेडिकल कालेज पूर्ण रूप से नवनिर्मित भवन में माह जुलाई, 1997 में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 9 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में अध्यापकों के रिक्त पद

600. डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा (भीलवाड़ा) में कितने माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं ? उक्त किस-किस विद्यालय में कितने-कितने छात्र अध्ययनरत हैं और कितने-कितने अध्यापक अध्यापन के लिये नियुक्त किये हुए हैं ?

(2) उक्त विद्यालयों में स्कूलवार अध्यापकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा (भीलवाड़ा) में 7 उच्च माध्यमिक तथा 21 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों तथा छात्राओं को पढ़ाने हेतु नियुक्त अध्यापकों का विद्यालयवार विवरण (परिशिष्ट "क") पर है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) उक्त विद्यालयों में 8 व्याख्याताओं तथा 8 वरिष्ठ अध्यापकों के पद रिक्त हैं। विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(3) व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को 1294 पदों हेतु अर्थनाएं भिजवाई गई हैं, आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध हो जाने पर ही व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। द्वितीय एवं तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के पद पर राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्तियों पर लगाया हुआ प्रतिबन्ध हटने पर ही भरा जाना संभव हो सकेगा।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 10 देखें।)

राज्य में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पद

601. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा में तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के कितने पद दिनांक 31 जवनरी, 2000 तक स्वीकृत हैं और उनके विरुद्ध कुल कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? संख्या विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में अनेक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा आठ का शिक्षण चल रहा है, उसके उपरान्त भी अध्यापकों की संख्या तीन या चार है ? यदि हां, तो कितने ऐसे विद्यालय हैं और नहीं, तो क्या इन अध्यापकों के शिक्षण कार्य से बोर्ड का परीक्षा परिणाम लाया जाना संभव है ?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति होने तक अस्थाई शिक्षण कार्य हेतु तीन माह के लिए स्थानीय प्रधानाध्यापकों द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को अध्ययन का अधिकार देना चाहती है ?

उत्तर

(1) राज्य के प्रारंभिक शिक्षा में दिनांक 31 जनवरी, 2000 को तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 83191 पद स्वीकृत हैं जिनके विरुद्ध 79591 अध्यापक कार्यरत हैं। विवरण सदन के पटल पर रख दिया है।

(2) जी हां। राज्य में 346 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां 3 या 4 अध्यापक कार्यरत हैं।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 11 देखें।)

व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों का समायोजन

602. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा संचालित व्यावसायिक शिक्षा सत्र 1998-99 से बंद कर दी गई है ? क्या सरकार उक्त शिक्षा को पुन: प्रारम्भ करने का

(श्री रमेश खींची)

विचार रखती है ? क्या उक्त योजना के अन्तर्गत अनुदानित विद्यालयों में करोड़ों रुपये सरकारी धन व्यय कर वहां प्रयोगशालाओं हेतु भवन एवं उपकरण उपलब्ध कराये गये वह राजकीय सम्पत्ति अब निजी शिक्षण संस्थाओं की सम्पत्ति हो गई जबकि व्यावसायिक शिक्षा को बंद कर इसे तकनीकी निदेशालय को हस्तान्तरित करने की सिफारिश की गई थी ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो उन सम्पत्तियों की वसूली के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के बंद करने के फलस्वरूप अनुदानित विद्यालयों में पिछले 10-12 वर्षों से कार्यरत तकनीकी शिक्षाकर्मियों की सेवाएं मई, 1999 के पश्चात् विभिन्न आदेश जारी कर 31 अक्टूबर, 1999 तक बढ़ायी गई थी, जिनकी पालना संबंधित शिक्षण संस्थाओं द्वारा नहीं की गई एवं उन्हें फरवरी, 1999 से वेतन भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवाएं 31 अक्टूबर, 1999 के पश्चात् अधिशेष घोषित करते हुए उन्हीं विद्यालयों में समायोजन के आदेश जारी किये गये किन्तु उन विद्यालयों ने आज तक उक्त सरकारी आदेशों की पालना नहीं की जिसकी सूचना कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर माननीय शिक्षा मंत्री, जन प्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो ऐसी स्थिति में 10-12 वर्षों से कार्यरत कर्मचारी जो कि अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं, बेरोजगार नहीं हो जाएंगे जिनकी नियुक्ति नियमित रूप से सरकारी अनुमोदन के साथ की गई थी, जिनके वेतन के बजट को 75 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत क्रमशः केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार वहन करती थी ?

(4) क्या सरकार ऐसी स्थिति में उन तकनीकी शिक्षा कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाने के लिए उनको अन्य कर्मचारियों की भांति अधिशेष घोषित कर अन्य विभागों में समायोजन करने का विचार रखती है या अन्य अनुदानित विद्यालयों में समायोजन किया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस केन्द्र प्रवर्तित योजना को भारत सरकार द्वारा बंद किये जाने के कारण राज्य सरकार ने भी इसे बंद कर दिया। पुनः प्रारम्भ करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में प्रयोगशाला निर्माण एवं उपकरण क्रय के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत राशि स्वीकृत की गई थी। उपकरणों के सामान्य शिक्षा विद्यालयों की प्रयोगशालाओं एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संस्थानों में उपयोग की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। योजना फरवरी, 99 में बंद की गई थी। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 31.10.99 तक बढ़ाने का तात्पर्य यह था कि फरवरी, 99 के पश्चात् भी कोई गैर सरकारी संस्था इस कार्यक्रम को लागू रखती

(शिक्षा मंत्री)

है तो दिनांक 31.10.99 तक उसमें कार्यरत स्टाफ को वेतन देय होगा और संस्था को उन पर नियमानुसार अनुदान देय होगा। शिक्षण संस्थाओं में कर्मचारियों ने इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 31.10.99 तक कार्य किया हो परन्तु वेतन का भुगतान नहीं हुआ हो, ऐसे प्रकरण सरकार के ध्यान में नहीं आये हैं।

(3) जी हां। अधिकांश अनुदानित संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत कार्यरत रहे कर्मचारियों को संस्था के रिक्त पदों पर जिस पद की वे योग्यता रखते थे लगा लिया गया है। कुछ संस्थाओं में हटाये गये कर्मचारियों की योग्यता अनुसार पद रिक्त नहीं होने के कारण उन्हें वापस सेवा में नहीं लिया गया। इसी कारण वेतन भुगतान नहीं हो सका है। योजना समाप्त होने के पश्चात् कार्यमुक्त व्यक्तियों को नियमित नियुक्ति दिये जाने का योजना में कोई प्रावधान नहीं था।

(4) जी नहीं। अधिशेष घोषित कर समायोजित करने का नियम राजकीय कर्मचारियों पर ही लागू है। इस कारण अनुदानित संस्थाओं के व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा अधिशेष घोषित करने अथवा समायोजित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी मानवता के आधार पर गैर सरकारी विद्यालयों में कार्यरत रहे कर्मचारियों को उन्हीं संस्थाओं में रिक्त पदों पर जिनकी वे योग्यता रखते हों, नियुक्ति करने के लिए निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

जिला नागौर में समायोजन के आधार पर अध्यापकों के स्थानान्तरण

603. श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिसम्बर, 1998 से फ़रवरी, 2000 तक जिला नागौर में शिक्षा विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक/माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कब-कब कितने-कितने व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापकों/अध्यापकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन किये हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शिक्षकों के स्थानान्तरण राज्यादेश अनुसार या विभाग के अधिकारियों ने स्वयं अपने स्तर पर ही किये हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि शिक्षा विभाग ने समायोजन के आधार पर विभाग के स्तर पर स्थानान्तरण किये हैं ? यदि हां, तो इन स्थानान्तरणों के लिए क्या आधार एवं प्रक्रिया अपनाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि एक ही विद्यालय से अधिशेष के आधार पर अध्यापक हटाये गये और कुछ समय पश्चात् उसी विद्यालय में पुन: उसी श्रेणी के अध्यापक लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि विद्यालय में से समायोजन के आधार पर स्थानान्तरण करने के पश्चात् विद्यालयों की कक्षाओं के अनुपात में बहुत कम अध्यापक रहे हैं ? कुछ विद्यालयों में तो प्रधानाध्यापक एवं एक-दो अध्यापक ही रहे हैं बाकी सभी पद रिक्त रखे गये हैं ?

(श्री मांगीलाल डांगा)

(6) क्या यह सही है कि कई विद्यालयों में विद्यार्थियों के अनुपात के आधार से अधिक अध्यापकों का भी पदस्थापन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में दिसम्बर, 98 से फरवरी, 2000 तक उच्च माध्यमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किये गये स्थानान्तरणों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न कर रखा गया है।

(2) जी हां। शिक्षकों के स्थानान्तरण/समायोजन राज्यादेशों एवं विभागीय निर्देशानुसार किये गये हैं।

(3) जी हां। समानीकरण कार्यक्रम में छात्र अनुपात के स्वीकृत मानदण्ड के अन्तर्गत अधिशेष अध्यापकों का समायोजन आवश्यकता वाले विद्यालयों में स्पष्ट रिक्त पदों पर किया गया है। जिन विद्यालयों से पद कम किये गये हैं उन विद्यालयों में वरिष्ठतम अवधि से कार्यरत शिक्षक को ही अधिशेष घोषित किया गया है।

(4) जी हां। कुछ विद्यालयों में त्रुटिवश अधिक अध्यापक हटा दिये गये थे। इन विद्यालयों में आवश्यकतानुसार पुनः स्थानान्तरण/पदस्थापन कर त्रुटियों को सुधारा गया था।

(5) जी नहीं। समानीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वीकृत छात्र अनुपात के मानदण्ड के अनुसार अध्यापकों की संख्या का निर्धारण किया गया है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत अधिशेष शिक्षकों को आवश्यकता वाले विद्यालयों में पदस्थापित किया गया है। इस प्रकार छात्र संख्या के अनुपात में कहीं भी कम पद नहीं रहे हैं।

(6) जी नहीं। छात्र संख्या के स्वीकृत मानदण्ड के अनुसार ही अध्यापकों के पद रखे गये हैं, अधिक नहीं।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 12 देखें।)

पंजाबी भाषाई शिक्षकों के रिक्त पद

604. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पंजाबी भाषाई शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं ?

(2) क्या पंजाबी भाषा की कक्षाएं मानदण्ड के हिसाब से लगाई जाती हैं ? यदि हां, तो क्या वहां पंजाबी भाषा के शिक्षकों को नियुक्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में पंजाबी भाषाई शिक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति इस प्रकार से है :-

संवर्ग का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
व्याख्याता	01	01
वरि. अध्यापक	05	03
अध्यापक तृतीय श्रेणी (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)	77	57
योग :-	83	61

(शिक्षा मंत्री)

(2) यद्यपि 83 स्वीकृत पदों में 61 पद रिक्त हैं, परन्तु उपलब्ध शिक्षकों के द्वारा जिन विद्यालयों में वे पदस्थापित हैं पंजाबी भाषा की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। अन्य विद्यालयों में जहां पद रिक्त थे, उस विषय के सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं। रिक्त पदों पर नियुक्ति पर प्रतिबन्ध समाप्त होने व नियमानुसार पदोन्नति के उपरान्त उक्त रिक्त पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा।

प्रश्न संख्या 605

(स्थगित)

राजीव गांधी पाठशालाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षण

606. श्री रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने शारीरिक शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु सी.पी.एड. पाठ्यक्रम तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु एस.टी.सी. पाठ्यक्रम बंद कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजीव गांधी पाठशालाओं में कार्यरत कर्मियों को प्रशिक्षण दिलाने का विचार रखती है ? उक्त पाठशालाओं में कर्मियों को किस सेवा नियम/शर्तों पर लगाया गया है ? नियम/शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार राजीव गांधी पाठशालाओं के कर्मियों को प्रशिक्षित कर स्थाई करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो प्रशिक्षित अध्यापकों को रोजगार देने का क्या साधन उपलब्ध करवायेगी ?

उत्तर

(1) मांग एवं पूर्ति एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने शारीरिक शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु डिग्री कोर्सेज को डिप्लोमा कोर्सेज के स्थान पर अधिक प्रोत्साहन देने का नीतिगत निर्णय लिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (एस.टी.सी.) व सी.पी.एड. पाठ्यक्रम सन् 2000-2001 से बंद किया गया है। डाइट्स की सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण क्षमता को राजीव गांधी पाठशालाओं के पैराटीचर्स के प्रशिक्षण हेतु उपयोग किया जाएगा। आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट "क" एवं "ख" सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों को नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। शिक्षा सहयोगियों की नियुक्ति हेतु दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट "ग" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु योग्यताधारी शिक्षा सहयोगियों को 4-5 वर्ष के सफल अध्यापन के पश्चात् नियमित वेतन श्रृंखला देने का विचार है।

(प्रति के लिए परिशिष्ट 13 देखें।)

जिला दौसा में प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों को चयनित वेतनमान

607. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, दौसा द्वारा 18 वर्षीय चयनित वेतनमान वर्ष 1992 के बाद कितने अध्यापकों को दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ अध्यापकों को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् भी अब तक चयनित वेतन श्रृंखला नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? ऐसे अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रखें तथा उक्त अध्यापकों को उक्त श्रृंखला क्यों नहीं दी गई ?

(3) क्या जिन अध्यापकों की सेवा अवधि अक्टूबर, 1996 में ही 18 वर्ष की पूर्ण हो गई है, को सरकार अब उक्त वेतन श्रृंखला देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने उक्त शिक्षा अधिकारी के अधीन उक्त मामले में लापरवाही बरत कर अध्यापकों को वित्तीय नुकसान पहुंचाया है, उनके विरुद्ध क्या सरकार नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शिक्षा) दौसा द्वारा 18 वर्षीय चयनित वेतनमान वर्ष 1992 के पश्चात् 94 अध्यापकों को स्वीकृत किया गया। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। 10 अध्यापकों को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् भी चयनित वेतनमान नहीं दिया गया है। कारण विवरण सहित परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। परिशिष्ट "ख" में वर्णित स्थिति के अनुसार किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कोई लापरवाही नहीं की गई। अत: उनके विरुद्ध राज्य सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं रखती है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 14 देखें।)

राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलेरा के महिलाकर्मी का बकाया वेतन भुगतान

608. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलेरा में वर्तमान में वरिष्ठ लिपिक के कितने पद स्वीकृत हैं और उन पर कौन-कौन कब-कब से पदस्थापित हैं ? विद्यालय में कार्यरत समस्त कर्मियों के नाम, पदनाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि व्यावसायिक शिक्षकों के पद समाप्त होने पर किसी महिलाकर्मी को अक्टूबर, 1999 में उक्त विद्यालय में वरिष्ठ लिपिक के पद पर लगाया गया था एवं उसका वेतन भी उक्त विद्यालय से भुगतान करने के आदेश उप निदेशक (मा.) शिक्षा जयपुर द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो किस महिलाकर्मी का पदस्थापन किस आदेश के तहत उक्त विद्यालय में किया गया ?

(श्री रतनलाल ताम्बी)

पदस्थापन के आदेश एवं उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा जयपुर द्वारा लिखे गये पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उप निदेशक (मा.) शिक्षा के आदेश के बावजूद उक्त महिलाकर्मी को माह अक्टूबर, 1999 से मार्च, 2000 के वेतन का भुगतान नहीं किया है ? यदि नहीं, तो उक्त भुगतान कब एवं कितनी राशि का किया गया ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर अब उक्त महिलाकर्मी को बकाया वेतन का भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि, हां तो तक और नहीं तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय में पूर्व में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत का स्थानान्तरण अन्यत्र किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब एवं वर्तमान में वह किस विद्यालय में किस आधार पर कार्यरत है एवं उसका वेतन किस मद से किस आधार पर उठाया जा रहा है ?

(5) राजस्थान उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय फुलेरा के वेतन बिल संख्या-81 कितनी राशि का कब बनाया गया था ? क्या उक्त बिल का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, फुलेरा में वरिष्ठ लिपिक का एक पद स्वीकृत है, उक्त पद पर श्रीमती मीना झा, वरिष्ठ लिपिक दिनांक 16.3.2000 से कार्यरत है। उक्त विद्यालय में कार्यरत लोकसेवकों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांगानेर (जयपुर) की वरिष्ठ लिपिक, श्रीमती मीना झा का स्थानान्तरण वरिष्ठ लिपिक का पद समाप्त होने के कारण उप निदेशक (मा.) शिक्षा, जयपुर के आदेश क्रमांक : उनिश/जय/स्थाना/फा-148/128/99 दिनांक 14.10.99 के द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, फुलेरा (जयपुर) में किया गया तथा उप निदेशक (मा.) जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 22.3.2000 के द्वारा अक्टूबर, 99 से फुलेरा से वेतन आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। साथ ही संस्था प्रधान, फुलेरा को यह निर्देश दिये गये कि अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र, उपस्थिति प्रमाण पत्र मय अवकाश स्वीकृति के पश्चात् वेतन आहरित किये जाने की कार्यवाही करें। आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट "ख" व "ग" पर संलग्न है।

(3) जी हां। अक्टूबर, 99 से 15 मार्च, 2000 तक का वेतन भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि श्रीमती मीना झा अक्टूबर, 99 से 15 मार्च, 2000 तक अवकाश पर रही हैं तथा 120 दिन से अधिक अवधि का अवकाश स्वीकृत करने हेतु विभागाध्यक्ष सक्षम है, अतः श्रीमती झा द्वारा प्रस्तुत अवकाश प्रकरण आवश्यक स्वीकृति हेतु विभागाध्यक्ष (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) को प्रस्तुत किया गया है। अवकाश स्वीकृति के पश्चात् ही बकाया वेतन का भुगतान किया जाना संभव हो सकेगा।

(शिक्षा मंत्री)

(4) जी हां। पूर्व वरिष्ठ लिपिक का स्थानान्तरण जुलाई,99 में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, साली (दूदू) में किया गया तथा वर्तमान में उनका वेतन राजकीय माध्यमिक विद्यालय साली (दूदू) से ही आहरित किया जा रहा है। चूंकि श्री प्रभूरत्न दबे ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, फुलेरा का कार्यभार सुपुर्द नहीं किया था, अत: उन्हें कार्यभार हस्तान्तरण हेतु उक्त विद्यालय में लगाया गया है। कार्यभार हस्तान्तरण का कार्य पूर्ण होते ही पुन: मूल पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

(5) वेतन विपत्र-81 दिनांक 25.3.2000 राशि 43557 रुपये का विपत्र स्वयं श्रीमती मीना झा द्वारा बनाया गया तथा विपत्र रजिस्टर में इन्द्राज किया गया। चूंकि श्रीमती झा द्वारा उपभोग किये गये अवकाश का प्रकरण विचाराधीन चल रहा है, अत: अवकाश स्वीकृति के अभाव में विपत्र कोष कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 1999-2000 दिनांक 31.03.2000 को समाप्त हो चुका है, अत: विपत्र संख्या-81 स्वत: ही निरस्त हो गया। अवकाश स्वीकृति के पश्चात् ही अवकाश के वेतन का भुगतान करवाया जाना संभव हो सकेगा।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 15 देखें।)

तहसील रायपुर (पाली) के झिलमिल व समेल बांध की नहरों का निर्माण

609. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली की तहसील रायपुर में वर्षों पुराने निर्मित झिलमिल व समेल बांध से गत वर्षों में कच्ची नहरों का निर्माण कर बिराठिया कलां गांव के काश्तकारों को तथा सीरमा व धुकलपुरा के काश्तकारों को सिंचाई सुविधा हेतु बनायी गई, उक्त दोनों बांधों से निकाली कच्ची नहरों का पक्का निर्माण कब तक करवा दिया जाएगा ?

(2) उक्त बांध से निकाली गई कच्ची नहरों की लम्बाई कितने-कितने किलोमीटर है तथा पक्की नहर निकालने पर कितनी राशि व्यय होगी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इनको पक्का करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) झिलमिल एवं सेमल बांध की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम बांध	नहरों की कुल लम्बाई (कि.मी.)	पक्की नहरों की लम्बाई (कि.मी.)	कच्ची नहरों की लम्बाई (कि.मी.)
1.	झिलमिल बांध	7.00	3.23	3.77
2.	सेमल बांध	2.22	-	2.22

(सिंचाई मंत्री)

कच्ची नहरों को पक्का करने का विचार नहीं है। इसलिए राशि व्यय करने का प्रश्न नहीं है।

पखन नदी शेरगढ़ (बारां) का प्रस्तावित बांध

610. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या शेरगढ़ सिंचाई परियोजना (बारां) के ऊपर पखन नदी पर एक बांध बनाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत क्या है ?

(2) उक्त बांध बनाने की प्रस्तावित योजना सरकार के पास कब भेजी थी तथा सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार से उक्त योजना को कब तक मंजूरी मिल जाएगी ? उक्त योजना के विभाग द्वारा भेजे गये प्रारूप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त बांध के बनने से तहसील अटरू व बारां की कितनी भूमि की अतिरिक्त सिंचाई होगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सर्वे एवं अनुसंधान कार्य प्रगति पर है। अत: वर्तमान स्थिति में अनुमानित लागत अवगत करना सम्भव नहीं है।

(2) इस परियोजना की हाइड्रोलोजी केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली से 538 मि.घ.मी. जल उपलब्धता की स्वीकृति वर्ष 1999 में प्राप्त हो चुकी है। इसके पश्चात् सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य प्रगति पर है। तत्पश्चात् विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग को भेजी जाएगी।

(3) सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य के पश्चात् प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की कार्यवाही की जाएगी। अत: प्रारूप की प्रतिलिपि सदन में अभी प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

(4) कमाण्ड क्षेत्र का विस्तृत सर्वे के उपरान्त ही सिंचित भूमि निर्धारित की जाएगी।

माही बांध की मेमखोर कैनाल पर घटिया सामग्री का उपयोग

611. श्री नानालाल नीनामा (घोटाल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माही बांध की मेमखोर कैनाल पर 2 किलोमीटर लंबी नहर में घटिया सामग्री काम में ली गई है ? क्या घटिया सामग्री का प्रयोग होने से पानी रिसाव होकर खेतों में भर जाता है और अन्तिम छोर तक नहीं पहुंच पाता है ?

(2) क्या उक्त समस्या के समाधान हेतु कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, माही बांध की नहर प्रणाली में मेमखोर कैनाल नाम से कोई नहर नहीं है।

यद्यपि मेमखोर गांव के पास से माही बांध की नरवाली वितरिका (आर.डी. 22.5 से

(सिंचाई मंत्री)

26 कि.मी.) निकलती है। नरवाली वितरिका की कुल लम्बाई 33.09 कि.मी. है एवं इसे 26 कि.मी. तक पूर्ण कर दिया गया है और यहां तक नहर में पानी दिया जा रहा है। नहर घटिया सामग्री के कारण क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। इस नहर की प्रारंभिक लम्बाई का निर्माण वर्ष 1993-94 में हो गया था परन्तु शेष कार्य पूर्ण होने पर पानी 1998-99 में छोड़ा गया। पास के गांवों के पशुओं आदि के नहर में इधर से उधर निकलने के कारण कुछ स्थानों पर यह क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसे फसलों में पानी देने के पूर्व ठीक करा लिया गया था। अत: खेतों में पानी भरने जैसी कोई उल्लेखनीय समस्या नहीं है। नहर की आर.डी. 26 कि.मी. से 33 कि.मी. तक निर्माण कार्य प्रगति पर है। अत: नहर के अन्तिम छोर तक पानी नहर के पूर्ण होने के पश्चात् ही जा सकेगा।

(2) समस्या के समाधान की आवश्यक कार्यवाही नहर में पानी छोड़ने से पूर्व कर दी गई है।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की प्रस्तावित सिंचाई योजनाएं

612. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कौन-कौनसी लघु एवं वृहद् सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है ?

(2) उक्त परियोजनाओं में से कौन-कौनसी पर कार्य कब तक पूर्ण होने की संभावना है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में 7 लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं तथा वृहद् परियोजना कोई भी प्रस्तावित नहीं है। इन 7 लघु सिंचाई परियोजना में से 3 की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं 4 परियोजनाओं का तकमीना बनाया जा रहा है जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) प्रशासनिक स्वीकृत योजनाएं :-

क्र. सं	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति राशि (लाखों में)	सिंचाई क्षमता हैक्टेयर (सी.सी.ए.)
1.	क्यारी	107.16	246.00
2.	रेठो का नाका	276.41	351.00
3.	रोहणी	243.34	351.00

(ब) परियोजनाएं जिनके तकमीने बनाये जा रहे हैं :-

क्र.सं.	योजना का नाम	तहसील
1.	शोभावास	गोगुन्दा
2.	नादरा	गोगुन्दा
3.	दमदमा	गोगुन्दा
4.	निकोर	गोगुन्दा

(2) उक्त परियोजनाएं वर्तमान में प्रारम्भ नहीं की गई हैं। वित्तीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर पूर्ण होना सम्भव होगा।

विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा के तालाब

613. श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा के कुल कितने तालाब सिंचाई विभाग के अधीनस्थ हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1994 से 1999 तक किस योजना के अन्तर्गत कौनसे तालाब पर कितनी राशि व्यय की गई है ? वर्षवार मय राशि एवं योजना का नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उदयपुरा बड़ा तालाब पर अब तक कौन-कौनसी योजनान्तर्गत कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त तालाब से कितने गांवों की कितनी हैक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा के अन्तर्गत कुल 14 तालाब सिंचाई विभाग के अधीनस्थ हैं जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) वर्ष 1994 से 1999 तक डी.आर.डी.ए. एवं अकाल राहत द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(3) उदयपुरा बड़ा तालाब पर अकाल राहत मद में रुपये 9.25 लाख एवं सुनिश्चित रोजगार योजना मद के अन्तर्गत रुपये 8.32 लाख व्यय किये गये हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(4) उदयपुरा बड़ा तालाब से मात्र उदयपुरा बड़ा गांव की 12.00 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 16 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के विचाराधीन बांध

614. श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी (लक्ष्मणगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में कितने बांध/नहर/एनीकट विभिन्न योजनओं में विचाराधीन हैं ? क्या सरकार इनको पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं, विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में कोई बांध/नहर/एनीकट बनाने हेतु कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

पंच पहाड़ी जयपुर का अपूर्ण बांध

615. श्री रघुवीरसिंह गौड़ (कोटपूतली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंच पहाड़ी बांध का काम चल रहा था लेकिन निर्माण कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री रघुवीरसिंह गौड़)

(2) क्या सरकार अकाल राहत कार्य में उक्त बांध को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) अकाल राहत से सम्बन्धित कार्यों की स्वीकृति सिंचाई विभाग के कार्य क्षेत्र में नहीं है।

(2) उत्तर भाग (1) के अनुसार।

तीतरखेड़ी (छबड़ा) की प्रस्तावित लिफ्ट सिंचाई योजना

616. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या तीतरखेड़ी (छबड़ा) लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्य शुरू किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या पूर्व में उक्त कार्य शुरू कर दिया था और बाद में बन्द कर दिया गया था ?

(3) उक्त योजना से छबड़ा तहसील के कौन-कौनसे गांवों की कितनी भूमि सिंचित होगी और उक्त लिफ्ट पर कुल कितनी लागत आएगी ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना के बनाये जाने की मांग क्षेत्रीय जनता द्वारा की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) इस योजना से छबड़ा तहसील के ग्राम तीतरखेड़ी की 109 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई प्रस्तावित थी तथा वर्ष 1991-92 के मूल्य आधार पर अनुमानित लागत रु. 8.20 लाख आंकी गई थी।

(4) जी हां।

राज्य में संभागीय स्तर की प्रयोगशालाओं की स्थापना

617. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में एक ही संभाग पर तीन-तीन प्रयोगशालाएं हैं ? उक्त प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली क्या है ? वर्ष 1998 व 1999 तक उक्त तीनों प्रयोगशालाओं में क्या-क्या कार्य किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्रयोगशालाएं अन्य संभागों में भी खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली निम्न लिखित है :-

1. राज्य स्तरीय राज्य रोग निदान केन्द्र एवं संभागीय स्तर पर क्षेत्रीय रोग निदान केन्द्रों एवं जिला स्तर पर जिला रोग निदान इकाइयों द्वारा सामान्यतया पशु रोग निदान सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य किया जाता है।

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

2. ऊंटों में सर्रा रोग निदान कार्य एवं अन्य रोगों के निदान सम्बन्धी कार्य सर्रा रोग नियंत्रण इकाइयों द्वारा किया जाता है।

3. कुक्कुट रोग निदान एवं आहार विश्लेषण प्रयोगशालाएं तथा मैरेक्स एवं पुलोरम रोग निदान इकाइयां कुक्कुट रोगों का निदान कार्य करती हैं।

4. क्षय एवं ब्रुसलोसिस रोग नियंत्रण इकाइयां क्षय एवं ब्रुसलोसिस रोग निदान का कार्य करती हैं।

इन प्रयोगशालाओं का मुख्य कार्य पशुओं में किसी भी प्रकार के रोग का प्रकोप पाये जाने पर त्वरित गति से रोग निदान कार्य करना है। वर्ष 98-99 में इन प्रयोगशालाओं द्वारा किये गये कार्य के विवरण की सूची संलग्न है।

(2) वर्तमान में प्रदेश में नई प्रयोगशालाएं खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 17 देखें।)

पंचायत समिति बांदीकुई में राष्ट्रीय पोषाहार योजना का लाभ

618. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या पंचायत समिति बांदीकुई क्षेत्र में राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं के छात्रों को राष्ट्रीय पोषाहार योजना के अन्तर्गत पोषाहार देने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। पंचायत समिति बांदीकुई क्षेत्र में राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं के छात्रों को राष्ट्रीय पोषाहार योजना के अन्तर्गत पोषाहार पूर्व से ही दिया जा रहा है।

ग्राम सतवाड़ा (टौंक) में पृथक से ग्राम पंचायत की स्थापना

619. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सतवाड़ा, तहसील देवली (टौंक) में वर्ष 1991 के पुनर्गठन से पूर्व ग्राम पंचायत बन्थली थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत पुनर्गठन के समय ग्राम सतवाड़ा को पंचायत बन्थली से पृथक कर ग्राम पंचायत बन्थली में मिलाने के प्रस्ताव थे ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम सतवाड़ा के नागरिक ग्राम पंचायत बन्थली में नहीं मिलाकर ग्राम सतवाड़ा की पृथक पंचायत बनाना चाहते थे ?

(4) क्या यह भी सही है कि जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत राजमहल की ढाणियों नयागांव, लाखोंलाई, कुसालपुरा व देवखेड़ा को राजस्व ग्राम घोषित हो जाने पर इन्हें ग्राम सतवाड़ा में सम्मिलित कर ग्राम सतवाड़ा की पृथक पंचायत बनाने का आश्वासन देते हुए यहां के नागरिकों को ग्राम पंचायत राजमहल में सम्मिलित होने को कहा था ?

(5) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत

(श्री हीरालाल सहरिया)

राजमहल की ढाणियों में सितम्बर, 1996 में सरकार द्वारा राजस्व, ग्राम घोषित की जा चुकी है ?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त ढाणियां राजस्व ग्राम घोषित होने पर ग्राम सतवाड़ा के नागरिकों ने ढाणियों के नागरिकों की सहमति से मिलकर वर्ष 1996 में तहसीलदार से जिला प्रशासन को ग्राम सतवाड़ा को पृथक पंचायत बनाने हेतु निवेदन किया था ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त आवेदन-पत्र तहसीलदार देवली ने पृथक पंचायत ग्राम सतवाड़ा की बनाने हेतु दिनांक 5.7.97 को जिला कलेक्टर को अनुशंसा के साथ भिजवा दिये थे ? क्या पंचायत समिति देवली ने भी जिला कलेक्टर को मांगे जाने पर अपनी अनुशंसा के साथ प्रस्ताव भिजवाये थे ?

(8) क्या जिला कलेक्टर टौंक ने दिनांक 26.8.98 को शासन उप सचिव (विधि), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान, जयपुर को ग्राम सतवाड़ा को ग्राम पंचायत राजमहल से घोषित कर राजस्व ग्रामों को मिलाकर पृथक पंचायत बनाने हेतु प्रस्ताव भिजवा दिये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(9) क्या सरकार ग्राम सतवाड़ा, नयागांव, लापोलोई, कुशलपुरा, देवखेड़ा आदि ग्रामों के विकास के लिए ग्राम सतवाड़ा को जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय भी है, पृथक पंचायत घोषित करने की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

(6) जी हां।

(7) जी हां।

(8) जी हां। पंचायत के पुर्नगठन के मामले पर कार्यवाही सम्पादित नहीं की गई।

(9) जी नहीं। पंचायत चुनाव के पश्चात् नई पंचायती राज संस्थाओं का गठन हो चुका है। अत: वर्तमान में नये तौर से पंचायत पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

नवगठित जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों में स्थाई समितियों के चुनाव

620. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में नव निर्वाचित जिला परिषदों में और पंचायत समितियों में स्थाई समितियों के चुनाव होने हैं ? यदि हां, तो कौनसे नियमों के तहत ? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नियमों

(श्री हरजीराम बुरड़क)

में संशोधन भी हुए हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसे नियमों में क्या-क्या संशोधन हुए ?

(3) क्या उक्त सम्बन्ध में पंचायती राज अधिनियम में भी संशोधन हुआ है ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

(4) उक्त निर्वाचन में कौन-कौनसे सदस्य भाग लेंगे तथा यदि मतदान होगा तो मत किस प्रकार दिये जाएंगे और नियमों में मत देने की प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति एवं जिला परिषद् की स्थाई समितियों के सदस्यों के चुनाव राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 64 के तहत करवाये जाते हैं। नियमों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। पंचायती राज अधिनियम, 1994 में नई धारा 55(ए) जोड़ कर ग्राम पंचायतों में भी स्थाई समितियों का प्रावधान किया गया है। स्थाई समितियों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है।

(4) संस्था के निर्वाचित सदस्य ही स्थाई समिति के सदस्य बन सकते हैं। जबकि मतदान में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य भाग ले सकते हैं। नियमों में मतदान की प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है।

(प्रति के लिए परिशिष्ट 18 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र बेगूं के विद्यालयों में रिक्त पद

621. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में कितने उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध है ? किन-किन विद्यालयों में कितने-कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में 9 राजकीय उच्च माध्यमिक, 19 राजकीय माध्यमिक विद्यालय तथा 61 उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं। विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने तथा नियुक्ति पर लगा प्रतिबंध हटने के पश्चात् ही रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की जा सकेगी।

(सूची के लिए परिशिष्ट 19 देखें।)

जिला शिक्षा अधिकारी दौसा द्वारा की गई अनियमितता की जांच

622. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला दौसा में वर्ष 1994 से 1996 तक पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के तहत प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया ? यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम पर कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में किस-किसके द्वारा किस-किस कार्य पर कब-कब व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्य हेतु आबंटित राशि का जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा दुरुपयोग किया गया एवं गम्भीर अनियमितता की है ? यदि हां, तो क्या-क्या ? क्या सरकार उक्त अनियमितताओं की जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला दौसा में दिनांक 18.8.94 से पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के तहत जिले में साक्षरता हेतु वातावरण निर्माण एवं अन्य गतिविधियों के लिए कार्यक्रम चलाया गया। उक्त कार्यक्रम पर जिला साक्षरता समिति द्वारा उक्त अवधि में इस प्रकार व्यय किया गया :-

मद का नाम	व्यय की गई राशि (रु.में)	
	मार्च, 96 तक	96-97 (मार्च 97 तक)
1. सर्वे	6506.00	319507.00
2. वातावरण निर्माण	130810.00	74386.00
3. प्रशिक्षण एवं आमुखीकरण	74319.70	297691.75
4. प्रशासन	7733.80	0
5. अन्य	280.00	8241.00
6. शिक्षण सामग्री	0	2145021.00
7. कार्यालय व्यय	0	135074.50
8. प्रबोधन	0	4114.00
9. मानदेय व वेतन	0	46566.00
10. ट्रांसपोर्टेशन	0	60279.00
योग	219649.50	3090880.25

(2) जी नहीं। साक्षरता कार्यक्रम राशि का आबंटन जिला साक्षरता समिति को किया जाता है न कि जिला शिक्षा अधिकारी को।

श्री जे.बी. उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनूं के छात्रों की छात्रवृत्ति

623. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निदेशक कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के अपने पत्र दिनांक 15.5.97 के द्वारा श्री जे.बी. उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनूं को छात्रवृत्ति की राशि 1620 रुपये छात्रों को भुगतान के लिए भेजी गई थी ? यदि हां, तो कौनसे छात्र के लिए कितनी-कितनी राशि तथा उक्त राशि का क्या उपयोग हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रवृत्ति की राशि अभी तक छात्रों को नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक मिल सकेगी ?

(3) उक्त संबंध में अब तक यह राशि कहां-कहां पर क्यों रही तथा किसकी गलती से यह हुआ और गलती करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और क्या की जा सकती है जो कब तक की जा सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। निदेशालय कालेज शिक्षा जयपुर ने श्री जे.बी. उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाडनूं में 11वीं कक्षा में अध्ययनरत निम्न छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि रुपये 1620 के भुगतान हेतु ड्राफ्ट दिनांक 15.5.97 के द्वारा भेजा गया तथा उक्त राशि का ड्राफ्ट वापस लौटकर निदेशालय, कालेज शिक्षा में आ गया।

छात्र का नाम	कक्षा	छात्रवृत्ति	अवधि	रकम(रुपये)
श्री सियानराम पुत्र श्री छगनलाल	11 वीं	60 रुपये	7/96 से 3/97	540/-
श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री प्रभुराम	11 वीं	60 रुपये	7/96 से 3/97	540/-
श्री श्योनारायण पुत्र श्री खुशालाराम	11 वीं	60 रुपये	7/96 से 3/97	540/-

(2) जी हां। छात्रों की उक्त राशि भुगतान करने की शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

(3) छात्रवृत्ति भुगतान का ड्राफ्ट भूल से श्री जे.बी. उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाडनूं के बजाय राजकीय श्री जे.बी. उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाडनूं के नाम बन गया, परिणामस्वरूप बैंक ने भुगतान नहीं किया। उक्त ड्राफ्ट का भुगतान नहीं होने से उक्त राशि रुपये 1620 स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा तिलक नगर, जयपुर में जमा है। इस प्रकरण की जांच की जा रही है।

प्रश्न संख्या 624

(स्थगित)

ग्राम पंचायत सरना डूंगर के चुनावों में दोषियों का चयन

625. श्री सहदेव शर्मा (आमेर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति जिसको दोष सिद्ध होने के पश्चात्

(श्री सहदेव शर्मा)

दण्ड मिल चुका हो दोष सिद्धि के 6 वर्ष के अन्दर चुनाव नहीं लड़ सकता ?

(2) क्या यह भी सही है कि हाल ही के चुनावों में ग्राम पंचायत सरना डूंगर, पंचायत समिति झोटवाड़ा, जयपुर के सरपंच पद पर ऐसे व्यक्ति (ताराचन्द रैगर) का चयन हो गया है जो कि अपराधी प्रवृत्ति का है ? क्या सैशन न्यायालय जयपुर द्वारा एक अन्य प्रकरण में भी उक्त व्यक्ति को अपराध स्वीकार करने पर मुकदमा नं. 2131 वर्ष 99 (फैसला दिनांक 12.11.99) द्वारा 500 रुपयों का अर्थदण्ड या एक माह की कैद की सजा सुनाई गई है ?

(3) क्या उक्त सरपंच पंचायती राज नियम के अन्तर्गत बर्खास्त किया जा सकता है ? यदि हां, तो कब तक कर दिया जावेगा और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत में वार्ड संख्या 12 के पंच (रोशन लाल पूनिया) ने भी ज्यादा उम्र दर्शा कर चुनाव लड़ा एवं चयनित हुआ ? क्या उक्त व्यक्ति के विद्यालय रिकार्ड राजकीय माध्यमिक विद्यालय खोरा बिसल में जन्म तिथि 10.7.81 दर्ज रही है ? यदि हां, तो पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत कब तक उक्त पंच को बर्खास्त किया जा रहा है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति ने गलत सूचनाएं देकर चुनाव लड़ा है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कब तक की जाएगी और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त व्यक्ति जुआ खेलते हुए सी.ओ. झोटवाड़ा द्वारा पकड़ा गया था, फिर सैशन कोर्ट द्वारा उक्त व्यक्ति को धारा 113 आर.पी.जी.ओ. के तहत 12.11.99 को 75 रुपये या एक माह के कारावास की सजा सुनाई गई। फैसले की प्रति संलग्न है।

(3) जी हां। पंचायती राज अधिनियम की धारा 19(जी) के अन्तर्गत किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने के लिए 6 माह या अधिक के कारावास से दण्डित होने पर ही कार्यवाही प्रयोग में लाई जा सकती है।

(4) पंचायत चुनाव लड़ने हेतु रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरे गये प्रपत्र 7 में उक्त व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष दर्शायी है। विद्यालय के रिकार्ड के अनुसार उक्त पंच की जन्म तिथि 10.7.81 है।

(5) जी हां। उक्त व्यक्ति को पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत अयोग्य घोषित करने हेतु कार्यवाही प्रयोग में लाई जा रही है।

(प्रति के लिए परिशिष्ट 20 देखें।)

पर्यटन विकास हेतु राशि

626. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 1999-2000 की अवधि में पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान में कला, संस्कृति, पर्यटन आदि के विकास हेतु कौन-कौन से

(श्री शिवनाथ सिंह)

आयोजन कहां-कहां आयोजित किये तथा प्रत्येक पर कितनी-कितनी राशि किन-किन पर व्यय की गई ?

उत्तर

वर्ष 1999-2000 की अवधि में पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान में कला, संस्कृति एवं पर्यटन आदि के विकास हेतु आयोजित कार्यक्रमों एवं उन पर व्यय की गई राशि की सूचना परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(सूचना के लिए परिशिष्ट 21 देखें।)

झालावाड़ में पर्यटन अधिकारी का रिक्त पद

627. सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में पर्यटन अधिकारी का पद सृजित है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पद वर्ष 1994 से रिक्त है ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

(3) अब कब तक सरकार उक्त पर्यटन अधिकारी के पद पर पदस्थापन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि झालावाड़ जिले में पर्यटक अधिकारी का एक पद दिनांक 15.5.94 से सृजित है।

(2) जी नहीं। उक्त पद दिनांक 23.9.96 से रिक्त है। विभाग में स्वीकृत पदों के समकक्ष संख्या के पर्यटक अधिकारी उपलब्ध नहीं होने व नई भर्ती पर रोक होने के कारण पद रिक्त है। इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है।

(3) भर्ती पर रोक हटने के बाद एवं पर्यटन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के पश्चात् ही पदस्थापन किया जा सकेगा।

जिला बारां की स्वीकृत लिफ्ट योजनाएं

628. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बारां द्वारा कौन-कौनसी लिफ्ट योजनाएं किस-किस दिनांक को स्वीकृत की गईं ?

(2) क्या मंजूर शुदा लिफ्ट योजनाएं पूर्ण कर चालू कर दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब चालू कर दी जाएंगी ?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बारां द्वारा गत 5 वर्षों में आठ सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की गईं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। केवल एक सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना भावपुरा जो कि मार्च, 2000 में पूर्ण हुई है। इस योजना में

(ग्रामीण विकास मंत्री)

लाइन टैस्ट करने पर दो स्थान पर लीकेज था, लीकेज ठीक करने हेतु फसल खड़ी होने के कारण कृषकों द्वारा खुदाई नहीं करने दी, फसल कटते ही लीकेज शीघ्र ठीक करा दिया जावेगा।

(विवरण के परिशिष्ट 22 देखें।)

राज्य में इन्दिरा आवास योजना के निर्धारित मानदण्ड

629. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य में वर्तमान में भी इन्दिरा आवास योजना का संचालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका राज्य में क्या योगदान रहा और इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन्दिरा आवास योजना में आवास किस-किस वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाता है ? आवास उपलब्ध करने के क्या कोई मानदण्ड निर्धारित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को भी उक्त आवास आबंटित करने का विचार रखती है जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं और सड़कों/खाली पड़े भूखण्डों पर डेरे/तम्बू डालकर मजदूरी करते हैं ? यदि हां, तो उसके क्या नियम हैं ? उक्त लोगों को आवास चाहने हेतु क्या-क्या प्रक्रिया पूर्ण करनी पड़ेगी ?

(4) क्या सरकार उक्त आवास के बदले शुल्क वसूलती है ? यदि हां, तो कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985 से फरवरी, 2000 तक 375.27 करोड़ रुपये व्यय कर 284045 आवासों का निर्माण कराया गया।

इन्दिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनु.जाति/अ.ज.जाति, मुक्त बंधुआ-मजदूरों तथा गैर अनु.जाति/अ.ज.जाति के ग्रामीण गरीब लोगों को अनुदान मुहैयां कराकर आवास हेतु मदद करना है।

(2) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के लोगों को इन्दिरा आवास उपलब्ध करांया जाता है। आवास उपलब्ध कराने हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित हैं :-

(क) लाभार्थी ऐसे परिवार का सदस्य होना चाहिए, जिसके पास पूर्व में पक्का मकान नहीं हो या पूर्व में उसके पास उसके परिवार के किसी सदस्य को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता नहीं दी गई हो, एवं

(ख) लाभार्थी का परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की प्रभावशील सूची में सूचीबद्ध हो, अथवा

(ग) लाभार्थी मुक्त कराया गया बंधुआ मजदूर हो।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(घ) लाभार्थी भूतपूर्व सैनिक की विधवा या युद्ध में हताहत रक्षा सेवा/पैरामिलिट्री फोर्स के सदस्य की निकटतम सम्बन्धी है। परन्तु (ग) एवं (घ) संवर्ग में पात्रता हेतु यह भी आवश्यक है, कि -

(i) लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो।

(ii) लाभार्थी को आवास की किसी योजना के अन्तर्गत पूर्व में लाभान्वित नहीं किया गया हो।

(iii) लाभार्थी के पास आवास नहीं हो या आश्रय की आवश्यकता रखता हो या आश्रय में बढ़ोतरी की आवश्यकता रखता हो।

(3) ऐसे व्यक्ति जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं और सड़कों/खाली पड़े भूखण्डों पर डेरे, तम्बू डालकर मजदूरी करते हैं, यदि वे इन्दिरा आवास योजना के अनुसार पात्रता रखते हैं, तो उन्हें भी नियमानुसार इन्दिरा आवास स्वीकृत किया जा सकता है।

(4) जी नहीं।

ग्राम जैमरोली (अलवर) के यूनानी चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र

630. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ग्राम जैमरोली जिला अलवर में यूनानी औषधालय है ? यदि हां, तो उक्त औषधालय में कार्यरत चिकित्सा प्रभारी द्वारा सरकारी कर्मियों को कितने दिन का मेडिकल प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार है ?

(2) क्या उक्त प्रभारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र कर्मचारियों को जारी भी कर सकते हैं ? यदि हां, तो कितने दिन का ?

(3) गत 7 वर्षों में इस प्रभारी द्वारा कितने कर्मचारियों को ऐसे प्रमाण-पत्र जारी किये गये?

उत्तर

(1) जी हां। विभागीय औषधालय में कार्यरत चिकित्सक को प्रथम बार में अधिकतम 15 दिवस एवं इसके बाद 7-7 दिवस की अवधि, कुल 29 दिवस की अवधि के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार है।

(2) जी हां। उक्त औषधालय में कार्यरत प्रभारी चिकित्सक भी राज्य कर्मचारियों को रोग प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है। प्रथम बार में 15 दिन एवं इसके बाद में 7-7 दिन की अवधि, कुल 29 दिन का रोग प्रमाण पत्र एक कर्मचारी को दिया जा सकता है।

(3) उक्त औषधालय में कार्यरत चिकित्सक द्वारा गत 7 वर्षों में किसी कर्मचारी को रोग प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है।

भू-संरक्षण कार्यालय पाली में कार्यरत कर्मी

631. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली में भू-संरक्षण कार्यालय

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

का शुल्क 150 रुपये से 1500 रुपये प्रति माह अर्थात दस गुणा बढ़ोतरी की गई है जो बहुत अधिक है।

इसी प्रकार छात्रावास शुल्क में भी 10 से 16 गुणा तक बढ़ोतरी की गई है। प्रवेश शुल्क तीन रुपये से पचास, एक बिस्तर वाले कमरे का किराया 12 रुपये से 150 रुपये, दो बिस्तर वाले का 9 रुपये से 100 रुपये, तीन बिस्तर का शुल्क 7 रुपये से 75 रुपये, संस्थापन शुल्क 50 से 75 रुपये, पानी का 4 रुपये से 10 रुपये, बिजली 15 रुपये से 50 रुपये, पंखा 40 रुपये से 100 रुपये प्रति वर्ष, कूलर 3 रुपये से 50 रुपये प्रति माह, मैस भत्ता 500 से 1000 रुपये, इसी प्रकार अन्य अनेकों शुल्कों में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से एक पिछड़ा प्रदेश है। उच्च शिक्षा की दृष्टि से तो यह और भी पिछड़ा हुआ प्रदेश है। राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अस्सी प्रतिशत छात्र गरीब परिवार के होते हैं और उनके माता-पिता अपना पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। उन पर एक साथ दस गुणा से 16 गुणा की वृद्धि कर विश्वविद्यालय ने असहनीय भार लाद दिया है। इस दर का अर्थ होगा कि गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाये। यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और यह शुल्क बढ़ोतरी बीस वर्षों के बाद की गई है परन्तु यह तर्क और आधार बनाकर इतना अधिक शुल्क बढ़ाना कतई उचित नहीं है।

मेरा उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उप कुलपति को यह परामर्श दें कि इतनी अधिक शुल्क बढ़ोतरी उचित नहीं है, इसमें कमी की जाए। मैं तो यहां तक कहूंगी कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में सदन की व माननीय सदस्यों की भावनाओं से कुलाधिपति अर्थात राज्यपाल महोदय से निवेदन करें कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और शुल्क कम कराया जाए।

यदि विश्वविद्यालय अपनी आर्थिक स्थिति के कारण इस शुल्क बढ़ोतरी को वापस लेने से इन्कार करे तो राज्य सरकार को इसमें सब्सिडी देनी चाहिए ताकि छात्रों पर अनावश्यक बोझ न पड़े और विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सके।

महोदय, इस शुल्क वृद्धि से राजस्थान का समस्त विद्यार्थी वर्ग बहुत ज्यादा गुस्से और आक्रोश से भरा हुआ है और उसमें असन्तोष की ज्वाला धधक रही है। आज राजस्थान का शैक्षणिक माहौल काफी अच्छा और शांत है परन्तु इस प्रकरण के चलते शैक्षणिक वातावरण गर्म होता जा रहा है। ऐसा न हो कि राजस्थान का शांत वातावरण गर्म हो जाए और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाए।

अत: मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस शुल्क को हर हाल में कम कराने के लिए राज्य सरकार हर प्रयास करे। धन्यवाद।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : विद्यार्थी परिषद के लोगों ने धरना दे रखा है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग आन्दोलित हैं इसलिए विद्यार्थियों की बात को सुना जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ ?

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : सुन ली ना।

श्री मदन दिलावर : सही कह रहा हूं, माननीय सदस्या।

श्री सी.पी.जोशी (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्या ने प्रश्न उठाया है वही कल हमारे विपक्ष के साथियों ने भी प्रश्न उठाया था। मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो शुल्क बढ़ाया गया है इस सम्बन्ध में हम सबको, चाहे हम किसी भी पार्टी के सदस्य हों उन सबको बैठकर इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मेरी ऐसी विनती है सभी माननीय सदस्यों से, सभी पार्टी के नेताओं से कि तर्कसंगत क्या फी हो सकती है, इस सम्बन्ध में बैठकर चर्चा कर लें ताकि उस चर्चा के आधार पर विश्वविद्यालय के कुलपति को उन भावनाओं से अवगत करा सकें और रेशनल ढंग से फीस बच सके। डिस्प्रपोर्शनेट जो इन्क्रीज हो गया है और लोगों में यह भावना आ गई है कि एस.सी., एस.टी. या महिलाओं के खिलाफ हम इस शिक्षण शुल्क को बढ़ाना चाहते हैं, यह राज्य सरकार की मंशा नहीं है। राज्य सरकार ने जो एम.ओ.यू. विश्वविद्यालय से किया है उसके पीछे मंशा थी कि वे अपने रिसोर्स को बढ़ाएंगे। रिसोर्स बढ़ाने का मतलब यह नहीं कि डिस्प्रपोर्शनेट इस तरह की फी बढ़ा देंगे। छात्रों के पेरेन्ट्स की जो स्थिति है इसको पे करने में वह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने कल भी चिंता व्यक्त की थी और आज भी चिंता व्यक्त की है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, बिराजो। माननीय रामस्वरूपजी, बिराजो। आप बैठिए, मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री सी.पी.जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं सभी पार्टी के नेताओं को बुला कर उनसे बात करूंगा कि वे अपने-अपने जो विद्यार्थी संगठन हैं उनसे मिल कर बात कर लें, चर्चा कर लें। उस सम्बन्ध में राज्य सरकार ओपन माइंड से इसके बारे में बात कर लेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित भाटी।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको समझो। निर्णय क्यों लेते हो ? धारीवालजी ने पहले निर्णय ले लिया था कि पूरे जयपुर शहर को उजाड़ेंगे, जब करना पड़ा तो नियम से करेंगे। पहले बिना नियम से कर दिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : आप तो बजाय इसके कम कर देते ? क्या करना चाहते हो ? (व्यवधान) हमने विचार किया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। हमारी सरकार इसको कम कर दे, बस बात खतम हुई।

श्री उपाध्यक्ष : (व्यवधान) बैठिए, बैठिए। आपकी समझ में नहीं आई क्या ? (व्यवधान) बैठिए। रामस्वरूप जी, बैठिए। श्री ललित भाटी। आपकी समझ में ही नहीं आती कोई बात।

अजमेर शहर में विद्युत मण्डल कार्यालयों का पुनर्गठन

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया

(श्रीमती कमला बृजलाल)

मण्डरायल में से चम्बल नदी बह रही है परन्तु दुर्भाग्य यहां के लोगों का कि वहां से जाने वाला पानी वहां के लोगों को नहीं मिल रहा है। मंत्रीजी, जो बड़ी परियोजना चम्बल पर बन रही है उसमें आपने धौलपुर, भरतपुर को तो जोड़ दिया परन्तु करौली जिले को छोड़ दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इस पिछड़े क्षेत्र को भी साथ जोड़ लें तो यहां की जनता को भी पीने का पानी उपलब्ध हो सके। आशा है, इस ओर ध्यान देंगे, धन्यवाद।

जायरीन-ए-ख्वाजा के लिए विश्राम स्थल

श्री कय्यूम खान (मसूदा) : महोदय, निवेदन है कि हजरत ख्वाजा साहब के उर्स एवं मिनी उर्स (मोहर्रम) पर आने वाले लाखों जायरीनों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को साढ़े सात करोड़ रुपये एवं साढ़े सोलह करोड़ रुपये की स्थायी इंतजामात के लिए योजनाएं बनाकर भेजी गई थीं मगर जायरीनों के लिए कोई भी स्थायी व्यवस्था अमल में नहीं लायी गई। इसका उदाहरण यह है कि जायरीनों को ठहराने के नाम पर दो जगह कोटड़ा एवं चन्द्रवरदाई नगर में विश्राम स्थल बनाकर यू.आई.टी. ने दरगाह विकास की मिली राशि में से जायरीनों के नाम पर महज सड़क, बिजली, पानी का इंतजाम करके उसे अस्थायी विश्राम स्थली का नाम दिया तथा उर्स के बाद उस अस्थायी विश्राम स्थली को प्लाट काट कर बेच दिया। फिर विश्राम स्थली की समस्या सामने आयी। आने वाले मिनी उर्स (मोहर्रम) तथा उर्स 788वें में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा इसलिए अभी से स्थायी विश्राम स्थली का इंताजम किये जाने की योजना बनाकर उसे अमल में लाया जाए। क्योंकि दोनों विश्राम स्थलों पर जगह पूरी तरह प्लाटिंग के रूप में बिक चुकी है और जायरीन विश्राम के लिए इधर-उधर भटकते हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आनासागर विश्राम स्थली जिसका उद्घाटन राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय श्री बरकतुल्ला खां ने किया था तथा जिसमें कई वर्षों से जायरीन-ए-ख्वाजा ठहरते रहे हैं, लेकिन अब वह विश्राम स्थली आनासागर डूब क्षेत्र में आने के कारण बेकार बतायी जाती है। उसे काम में लाने के लिए उस विश्राम स्थली के सिर पर एक मोटे बांध का निर्माण करके आनासागर के डूब क्षेत्र से बाहर किया जा सकता है। इसी तरह वैशाली नगर क्षेत्र में भी एक मोटा बांध बांधकर वहां रहने वाले नागरिकों को भी डूब क्षेत्र से बाहर किया जा सकता है जिससे उनकी समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। पुष्कर रोड पर स्थित विश्राम स्थली भी आम दिनों के जायरीनों के लिए तैयार की जा सकती है जिससे जायरीन-ए-ख्वाजा के लिए जो दरगाह का नया मार्ग (वाया नागफणी) बनवाया गया है उसका सदुपयोग हो सके। जायरीनों को भी यह विश्राम स्थली दरगाह के करीब पड़ेगी।

सरकार द्वारा जायरीनों की सुविधाओं के लिए किस-किस समय कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करायी गई थी ? उस राशि से जायरीनों की स्थायी सुविधाओं के लिए क्या-क्या कार्य करवाये गये ? क्या राशि का उपयोग आने वाले जायरीनों की परेशानियों को दूर

(श्री कय्यूम खान)

करने वाले कार्यों पर किया गया है अथवा नहीं? सरकार द्वारा जायरीनों को ठहराने के नाम पर दो जगह विश्राम स्थलियों कोटड़ा व चन्द्रवरदाई नगर बनाकर सड़क, बिजली, पानी का इंतजाम करके उसे अस्थायी विश्राम स्थली का नाम दिया, लेकिन उर्स मेले के बाद उक्त विश्राम स्थल की पूरी जगह प्लाटिंग के रूप में बेच चुकी है अथवा नहीं ? भविष्य में इन कालोनियों के बस जाने के बाद ज़ायरीन को ठहराने का क्या प्रस्ताव है ? पुष्कर रोड स्थित पुरानी विश्राम स्थली जिसका उद्घाटन राज्य के पूर्व मुख्य मंत्री बरकतुल्ला खां जी ने किया था, जहां अभी भी जायरीन ठहरते हैं उसको पानी का बहाना बनाकर समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या उसे एक उद्यान के रूप में विकसित किये जाने का प्रस्ताव है ? जो जगह पानी के कारण विश्राम स्थली के रूप में इस्तेमाल करने लायक नहीं बतायी जा रही है वहां पर उद्यान अथवा अन्य किसी योजना पर राशि खर्च करना क्या उचित है ? आने वाले उर्स में जायरीनों के लिए सरकार क्या नई विश्राम स्थली बनाएगी ? नहीं तो, आने वाले उर्स में अजमेर में आने वाले जायरीनों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। अगर अभी से सरकार ने जायरीनों की सुविधा के लिए नहीं सोचा तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीं हीरासिंह चौहान।

शहीद पूनाराम चौहान की स्मृति में सड़क निर्माण

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, विशेष उल्लेख नियम 295 कार्य संचालन बाबत शहीद पूनाराम चौहान, निवासी खाखरा (पागड़िया) तहसील सोजत, जिला पाली के नाम पर उनकी यादगार में गांव तक सड़क मार्ग बनाने के साथ शहीद को श्रद्धांजलि राज्य सरकार द्वारा न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख है।

1. कि जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे आपरेशन रक्षक (तृतीय) के दौरान पाली जिले की सोजत तहसील की ग्राम पंचायत बड़ागुड़ा के गांव खाखरा निवासी शहीद पूनाराम चौहान (मेघवाल) का उक्त राज्य के डोडा जिले में उग्रवादियों के खिलाफ एक कार्यवाही "तत्काल कार्यवाही दल" (क्यू.आर.टी.) के गठन में वाहन चालक उक्त उस शहीद को भी सम्मिलित कर रखा था जो वाहन चालक तत्काल कार्यवाही के अन्तर्गत दिनांक 17 दिसम्बर, 1999 को तीन सौ फुट गहरी खाई से वाहन गिरने से वीर गति को प्राप्त हुआ।

उस शहीद की उसके पैतृक गांव खाखरा (पागड़िया) में दिनांक 21 दिसम्बर, 1999 को पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। लेकिन उस समय जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन का एक भी अधिकारी हड़ताल के कारण सम्मिलित नहीं हो सका। जिसकी उस क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध लोगों के मन में अभी तक गहरी निराशा व्याप्त है।

शहीद पूनाराम चौहान 28 दिसम्बर, 1989 को सेना में भर्ती हुआ था। श्री चौहान आर्मी सप्लाई कोर (ए.एस.सी.) में मोटर ट्रेनिंग शाखा में वाहन चालक था तथा उसके नम्बर 14806190 रहे हैं।

(श्री हीरासिंह चौहान)

श्री चौहान का मुख्यालय शहीद होने के समय सी.आई.फोर्स डेल्टा कैम्प था। उस कैम्प से शहीद पूनाराम की मृत्यु की सूचना 27 दिसम्बर, 99 को जिला मुख्यालय पाली पहुंची। उसी समय शासन सचिवालय, जयपुर में यह सूचना पहुंच चुकी थी लेकिन राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण यह सूचना सचिवालय के बाहर तक नहीं पहुंच सकी जिससे इस शहीद को राज्य सरकार की ओर से आज दिन तक सम्मान नहीं मिल पाया है तथा न राज्य सरकार से कोई विशेष घोषित सहायता इसके परिवार को मिल पायी है, जबकि उसके वृद्ध माता-पिता, पत्नी बसंती देवी, उम्र 25 वर्ष व उसके दो पुत्र महेन्द्र, 4 वर्ष तथा अर्जुन 2 वर्ष के हैं। अनुसूचित जाति का यह परिवार जिले के पूर्व दो शहीदों भंवर सिंह जैतावत व मोहन काठात की तरह शासन से उसी सम्मान की अपेक्षा रख रहा है। लेकिन पिछले 4 माह व्यतीत होने के बाद जिला प्रशासन व राज्य सरकार द्वारा शहीद के प्रति किसी प्रकार की संवेदना प्रकट न करना अरावली पर्वत श्रृंखला में आबाद परिवारों के लिए गंभीर चिन्ता का विषय बना हुआ है।

शहीद का परिवार बड़ागुड़ा गांव के खाखरा (पागड़िया) में रहता है जहां पहुंचने का सड़क मार्ग भी बना हुआ नहीं है। उस क्षेत्र में अरावली पर्वत मालाओं में छोटे-बड़े गांव व ढाणियों में आबादी है जिनके आने-जाने का कोई सड़क मार्ग नहीं है। शासन को तत्काल इस शहीद की यादगार में सड़क मार्ग का डामरीकरण करने की व्यवस्था करनी चाहिए तथा स्वर्ण जंयती पाठशाला उस शहीद के नाम तत्काल खोली जानी चाहिए।

अत: विशेष उल्लेख के बाद माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि शहीद पूनाराम चौहान (मेघवाल) की स्मृति में सड़क निर्माण तत्काल करने की घोषणा करें, स्वर्ण जयंती पाठशाला खोलकर उसका नामकरण करें और उसके परिवार के वृद्ध माता-पिता, विधवा पत्नी, दो नाबालिग पुत्रों को अन्य शहीद सैनिकों के परिवारों की तरह सभी सम्मान देने की व्यवस्था की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। आर्डर, आर्डर बोल रहे हैं।

डा. चन्द्रभान (सैनिक कल्याण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस मामले को यहां प्रकाश में लाये हैं, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनका निधन हुआ है, श्री चौहान का, वे शहीद की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं, इसके लिए रक्षा मंत्रालय से जानकरी प्राप्त करेंगे। क्योंकि इन्होंने खुद ने अपने वक्तव्य में यह बात स्वीकारी है, कहा है कि वे एक खड्डे में गिर गये थे। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक्सीडेंट का मामला भी हो सकता है। इसलिए रक्षा मंत्रालय से...

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय, मैं आपको थोड़ा इंटरवीन करूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। उनकी सुन लीजिए ना।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं आपको थोड़ा इंटरवीन करना चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उनको आप सुन लीजिए, वे बोलना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : उनके पास जवाब नहीं भेजोगे क्या ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वे बोलना चाहते हैं, उनको...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : नहीं भेजेंगे। जवाब तो भेजेंगे।

श्री नारायण सिंह : आप यहां जवाब दे रहे हैं तो फिर जवाब भेजने की क्या आवश्यकता है ?

डा. चन्द्रभान : नहीं, जानकरी दे रहे हैं।

श्री नारायण सिंह : एक नई परम्परा पैदा हो गई है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : यहां कोई मुद्दा उठता है और मंत्री महोदय सेंसिटिव होते हैं...(व्यवधान) यह क्या गलत परम्परा है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, हां, बोल रहे हैं, बोलने दो।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी राज्य के शहीद हुए हैं उन सबको पैकेज मिला है और सम्मान भी मिला है, सुविधाएं प्रदान की गई हैं। पाली के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मुझसे अभी मिले थे, मैं जब रानीवाड़ा गया था, उन्होंने ऐसी कोई चर्चा नहीं की और न ही यह विषय मेरे सामने अभी तक आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन श्री चौहान को रक्षा मंत्रालय ने ही शहीद की श्रेणी में नहीं माना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इसकी जानकारी वहां से प्राप्त करेंगे. और यदि रक्षा मंत्रालय उन्हें शहीद की श्रेणी में मानेगा तो निश्चित रूप से उन्हें वे तमाम सुविधाएं दी जाएंगी जो राज्य के अन्य शहीदों को दी जा रही हैं।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जोधपुर के आगथली गांव में दूषित पानी पीने से हुई पशुओं की मौत

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंह जी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे पूर्व में भी यह सदन पेयजल के संकट के बारे में कई बार चिन्ता जाहिर कर चुका है, लेकिन ऐसे संकट के समय जब सिर्फ पेजयल के कारण से ही पशुधन की मौत होने लग जाए एक बार नहीं बार-बार, तो मेरा तो कम से कम इस व्यवस्था से विश्वास ही उठ जाता है। यह जो विषय मैं रख रहा हूं, वैसे तो हमारे जलदाय मंत्री जमीन से जुड़े हुए हैं लेकिन इनके जिले में ही बारबार इस प्रकार की घटनाएं होना क्या दर्शाता है, कम से कम इनके विभाग के अधिकारियों पर तो दिमाग में हर वक्त यह कौंधना चाहिए कि यह जिला हमारे जलदाय मंत्रीजी का है, यहां तो निश्चित रूप से हमें ओवर काशस रहना चहिए। काशस ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक लाइन याद आ गई, अगर आपकी इजाजत हो तो बोल दूं,

(श्री देवीसिंह भाटी)

"साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं लेकिन इमदाद नहीं करते।" उपाध्यक्ष इस सदन में कितनी बार आश्वासन दे दिया गया है, कई बार हमें यह विश्वास में लिया गया है कि हम 10 दिन के अन्दर, 15 दिन के अन्दर पानी की व्यवस्था कर देंगे। जोधपुर जिले में आगथली नाम का गांव है, मंडोर पंचायत समिति का है, यदि यह संदेश और कुछ आपका अंकुश होता तो जो 120 पशु मरे हैं आगथली में, यह घटना नहीं होती। 12 अप्रैल को वहां का टयूबवैल फेल हो जाता है, उसके बाद में निरन्तर गांव वाले उसकी सूचना देते रहे हैं कि गांव का ट्यूबवैल बंद है, गांव के अंदर पयेजल संकट है, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। उसी गांव के अन्दर एक हैण्डपम्प पहले से लगा हुआ था और मेरी जानकारी में उसको अबेंडन कर रखा था।

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन इनकी लापरवाही देखिये, यदि विभाग ने उस पेयजल को पीने योग्य नहीं माना था तो हैण्डपम्प को अबेंडन करते हुए उस पर लाल निशान लगाते। लेकिन इस प्रकार की कोई भी सूचना या व्यवस्था इन्होंने नहीं की। सरकार की ओर से भी आश्वासन दे देंगे कि जब गांव वालों को यह पता था कि यह हैण्डपम्प काम में नहीं आता तो उन्होंने यह पानी काम में क्यों लिया, क्यों पानी पशुओं को पिलाया। मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि पूर्व में भी हमारे गांवों के अन्दर 10-10, 20-20, 50 साल से कुएं बंद पड़े हैं, इस प्रकार का कोई भी दूषित जल होगा उसको कोई भी काम में नहीं लेता है। जब आपको यह पता है कि यह पीने योग्य नहीं है और गांव में संकट है तो निश्चित तौर पर तुरन्त ही इसका नोटिस लेकर व्यवस्था की जाती । उपाध्यक्ष महोदय, यह इसलिए और ज्यादा दु:ख का विषय हो जाता है और हमारे सामने कोई भी इसका समाधान नजर नहीं आता क्योंकि अभी हाल ही में इसी पंचायत समिति के गांव झांझीवाल में भी 16 अप्रैल को दूषित जल पीने से पशु मर गये थे। यह निरंतरता कहां से शुरू होती है ? उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, आपको स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है कि इसी अप्रैल माह में गत वर्ष माननीय मंत्री महोदय के लूणी विधान सभा क्षेत्र में सर गांव के अन्दर इस प्रकार का दूषित जल पीने से घटना हुई थी। मंत्री महोदय बाद में दु:ख प्रकट करने वहां गये। यह आखिर बारबार क्यों हो रहा है, जब हमने सारे इस तंत्र की व्यवस्था कर रखी है कि कहीं भी पेयजल संकट होगा उस समय आपके आपरेटर से लेकर पूरा चैनल बना हुआ है ? कहीं तो कोई सूचना हो, कोई तो संवेदनशील बने लेकिन फील्ड के अन्दर गांव वाले रोते रहते हैं, वहां पहुंच भी नहीं सकते। यह तो जोधपुर से बिलकुल सटा हुआ आगथली गांव है लेकिन किसी ने भी इसका नोटिस नहीं लिया। उपाध्यक्ष महोदय, जब पशु मरने लगे, गांव वाले पहले समझे कि कोई बीमारी के कारण से इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने जाकर जिला प्रशासन को सूचित किया। लेकिन उसका भी रूटीन है कि लोग आते हैं, सूचना दे जाते हैं। मौका मिलेगा तो पशुपालन विभाग का अधिकारी आ जाएगा तो उसको कह देंगे। लोगों ने यह मुद्दा रख दिया जिला प्रशासन के सामने, उसको कतई गंभीरता से

(श्री देवीसिंह भाटी)

नहीं लिया गया। उस कारण गत वर्ष भी आपके लूणी विधान सभा क्षेत्र में, जलदाय मंत्री के क्षेत्र में घटना हो गई थी। उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया। झांझूवाल में भी 17 अप्रैल को इस प्रकार की घटना हो गई, कोई एक्शन नहीं लिया। मैं मंत्री महोदय से अपेक्षा करता हूं कल सदन की भावना देखते हुए, जैसे हमारे सहकारिता मंत्रीजी ने जिस प्रकार से हमारी चेयर ने नोटिस लिया, निर्देश दिये, सलाह दी, उन्होंने तुरन्त एक्शन लिया तो इसके लिए वाहवाही हुई है, एक मैसेज गया है। मैं चाहता हूं कि इस सारे प्रदेश के अन्दर जो आज पेयजल का भयंकर संकट है, आप इसके लिए कोई व्यवस्था करें ताकि जो हमारा तंत्र बना हुआ है, यह कम से कम संवेदनशील बने। यह संवेदनशील नहीं, संवेदनहीन होता जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हमने नवम्बर में तैयारी करनी शुरू कर दी थी लेकिन बीच में हड़ताल शुरू हो गई और वह कारण बन गया। लेकिन इसमें तो आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ दौड़कर उसकी व्यवस्था संभालनी थी। लेकिन यदि जोधपुर जिले में भी ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जो स्वयं जलदाय मंत्रीजी का जिला है, तो मैं कम से कम बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में तो कोई अपेक्षा नहीं कर सकता कि कोई जाकर वहां संभाल लेगा। वहां तो बीस-बीस दिन, महीने-महीने आपकी स्कीम बंद रहती हैं। मरता क्या नहीं करेगा ? आज तो पशु मरे हैं, कल आदमी मरेंगे। पानी कैसा भी मिल जाए, जो प्यासा है वह यह नहीं देखता है कि पानी मिनरल है या फिल्टर्ड आ रहा है या कोई सिस्टम लगा हुआ है उससे ले लेंगे। जब ऐसी व्यवस्था है, आज के दिन जब पानी का संकट है कोई संवेदनशील न हो, किसी प्रकार से किसी अधिकारी की जिम्मेदारी न हो तो हम कैसे विश्वास कर लेंगे ?

मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसके ऊपर निश्चित रूप से कोई एक्शन लेने की बात करेंगे। यदि यह कह देंगे कि पहले से हैण्डपम्प बंद था उसको चलाया ही क्यों ? मरता क्या न करता ? मंत्री महोदय, पानी नहीं मिलता है तो पशु नहीं देखता, पशु का मालिक नहीं देखता, वह प्यासा मरता हुआ क्या देखता ? खैर, उसमें पानी था, उसको बंद करना था, आपको उस हैण्डपम्प पर अबेंडन करके लाल निशान लगाना चाहिए था। एक बार नहीं, जोधपुर जिले में बारबार घटनाएं हो रही हैं, जब पूरे प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं होने लगेंगी तो निश्चित रूप से उपद्रव होगा, लोगों के साथ लूट की घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी। किसी का ट्यूबवैल होगा, अपनी कोई खुद की व्यवस्था होगी, सारों के ऊपर लोग जाकर बैठ जाएंगे, सारी व्यवस्था डगमगा जाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसका नोटिस लेते हुए किसी प्रकार हमें आश्वस्त करें। मैं आश्वस्त होने से भी निराश हो गया हूं। लोग मुझे पूछते हैं बाहर कि आजकल विधान सभा में क्या चल रहा है ? मुझे तो एक ही जवाब नजर आता है, "क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, अंधों के शहर में आइने बेचता हूं।"

सांचौर तहसील के पतलेड़ा गांव में भूख से गायों की मृत्यु

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर। आप इनकी बात से सहमत हो तो कोई जरूरत नहीं। इसी इश्यू पर इनकी पर्ची है, बोलना चाहेंगे तो बोल लेंगे।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, लूणी पंचायत समिति की माननीय सदस्य ने जो चर्चा की है इसी तरह की एक घटना है कि सांचौर तहसील के पतलेड़ा गांव में 700 गायें भूख के कारण मर जाएं और हमारा ध्यान उसकी ओर न जाए। श्रीमान्, वहां आसपास के गांवों से दोनों जिलों की गायें 8.3.2000 से पहले भूख, प्यास और अकाल के कारण से लोगों ने छोड़ दी थीं, या जो अपने चारे पानी की व्यवस्था नहीं कर पाये थे वे एक ऐसे संत जो गौशाला चलाते हैं उनके पास छोड़कर गये थे। इस आशा के साथ छोड़कर गये थे कि उस गौशाला को अनुदान मिलेगा और उस आधार पर इनका पालन पोषण हो जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, उन गायों के लिए लगभग 70-75 ट्रक चारे की रोज जरूरत पड़ती है। लेकिन गौशाला की आर्थिक स्थिति ठीक न होने से चार-पांच ट्रक चारा ही प्रतिदिन उपलब्ध करवाने के कारण गायें भूख के कारण मर गईं। उपाध्यक्ष महोदय, भूख के कारण मरने पर पोस्टमार्टम हुआ या डाक्टर ने देखा तो बताया कि ये भूख के कारण से मरी हैं। यहां आप आश्चर्य करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, 700 गायें उस क्षेत्र में मरने के बाद चिकित्सा मंत्री और पशुपालन मंत्री भी वहां गये थे और कहा था कि शेष गायें जो बची हैं उनके लिए पशु चिकित्सक की व्यवस्था करूंगा लेकिन आज तक नहीं की।

उपाध्यक्ष महोदय, मण्डोर पंचायत समिति के आगथली गांवा की चर्चा माननीय सदस्य ने की है। 6 दिन तक लगातार वहां पर गायें मरती रहीं जहरीला पानी पीने को कारण, रोज गायें मरती रहीं। एक दिन में 32 गायें, 70 भेड़-बकरी, एक भैंस मरी। रोज मरीं। यदि रोज का अनुमान लगाया जाए और वहां से यदि वास्तविक तथ्य इकट्ठे किये जाएं तो साढ़े तीन सौ से ज्यादा पशु वहां जहरीला पानी पीने के कारण से मर गये, लेकिन सरकार पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई। जब पहले यह घटना हो चुकी है, सर गांव के अन्दर यह घटना हो चुकी है, सर गावं में घटना होने से सैंकड़ों गायें पहले मर चुकी हैं और सरकार को जनता और प्रतिनिधियों द्वारा चेताया जा चुका है, उसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुलना क्या बताता है ? मेरी समझ में नहीं आ रहा। सर गांव के लोग उन गायों को गाड़ते-गाड़ते थक गये, इतनी सारी गायें मरीं कि आखिर थक हार कर यह कह दिया कि अब हमारे वश की बात नहीं, गायें कहां ले जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, हजारों की तादाद में भूख-प्यास और जहरीले पानी के कारण से गायें मर रही हैं, इसके कारण से लोग गायें खुली छोड़ रहे हैं और खुला छोड़ने के कारण तस्कर लोग उन्हें बूचड़खाने ले जा रहे हैं, इसके कारण से पूरे राजस्थान का वातावरण दूषित हो रहा है, यहां के लोगों की धार्मिक भावनाएं, आर्थिक दृष्टि से जो लोग उन पर निर्भर रहते हैं, उनमें काफी आक्रोश है।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने आगथली गांव जो मण्डोर पंचायत समिति, जिला जोधपुर में आता है उसकी चर्चा की। वहां 150-200 घरों की बस्ती है। वहां पांच-छह साल पहले गांव के लोगों की मांग पर ओपन वैल के अन्दर मशीन लगाकर हमने पीने के पानी की व्यवस्था की थी। उससे पहले वहां पर एक हैण्डपम्प भी

(श्री रामसिंह विश्नोई)

बनाया हुआ था। हैण्डपम्प के पानी में और ओपन वैल जो वहां है, उसके पानी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पानी दोनों का खारा है लेकिन लोग पानी पीते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है कि आसपास कोई पानी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना ठीक समझता हूं कि लूणी पंचायत समिति में करीब 200 गांव हैं, 100-150 गांव मण्डोर में हैं, 200 के आसपास बिलाड़ा में भी गांव हैं और वहां एक भी गांव में मीठा पानी नहीं है। मेरे खयाल से राजस्थान में ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां इतने गांवों पर एक भी स्थान पर मीठा पानी न मिले। लेकिन इस क्षेत्र में कहीं पर भी मीठा पानी नहीं है। पानी की बहुत लम्बी-लम्बी योजनाएं बहुत लम्बे समय से बनी हुई हैं। पूरे जिले को योजनाओं और स्कीमों से जोड़ा हुआ है, ऐसा कोई गांव नहीं है जो योजना और स्कीम से जुड़ा हुआ न हो लेकिन यह बात भी सही है कि छोर के गावं, किनारे के गांव, पीछे के गांव, वहां पर पानी नहीं पहुंचता है, इस वजह से जनता को भारी परेशानी है।

अभी हाल में आगथली की बात जो आप कह रहे हैं, यह मण्डोर पंचायत समिति में आता है, वहां पानी की व्यवस्था सही ढंग से चल रही थी लेकिन पन्द्रह तारीख को लाइन मैन जो वहां ट्यूबवैल या ओपन वैल चलाता है, उसने ए. ईएन. आफिस जहां कण्ट्रोल रूम बना हुआ है जोधपुर में वहां सूचना दी। जिला कलेक्टर को भी मालूम पड़ गया। मालूम पड़ने पर वहां हमारे जे. ईएन. ए. ईएन. गये और देखा कि कोई वायरिंग मिस्टेक नहीं है, शायद मोटर जल गई है। इसको निकालने के लिए और छकड़ा, ऊंटगाड़ी लाने बावनला पंचायत हैडक्वार्टर पर आये। 15 तारीख को सुबह खराब हो गई थी, उसी दिन रात को मोटर निकाल कर जोधपुर पंहुचा दी गई। लेकिन मोटर ठीक होने में दो-तीन दिन लग गये। यह बात सही है कि मोटर ठीक होने और गांव का पानी बंद होने या खराब होने के बीच में 10 तारीख से भैंसें, गायें, भेड़-बकरी, जैसा अखबारों में दिया गया है, 10 तारीख से मरने शुरू हुए और करीब 15 तारीख तक काफी भैंसें, भेड़-बकरियां, गायें मरी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई हैण्डपम्प का पानी बहुत ज्यादा खराब है, उसके पीने से मर गई हों, ऐसा नहीं है। हैण्डपम्प और ओपन वैल के पानी में ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि ओपन वैल भी 200 फीट खुदा हुआ है और हैण्डपम्प भी 200 फीट गहरा होता है। पानी करीब-करीब उसक बराबर है। हैण्डपम्प के पानी से मर जाएं, ऐसा नहीं है। इसकी आप स्वयं अपने स्तर पर जांच कर लें। लेकिन पानी पर्याप्त नहीं मिला। आपके और हमारे, पूरे जोधपुर संभाग में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 100-150 आवारा पशु गांव में न घूमते हों। जहां दुधारू पशु हैं वहां तो किसान और पशुपालक उनकी देखरेख करते हैं, उनको पानी अपने तरीके से कहीं से टैंकर लाकर पिला देते हैं, लेकिन जो आवारा पशु हैं, जो दूध नहीं देते हैं वे गावं में डोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कहीं पानी मिल जाता है खेली में, कोठे में, कुओं के पास में तो वे पी लेते हैं। चारा भी कोई जरूरी नहीं है कि उनको कहीं मिल जाए, क्योंकि काफी लोगों ने अपने मवेशी छोड़ दिये हैं, कुछ आवारा पशु हैं जो एक गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं, यह स्थिति है। चाहे चारे से

(श्री रामसिंह विश्नोई)

मरी हो, चाहे बीमारी से मरी हो, लेकिन हमारा कुआ बंद था इसलिए मैं यह मानकर चलता हूं कि हमारे पानी की वजह से यह मामला हुआ है। अब इसमें कौन दोषी है ? अगर हमारा आदमी इत्तला नहीं करता तो मैं लाइनमैन को दोषी मानता, लेकिन लाइनमैन ने 15 तारीख को कुआ खराब हुआ, 15 तारीख को इत्तला कर दी, सरपंच को भी मालूम है। हमने वहां पर कार्यवाही शुरू कर दी, यह बात सही है जिस दिन इत्तला हुई उसी दिन शाम को दूसरी मशीन, जो ठीक होती है उसको लाकर वहां फिट कर देना चाहिएं था, यह लापरवाही हुई है हमारे आदमियों की। इसमें कौन दोषी है, क्या हुआ है यह जांच का विषय है। मैं यहां हूं इसलिए मैंने पूरी जानकारी की नहीं है। कल मैंने मालूम किया तो कल पीपाड़ सिटी में कलेक्टर वगैरह वहां पर चले गये थे और जब गायें मरने की बात हुई तो हमारे अधिकारी मेरे पूरे प्रयास करने के बाद भी मुझे अवेलेबल नहीं हुए, क्योंकि सब जगह दौड़-धूप में थे कि और कहीं न मर जाएं, वे अपनी चिन्ता के अन्दर लगे हुए थे। मैं खुद डाइरेक्शन देकर आया था कि आप आफिस में नहीं बैठेंगे और कोई एक अफसर दूसरे अफसर को साथ लेकर नहीं जाएगा, अलग-अलग गाड़ियों में जाएंगे। एस. ई. अपनी गाड़ी में जाएगा, एक्स. ईएन. अलग जाएगा, ए. ईन. अलग जाएगा, जे. ईन. अलग जाएगा और सारे आदमियों को, अपने-अपने तरीके से गांव के अन्दर लाइनमैनों को अलर्ट करना है, गांव में सरपंच से सम्पर्क करना है और जहां भी पानी की व्यवस्था आप कर सकते हैं वहां तो पानी की व्यवस्था करें और जहां नहीं कर सकते हैं वहां ट्रांसपोर्ट करके पानी की व्यवस्था करें, क्योंकि नहर से पानी हमारे जोधपुर में आ गया है और पूरा हौद है जो मेरे लूणी के एरिया में है वहां पर पर्याप्त मीठे पानी की व्यवस्था हमने हौद पर कर रखी है, वहां से कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी के अन्दर, ऊंट छकड़ों के अन्दर या ट्रेक्टर ट्रोली के अंदर पानी ले जा सकता है। हम 100-150 गांवों को मीठे पानी की योजना से जोड़ चुके हैं, लेकिन मण्डोर अभी कुछ दूर पड़ता है। पूरे मथानिया के जो रामपुरा वगैरह है, जो नजदीक पानी है वहां पर मीठा पानी तो नहीं है, लेकिन वहां पानी जरूर है उससे हमारे यहां काफी व्यवस्था चल रही है।

जाजीवाल में आपने जो जिक्र किया है वहां पर एक बहुत बड़ा तालाब है, वहां 12 महीने तक पानी चलता है। वहां पर भी अगर पानी के नाम से कोई गायें मरी हैं, तो मैं इसको नहीं मानता। जाजीवाल पंचायत 10 हजार की आबादी की पंचायत है, 8-9 गांव हैं जाजीवाल के अन्दर, वहां पानी की पूरी व्यवस्था है। मीठा पानी तो चाहे नहीं हो, लेकिन पीने योग्य पानी है। वहां बड़े-बड़े तालाब बने हुए हैं और वहां से बाकायदा लोग टैंकर ले जाते हैं, वहां किसी तरह की मनाही नहीं है। तो जाजीवाल के अन्दर पानी के अभाव में गायें मरी हैं, यह बात सही नहीं है। सर की बात बहुत पुरानी हो चुकी है, वहां पर पिछले साल की बात ही है, मैं मानता हूं इसको। मेरे क्षेत्र में भी थी, और सारा मामला है वो कुआ भी जब लेण्ड बंद हो गई, पीछे लेण्ड खराब हो गई, नहर बंद थी, पानी आया नहीं और पानी नहीं आने से एकदम लोगों ने कुओं को चालू किया तो उस गैस की वजह से हो सकता है। अब कई कारण होते हैं...

श्री देवीसिंह भाटी : कितना चिन्ता का विषय है।

श्री रामसिंह विश्नोई : बहुत चिन्ता का विषय है। गायें कोई आज नहीं मरी हैं, गायें आपके फोरफादर से मरती आयी हैं। मेरे हाथ में नहीं है। आपने हजारों वर्षों तक राज किया है। (व्यवधान) यह छप्पने का काल है, सौ साल पहले और काल पड़ा था, लोग मर गये थे। इसलिए यह कहकर हमारे को लांछित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसको कबूल करता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : लांछन तो है ही।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, इस तरह की बात नहीं है। हम गांव-गांव के अन्दर जाते हैं, दौरे भी किये हैं और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे विभाग की कुछ कमजोरी रही है, पैसों का अभाव रहा है, चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी उसकी वजह से डिले हुआ है। खुद ने कबूल किया है कि व्यवस्था के अन्दर हमारी कमजोरी रही है। लेकिन हरेक गांव के अन्दर एक-एक कुएं को चैक करूं, न तो मैं कर सकता हूं, न आप कर सकते हैं, न हमारे विरोधी दल के नेता कर सकते हैं, न अशोक गहलोत कर सकते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : बाटा कम्पनी वाला इटली में बैठा-बैठा पूरी कंपनी को संभालता है, कोई एक-एक दुकान पर नहीं जाता।

श्री रामसिंह विश्नोई : हमारा पूरा प्रदेश संभाला हुआ है। आपको भ्रम हो रहा है। लेकिन गांव-गांव के अन्दर कौनसी गाय को किस समय पानी पिलाया जाए, कौनसा कुआ कब खराब हो जाए, कब ठीक करें, यह कोई इतना संभव नहीं है। लेकिन जो भी हमारे अधिकारी या कर्मचारी ने कहीं गलती की है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मैं आपको दो-तीन दिन के अन्दर, जब हम 22-23 को वहां रहेंगे तो उन दोषी आदमियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मुझे खेद है, अगर इस तरह गायें मरती हैं तो हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है, सरकार के लिए भी अच्छी बात नहीं है और अपन जन प्रतिनिधियों के लिए भी अच्छी बात नहीं है। इस व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास करेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : यह तो सोच में अन्तर आ गया, यह बड़ी गड़बड़ बात है। यदि जमीन से जुड़ा हुआ जिनको मानते हैं कि ऐसे आप मंत्री हैं, आप यहां कहें कि आवारा पशु हैं, गांव में फिरते हैं, वे मर जाएं। इन्होंने खुद ने बताया है कि करीब 80 भेड़ और बकरी मरी हैं, किस गांव में और किस जगह आपने भेड़-बकरी आवारा घूमती देखी हैं ?

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं अगर गलत हूं तो आप जन प्रतिनिधि हो। मैंने जोधपुर संभाग में कहा है, हमारे संभाग के अन्दर नागौर के अन्दर, जालौर के अन्दर, जो जोधपुर संभाग में हैं उसके लिए कह रहा हूं, प्रत्येक गांव के 100-150 पशु हैं जो गांव में घूमते हैं, इसको आप मना नहीं कर सकते। मैंने कहा कि आप जांच कर सकते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : हमारे दुःख का विषय यही है कि उन आवारा पशुओं का, आवारा गायों का कौन धणी है। क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि आवारा पशु यदि घूमते

(श्री देवीसिंह भाटी)

रहें तो उनको हम बचाएं ? क्या उनके पानी के लिए हम व्यवस्था नहीं करें। कल तो आप आदमी के लिए कह दोगे कि प्रदेश के आदमी मरें तो मरें, आवारा घूम रहे हैं। यह व्यवस्था, यह सोच नहीं होना चाहिए। जब सारा आपकी जानकारी में है, पानी जिस समय कुओं का बंद हो जाता है और जब 5-5, 7-7 दिन, महीने तक स्कीम चालू नहीं होती तो कैसा भी दूषित जल होगा, लोग अपने पशुओं को भी पिलाएंगे और खुद भी पी लेंगे। उस समय इस प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। इसके लिए क्या व्यवस्था है ? इसीलिए मैंने कहा था कि आपके अंकुश का संदेश जाना चाहिए कि जो भी स्कीम है, जैसे हमने बीकानेर में कई वर्षों से कर रखा था कि चाहे अलग-अलग थाने में वायरलैस सैट लगे हुए हैं, चाहे वहां पर कोई दूसरा रूटीन से बस वाला आता है, किसी भी साधन से उसी दिन आपरेटर, लाइनमैन सूचित करेगा अपने हैडक्वार्टर को। यह व्यवस्था नहीं होने से आप चिन्ता नहीं कर रहे हो, उसको टालने की बात कर रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा। हम तो यह चाहते हैं कि पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो आवारा पशुधन हो, चाहे आवारा आदमी, कोई भी घूमता हो। यदि हमने इस प्रकार की छूट दे दी और इस प्रकार का दूषित पानी पीने लग गये तो यह स्थिति आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी और उस सबके लिए यह पूरा सदन जिम्मेदार रहेगा।

श्री रामस्वरूप : आवारा आदमियों की व्यवस्था तो होना बड़ा कठिन है, साहब, आवारा आदमियों की व्यवस्था कैसे करेंगे मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रताप।

श्री रामस्वरूप : बड़ा मुश्किल है आवारा लोगों की व्यवस्था करना तो।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पर्ची है, आर्डर, आर्डर। हो गई ना बात, अब क्या है ? कह दिया ना उन्होंने ?

श्री रामस्वरूप : आवारा की व्यवस्था कैसे करेंगे मंत्रीजी, यह समझ में नहीं आ रहा। +++ इनकी व्यवस्था कैसे करेंगे आप ?

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रताप । आर्डर, आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : सदन में बारबार आश्वासन दिये गये हैं, वे आश्वासन देते हैं उसके बावजूद ऐसी परिस्थितियां बनती जा रही हैं। रोज ही यदि इस प्रकार की घटनाएं होने लग गईं, अभी तो गर्मी की शुरूआत है, उपाध्यक्ष महोदय, इतने काल की चपेट में, पानी के संकट में...

श्री उपाध्यक्ष : इतने विस्तार से उन्होंने आपको जवाब दे दिया, सारी बात उन्होंने स्वीकार कर ली, अब बचा क्या है बाद में ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर माननीय मंत्रीजी ने दो चीजों को स्वीकार किया है। एक तो इस चीज को स्वीकार किया है कि गायों

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की मौत पानी की वजह से हुई है और दूसरा इस चीज को भी स्वीकार किया है कि जो प्रबन्ध करना चाहिए था उसमें चार महीने का विलम्ब हो गया। हमारे पास...

श्री उपाध्यक्ष : यह आज थोड़े ही स्वीकार किया है, यह कई दिनों पहले स्वीकार कर लिया उन्होंने। यह बहुत पहले स्वीकार कर चुके हैं। वास्तविकता स्वीकार कर रहे हैं उसकी आप प्रशंसा करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस सरकार के मंत्री सदन के अन्दर, सर्वोच्च सदन के अन्दर यह स्वीकार करें कि हम इंतजाम नहीं कर सकते...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये पुरानी बात कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गायों की मौत पानी के कारण है जिसके लिए, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने एक-दो बार नहीं, एक दर्जन बार इस पवित्र सदन में खड़े होकर कहा है हम तीन दिन में मालूक व्यवस्था कर देंगे, हम दो दिन में व्यवस्था कर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्र शब्दों में कह रहा हूं, जितनी रीजनल स्कीम्स हैं, चाहे किसी जिले की हैं, सारी रीजनल स्कीमें फेल हो गईं। यह एक गांव की बात नहीं है, यह राजस्थान के गांव-गांव की कहानी बन चुकी है। यह तो एक चीज अखबार में आ गई...

श्री उपाध्यक्ष : हो गई ना बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक चीज सामने आ गई।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। डा. रामप्रताप। बिराजें प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज गांव-गांव में पीने के पानी का इंतजाम नहीं करने का नैतिक जिम्मेदारी किसी की है तो, माननीय मंत्री महोदय, आपकी है और आपके मन में थोड़ी-बहुत भी पीड़ा नहीं है। आप तो पशुपालक भी हैं। आपकी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो इस वक्त या तो इंतजाम करता या इस्तीफा देकर घर चला जाता। यह राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। यह व्यवस्था ज्यादा दिन नहीं चलेगी।

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं। यह विषय जिस बात के कारण से उठा है और जिस कारण से यह घटना हुई है उसको आप नहीं छू रहे हैं। यह जो हैण्डपम्प है इसको पहले आपके विभाग ने पीने लायक नहीं माना, इसको गांव के लोगों ने अयोग्य घोषित किया और केवल नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए इसको काम में लेते थे, बाकी इसका उपयोग कभी पीने के लिए काम में नहीं करते थे। क्या यह सच है कि आपके वहां के अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता दोनों गये, उन्होंने टैस्ट किया पानी को और उस टैस्ट में यह पाया कि नाइट्रेट की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण से यह दुर्घटना हुई ? क्या यह सही है कि इसका जो टैस्ट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हुआ उस टैस्ट के आधार पर आपके ही विभाग के अधिकारी आर.सी. गोयल ने जाकर रिपोर्ट की, इस रिपोर्ट के आधार पर आगे पोस्टमार्टम हुआ और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह बात हो रही है कि यह जहरीले पानी को पीने के कारण से इन जानवरों की मृत्यु हुई है ? क्या यह सच है कि कलेक्टर को गांव के लोगों ने जाकर इस बात को बता दिया था कि हमारे गांव में पीने के पानी के पानी की समस्या नहीं है और जानवर लगातार 11 तारीख से मर रहे हैं, आप यहां से टीम भेजिये और पशुालन विभाग के जो भी अधिकारी हैं, डाक्टर हैं या जो भी सुविधा है वह हमारे गांव में भेजिये ? उन्होंने नहीं भेजा उसके कारण से एक ही रात में यह 119 जानवर मरे हैं। ये तो एक ही रात में मरे हैं, बाकी तो कभी 2, कभी 5, कभी 10 ऐसा लागातार चल रहा था। यह जो रात्रि है उस तारीख के दिन तो एक साथ 32 गायें मरी थीं, लगभग 78 भेड़-बकरियां मरी थीं और एक भैंस मरी थी। आप जो यह कह रहे हैं कि आवारा पशु थे, वे आवारा पशु नहीं थे। आपको इस गांव के लोगों ने अपने अपने पशु बताये हैं कि हमारे दुधारू पशु थे। एक आदमी ने तो अपने वर्शन में दिया है कि 6 गायें तो केवल मेरे अकेले की एक ही रात में इस दूषित पानी के कारण से मरी हैं। आपने अगर इनको देखा हो तो इन सारे जानवरों के नीचे गिरने के बाद मुंह से खून निकलकर सारी गायें मरी हैं। क्या आप इस विषय को इतना हल्का लेकर यह कहना चाहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है ? दो सौ लोगों की आबादी का एक छोटा-सा गांव है उस गांव में एक साथ 119 जानवर एक रात्रि में मर जाएं, एक साथ 32 गायें मर जाएं और उसके बाद भी हम इस बारे में चिन्तित नहीं हैं, जबकि उन्होंने प्रशासन को पहले से ही सूचना दे दी थी, प्रशासन को बता दिया था कि आप तुरन्त टीम को हमारे यहां भेजो, हमारे यहां इस प्रकार से जानवर मर रहे हैं। उसके बाद मरे हैं, इस दृष्टि से आपकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है, मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है, मैंने यह कबूल किया है। यह देखो, यह एक बात तो आपने बहुत गलत कह दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आपने कहा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप जोर से बोलकर मुझे विचलित नहीं कर सकते, मैं आपसे ज्यादा बोलना जानता हूं। आपकी भावना को समझता हूं। मैंने यह कहा था, गायें 10 तारीख से मरना शुरू हुआ है। ट्यूबवैल हमारा ओपन वैल है, 15 तारीख को ख़राब हो गया, एक बात। दूसरी बात, गायें चारे के अभाव में मर सकती हैं, गायें बीमारी के कारण मर सकती हैं, गायों की देखरेख से ही, आवारा घूमने से भी मर सकती हैं। लेकिन मैंने यह कहा था कि यह जिम्मेदारी मेरे ऊपर लेता हूं। हमारा ट्यूबवैल खराब था और 4-5 दिन तक हम ट्यूबवैल को ठीक नहीं कर सके तो सारी जिम्मेदारी मैं मेरे ऊपर ले रहा हूं, इसमें क्या बुरी कही मैंने बात ? मैं तो यह भी कह

(श्री रामसिंह विश्नोई)

सकता हूं कि नहीं, हमारी वजह से नहीं मरीं, यह तो उसका फर्ज है जिसके पास गाय है। दुधारू गायें हैं तो पानी भी एक टैंकर ला सकता था। क्यों नहीं ला सकता ? आपका फर्ज है, आपने बच्चे 5-10 पैदा कर दिये तो आप बम्बई भेजते हो पढ़ने के लिए और कहीं भेजते हो। (व्यवधान) यह कोई जरूरी है क्या ? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कबूल किया है और मैं आपको कहता हूं कि जांच कराऊंगा। वाकई में ही हमारा अधिकारी जिसने लापरवाही की है और चार दिन तक जो गांव के लोगों को पानी से महरूम रखा है, उसमें इन्होंने जो बहाना बनाया है, मेरे पास तो जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ही तो मैं कहूंगा और तो आज तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो सरपंच हैं, गांव के लोग हैं उनसे पूछेंगे। आप हैण्डपम्प की जो बात कह रहे हैं, हैण्डपम्प और पानी का मैंने मिलान किया था उस पानी को पीने से गायें मर नहीं सकतीं लेकिन पानी मिला ही नहीं, यह हो सकता है। जब हैण्डपम्प में से पानी उसको पिलाते हैं, जो गाय दूध वाली गाय है बाकी तो माथाफोड़ी करके उसको कौन पिलावे और जो आवारा गायें थीं, अब आवारा गायें जब मर गईं तो लोग कह देंगे यह मेरी गाय थी, क्योंकि उसको पता है उसके लिए राहत में कुछ न कुछ पैसा देंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, भेड़-बकरियां भी मरी हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : पहले मेरी बात को समझें आप, मैं जो कह रहा हूं। सही बात कहने में आपको कोई एतराज हो तो मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब इन्होंने स्वीकार कर लिया सब बात का तो अब बहस कैसी ?

श्री रामसिंह विश्नोई : अब यह जाकर मालूम पड़ गया लोगों को कि ये आवारा गायें थीं, लेकिन धणी कौन है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, यह स्वीकारोक्ति ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने इन सब बातों के लिए अपना स्पष्टीकरण दे दिया, एक बात का स्पष्टीकरण नहीं आया कि आपके चालू पानी की व्यवस्था में यदि कोई अवरोध पैदा हो जाए तो उस अवरोध का वैकल्पिक उपाय क्या है ? और उस वैकल्पिक उपाय करने की जिम्मेदारी किसकी है ? अब आप कह रहे हैं कि 10 या 15 तारीख को वह कुआ खराब हो गया, मोटर खराब हो गई, मोटर ले गये, तीन दिन के अन्दर वह ठीक हुई, उसको वापस लाकर लगाया गया। आप यह भी मानते हैं कि कुआ सोर्स था, जिस सोर्स से लोगों को या जानवरों को पानी मिलता था। क्या आपके अधिकारियों की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वे वैकल्पिक व्यवस्था करते कि पानी का कुआ तो बन्द हो गया, लोगों को पानी का प्रबंध किस प्रकार से किया जाए ? उस जिम्मेदारी के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति में राज्य सरकार ने किस प्रकार के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं कि टेल एण्ड पर पानी बन्द हो जाए या चालू सिस्टम में किस प्रकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की खराबी हो जाए या कोई मैकेनिक्ल डिफैक्ट हो जाए और उसके कारण से लोगों को पानी नहीं मिले तो उसका इंतजाम किस प्रकार से किया जाए, कितनी जल्दी से किया जाए ? यह काम हुआ है या नहीं हुआ है ? दूसरा मैं यह जानकारी करना चाहता हूं, आपने बड़ी विशालता दिखाकर यह स्वीकार कर लिया कि पानी के कारण से गायें मरी हैं। में आपसे जानकारी करना चाहता हूं, आज के युग में इतनी गायें, भेड़ें मरी हैं, पोस्टमार्टम हुआ होगा, पोस्टमार्टम के आधार पर गायें भूख से मरी हैं, या पानी खराब है उसके कारण से मरी हैं या पानी में नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा पायी गई उसके कारण से मरी हैं, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आप क्या कहते हैं कि गायों की मौत का कारण क्या है ?

श्री रामसिंह विश्नोई : नेता महोदय, आपने जो बाते पूछी हैं, पहले तो गांव के लोग हमारी योजनाओं के ऊपर निर्भर हों, ऐसा मैं नहीं मानता क्योंकि जलदाय विभाग के पास केवल ट्यूबवैल हैं, हैण्डपम्प हैं जो हमारे द्वारा संचालित होते हैं, उसके ऊपर ही हम व्यवस्था करते हैं। बाकी गांव के तालाब हैं, गांव की बावड़ियां हैं, कुएं हैं, सारी चीजें पंचायतों के पास में हैं और वे आजाद हैं अपनी व्यवस्था करने के लिए। (व्यवधान) वे अपनी व्यवस्था करने के लिए सक्षम हैं। हमारी तो एक्स्ट्रा व्यवस्था है। जब गांव में पानी नीचे चला जाता है तो हम गांव के लोगों की मांग के अनुसार वहां ट्यूबवैल बना देते हैं, हैण्डपम्प बना देते हैं। तो एक तो यह है कि हमारे ऊपर ही निर्भर हों, ऐसी कोई व्यवस्था अभी नहीं है। बाकी जहां पर हमारे पास इत्तला होती है कि हमारे पास पानी का कोई साधन नहीं है तो कलेक्टर से ट्रांसपोर्ट के जरिये पानी की व्यवस्था करवा सकते हैं। यह सरपंच का काम है कि वह जाकर वहां पर एप्लीकेशन दे हमारे आदमी को। हमारा अधिकारी लिख देता है कि हमारी इस योजना के अन्तर्गत इस गांव के अन्दर पानी की व्यवस्था हम नहीं कर सकते तो कलेक्टर या हमारा अधिकारी ट्रांसपोर्ट के जरिये पानी की व्यवस्था करता है, एक नम्बर। दो, जो पोस्टमार्टम का कहा है, पोस्टमार्टम तो हो गया लेकिन वे मरी कैसे हैं, यह विसरा यहां जयपुर के अन्दर भेजा हुआ है, एक दो दिन में रिजल्ट आ जाएगा कि गायें पानी की वजह से मरी हैं चारे की वजह से मरी हैं या बीमारी से मरी हैं। यह बात दो तीन दिन के अन्दर जाहिर हो जाने के बाद ही कुछ पता चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर रामप्रताप। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : जिस रोज यह मुद्दा उठाते हैं, सरकार के सामने यह कहना चाहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : हो गई न बात।

श्री देवीसिंह भाटी : और आपने तो एक बार घुमाकर कह दिया कि सब गांव अपनी अपनी व्यवस्था करते हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं कहा उन्होंने।

श्री देवीसिंह भाटी : अब पी.एच.ई.डी. की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं कहा उन्होंने।

श्री देवीसिंह भाटी : कुएं की, तालाब की, बावड़ियों की सब व्यवस्था बता दी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं कहा उन्होंने, यह कहा है कि हमारी व्यवस्था के अलावा वैकल्पिक व्यवस्था भी है। उन्होंने यह नहीं कहा है कि व्यवस्था नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, यह व्यवस्था गांवों की अपनी अपनी है।

श्री उपाध्यक्ष : वैकल्पिक है।

श्री देवीसिंह भाटी : जहां एक्स्ट्रा डिमाण्ड आती है तो वहां अपना ट्यूबवैल स्वीकृत करके स्कीम चालू कर देते हैं। सवाल यह नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, पानी का संकट है उसके लिए कह रहे हैं। जब विपक्ष के नेता महोदय ने यह बात पूछी कि यदि कोई आपकी स्कीम बन्द हो जाती है तो उस परिस्थिति में क्या दो दिन निकले, चाहे 10 दिन निकले, इन-बिटविन ऐसी क्या व्यवस्था करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कहा है न उन्होंने।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या कहा ? सरपंच हैं वह जाए। सरपंच जाए न जाए, विभाग की पहले जिम्मेवारी है।

श्री उपाध्यक्ष : वैकल्पिक व्यवस्था करने का कहा है कि टैंकर से, किसी से कराएंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, होती तो यह आता ही नहीं। इनके खुद के गांव से लेकर अभी तक गायें मरती रही हैं, निरन्तर मरती आ रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर रामप्रताप।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही दु:खदायी विषय है, इस सदन के अन्दर विषय आने के बाद में, अकाल का, पेयजल का भयंकर संकट है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी और अवसर मिलेगा, इस वक्त बिराजो। अभी तो और आ रहा है अवसर। अभी आ रहा है न अवसर।

श्री देवीसिंह भाटी : उसके बाद में भी कोई व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : खूब विस्तार से आप चर्चा करना, समय आ रहा है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आपकी सहृदयता से आपने कम से कम इस सदन के अन्दर 20 बार चर्चा करवा दी इस पानी के संकट के ऊपर।

श्री उपाध्यक्ष : और करा रहा हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : +++ साहब सरकार को ? क्या करें ? बारबार आश्वासन देते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर चर्चा का क्या अर्थ है, उपाध्यक्ष महोदय ? क्या करें, बताओ ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : और होता क्या है ? और हाउस में क्या होता है ? चर्चा ही तो होती है। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री देवीसिंह भाटी : ...इस्तीफा दे दें। होता यह ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उसके अलावा और क्या होता है सदन के अन्दर ? सदन में कोई हैण्डपम्प तो लगता नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इस बात को समाप्त करें। रामस्वरूप जी, बिजाजिये। आप बैठिए।

श्री देवीसिंह भाटी : यदि राज्य सरकार से व्यवस्था नहीं होती है तो जवाब दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस बात को...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : जवाब दे दें कि हमारे से व्यवस्था नहीं होगी। लोग ऐसे बहुत बैठे हैं- स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, दानदाता बैठे हैं, लोग अपने आप व्यवस्था करेंगे। पहले भी तो हम 50-50 किलोमीटर से पानी लेकर आते थे, फिर कर लेंगे। लेकिन भरोसा रखकर मार देना तो कितना दुःखदायी होता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस बात को एप्रीशिएट करेंगे कि माननीय मंत्रीजी ने आपने जो कुछ...(व्यवधान) आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय भाटी साहब, आप इस बात को एप्रीशिएट करेंगे कि जो कुछ आपने कहा उसको मंत्रीजी ने स्वीकार किया है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है मैं करूंगा। इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं ? आपको चैलेंज तो नहीं किया कि नहीं हुआ। आपको यह तो कहा नहीं कि नहीं हुआ। स्वीकार किया उसके बाद में और क्या हुआ ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी इच्छा बहुत है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामप्रताप जी।

श्री देवीसिंह भाटी : हम तो चाहते हैं कि व्यवस्था हो।

देवली तहसील के सारदड़ा गांव में दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारे जाने की घटना

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में गृह विभाग की मांग पर चर्चा हो रही थी। मांग के जवाब में माननीय गृह मंत्रीजी ने इस सदन के माननीय सदस्यों को और इस सर्वोच्च सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को आश्वस्त किया था कि महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीच-बीच में सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात भी कही थी कि दलित दूल्हों को आपके वक्त में घोड़ी से उतारा जाता था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है कि इस प्रदेश के गृह मंत्री इस सर्वोच्च सदन में खड़े होकर यह घोषणा कर रहे हों उसी वक्त में एक दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा जा रहा हो। इससे बड़ी शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टौंक जिले में देवली तहसील के चांदली ग्राम पंचायत के सारदड़ा गांव का यह किस्सा है। वहां पर पथराव हुआ और अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह

(श्री रामप्रताप)

मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, सदन के नेता महोदय यहां नहीं हैं, जब कभी भी हमारे टाइम में कहीं भी कोई बलात्कार या ऐसी घटना दलित दूल्हे की हो जाती थी तो माननीय गृह मंत्रीजी भागकर जाते थे संवेदना प्रकट करने के लिए, सहानुभूति प्रकट करने के लिए। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपकी संवेदना, सहानुभूति और संवेदनशीलता कहां चली गई आज की तारीख में ? माननीय उपाध्य महोदय, मैं गृह मंत्री का बहुत मान और सम्मान करता हूं लेकिन कल जब मैं इनका जवाब सुन रहा था, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि आपकी आवाज में वह ताकत नहीं थी किसी भी कीमत पर। यह हकीकत है। यह कोई मामूली बात नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम पोलिटिकल वर्कर्स हैं, हम कोई साधु नहीं हैं लेकिन जिस तरीके से इस पूरे प्रदेश के वातावरण को दूषित करने का प्रयास किया गया, आज मैं उन्हीं लोगों से जानना चाहता हूं कि आप क्या व्यवस्था कर रहे हो ? क्या यह घटना घटित नहीं हुई ? माननीय गृह मंत्रीजी इस बात का जवाब दें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ी लाल।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव जीतने की दृष्टि से जब कांग्रेस ने यह बाइबिल तैयार किया था...

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची पर बोलिये। बाइबिल बहुत हो गया है। यह तो बाइबिल से गीता हो गई, आप इसको नीचे रखो। आप तो पर्ची पर बोलें।

डा. किरोड़ी लाल : पर्ची में बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की इस पवित्र गीता में लिखा था कि बी.जे.पी. के राज में कानून व्यवस्था चौपट हो गई। इस कानून व्यवस्था में लिखा है कि अनुसूचित जाति के दूल्हों को घोड़ी पर चढ़ने से रोकने की घटनाओं को रोकने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल रही है। मैं गृह मंत्रीजी का आपके माध्यम से ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि एक ही नहीं, दर्जनों घटनाएं राजस्थान में ऐसी घटित हुई हैं जहां या तो बरात को निकलने नहीं दिया गया और बरात को निकालने की कोशिश की गई तो उसके साथ मारपीट की गई। ऐसे कई मामले मैं आपके द्वारा गृह मंत्रीजी को बताना चाहूंगा। 26.2.2000 को भीम थाने के ग्राम समोलिया में बिंदोरी को रोककर दलित दूल्हे को घोड़ी से जबरदस्ती उतार डाला। 8.3.2000 को पीसांगन कस्बे के सेठना गांव में दूल्हे की बिंदोरी पुलिस के संरक्षण में निकली। 4.5.99 को खातोली थाने के बादली गांव में बैरवा जाति के दूल्हे को, बरात को मुख्य बाजार से नहीं निकलने दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सब रिपीटिशन है।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं-नहीं, कोई रिपीटिशन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सारा रिपीटिशन है। आप प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लीजिए, सारा आप कल बोल चुके।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, मैंने यह नहीं बोला, मैं केवल इतना ही बोला था...

श्री उपाध्यक्ष : देवली वाले के अलावा ये जितने आप रिपीट कर रहे हो, सब पर आप बोल चुके। देवली वाली जरूर नयी है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मैं कल यह बात नहीं बोला था। इसका मतलब अत्याचार होते हैं, अत्याचार रिपीट होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह नहीं कह रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल : तो आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह कह रहा हूं कि इनकी बात आप कल कह चुके हैं। कल गृह मंत्रीजी ने इनका जवाब भी दिया है।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं-नहीं, कोई जवाब नहीं दिया, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) क्या घटित हो गई ? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : बतानी ही पड़ेगी कि यह घटना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कौनसी घटना ?

श्री हीरासिंह चौहान : वह जो दूल्हे को उतरने का अत्याचार होता है शिड्यूल्ड कास्ट के साथ, यह सारा बताना तो पड़ेगा ही। (व्यवधान) इनका तो इससे सम्बन्ध है तो क्यों नहीं बताया जाएगा ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आपको नहीं, उनको कहा है, पीछे वालों को।

डा. किरोड़ी लाल : एक घटना इसी तरह की अलवर जिले में हुई। मैंने कल अलवर जिले वाली घटना का रेफरेंस नहीं दिया था, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : अब दे दो।

डा. किरोड़ी लाल : अलवर जिले के आदोली गांव में पुलिस की निगरानी में दूल्हे की बरात निकाली गई, बरात नहीं निकलने दी गई। दूल्हे को घोड़ी से पहले उतार दिया गया था फिर पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस बराबर रात भर वहां रही और पुलिस ने बैठकर हरिजन दूल्हे के फेरे करवाये थे। इसी प्रकार की प्रतापगढ़ अलवर के गांव चौसला में भी 22.7.99 को घटना घटित हुई। चौमूं थाने के भट्टों की गली में भी 26.4.99 को इसी घटना की पुनरावृत्ति हुई। 24.4.99 को...

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न। उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से हाल ही घटित किसी घटना पर माननीय सदस्यों को सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सदन का ध्यानाकर्षित करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह कोई लम्बी बहस का मुद्दा बनाने की परम्परा इस सदन की नहीं रही और न ही कोई पुराना इतिहास का यहां विश्लेषण करने की इसमें आवश्यकता है। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि पर्ची का मुद्दा जो आपको विषयवस्तु लिखकर दी है, माननीय सदस्यों को उसी पर सीमित करने के लिए आप निर्देशित करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में कीजिये इसका।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतकजी को दर्द हो रहा है क्योंकि राजस्थान में घटनाएं घट गई। मैं आपसे पूछना

(डा. किरोड़ी लाल)

चाहता हूं, कल गृह मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था, पिछली घटनाओं को तो जाने दो, मैं उनको इन्यूमरेट नहीं करूंगा, क्या यह शर्मनाक घटना नहीं है जो देवली तहसील की चांदली ग्राम पंचायत के सारदंड़ा गांव में बुधवार की रात को गृह मंत्रीजी जब यहां पर स्टेटमैंट दे रहे थे उस समय घटित हो गई और उस दूल्हे को जबरन उतार लिया ? जब उसका प्रतिरोध किया गया तो इतना जबदस्त पथराव किया गया कि चार आदमी उसमें घायल हो गये। अब आप गृह मंत्रीजी जवाब ही दे दो, पिछली घटनाओं को तो आप जाने दो कि आज तक उन घटनाओं में कोई कार्यवाही नहीं की गई ? इस राज में, उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट का या हरिजन का दूल्हा सुरक्षित रूप से घोड़ी पर नहीं निकल सकता, उसकी बिंदोरी नहीं निकल सकती, वह फेरा सुरक्षित नहीं ले पा रहा है। गृह मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर पिछली घटनाओं को आप गौर नहीं करना चाहें तो खूब करो। इन घटनाओं की बारबार और पुनरावृति होने देना चाहते हो, इसके लिए सदन गम्भीर नहीं हो और मुख्य सचेतक जी उठकर व्यवस्था का प्रश्न उठाएं, यह मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये और अत्याचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। गृह मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा कि जो गम्भीर प्रवृत्ति की घटना देवली गांव में हुई है, सरकार उसमें क्या कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार ने कोई काग्नीजेंस लिया ? गृह मंत्रीजी को कोई जानकारी नहीं। अब तक इस बारे में उनको क्या सूचना मिली है ? आखिर घटना की पुनरावृत्ति क्यों हुई? पहले के दर्जनों मामलों को तो जाने दो, यह देवली गांव में जो घटना घटित हुई है उसका क्या कारण है ? आपने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? जरा गृह मंत्रीजी, इस बात का जवाब देंगे ?

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कब तक यह अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार होता रहेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये बैठिये। आप बैठिये। बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : यह पहली बार नहीं हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, गम्भीर है। गम्भीर है तभी उठा है इस हाउस में।

श्री मदन दिलावर : यह हमारे ऊपर अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : हां, गम्भीर है। गम्भीर है तभी उठा है इस हाउस में। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

श्री मदन दिलावर : ...उनको खूंटे से बांधा जा रहा है, उनके नकेल डाली जा रहा है... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ये गृह मंत्रीजी +++ इनको पता ही नहीं था। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री देवीसिंह भाटी : पूर्व गृह मंत्रीजी इसमें स्पष्टीकरण दे दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कल गृह मंत्रीजी कह रहे थे कि अमन-चैन है, यह किस तरह का अमन-चैन है ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ...उनके वोटों से ही हम यहां बैठे हुए हैं। (व्यवधान) उनके साथ यह हालत हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : हमारी चिंता का विषय है कि जहां ऐसी घटनाएं कम होनी चाहिए, निरन्तर घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जहां आपकी सरकार...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : घटनाएं घटी हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : घटनाएं घटी हैं, यह प्रवृत्ति रोकनी पड़ेगी। कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई पाकिस्तान से या और कहीं से। यदि लोग अपने आपको सुरक्षित नहीं समझेंगे...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : सरकार जागरूक है, सरकार में प्रयास होते हैं। (व्यवधान) सरकार संवेदनशील है, सरकार जागरूक है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : ...ऐसे तो लोगों का सरकार से विश्वास ही उठ जाएगा जब कोई प्रयास नहीं करेगा। किस प्रकार से जो भी परम्पराएं, रीति-रिवाज-हैं उससे कोई घोड़ी पर बैठकर निकल सके, यह आश्वासन आपको देना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती यास्मीन अबरार।

श्री देवीसिंह भाटी : ...तो इस प्रकार की पहले भी घटनाएं हुई हैं... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ, क्या हो रहा है ? (व्यवधान) आप बोल दो। आप बोल दो।

श्रीमती यासमीन अबरार (सवाई माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 19 तारीख को जब मैं हाउस में अनुपस्थित थी, अटरू से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे परिवार के प्रति आरोप लगाये हैं (व्यवधान) वह एकदम असत्य हैं, निराधार और बेबुनियाद हैं और राजनीति से प्रेरित हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : हम अपनी बाइबिल का नाम लेकर वादा करते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : रात को जब गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर कहीं पर एस.सी., एस.टी. के लोगों की बरात नहीं निकल सकेगी, उसको अगर घोड़ी से उतार दिया जाएगा, अगर उसके साथ कोई ज्यादती होगी तो मैं सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह बुधवार की घटना है और आज शुक्रवार है, आपने इस घटना पर क्या एक्शन लिया ? जब आपने कल यहां जवाब दिया, मैं ऐसी...

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल नहीं रही हैं, तब क्या करूं ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ...घटना को होने नहीं दूंगा और अगर हो गई कहीं भी तो मैं उस पर सख्त से सख्त एक्शन लूंगा। हम यह जानना चाहते हैं कि इस घटना में क्या एक्शन लिया और किसके खिलाफ एक्शन लिया ? आखिर क्या इसके कारण हैं, हम तो यह जानना चाहते हैं। हमें तो कल आपने जवाब दे दिया, हम संतुष्ट हो गये कि कम से कम इस बारे में निश्चित रूप से कठोरतम कार्यवाही करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस घटना में आपने क्या कार्यवाही की, यह पता तो लगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह मालूम है कि रात को इस सदन में हम सब लोग डेढ़ बजे तक यहां बैठे थे, पौने दो बज गई होगी, सुबह समाचार पत्रों में आपने भी पढ़ा है और उसके आधार पर आपने यह मामला पर्ची के माध्यम से उठाया है। मैंने भी उसको पढ़ा है और मैंने जिलाधीश को निर्देश दिये कि इस घटना की विस्तृत जांच करके मुझे रिपोर्ट भेजें। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा कि ऐसी घटनाएं क्यों घटीं। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह गृह मंत्रीजी का जवाब नहीं हो सकता। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह बात हमारे लिए तो ठीक है कि हम लोगों को जानकारी अखबारों के माध्यम से होती है परन्तु आप गृह मंत्री हैं, आप अपना विभाग चलाते हैं, आपका इतना सारा अधिकारियों का लवाजमा है, अगर आपको भी सूचना अखबारों से मिले तो इससे ज्यादा राजस्थान का दुर्भाग्य क्या होगा। इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य होगा, अगर आप यह जवाब दे रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं सुबह उठते ही अखबार पढ़ता हूं, मैंने वह सूचना देखी। हमारे कंट्रोल रूम से देरी से सूचना आती है इसलिए एक्शन ले लिया मैंने।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपने जो ज़वाब दिया है, आपके जिस अधिकारी ने कल आपको जवाब देते समय इस घटना की जानकारी नहीं दी, उसके खिलाफ एक्शन करिये। क्या कर रहा था वहां का एस.पी. ? बुधवार की घटना को अभी तक क्यों नहीं... (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कल ही आपको अपने जवाब में एक्शन लेना चाहिए था। (व्यवधान) अगर यही व्यवस्था है कि बुधवार की घटना को गुरुवार के दिन भी इस प्रकार की सूचना भी नहीं दे सकते तो आप...(व्यवधान)

श्रीमती सुचित्रा आर्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कटारियाजी से पूछना चाहती हूं कि आपने भी तो खुद अखबार

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

से ही पढ़कर यह मुद्दा उठाया है। आपने खुद अखबार के मुद्दे को कैसे उठा लिया ? आपके पास ऐसा कौनसा जादू था कि आ गई रिपोर्ट आपके पास.? (व्यवधान) ***

(भाजपा के सदस्यों द्वारा अपनी सीटों से नारेबाजी)

***

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह कोई जवाब नहीं है। अगर गृह मंत्रीजी यह जवाब दें... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। बिराजिये। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

(नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो पानी में डूब नहीं सकते और +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा है कि मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को जांच के लिए वहां भेजा है...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, आखिर में यह गृह मंत्रीजी का जवाब है क्या ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लीजिए। आप सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस प्रकार का जघन्य अपराध हो जाए और आपका एस.पी. और आपका इतना सारा स्टाफ अगर आपको 24 घंटे बाद भी सूचना नहीं दे पाये, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या होगी ? क्या विभाग चला रहे हैं आप ? आपको यह भी सूचना नहीं? आपको अखबार से सूचना मिली ? इससे ज्यादा आपके अधिकारियों और आपके ऊपर क्या लांछन हो सकता है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय उप नेता महोदय, इतना गुस्सा खाने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी बात तो सुनने का कष्ट करें, गुस्सा खाने की कोई जरूरत नहीं है। (व्यवधान) आप खुद समझने की कोशिश करिये। आप मेरी बात सुनने की कोशिश करिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह क्या बोल रहे हैं सदन में, गुस्सा खाने की बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कल सारा दिन पुलिस पर चर्चा चलती रही और कार्यवाही कुछ नहीं।

*** नारेबाजी एवं +++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। बैठिये प्लीज। आर्डर, आर्डर। आप बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि उनको अखबार से किसी घटना का पता चलता है, देवली की घटना को तीन दिन हो गये...

श्री उपाध्यक्ष : तीन दिन कहां से हो गये ?

श्री अमराराम (धोद) : कल पुलिस की मांग पर चर्चा थी और हमारी सरकार इतनी भी संवेदनहीन हो गई है कि उनकी...

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो आप कह रहे थे कि कल जब मंत्रीजी जवाब दे रहे थे तब वह घटना घटी थी और अब आपने कह दिया कि तीन दिन हो गये।

श्री अमराराम (धोद) : समाज ऐसी घटना को वापस नहीं ले सकता।

श्री उपाध्यक्ष : अभी आपने स्टेटमैंट दिया... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार खड़े हो जाते हैं, जवाब सुनना नहीं चाहते ये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर। आप बिराजिये। आप बैठिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : ...और जब आप बराबर पूछते हैं तो मंत्रीजी का जवाब क्यों नहीं सुनना चाहते ? आप सुनो तो सही बैठकर।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री अमराराम (धोद) : यह सरकार भी पूर्ववर्ती सरकार की तरह...(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आप जवाब सुनिये। आप सरकार का जवाब सुनिये पहले। केवल आरोप लगाने के लिए ही आये हो क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आपको मंत्रीजी का जवाब सुनना होगा। आरोप लगाने के बाद बात भी सुननी होगी। (व्यवधान) यह कोई तरीका है क्या आपका ? सदन में सारा +++ आपने ले रखा है क्या ? (व्यवधान) आप आरोप लगाने के बाद सुनने की क्षमता रखिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कारगिल जैसी घटना की सूचना प्रधान मंत्रीजी को कब मिल गई थी ? (व्यवधान) कारगिल के मुद्दे की सूचना प्रधान मंत्रीजी अटल बिहारी वाजपेयी को कब मिली थी ? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : राजस्थान का गृह मंत्री अगर यह कहता है कि मुझे अखबारों से सूचना मिली, इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य होगा ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठो तो सही। (व्यवधान)

(भाजपा के सदस्यों द्वारा अपनी सीटों से नारेबाजी)

आप बिराजें। आप बिराजें। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रतनलाल ताम्बी : राजस्थान के गृह मंत्री कहना चाहते हैं, सुनिये अब और। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री अमराराम (धोद) : कुछ नहीं कहना चाहते।...(व्यवधान) गृह मंत्रीजी यह बताएं कि वह घटना करने वाले मुलज़िमों में से कितने गिरफ्तार हो गये ? घटना तो हम भी बता रहे हैं, घटना क्या बताएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप बैठें प्लीज।

श्री रतनलाल ताम्बी : बता रहे हैं न, आप सुनो।

श्री अमराराम (धोद) : ... उनको अपमानित किया है, उनको किसी को गिरफ्तार कर लिया सरकार ने, गृह मंत्रीजी यह उत्तर दें ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, आप बैठें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : दलित विरोधियों +++ (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप सुनना नहीं चाहते हैं क्या ? आप सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय अमराराम जी, बिराजिये प्लीज। अंकित मत करो।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनट सुनिये। आप मेहरबानी करके सुनिये, बिराजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ×××

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते हैं तो मैं क्या करूं ? एक मिनट आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्रीमती यासमीन अबरार, सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्रीमती यासमीन अबरार (सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण हाउस को देना चाहती हूं। जब मैं 19 तारीख को हाउस में अनुपस्थित थी उस समय अटरू से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे परिवारजनों पर कुछ आरोप लगाये, वह आरोप एकदम असत्य, निराधार और बेबुनियाद हैं और पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित हैं। धन्यवाद। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

××× माननीय अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज, बैठिये आप।

श्रीमती यासमीन अबरार : अब क्या कहना है आपको ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, बैठ जाइये आप। बैठिये न। (व्यवधान) आर्डर प्लीज, बैठें आप।(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : +++ आनी चाहिए आपको।* (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ... राजनीति से प्रेरित नहीं थे ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बाहर चले जाते हैं और सभी तरह के +++ आरोप लगाते हैं और कोई बात आती है तो फिर यहां ...(व्यवधान) इस सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं फिर...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठ जाइये। यह अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री रामस्वरूप : xxx

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, बैठिये। आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या प.1 (13) वित्त/आब/98 दिनांक 11.11.1998, जिसके द्वारा आर.टी.डी.सी. को 1.11.1997 से 30.9.1998 तक तथा राजस्थान स्टेट होटल कारपोरेशन को 1.4.1998 से 30.9.1998 तक बीयर पर सरचार्ज के भुगतान पर छूट दी गई है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वार्षिक प्रतिवेदन। श्री तैयब हुसैन।

प्रतिवेदन

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन1997-98

श्री तैयब हुसैन (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड का 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 सदन की मेज पर रखता हूं।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

*शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : याचिका का उपस्थापन। श्री ललित भाटी

याचिका का उपस्थापन

अजमेर में ब्यावर रोड, नारीशाला से पुरानी चुंगी चौकी, आदर्श नगर अजमेर की सड़क व नाली निर्माण

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ब्यावर रोड, नारीशाला से पुरानी चुंगी चौकी, आदर्श नगर, अजमेर की सड़क एवं नाली निर्माण करवाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2000

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सी.पी. जोशी।

श्री सी.पी.जोशी (पंचायती राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या 13) को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या 13) को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री सी.पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या 13) को पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज (विधि संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश संख्या-1), राजस्थान पंचायती राज (विधि संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश संख्या-9), राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का अध्यादेश संख्या-2), राजस्थान पंचायती राज (विधि संशोधन) अध्यादेश, 2000 (2000 का अध्यादेश संख्या-3) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तैयब हुसैन।

कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक, 2000

श्री तैयब हुसैन (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या 12) को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक, 2000 को

(श्री उपाध्यक्ष)

पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्रीजी।

श्री तैयब हुसैन (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या 12) पुर:स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश संख्या-6) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 23- श्रम और रोजगार की प्रस्तुति

श्री उपाध्यक्ष : श्रम मंत्री।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (राज्य मंत्री, पशुपालन) : उपाध्याक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 23 श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 46,55,43,000 (छियालीस करोड़ पचपन लाख तियालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 23 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-23, मुख्य शीर्षक श्रम और रोजगार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए,

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

1. राजस्थान प्रदेश में श्रम नीति को सुधारने एवं नये रोजगार दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)

2. प्रदेश में अनुसूचित जाति के पढ़े-लिखे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

3. शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

4. शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा)

5. एच.पी.एम. उद्योग खुशबाड़ा (अलवर) में आये दिन जहरीली गैस से श्रमिकों की हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

6. अलवर जिले में स्थिति उद्योगों में क्षेत्रीय लोगों को रोजगार न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा)

7. भीलवाड़ा जिले में बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

8. विभाग द्वारा श्रमिकों के हितों की रक्षा करने में विफल रहने पर चर्चा के लिए।

9. तकनीकी निदेशालय द्वारा आई.टी.आई. जसवन्तगढ़ (नागौर) में आवश्यक स्टाफ नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

10. समझौता अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट भेजने के बाद भी निदेशालय द्वारा समय पर श्रम न्यायालयों में मामले नहीं भेजने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

11. शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

12. राज्य में रोजगार के अवसर निरन्तर कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

13. रावतभाटा में निर्माणाधीन राजस्थान परमाणु परियोजना नम्बर 1 से 8 में स्थानीय लोगों को रोजगार देने बाबत आदेश दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) एवं

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी)

14. शिक्षित बेरोजगारों की संख्या राज्य में दिनोंदिन बढ़ने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर)

15. सवाईमाधोपुर विधान सभा क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले मजदूरों को रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

16. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में बढ़ती बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

17. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करावाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

18. सरकार को प्रत्येक चयनित परिवार के परिवार में से एक युवक को रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. संविदा के आधार पर जिन कार्यालयों/संस्थाओं में रिक्त पद हैं उन पर नियुक्ति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. मजदूर के किसी कार्य पर जाने के बाद टास्क से कार्य को न जोड़ कर श्रमिक को पूरे दिन का निर्धारित श्रम देने एवं कार्य एजेन्सी द्वारा दिन भर में पूरा कार्य

(श्री हीरासिंह चौहान)

लेने की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

21. ग्रामीण विकास के कार्य रोजगारोन्मुखी लागू करने के प्रयास किये जावें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार लगातार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त (बी.एड., एस.टी.सी., शारीरिक शिक्षक व अन्य) नवयुवकों को बेरोजगार भत्ता 1000 रुपया प्रति शिक्षित बेरोजगार को स्वीकार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवं

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

23. असंगठित श्रमिकों के हितार्थ योजनाएं बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. राज्य में रोजगार के साधन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

25. बाड़मेर जिले में शिक्षक बेरोजगारों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डा. करणसिंह यादव (बहरोड़)

26. बहरोड़ स्थित ई.एस.आई. चिकित्सा केन्द्र में डाक्टर की नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

27. ई.एस.आई. योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों को गंभीर रोगों के इलाज हेतु अग्रिम राशि स्वीकृत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

28. औद्योगिक इकाइयों में ठेकेदारों के मार्फत कार्य करने वाले मजदूरों को न्यूनतम वेतन न देकर आर्थिक शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व)

29. एस.एस.आई. फैक्ट्रियों में श्रम कानून का सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद)

30. राज्य में बन्द एवं बीमार उद्योगों के श्रमिकों का रोजगार छीनने के पश्चात् भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

31. जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, डेयरी, अस्पतालों में मजदूरों की काटी गई राशि ई.एस.आई. में जमा नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

32. दैनिक मजूरी के सभी व्यवसायों को महंगाई सूचकांक के साथ नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार)

33. जिला सवाईमाधोपर में नवीन रोजगार अवसर सृजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

34. राज्य में निजी क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. बेरोजगार स्नातकों को बेरोजगार भत्ता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. जैसलमेर रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

37. शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता देने की योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. बीड़ी मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. श्रम आधारित उद्योग नहीं लगाये जाने से बढ़ रही बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर)

40. राजस्थान में लगे उद्योगों पर राजस्थान के निवासियों को रोजगार नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42 उद्योग की प्रस्तुति

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42, उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 78,11,57,000 (अठहत्तर करोड़ ग्यारह लाख सत्तावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 42 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-42, मुख्य शीर्षक उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

1. ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी)

2. रानी नगरपालिका में मार्बल फैक्ट्री मालिकों द्वारा पत्थरों का मलवा नदी में डाले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

3. तहसील बेगूं में उपलब्ध सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन, हाइ ग्रेड डोलोमाइट की करोड़ो टन की उपलब्धता के आधार पर सीमेन्ट उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

4. जैसलमेर नगर के पास भारी उद्योग क्षेत्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

5. टोडाभीम क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

6. ग्रामीण क्षेत्रों तथा बड़े-बड़े कस्बों में उद्योगों को बढ़ावा रीको क्षेत्रों का विकास कर उद्योगों की स्थापना में गति लाने हेतु चर्चा के लिए।

7. ग्रामोद्योगों के विस्तार तथा व्यापक क्रियान्वयन कर बेरोजगारी रोकने पर चर्चा के लिए।

8. उद्योगों को लगाने के लिए जनता को प्रेरित कर प्रोजेक्ट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. उद्योगों के विस्तार के लिए एकल खिड़की योजना को लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. उद्योगों के साथ-साथ पर्यावरण पर ध्यान नहीं देने तथा भीलवाड़ा में प्रोसेसर्स हाउस की हाल ही में दी गई स्वीकृति से पर्यावरण तथा प्रदूषण से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

डा. के.सी.चौधरी (ब्यावर)

11. उद्योगों के विकास के लिए एकल खिड़की योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा)

12. भीलवाड़ा जिले की रायपुर पंचायत समिति क्षेत्र में कोई भी उद्योग नहीं होने की स्थिति में भी उद्योग विभाग द्वारा नया उद्योग नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

13. जिला उद्योग केन्द्र, अलवर में सन् 1990 से 1995 तक अनुदान वितरण में करों के घोटाले की जांच रिपोर्ट पर मुख्यालय द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

14. लघु उद्योग निगम द्वारा कारगो में किये गये घोटाले पर चर्चा के लिए।

15. जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा में अनुदान घोटालों की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली)

16. करौली में औद्योगिक कारखाने स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

17. राज्य में गिरते हुए औद्योगिक उत्पादन पर चर्चा के लिए।

श्री सांवर लाल (भिनाय),
श्री मदन दिलावर (अटरू),
श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) एवं
श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)

18. किशनगढ़ व सरवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के अभाव पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

19. अजमेर जिले में औद्योगिक विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूलाल खोईवाल (गंगरार)

20. तहसील गंगरार (राष्ट्रीय राजमार्ग पर) में पिछड़ा एवं बेरोजगारी की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र कायम करा लघु कारखाने स्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)

21. ग्रेनाइट स्लैबस को सीधा विदेशों में निर्यात बन्द किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

22. कोटा में स्थित जे.के. उद्योग को चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. इटावा में स्थित औद्योगिक जमीन का आबंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. लाखेरी सीमेन्ट उद्योग एवं उससे फैल रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

25. राज्य के बाड़मेर जिले में बालोतरा, पाली जिले में पाली एवं जोधपुर जिले में जोधपुर में हाथ रंगाई छपाई उद्योग में उत्तरोत्तर गिरावट आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

26. राजकीय उपक्रम द्वारा संचालित उद्योगों में बढ़ते हुए घाटे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

27. राज्य सरकार के कुशलगढ़ क्षेत्र में ईंट भट्टा, चूना भट्टा, आरा मशीन लगाने में असफल रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

28. राज्य सरकार के बांसवाड़ा जिले में आटा मिल लगाने में असफल रहने पर चर्चा के लिए।

29. राज्य सरकार के आदिवासी क्षेत्र में उद्योग खोलने में असफल रहने पर चर्चा के लिए।

श्रीमती यासमीन अबरार (सवांईमाधोपुर)

30. फिल्म सिटी बनाकर फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. सवाईमाधोपुर में बंद पड़ी सीमेन्ट फैक्ट्री चालू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

32. लघु उघोग खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती पूनम गोयल (लाडपुरा)

33. कोटा व उसके आसपास बन्द पड़े उद्योगों से विकास अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

34. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) उद्योग की दृष्टि से बहुत पिछड़ा होने से

(श्री कुबेर सिंह)

उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में उद्योग स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

38. उद्योग लगाने के साथ 20 वर्ष तक उद्योग लगाने के समय से उद्योग यूनिट चालू रखने के प्रावधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. पिछड़े वर्ग के व्यवसायी लोगों को कम ब्याज की दर से उद्योग लगाने को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. पाली जिले के रायपुर, बर तथा सराधना क्षेत्रों में उद्योग के लिए आरक्षित भूमि पर उद्योग लगाने की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिए।

39. लघु उद्योगों पर आधारित यूनिटों का अधिक से अधिक प्रचार एवं प्रसार कर गावों में ज्यादा से ज़्यादा यूनिटें लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. प्रत्येक उद्योग में लगाने के साथ स्थानीय व्यवसायी बेरोजगार व शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता से नियोजन की व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवं
श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

41. घाटे में चल रहे राजकीय उपक्रमों/उद्योगों के सम्बन्ध में नीति निर्धारण करने पर चर्चा के लिए।

42. दिल्ली से हटाये गये उद्योगों को राजस्थान में लगाये जाने की व्यवस्था से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिए।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा)

43. अलवर जिले की उद्योगों का एयर, वाटर की नियमित जांच नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

44. भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र का प्रदूषित जल ग्राम सीथल, थड़ा, खिजूरीवास एवं ततारपुर की बरसाती एवं प्राकृतिक नाले में डालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

45. अलवर से किशनगढ़बास सड़क पर सरसों के भूसे (खाखला) को फैक्ट्री में डालने से हवा का प्रदूषण फैलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

46. होटल को उद्योग की श्रेणी में मानने एवं इस उद्योग के लिए भू-रूपान्तरण का व्यापारिक चार्ज लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

47. बजरिया सैरमिक्स उद्योग द्वारा पानी एवं मिट्टी में प्रदूषण फैलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

48. राज्य में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं देने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों के ठप्प होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : साढ़े छह करो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, सारे लोगों को अकाल के कार्यों के लिए जाना है...

श्री रामनारायण चौधरी : इसका मतलब मुखबंद का समय आपके विचाराधीन विषय है ?

श्री उपाध्यक्ष : साढ़े चार बजे टाइम रखा है न।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने इसमें ओपन कह दिया न कि विचाराधीन है मुखबंद।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी तक फाइनल नहीं किया है, साढ़े चार है। मैं कह रहा हूं, साढ़े चार बजे मुखबंद करने का इरादा है। माननीय सदस्य अपना बोल लें, मैं बुला रहा हूं सबको, लेकिन थोड़ा समय का ध्यान रख कर बोलें ताकि सबको अवसर मिल जाएगा। श्री के.सी. चौधरी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब तक की परम्परा तो यही रही है कि मुखबंद का समय कभी एक्सटेंड नहीं होता है। अब तक की परम्परा यही रही है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : साढ़े चार का है तो साढ़े चार।

श्री उपाध्यक्ष : कर देंगे न, आप जल्दी क्यों कर रहे हैं ?

डा. के.सी. चौधरी (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 23 और मांग संख्या 42 पर आपकी अनुमति से चर्चा की शुरूआत करते हुए अपने विचार सदन में रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले पचास सालों का एक हल्का-सा विश्लेषण करें सरकारों और जनता की अपेक्षाओं के बीच का, तो मुझे लगता है कि पहले तीस साल हिन्दुस्तान में आइडियोलोजी की सरकार पब्लिक को चाहिए थी और राजनीतिक संस्थाओं ने वह दी, अगले दसेक वर्ष स्टैबिलिटी के नाम पर सरकारें चलीं, पिछले दसेक सालों से अब पब्लिक की एक्सपैक्टेशन सरकारों से परफारमेंस पर आ गई है, कोई भी सरकार हो उसको अपनी परफारमेंस देनी ही होगी। इन्हीं के अकोर्डिंगली सरकारों की इकोनोमिक पालिसीज बनी हैं चाहे वह पहले लैफ्ट ओरियेंटेड थीं या राइटिस्ट पालिसीज के इर्द-गिर्द थीं या सोशलिस्ट पालिसीज के इर्द-गिर्द थीं। परफारमेंस के फील्ड पर जब हम आते हैं तो सोशल सैक्टर में इन्वैस्टमैंट चाहिए, एग्रीकल्चर सैक्टर में इन्वैस्टमैंट चाहिए। वह इन्वैस्टमैंट, माननीय उपाध्यक्ष जी, इंडस्ट्री में वैल्थ के जनरेशन से आएगा। इंडस्ट्रीज में ही हमको वैल्थ प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, उद्योग धंधों को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। अपने लिए बड़े गर्व की बात है कि राजस्थान देश में एक ऐसा प्रदेश है जिसने खाली हिन्दुस्तान की फील्ड पर ही नहीं, विश्व स्तर के उद्योगपति पैदा किये हैं। राजस्थान के उद्योगपतियों ने दुनिया भर में अपना नाम किया है। चाहे वह बिडला हो, बांगड़ हो या खेतान हो या सिंघानियाज हो या पोद्दार हो या पीरामल हो या गोयनका हो, राजस्थान के उद्योगपतियों ने पूरी दुनिया में नाम किया है। मगर एक अजीब बात यह रही कि हम इन उद्योगपतियों को राजस्थान से ही नहीं जोड़

(डा. के.सी.चौधरी)

पाये। राजस्थान के बाहर ही इन्होंने उद्योग लगाये हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह प्रथम मौका है...

श्री रामनारायण चौधरी : लगाये हैं राजस्थान में।

डा. के.सी. चौधरी : राजस्थान में इनका इन्वैस्टमैंट कितना है, उस पर आ रहा हूं, साहब, अभी। पहली बार, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा कि राजस्थान की स्वर्ण जयंती समारोह के अन्तर्गत आपने राजस्थान मूल के निवासियों से, उद्योगपतियों से सम्पर्क करने का प्रयास किया है और इसी सन्दर्भ में एक अन्तर्राष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन राजस्थान में 23-24 सितम्बर को इस साल किया जा रहा है। इसी सिलसिले में अभी मेरा कलकत्ता जाना हुआ था, वहां के राजस्थानी इस बात से बहुत प्रभावित हुए कि राजस्थान सरकार ने उनको याद किया है। राजस्थान में बात इन्वैस्टमैंट की नहीं थी, बात थी उनको राजस्थान के साथ जोड़ने की। मुख्य मंत्रीजी का यह प्रथम प्रयास अत्यंत सराहनीय है।

इसी प्रकार से इस बजट में उद्योग विभाग के नियमों का जो सरलीकरण किया गया है, उच्चाधिकार समितियां बनायी गई हैं, पावर्स को डीसेन्ट्रलाइज किया गया है, सिंगल विंडो क्लियरेंस कंसेप्ट दिया गया है, ये सारे बिन्दु बताते हैं कि राज्य सरकार उद्योगों की प्रगति के लिए बहुत ज्यादा इस बार गम्भीर है। राज्य सरकार के बोर्ड आफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वैस्टमैंट प्रमोशन ने इसी साल 1547 करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट को क्लियरेंस दिया है,

(13.43 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

मैं बधाई देना चाहता हूं इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब को और मुख्य मंत्रीजी को। बाकी जो 4500 करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट आपके पाइप लाइन में हैं, उनके क्लियरेंस भी थोड़ा जल्दी ही दें। इसी बजट में आपने यह दर्शाया है और सेल्स टैक्स की चूंकि देश भर में इंसेंटिव स्कीम्स खतम कर दी गई है तो राजस्थान में इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट ने यह बताया है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर अगर खर्च किया जाएगा तभी आपके यहां इंडस्ट्रीज आएंगी, नहीं तो क्यों आएंगी। अब प्रश्न यह आता है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करेंगे कहां से ? आपको उद्योगपतियों को सड़क, पानी, बिजली, कम्युनिकेशन के सिस्टम, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम, ये सब देने होंगे, इसके लिए इस बजट में किसी तरीके से यह प्रावधान नहीं है कि इस क्षेत्र में पैसा लाकर आप देंगे। मेरा सुझाव यह होगा कि सेल्स टैक्स ज्यादातर आता तो आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से है, तो क्यों नहीं सेल्स टैक्स का एक हिस्सा, बजट का 10 प्रतिशत इस इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए रिजर्व कर दिया जाए ?

माननीय सभापति महोदय, अभी बात आयी थी राजस्थान में इन्वैस्टमैंट की स्थिति क्या है। आई.डी.बी.आई. के 1998 के प्रतिवेदन से पता लगा है कि मार्च, 1998 तक आई.डी.बी.आई. जो कि देश की प्रीमियर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसकी राजस्थान में कुल सैंक्शन मार्च 1998 तक है 6 हजार

(डा. के.सी.चौधरी)

करोड़ रुपये। इसी के अगेंस्ट में पड़ोसी राज्य गुजरात है, गुजरात में इन्होंने सैंक्शन किया 22 हजार करोड़ रुपये, महाराष्ट्र में सैंक्शन हुआ है 20 हजार करोड़ रुपये। दूसरी फाइनेंशियल इंस्टटीयूशन है आई.एफ.सी.आई., आई.एफ.सी.आई. ने राजस्थान में सैंक्शन दी है मार्च, 1998 तक 2 हजार करोड़ रुपये की, गुजरात को दी है 8 हजार करोड़ रुपये की, महाराष्ट्र को दी है 8500 करोड़ रुपये की। ये की ये ही पोजीशन आई.सी.आई.सी.आई. की है, गुजरात में 22 हजार करोड़ रुपये, राजस्थान में 4 हजार करोड़ रुपये...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप इधर आसन को सम्बोधित करें और पूरे सदन को बताएं, आपका और मंत्रीजी दो का ही संबंध नहीं है इसमें।

डा. के.सी. चौधरी : मैं यह बताना चाहूंगा कि देश में इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इन वित्तीय संस्थानों ने, यह बहुत गम्भीर विषय है, राजस्थान में बैठ कर अपन सोचें कि हमें काबिल क्यों नहीं समझा इन्वैस्टमैंट के लिए। हमें दे रहे हैं 4 हजार करोड़ रुपये और गुजरात में जा रहा है 22 हजार करोड़ रुपये, तो आखिर हम में कोई न कोई कमी रही होगी कि हमें उन्होंने इस इन्वैस्टमैंट के देने के काबिल नहीं समझा। सभापति महोदय, राज्य में औद्योगिक विकास के लिए बहुत ही क्लीयर विजन चाहिए कि हमको औद्योगिक विकास राजस्थान में कैसे करना है। इस क्लीयर विजन को जब माननीय मंत्री महोदय अख्तियार कर लेंगे तो इसी के अनुरूप इनको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उद्योगों को विकास की तरफ ले जाने की। उद्योग विभाग से काफी माननीय सदस्य परिचित होंगे कि नीचे के लेवल पर जैसे ही उद्योगपति जाता है तो वहां के नीचे के तबके के लोग उसकी जेब को देखते हैं, उसे इतना परेशान करते हैं कि वहां से वह फ्रस्टेट होकर दूसरे राज्यों में जाता है। ऊपर के अधिकारी उद्योगपति से इसलिए नहीं जुड़ पाते हैं कि उनको यह डर है कि हमको कहीं लेबल नहीं कर दिया जाए इसके साथ। तो दोनों ही जगह प्राब्लम एटीट्यूड की है। अगर हम अपने उद्योग विभाग के अधिकारियों के एटीट्यूड में बदलाव नहीं करेंगे तो उद्योग की प्रगति की कल्पना जो राजस्थान में की जा रही है, उसकी सम्भावनाएं बहुत क्षीण हो जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि हमको उद्योग फ्रैंडली एटीट्यूड और उद्योग फ्रैंडली वातावरण बनाकर देना होगा उद्योगपति को अगर राजस्थान में रोकना है। इसके बाद आपको चाहिए एक कमिटेड टीम आफ आफिसर्स और उद्योग विभाग से जुड़े हुए लोगों की। इनके जब एटीट्यूड में बदलाव आएगा, माननीय सभापति महोदय, तो फिर उद्योग के प्रति एक कमिटमैंट हो सकता है। बाकी राज्यों में यह है। और इन सबके ऊपर चाहिएगा टाइम बाउंड प्रोग्राम। अगर टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं हुआ तो सारी की सारी अपन जितनी आइडियोलोजिक चीजें जयपुर में बैठ कर बना लेते हैं वे नीचे उद्योग के लिए परकोलेट हो नहीं पाती हैं।

इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए संस्थानों की स्थिति भी, माननीय सभापति महोदय, सुखद नहीं है। राजस्थान में इंडस्ट्रियल कैटेलिस्ट है रीको।

(डा. के.सी.चौधरी)

रीको की बैलेंस सीट को देखने से पता लगता है कि रीको का मेन प्रोफिट सैल्स आफ लैंड से है, जमीन की परचेज से है, इंडस्ट्रियल कैटेलेटिकल एक्टीविटी से नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस पर विचार करें कि इंडस्ट्रीज के इक्विटी पार्टिसिपेशन में रीको और उद्योगपतियों के बीच में किस जगह तकलीफ है। दूसरी आपकी इम्पोर्टेंट संस्था है, 'बिप', ब्यूरो आफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी राज्य में देख लीजिये, गुजरात में या महाराष्ट्र में या केरल में या तमिलनाडु में या आन्ध्रप्रदेश में कि वहां के एन.आर.आईज स्वतः ही, नैचुरल फेज के अन्दर जाकर उस स्टेट में इन्वैस्ट कर रहे हैं। हमारे इस ब्यूरो आफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन ने पिछले पांच सालों में आप कंपेरेटिव डेटाज मंगवाइये और स्टडी करवाइये कि एन.आर.आईज को राजस्थान में प्रमोट करने के लिए हमने कितने सिन्सियर एफर्ट किये हैं। कितनी सिन्सियर मेहनत एन.आर.आईज को प्रमोट करने में की गई है। ऐसे ही आर.एफ.सी. है। माननीय सभापति महोदय, मैं आर.एफ.सी. के अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा कि इस साल उनका कार्य काफी संतोषप्रद रहा है सैंक्शन में, डिस्बर्समैंट में, रिकवरी में। मेरा निवेदन यह हैं कि आर.एफ.सी. इस पर तो बैठकर सोचे कि उसके नाम परफार्मिंग असेट्स (एन.पी.ए.) इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से होने चाहिए साढ़े सात परसेंट और आर.एफ.सी. के हैं 45 परसेंट। अल्टीमेटली आर.एफ.सी. कहां रहेगी, इक्विटी तो इरोड हो गया ? इस एंगल से आप जरा इवैल्युएट कराइएगा। आर.एफ.सी. का स्टाफ है 1066 लोगों का, रिक्वायर्ड स्ट्रैंथ 500 से ज्यादा की नहीं है। 355 तो आर.एफ.सी. में खाली मैसेंजर हैं। उनका आर.एफ.सी. में क्या काम है, यह आप जरा गंभीरता से सोचिएगा। ट्रेडीशन यह बना हुआ है कि इनमें से ज्यादातर मैसेंजर किसी ने किसी अधिकारी के घर पर पाये जाएंगे। ऐसा करके संस्था इण्डस्ट्री के डवलपमैंट में काम कर पा रही है या खाली अधिकारियों के भले के लिए काम कर पा रही है ? ऐसे कुछ कारपोरेशन आपके बने हैं, सभापति महोदय, राजस्थान हैण्डलूम डवलपमैंट कारपोरेशन का मेन काम था सरकारी दफ्तरों में वर्दी सप्लाई करने का। करीब-करीब हर विभाग अपने कर्मचारी संघों की मांगों के दबाव में वर्दी की बनिस्बत कैश दे रहा है। संस्था का जो मार्केटिंग का काम था या तो उसे आप मार्केटिंग वापस दिलवाइए या फिर इस संस्था पर विचार कीजिए कि उसे दूसरा काम दिया जाए। एक ही बैच के दो आई.ए.एस. आफिसरों को संस्था का मुखिया बना दिया। एक को आपने ऊपर कर दिया, एक को आपने उस जगह लगा दिया जहां कोई काम नहीं है। यह जो असमंजस की स्थिति है इसमें ब्यूरोक्रेसी डिमोरलाइज होगी। आसन तो देख ही नहीं रहा है हमारी तरफ, तकलीफ तो यह है।

श्री सभापति : आसन सुन रहा है।

डा. के.सी. चौधरी : सभापति महोदय, राजस्थान हैण्डलूम डवलपमैंट कारपोरेशन का दूसरा काम था बैन्डेज सप्लाई करने का। अभी विधान सभा में प्रश्न लगा कि वे सप्लाई में फेल्योर रहे हैं। जो काम जिस कारपोरेशन का था अगर वह काम ही नहीं हो रहा है और पता

(डा. के.सी.चौधरी)

नहीं हम किन-किन फर्जी नामों से सब्सिडी दिये जा रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपये इस तरीके से डैड होते हैं चाहे बुनकर संघ के मार्फत हों, चाहे आर.एस.डी.सी के मार्फत हों या और किसी कारपोरेशन के मार्फत हों। मेरा निवेदन है कि इनकी मानिटरिंग, सुपरविजन का काम दुबारा से विचार करके किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, कल ही इकोनोमिक टाइम्स में खबर छपी थी कि एनर्जी शेयर राजस्थान के स्टेट बजट में 1.70 परसेंट है अगेंस्ट गुजरात के जिसका 6.6 परसेंट है। एनर्जी शेयर में अपन इतने लो परसेंटेज पर काम कर रहे हैं तो इण्डस्ट्रियलाइजेशन की कल्पना कैसे करेंगे ? ऐसे ही स्टेट शेयर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में राजस्थान का है 2.64 परसेंट और गुजरात का है 52.5 परसेंट। ये पैरामीटर्स राजस्थान की जो कल्पना हमारी सरकार ने की है उसके औद्योगीकरण में बाधक ही है।

माननीय सभापति महोदय, स्माल स्केल इण्डस्ट्री में ग्लोबेलाइजेशन के साथ अब हर चीज इम्पोर्ट हो रही है। किशनगढ़ का मार्बल उद्योग उस दिन खतम हो गया जिस दिन 40 परसेंट इम्पोर्ट ड्यूटी गवर्नमैंट आफ इण्डिया ने मार्बल पर लगायी। अगर वह इसको रिड्यूस कर देगी तो हम कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। आलरेडी राजस्थान की मार्बल और ग्राइंडिंग यूनिट कर्नाटक में शिफ्ट हो चुकी हैं। जो बड़ी यूनिट हैं उन्होंने अपने काम वहां लगाना शुरू कर दिये। पावरलूम इण्डस्ट्री राजस्थान से बाहर जा चुकी हैं। ब्यावर की टैक्सटाइल इण्डस्ट्री राजस्थान से करीब बाहर जा चुकी है। ऐसे जब सारी इण्डस्ट्रीज यहां से माइग्रेट हो रही हैं तो हम यहां क्या कर पाएंगे ? बड़े-बड़े इण्डस्ट्रियल ग्रेवयार्डस तो बना दिये हैं लेकिन चाहे वह विश्वकर्मा हो, झोटवाड़ा हो या मालवीय इण्डस्ट्रियल एरिया हो या और किसी भी जगह हो, बड़ी दु:खद स्थिति में वे लोग जी रहे हैं। स्माल स्केल सैक्टर को आखिरकार हम कोलैप्स होने से कैसे बचा पाएंगे, सभापति महोदय, इस विषय पर विचार करना होगा। सैल्स टैक्स इंसेंटिव सरकार ने अब देना बंद कर दिया, हमारे यहां छोटे उद्योगपति आएंगे कैसे, पनपेंगे कैसे, सरवाइव कैसे करेंगे ? मेरा इसमें निवेदन है कि उनको कहीं न कहीं इंसेंटिव दिया जाए, चाहे वह गवर्नमैंट परचेज हो। स्माल स्केल इण्डस्ट्री वाला जो आदमी है उसको क्यों नहीं राजस्थान में परचेज प्रिफरेंस दी जाए। प्राइस प्रिफरेंस दे सकते हैं, परचेज में तो कम से कम उसको पार्टिसिपेट करवाएं।

सभापति महोदय, ऐसे कई सारे यहां उदाहरण हैं। राजस्थान में करीब डेढ़ सौ दवा मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स हैं मगर पिछले सालों से इनको टेण्डर में पार्टिसिपेट करने ही नहीं दिया जा रहा है, इनको टेण्डर में पार्टिसिपेशन की मनाही है। जब हमने पूछा, क्यों ? तो बोले, गुड़ मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है, जी.एम.पी. सर्टिफिकेट नहीं है। ड्रग्स मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन वालों से बात की, उन्होंने बताया कि हम में से 10 परसेंट लोगों के पास यह सर्टिफिकेट है। तो उनको क्यों नहीं टेण्डर में पार्टिसिपेट करने दें ? ड्रग्स सब-स्टैण्डर्ड मानी जाएं तो नहीं

(डा. के.सी.चौधरी)

लेनी चाहिए लेकिन स्टेट यूनिट को कहीं न कहीं प्रोत्साहन तो आपको देना ही होगा। राजस्थान में स्माल स्केल इण्डस्ट्री वालों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने की सोच सकते हैं। आखिरकार आपको नेबरिंग स्टेट से और ज्यादा टफ काम्पीटिशन में आना पड़ेगा। ब्याज में रियायतें सारी स्टेट दे रही हैं। सैल्स टैक्स के मामले में तो चलिए बराबर कर दिया लेकिन बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां की जा सकती हैं।

सभापति महोदय, सिंगल विंडो क्लीयरेंस राजस्थान का कदम अत्यन्त सराहनीय है, मगर इसमें व्यावहारिक समस्याएं भी हैं जो मुझे इन दिनों बताई गई हैं। अजमेर में पहली मीटिंग के बाद जो नतीजा सामने आया वह यह आया है, उद्योगपति यह कहते हैं कि डी.आई.सी. में आपने एक सेंटर बना दिया, हमने जाकर अर्जी दे दी, यह आपने ठीक किया। कलेक्टर की अध्यक्षता में जो समिति बनी है तो पहला कागज तो कलेक्टर से रिलेटेड है कि मुझे एक जमीन पर इण्डस्ट्री लगाने की बात करनी है। वे पेपर कलेक्टर साहब ने एस.डी.ओ. को मार्क कर दिये, एस.डी.ओ. ने तहसीलदार को मार्क कर दिये, तहसीलदार ने पटवारी को मार्क कर दिये। वहां से वापस जब तक रिपोर्ट आएंगी तब तक उस जमीन पर कोई न कोई नकली दावा पेश कर देगा और ब्लैकमैल करेगा। पहली समस्या हमारी आ रही है लैंड कन्वर्जन की। जिस कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनायी, पहली समस्या वहीं है। मेरा निवेदन यह है कि कुछ राज्यों में जैसे हरियाणा में है कि पर्टीकुलर एरिया सरकार ने फ्री कर रखा है, इसमें किसी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है अगर आपको इण्डस्ट्री लगानी है। तो लैंड कन्वर्जन के मैटर पर सोचें। इसके बाद फैक्ट्री लगाने में सबसे बड़ी जरूरत है आर.एस.ई.बी. के कनेक्शन की। आर. एस. ई.बी. का ए. ईएन. यही कहता है कि इंसपैक्शन करने हम आएंगे, हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर कहां लगेगा, हम देखेंगे कि पोल कितने लगेंगे। आर.एस.ई.बी. के रूल्स से मैं गवर्न हूं, कलेक्टर के रूल्स से मैं गवर्न नहीं हूं, यह हमको जवाब मिलता है। फिर हम बात को फैसिलिटेट कहां कर पाये ? यही हालत पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। वे कहते हैं हमारे मापदण्ड अलग हैं और इण्डस्ट्री विभाग की कोई चीज हम पर डाइरेक्टली एप्लीकेबल इसलिए नहीं है कि इनके जो अधिकारी हैं वे सैक्रेटरी इण्डस्ट्री से ऊपर के लेवल के हैं। सभापति महोदय, इनको फैसिलिटेट करने के लिए राजस्थान को चाहिए कि आप इण्डस्ट्री सैक्रेटरी की पोस्ट को अपग्रेड करें, इस पोस्ट को कमिशनर के लेवल पर ले जाएं। बाकी राज्यों में इस किस्म का है। तब जाकर प्रापर कोआर्डिनेशन बैठेगा नहीं तो इस इनकोआर्डिनेशन से सिंगल विंडो क्लीयरेंस भी मुश्किल में है। इसमें अकाउंटिबिलिटी के लिए आपने कर दिया कि टाइम बाउंड होना चाहिए लेकिन कोई न कोई आब्जेक्शन लगा कर पटवारी भेज देगा, तहसीलदार भेज देगा या बिजली वाले भेज देंगे कि साहब, हमारे यह तकलीफ है, मीटर नहीं है, फलां नहीं है। इस किस्म की व्यावहारिक समस्याएं अपने पास आएंगी।

(14.00 बजे)

(डा. के.सी.चौधरी)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि ब्यावर में इण्डस्ट्री के नाम पर जो एक इण्डस्ट्री थी वह ग्राइंड यूनिट थी। दो किस्म के पत्थर लोग ग्राइंड किया करते थे। पूरे देश में ब्यावर का पहला नम्बर आता है रा-मैटीरियल सप्लाई करने में इण्डस्ट्रीज को। माननीय सभापति, 1996 तक इन यूनिट्स को सैल्स टैक्स इन्सेन्टिव मिलता था ग्राइडिंग को मैन्यूफैक्चरिंग एक्टीविटी मानकर। फिर राजस्थान में एस.एस.सी. की मीटिंग में अचानक एक जिप्सम फैक्ट्री का विवाद खड़ा हो गया। जिप्सम को उन्होंने मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट नहीं माना, लिहाजा उस जिप्सम यूनिट के चक्कर में ब्यावर की समस्त ग्राइडिंग यूनिट्स मरणासन्न स्थिति पर आ गई, उनके सैल्स टैक्स इन्सेन्टिव सरकार ने बंद कर दिये। मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने जिप्सम यूनिट को भी अल्टीमेटली मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट मान लिया। फिर वहां से एस.एल.एस.सी. में गया, टैक्स बोर्ड ने उसको क्लीयर किया लेकिन यूनिट को कोई लाभ नहीं मिला। बड़ा गम्भीर विषय है कि ब्यावर में टैक्सटाइल की तीन मिलें थीं, किन्हीं कारणों से बन्द हो गई। एक वूल का सेण्टर वहां बढ़ा है मगर वूल में भी सरकार की तरफ से वहां कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोला गया है, न ही वूल के स्टैण्डर्डाइजेशन के लिए वहां कोई एक्टीविटी चालू है। सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है, केवल व्यापारी अपनी तरफ से वहां पर काम कर रहे हैं।

ब्यावर में एक दूसरा छोटा-मोटा रोजगार का काम है कि एस्बेस्टोस सीमेण्ट का पाइप बनाते हैं। देशभर में वह पाइप ब्यावर से जाया करता था। अब जमाना प्लास्टिक का आ गया है तो पी.वी.सी. पाइप भी उनके कम्पीटिशन में बने। जो हाथ से पाइप बन रहे हैं, लोकल रा-मैटीरियल से पाइप बन रहे हैं उन पर तो सैल्स टैक्स 12 प्रतिशत और जो प्लास्टिक के पाइप बन रहे हैं उन पर सैल्स टैक्स 4 प्रतिशत, तो हमारे अपने रा-मैटीरियल से हमारी अपनी लेबर से जो काम हो रहा है वह इण्डस्ट्री फिर से मरने जा रही है। इस किस्म के बहुत सारे मामले हैं।

श्री सभापति : आप बजट के समय यह नहीं बोले ?

डा. के.सी. चौधरी : बजट के समय मैं तीन दिन के लिए कलकत्ता गया था।

श्री सभापति : एप्रोप्रियेशन में कोई खास बात नहीं है, आपको पहले सुझाव देने चाहिए थे। बोलिये, बोलिये। प्लीज कन्टीन्यू।

डा. के.सी. चौधरी : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में एग्जिस्टिंग यूनिट के एक्सपांशन और माडर्नाइजेशन के लिए इन्होंने एक कण्डीशन रखी हुई है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80 प्रतिशत होना चाहिए। लेकिन अब जो विकास के प्रैशर आ रहे हैं, मेरा सुझाव है कि इस शर्त में थोड़ी शिथिलता देकर इस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को 50 प्रतिशत किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, उद्योग से जुड़ी हुई बात लेबर डिपार्टमैंट की है, मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा कि उद्योग और व्यापार को

(डा. के.सी.चौधरी)

फैसिलिटेट करने के लिए आवश्यक है कि इन्सपैक्टर राज को कम किया जाए। एक फैक्ट्री पर शाप इन्सपैक्टर लगता है, फैक्ट्री इन्सपैक्टर लगता है, ई.एस.आई. इन्सपैक्टर लगता है, लेबर इन्सपैक्टर लगता है और एकाध और, कुल 5-6 इन्सपैक्टर लगते हैं, कैसे हम यह समझें कि हमारे उद्योग का, व्यापार का विकास होगा ? चार इन्सपैक्टर तो एक ही लेबर डिपार्टमैंट से गवर्न हो रहे हैं। लेबर इन्सपैक्टर, फैक्ट्री इन्सपैक्टर, शाप इन्सपैक्टर, ई.एस.आई. इन्सपैक्टर, ये चारों तो उन्हीं के हैं तो क्यों नहीं इनको किसी जगह... माननीय अशोक गहलोत जी की मर्जी है कि राजस्थान में उद्योग धंधे पनपें, हमारे एनर्जेटिक एंड यंग इण्डस्ट्री मिनिस्टर साहब की मर्जी है कि राजस्थान में उद्योग धंधे पनपने चाहिएं, एनर्जी और इण्डस्ट्री दोनों आपके ही पास है तो मेरा निवेदन यह है कि बाटलनैक्स यहां पर आ रहे हैं उनको कम किया जाए, यह समय की आवश्यकता है। लेबर ओरियेंटेड इण्डस्ट्री की राजस्थान में काफी सम्भावनाएं हैं, जैसे मैं ब्यावर का उदाहरण देकर बता सकता हूं कि जवाजा पंचायत समिति में चर्म उद्योग का एक्सपोर्ट तक होता है,आर्टीजंस वहां अपनी एन.जी.ओ. बनाकर चलाते हैं। ब्यावर में तिलपट्टी का उद्योग है। इस प्रकार के स्थानीय उद्योग जहां पाये जाएं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहां की लेबर को वहीं रिटेन करें। वहां की लेबर को वहीं रिटेन करके एम्प्लायमैंट दे पाएंगे तो इस समस्या का समाधान हो पाएगा।

हैवी इण्डस्ट्रीज की जहां तक बात है, सीमेण्ट में राजस्थान होना चाहिए देश में नम्बर वन क्योंकि जितना अच्छा लाइमस्टोन राजस्थान में है उतना गुजरात, एम.पी. में नहीं है, लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश हमारे से आगे हैं। पिछले 5 सालों में यहां पर सीमेण्ट प्लान्ट नहीं लगे हैं जैसलमेर में हमने बहुत ट्राई की कि बड़े अच्छे ग्रेड का लाइम स्टोन मिल रहा है... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : सीमेण्ट के तो सारे प्लान्ट बंद पड़े हैं, मिनी प्लान्ट कितने लगे हैं सारे बंद हैं। (व्यवधान)

डा. के.सी. चौधरी : मिनी प्लान्ट बंद पड़े हैं, मैं बड़े प्लान्ट की बात कर रहा हूं। मिनी प्लान्ट पर भी आते हैं। बड़े प्लान्ट के लिए हमने सेंचुरी को, ग्रासिम को, कई लोगों को कह रखा है और उन्होंने वहां पर पी.एल. भी ले रखी है जैसलमेर में। उनकी प्राब्लम यह है कि वहां पर रा-मैटीरियल तो उपलब्ध करा देंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग की सुविधा राजस्थान में निल है। मैंने बात की थी, उनकी आधारभूत सुविधाओं के लिए बजट प्रोविजन आवश्यक है। जो इण्डस्ट्री पैदा कर रही है उस इण्डस्ट्री का तो कम से कम फिक्स मार्जिन इस इण्डस्ट्री के विकास के लिए रख दिया जाए।

माननीय मोदी साहब ने मिनी सीमेन्ट का जिक्र किया है, इस बजट में मिनी सीमेन्ट को हल्की-सी रियायत दी गई है मगर यह सैक्टर इतनी गम्भीर बीमारी से ग्रसित है कि इतनी सी रियायत से रिवाइव नहीं होगा, इनके लिए मार्केट का कुछ हिस्सा रिजर्व करना पड़ेगा स्टेट में परचेज पालिसी के तहत ही। माननीय

(डा. के.सी.चौधरी)

सभापति महोदय, राजस्थान में मिनी सीमेन्ट प्लान्ट् काफी संख्या में लगे हुए हैं और उनकी बहुत दयनीय दशा है। अगर उनमें देंखे तो सरकार का ही पैसा लगा हुआ है। कुल मिलाकर सरकारी पैसे की डूबत को बचाने के लिए मिनी सीमेन्ट प्लान्ट के रिवाइवल के लिए भी कोई ने कोई रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा।

मेरे अजमेर जिले के किशनगढ़ में, माननीय सभापति महोदय,, पावरलूम सैक्टर का देश में एक नाम था। वहां कहने को तो पावरलूम का ट्रेनिंग सेन्टर बना हुआ है, लेकिन उस ट्रेनिंग सेन्टर का पावरलूम उद्यमियों से किसी भी प्रकार का कोई संवाद नहीं है। इसी तरह वहां इण्डस्ट्रियल एरिया में रीको का आफिस है लेकिन रीको का आफिस और इण्डस्ट्रियल एरिया में जितनी मार्बल की फैक्ट्रियां हैं उनके बीच में किसी प्रकार का संवाद नहीं है, वह आफिस किसी भी काम में क्विक नहीं है। हर काम के लिए कहते हैं कि बाद में जाना है और हम बात कर रहे हैं अभी लेटेस्ट इनफारमेशन टैक्नोलाजी की, इन्टरनेट से जोड़ने की, कम्प्यूटरों के मार्फत औद्योगिक केन्द्रों को डी.आई.सी. से जोड़ने की। यह सब पढ़ने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन व्यावहारिक रूप में जो उद्योगपति बाहर से आकर अपना धंधा लगाये हुए हैं उनसे पूछें तो उनकी समस्याएं सुनते-सुनते अच्छे खासे आदमी को रोना आ जाए कि हमारे साथ में किस प्रकार का व्यवहार हुआ है, कितनी तकलीफों के साथ में यह फैक्ट्री चल रही है। सरकारी कर्मचारियों को इससे कोई मतलब नहीं है कि फैक्ट्री फायदे में जा रही है या नुकसान में जा रही है, उनको तो उसके महीने की रिश्वत पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था से बाहर निकलने का उपाय सरकार को सोचना होगा। मुझे आज बोलने का समय दिया इससे पहले आप घंटी बजा दें मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी जगह बैठता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। श्री सयंम लोढ़ा। श्री मोहन मोदी।

श्री मोहन लाल मोदी : मेरी तैयारी नहीं है।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान में कृषि के बाद सबसे अधिक उद्योगों की सम्भावनाएं मौजूद हैं। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग, दोनों को यदि राजस्थान में सही ढंग से योजना बनाकर रोजगार मूलक बनाया जाए तो राजस्थान की बेरोजगारी की काफी समस्या हल हो सकती है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, देश में जितने भी उद्योगपति हैं वे राजस्थान की धरती से सम्बन्ध रखते हैं। 1960 से लेकर 1975 के बीच में तत्कालीन मुख्य मंत्रियों ने, उद्योग मंत्रियों ने और वित्त मंत्रियों ने कलकत्ता और मुंबई जाकर उनको काफी प्रोत्साहन देने की घोषणाएं कीं और उनको आकर्षित करने का प्रयास किया उसके फलस्वरूप राजस्थान में उस समय कई उद्योग आये। कोटा औद्योगिक नगर कहलाया। ऐसे और उद्योग राजस्थान के कई हिस्सों में अलग-अलग ढंग से बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और भी हिस्सों में लगे थे। मगर इन 10 वर्षों में उन उद्योगों की स्थिति काफी खराब हो गई और

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कई उद्योग बंद हो गये। जयपुर उद्योग को ले लें, जे.के. कोटा को ले लें, इस प्रकार की छोटी-मोटी इण्डस्ट्रीज बंद हुई। हम उनके कारण में जाकर यदि फिर से प्रयास करें तो निश्चित रूप से राजस्थान में औद्योगिक निवेश बढ़ सकता है। इस दृष्टि से राजस्थान की वर्तमान सरकार ने फिर से कुछ सोचना प्रारम्भ किया है। राजस्थान में इकोनोमिक डवलपमैंट बोर्ड की स्थापना इस दिशा में एक कदम है। मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में इसमें कई उद्यमी भी हैं, वरिष्ठ मंत्री भी हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। यह उपलब्ध संसाधनों और राजस्थान में आधारभूत सुविधाओं और सम्भावनाओं पर विचार करके कुछ दिशा-निर्देश तय कर सकेगा और उसके आधार पर राजस्थान में औद्योगिक विकास जो अवरुद्ध हो गया है वह निश्चित रूप से गति बना पाएगा, ऐसा मेरा मानना है।

बोर्ड आफ इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड डवलपमैंट का जो गठन किया गया है उसमें भी मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में 25 करोड़ से अधिक की योजनाएं होंगी, औद्योगिक निवेश की स्वीकृति का उसमें प्रावधान किया गया है। 25 करोड़ से नीचे के लिए चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनाई गई है और 3 करोड़ तक के अधिकार जिला कलेक्टर को देकर विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से मैं समझता हूं कि अच्छे प्रयास किये गये हैं। इससे औद्योगिक विकास और निवेश में गति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। जिला उद्योग केन्द्र को भी फैसिलिटी केन्द्र के रूप में परिवर्तन करने का जो काम किया गया है उसमें उत्प्रेरक का काम और फैसिलिटेटर की भूमिका का भी निर्वहन वह करेगा। एक तरह से औद्योगिक दृष्टि से मार्गदर्शन मिलेगा। इन सब बातों को देखते हुए राजस्थान में औद्योगिक निवेश की एक अवरुद्ध स्थिति में परिवर्तन आएगा, ऐसा मेरा मानना है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस का भी प्रयास काफी अच्छा है। यदि ये सारे प्रयास सार्थक रूप लें तो राजस्थान में औद्योगिक विकास और निवेश की स्थिति काफी बन सकती है। वर्तमान में रीको के जो सेण्टर बने हुए हैं, जगह-जगह राजस्थान में औद्योगिक विकास की दृष्टि से अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं, उन क्षेत्रों में कई जगह इन दिनों हालात खराब हैं। कई जगह उद्योग बन्द हो गये, उनमें अतिक्रमण हो गये, कहीं देखरेख के अभाव में उनकी हालत खराब हो रही है। सड़कों की हालत खराब है, नये उद्योग लगने की स्थिति वहां बिगड़ती चली जा रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान को औद्योगिक क्रान्ति की दिशा में बढ़ाने के लिए फिर से जो प्रयास हुए हैं उन प्रयासों को काफी गति देने की आवश्यकता है। खास तौर से राजस्थान में बिजली, पानी का संकट औद्योगिक विकास में बाधक हो रहा है। इसके साथ-साथ जमीनों का भी अभाव हो रहा है, जमीन भी उपलब्ध नहीं होती। कहीं जमीन उपलब्ध होती है तो उसमें कहीं अतिक्रमण, कहीं कोर्ट केसेज, कहीं क्या, इस तरह से नये उद्योग आने में यह सारा मामला गड़बड़ा रहा है। इसलिए जहां-जहां जिस उद्योग की सम्भावनाएं हैं वहां पर अभी से रीको क्षेत्र कायम करके उनके लिए जमीन आरक्षित करके प्रयास किये जाने की आवश्यकता है ताकि जो भी उद्योग राजस्थान में आएं उनके लिए जमीन उपलब्ध हो सके। राजस्थान में पानी और

(श्री रतनलाल ताम्बी)

बिजली का जो संकट है उसको हर स्तर पर दूर किये बिना राजस्थान में औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है। विद्युत एक बहुत बड़ी समस्या है। विद्युत में जब तब कटौती होती है, वास्तव में हमारे पास विद्युत इतनी कम उपलब्ध है तो सबसे पहले उद्योगों की बिजली काटनी होती है, किसान की बिजली काटी नहीं जा सकती है क्योंकि छोटे-छोटे किसानों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। इसलिए बिजली के जनरेशन का जो कार्यक्रम है उसको हम किस प्रकार से गति दे सकते हैं, वह प्रयास करने की निश्चित रूप से आवश्यकता है।

उद्योगों के बारे में हमारे बजट में भी हम निश्चित रूप से गत वर्ष के मुकाबले पीछे हटते जा रहे हैं। 1992-2000 में जहां 2594.77 का प्रावधान था, वह संशोधित होकर 1315.25 रहा और उसमें भी जो राशि मार्च तक हम खर्च कर पाये अनुदान योजना के अन्तर्गत, वह 1269.44 के करीब रही। औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान आगे बढ़े लेकिन हम बजट योजनाओं में, अनुदान योजनाओं में भी निरन्तर कमी करते चले जा रहे हैं। इन सारे कारणों में हमको जाना पड़ेगा क्योंकि राजस्थान में कृषि के बाद औद्योगिक दृष्टि से ही लोगों को रोजगार मिल सकता है। इस दृष्टि से वापस हमको उस स्थिति में पहुंचना पड़ेगा जहां छोटे-छोटे गांवों में पहले ग्रामीण उद्योग चलते थे, कहीं लुहार, कहीं खाती, कहीं दूसरे प्रकार के बढ़ई। आज वे सब के सब बेरोजगार हो गये इसलिए हमको ग्राम-उद्योगों की दिशा पर भी वापस सोचना होगा कि उन लोगों को हम कैसे प्रोत्साहन दें। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से भी योजनाएं कई हैं परन्तु उन योजनाओं का न प्रचार है, न प्रसार है और न पूरा प्रयास है इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग इस पर पूरा ध्यान दें।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के लक्ष्य पूरे हुए, परन्तु उसमें भी कितनी ही बाधाएं हैं। जो नौजवान पढ़-लिखकर आता है और प्रधान मंत्री रोजगार योजना के माध्यम से अपना जीवन और भविष्य तय करने का प्रयास करता है, इतनी दिक्कतें उसके सामने आती हैं कि हताशा में गुजरना पड़ता है। मुख्य मंत्री रोजगार योजना भी इस प्रदेश में शुरू की गई। इन सारी योजनाओं का न तो पूरा प्रचार-प्रसार है और न इन योजनाओं का सरलीकरण पूरे तौर से है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इन योजनाओं का सही ढंग से प्रचार-प्रसार हो और हमारे युवकों को प्रोत्साहन मिले। राजस्थान में बेरोजगारी की जो स्थिति बढ़ी हुई है उसमें औद्योगिक विकास और निवेश बहुत आवश्यक है। यह हम सबको सोचना होगा।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योगों के साथ-साथ हमारे सामने प्रदूषण की एक समस्या भी बढ़ती चली जा रही है। खास तौर से औद्योगिक नगर भीलवाड़ा में प्रोसेसिंग हाउस लगने के बाद, पीने का पानी, आप देखें तो एक प्रदूषित स्थिति बन गई, सारा गंदा पानी नालों में से होकर पेयजल के स्रोतों में पहुंचता है। उसी पानी को लोगों को पीना पड़ता है। इसलिए यदि प्रदूषण की स्थिति पर भी हमने साथ-साथ ध्यान नहीं

(श्री रतनलाल ताम्बी)

दिया तो हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। धड़ाधड़ नये प्रोसेसिंग हाउस के लिए पर्यावरण विभाग की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाते हैं। पहले मना करते हैं, फिर दे देते हैं।

श्री सभापति : आज पर्यावरण नहीं है।

श्री रतनलाल ताम्बी : नहीं-नहीं, मैं वह नहीं कह रहा हूं, साहब, उद्योगों से सम्बन्धित है यह मामला।

इस तरह की जो इकाइयां लगती हैं उससे शहरों में औद्योगिक विकास के साथ-साथ ये समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए हमको शहरों से दूर इस प्रकार के क्षेत्र निर्धारित करने की आज आवश्यकता है जहां नये उद्योग लग सकें।

मैं इस मौके पर खास तौर से अनुरोध करना चाहता हूं कि राजस्थान में अभी भी खनिज आधारित और कृषि आधारित उद्योग बहुत लग सकते हैं। उद्योग विभाग को इनकी सम्भावनाओं का पता लगाकर इनके छोटे-छोटे प्रोजैक्ट तैयार करने चाहिए ताकि तैयार प्रोजैक्ट माडल प्रोजैक्ट, लोगों को मिलें और उसके आधार पर लोग उत्साहित होकर उस दिशा में आगे बढ़ सकें और उद्योग लगा सकें।

कई बीमार इकाइयां राजस्थान में एक समस्या बनती चली जा रही हैं। सरकारी क्षेत्र में भी, प्राइवेट क्षेत्र में भी ये बीमार इकाइयां बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। इनको हम समय पर नहीं सम्भाल पा रहे हैं, इसलिए इसका भी एक योजनाबद्ध कार्यक्रम चलाना चाहिए जिसके आधार पर बीमार उद्योग वापस कैसे पुनर्जीवित हो सकें। राजस्थान में औद्योगिक क्रांति के लिए यह आवश्यक है कि हर जिले में औद्योगिक मास्टर प्लान बनाया जाए। औद्योगिक मास्टर प्लान बनने से यह सम्भव निश्चित रूप से हो जाएगा कि इस जिले में इस प्रकार के उद्योग लग सकते हैं। इसमें केवल जिला केन्द्रों पर ही नहीं, तहसील उप खण्ड केन्द्रों पर भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी औद्योगिक सम्भावनाएं जहां मौजूद हों, उनको हमें विकसित करके तैयार करना चाहिए ताकि जो ग्रामीण पलायन करके शहरों की ओर बढ़ रहा है वह ग्रामों में ही छोटे-छोटे उद्योगों के माध्यम से अपना रोजगार निश्चित रूप से प्राप्त कर सके। इसके लिए सरकार को अपनी नीति और नियमों से उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

मैं अन्त में अपनी एक बात और कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि राजस्थान में कई प्रकार के उद्योग हैं और इतना उत्पादन होता है परन्तु उसको प्रोत्साहन विपणन की दृष्टि से नहीं हो पाता है। हमारा जो माल उत्पादित हो उसका विपणन करने की आवश्यकता है, सरकारी स्तर पर और अन्य गैर-सरकारी स्तर पर इसे प्रोत्साहित किया जाना चहिए। जो उत्पादन राजस्थान में है, उसका विपणन भी सही ढंग से हो, इसको समझने की आवश्यकता है। अलग-अलग विभागों के अलग-अलग नियम होते हैं, इन सबका समन्वय कैसे हो ? एक विभाग के नियम उसमें बाधक हैं, दूसरे विभाग में जाएं तो फिर इसमें कोई दिक्कत आ जाती है। उद्योग लगाने के लिए सारे नियम कोरिलेटेड होने चाहिए। बिजली वाले कहेंगे कि हमारे तो इसमें यह आपत्ति है, जमीन वाले कहते हैं कि हमारे यह आपत्ति है, पानी वाले

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कहेंगे हमारे यह आपत्ति है। तो उद्योग लगाने के लिए हमारी सारी नीति एक तरह से होनी चाहिए, सारे विभागें में एक-दूसरे का समन्वय निश्चित रूप से होना चहिए।

राजस्थान में सिंगल विंडो क्लीयरेंस का जो काम राज्य सरकार ने किया है, 20-25 साल पहले भी सिंगल विंडो की बात बहुत चली थी लेकिन वह बात ही बात रह जाती है, इस बार इसमें इसको बहुत महत्व दिया गया है, मैं समझता हूं कि इसका किस प्रकार से...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने दें।

श्री रतनलाल ताम्बी : सिंगल विंडो की ज़ो सुविधा राजस्थान में दी गई है वह इम्प्लीमेंट सही ढंग से होनी चाहिए ताकि इसका सही ढंग से उद्योगों को लाभ मिल सकें।

मैं इस अवसर पर फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि पंचायत समिति स्तर पर जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के निदेशक हैं और दूसरा जो स्टाफ लगाया जाता है, वे लोग ग्रामों में जाकर ग्रामीण लोगों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, इसलिए इन सबके लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए कि वर्ष में इतना-इतना काम इनको करना है। कहीं थोड़ा बहुत दिलाएंगे उसमें सबमें यह शिकायत आम तौर से आती है कि कोई अनुदान मिलता है या कोई पैसा मिलेगा तो निश्चित रूप से वे अपनी जेब भरने की कोशिश करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों को प्रोत्साहित करके छोटे-छोटे ग्रामीण उद्योगों को जोड़ने की जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई और लक्ष्यों को पूरा करने की बराबर समीक्षा नहीं की गई इसलिए बड़ी तादाद में जो पैसा सरकार का लग रहा है, तनख्वाहों पर, भत्तों पर उसकी उपादेयता पूरी तौर से नहीं हो पा रही है। इसलिए मेरा यह आग्रह है कि पंचायत समिति स्तर पर योजनाएं बनाने, लक्ष्य निर्धारित करने और उनकी समय-समय पर उच्च स्तर पर समीक्षा करने की व्यवस्था पूरी तौर से करें तो ग्रामीण क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योग जो एक तरह से समाप्त हो चुका है, यह पुनर्जीवित हो सकता है। ईंटों के भट्टे का मामला हो, चूने के भट्टे का मामला हो, काफी लोग लगाना चाहते हैं, उनके सामने दिक्कतें इसलिए हैं कि वे पढ़े-लिखे लोग नहीं होते हैं। उनको प्रोत्साहित करने के लिए मशीनरी संवेदनशील तरीके से लगे तो उनको लाभ मिल सकेगा। मैं समझता हूं कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से राजस्थान में जितनी प्रचुर सम्भावनाएं हैं, खनिज की विपुल सम्पदा है, इन सबका औद्योगिक क्षेत्र में पूरा दोहन करें, पूरा उपयोग कर सकें। राजस्थान जो किसी जमाने में औद्योगिक दृष्टि से देश के मानचित्र में उभरा हुआ था, बीच के इन आठ-दस-बारह सालों में उसका स्थान काफी नीचे चला गया है, अब नई सरकार ने जो कुछ बातें तय की हैं उनको इम्प्लीमेंट करें और औद्योगिक विकास और निवेश के लिए पूरे प्रयास करें। मैं इस अवसर पर यह भी अनुरोध करना चाहता हूं, हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी, उद्योग मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी को कि अब इस विधान सभा के सत्र के बाद मई और जून में समय निकाल कर प्रवासी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

राजस्थानी जो उद्योगपति हैं कलकत्ता और बम्बई में, वहां जाकर सम्पर्क स्थापित करें कि राजस्थान की सरकार किस प्रकार उनको सुविधाएं दे सकती है। उनको आकर्षित करके राजस्थान में फिर से औद्योगिक क्रांति आये, इसके प्रयास करने का मेरा सुझाव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, धन्यवाद।

श्री सभापति : थैंक्यू। माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 23 और 42 श्रम और रोजगार और उद्योग पर मुझे बोलना है। सरकार की ओर से अभी दो-तीन प्रतिनिधि जो समर्थन में बहुत गुणगान कर रहे हैं, वर्तमान सरकार का, मुझे उस सम्बन्ध में कहना है। पहले उद्योग पर जब सरकार बनी नहीं थी वर्तमान कांग्रेस पार्टी की,उस समय बड़ी-बड़ी घोषणाएं हुई थीं कि बंद उद्योगों को चालू करेंगे और उद्योगों का विस्तार करने में मदद करेंगे परन्तु दुर्भाग्य है कि राजस्थान में सब कुछ उपलब्ध होने के बावजूद भी, सारी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी गलत योजनाओं के कारण उद्योग विभाग के सैक्रेटरी महोदय और डाइरेक्टर बार-बार परिवर्तन होने के कारण, ठीक से राजस्थान के उद्योगों के बारे में कोई योजना नहीं बना पाये। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाले और इण्डस्ट्री को बढ़ाने वाले अभी बहुत बड़ा गुणगान कर रहे थे सिंगल विंडो क्लीयरेंस का, मैं समझता हूं, यह पहले भी था। पिछले आठ वर्ष में जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था, हमारे श्रद्धेय पूर्व मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब स्वयं चलकर गये, उन्होंने अधिकारियों को नहीं भेजा। वे पधारे कलकत्ता, बैंगलोर, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और देश के अन्य बड़े शहरों, कानपुर, लखनऊ में। जहां-जहां बड़े-बड़े उद्योगपति थे, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, विदेशों में एन.आर.आई. उद्योगपति हैं, उनकी अलग-अलग मीटिंग दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता, मुम्बई में जाकर स्वयं ने ली। राजस्थान में मीटिंग बुलाकर उन लोगों को आग्रह किया गया कि वे उद्योग लगाएं। आंकड़े उठाकर देखें। आंकड़ों में जाएंगे तो इतना समय बोलने के लिए, सभापति महोदय, आप नहीं देंगे। यह दुर्भाग्य है वर्तमान सरकार का...

श्री सभापति : समय सीमित है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सरकार बनते ही, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रियों पर एक +++ शुरू हुआ कि राजस्थान की माली हालत खराब है। राजस्थान की आर्थिक स्थिति खराब है, राजस्थान में तो अब कोष में कुछ बचा ही नहीं है। उद्योग के नाते हम सबको ज्यादा सुविधाएं नहीं दे सकते। आर.एफ.सी. और रीको के आंकड़े उठाकर देखें उपक्रमों के। सोचा तो इन्होंने यह था कि हम वातावरण बनाकर ज्यादा से ज्यादा +++ हम ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे तो शायद आई.डी.बी.आई. या आई.एफ.सी. बैंक इत्यादि-इत्यादि फाइनेंस एजेंसीज हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा दे देंगी,

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैंने सूचना मांगी।

श्री सभापति : प्लीज, सूचना सरकार से लीजिए। सूचना लेने का काम सरकार से है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक्सप्लोसिव फैक्ट्री बंद। बाड़मेर में सारे मिनरल माइन्स के उद्योग बंद पड़े हैं। सिरोही में सीमेंट फैक्ट्री बंद पड़ी है। पावरलूम पाली में बंद हो गई। प्रिंटिंग की यूनिटें बंद हो गई। यही स्थिति उदयपुर में है। हिन्दुस्तान एग्रो इंडस्ट्रीज बंद है। सुखेर के कई सारे उद्योग बंद हैं। जोधपुर में सबसे बड़ी फैक्ट्री डर्बी टैक्सटाइल जिसके लिए जोधपुर में माननीय मुख्य मंत्रीजी खुद कहकर आये थे डागाजी की फैक्ट्री के लिए वह अभी तक बंद पडी है। पूरा औद्योगिक क्षेत्र, रीको क्षेत्र बरबाद हो गया। कोटपूतली में सीमेंट फैक्ट्रियां बंद। अजमेर में माखुपुरा, किशनगढ़ में आधी मिलें बंद। किशनगढ़ के टैक्सटाइल के 40 प्रतिशत पावरलूम बंद। ये तो उद्योग के आपके ही आंकड़े दिये हुए हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा में 70 प्रतिशत पावरलूम बंद। नागौर में व्हाइट सीमेंट की तीनों यूनिटें बंद, अभी तक चालू नहीं हो पाईं। बीकानेर की ऊन मिल के बारे में बढ़-चढ़ कर बोला गया, इसमें भी कहा गया है, हमारे प्रतिवेदन में भी आया, वह बंद। श्रीगंगानगर, यहां तो आपके शासन का, जिसे कहना चाहिए +++ का बड़ा नमूना है। वहां की सारी यूनियनें सीटू, बी.एम.एस. का इंटक, आपके कांग्रेस से सम्बद्ध, सब लिखकर देते रहे। छह बार आग लगी, सैक्रेटेरी जी को लिखा, स्पिनफैड वालों को लिखा, उद्योग मंत्रीजी को लिखा, मुख्य मंत्रीजी को लिखा, खेतसिंह जी राठौड़ सहकारिता मंत्रीजी से मिले। काटन काम्प्लेक्स को किस प्रकार से बरबाद किया जाए। छह-छह बार आग लगी। वहां आर.ए.एस. और आई.ए.एस. बैठते हैं, एक साल के पीरियड में यह बंद हो गई और मजदूरों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। यह गंगानगर की स्थिति है। सीकर, झुंझुनूं और चूरू की भी स्थिति यही है। इसके अलावा जयपुर के जो छोटे-छोटे औद्योगिक क्षेत्र हैं, जयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में बस्ती, कानोता तो नया औद्योगिक क्षेत्र बसाया था हम लोगों ने, सीतापुरा और बाइस गोदाम के पुराने औद्योगिक क्षेत्र, झोटवाड़ा, हमारे उद्योग के अधिकारी बैठे हुए हैं, आंकड़े दिये गये हैं कि 90 प्रतिशत उद्योग बंद हो गये। चालू करवाने की स्थिति में आप लोग नहीं हैं।

माननीय उद्योग मंत्रीजी को सम्बोधित करके, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक योजना जो भाजपा सरकार के समय में प्रारम्भ हुई थी, वर्तमान अधिकारियों का और आपका उसमें कोई श्रेय नहीं है, वह है आर्टिजन्स सोसायटीज वाली। उसके अलवर के ही एक अधिकारी हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत परिचित हूं। आर्टिजन्स सोसायटीज के द्वारा काम किया गया है वह वास्तव में बेशकीमती है और गांव-गांव में इन उद्योगों को पनपाया गया, बढ़ाया गया। आर्टिजन के छोटे-छोटे कुटीर उद्योग, अभी हमारे माननीय ताम्बी जी बोल रहे थे, छोटे-छोटे कुटीर उद्योग और गांव के देहात के छोटे-छोटे उद्योगों का विस्तार

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

किया गया, विकास किया गया। यही एक योजना है जो भाजपा सरकार के समय में थी और अच्छी चल रही थी। आप भी इसको ठीक चला रहे हैं। इतना ही मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

हमारे माननीय उद्योग मंत्रीजी को सम्बोधित करके निवेदन करना चाहता हूं, वे अभी यहां उपस्थित हैं नहीं, लेकिन वे नोट कर लें। प्रधानं मंत्री रोजगार योजना या अन्य जो ग्रामोन्मुखी योजना गांव के बच्चों के लिए थी, सारे लक्ष्य मैंने पढ़े हैं, कोई भी लक्ष्य पूर्ति नहीं हुई। यहां तक कि 100 लोगों को प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत लोन मिलना था, बच्चे दर-दर भटक रहे हैं डी.आर.डी.ए. के पास, कलेक्टर के पास, विधायकों के पास, सांसदों के पास। उद्योग विभाग की अनदेखी के कारण इन उद्योगों को प्रधान मंत्री रोजगार जैसी छोटी सी योजना को और महिला उद्यमियों की बुकलेट थी, बड़ी-बड़ी छापी गई है, 108 महिला उद्यमी लगा सकती हैं। क्या आप कोई आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं कितनी महिलाओं ने उद्योग लगाये ? कोई उद्योग नहीं लगाया। माननीय सभापति महोदय, यह उद्योगों की स्थिति है।

इसके साथ कुछ उद्योग राजकीय उपक्रम के हैं। बड़े शर्म की बात है और बड़े दुःख की बात है, हमारे कांग्रेस के विधायक महोदय जो बैठे हुए हैं इनके हित की बात है वैसे तो, लेकिन इनको मजा किसमें आ रहा है ? एक छोटी-सी घटना है। कोई सज्जन आ रहे थे, एक बाड़े से निकल रहे थे। मिट्टी में लथपथ थे, पसीने में तरबतर थे। बाल बिखरे हुए, शर्ट के बटन टूटे हुए, जेब फटी हुई। किसी ने पूछा, माननीय सभापति महोदय जैसे समझदार बंधु ने, कि भाई क्या बात है, कहां से आ रहे हो ? वह बोला कि साहब, बड़ा मजा आ रहा है। बोले क्यों, कैसा मजा आ रहा है ? कि साहब, बहुत मजा आया। क्या हुआ, कि एक बाड़े में हजारों-लाखों जा रहे थे, मैं भी शामिल हो गया। इधर से धक्का पड़ा तो उधर, उधर से धक्का पड़ा तो इधर और इधर से धक्का पड़ा तो उधर और फिर एक धक्का पड़ा तो मंच पर और मंच से धक्का पड़ा तो बाहर। पसीने में तरबतर, मिट्टी में लथपथ, जेब फट गई, बटन टूट गये, लेकिन बड़ा मजा आया। अब आपको धक्के में ही मजा आ रहा है, इन उद्योगों को बंद करने में ही मजा आ रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, काटन काम्प्लैक्स का मैंने बताया। जयपुर में एक उपक्रम है जयपुर मैटल इंडस्ट्रीज, इसमें 1580 मजदूर हैं, वाच एण्ड वार्ड के मिलाकर 1600 लगभग हैं। 55 हजार वर्ग गज जमीन को अधिकारीगण व्यक्तिगत निहित स्वार्थों के कारण, मैं आरोप लगा रहा हूं, नाम नहीं ले रहा हूं, व्यक्तिगत निहित स्वार्थों के कारण पहले भी एक आई.ए.एस. अधिकारी जब रिटायर होकर गये, उन्होंने वहां करोड़ों की जमीन को लाखों मे बेचकर खुर्द-बुर्द किया और बाकी कमीशन जेब में लिया। अभी भी 55 हजार वर्ग गज जमीन जयपुर मैटल में है, इसको किसी प्राइवेट को बेचना चाहते थे। मजदूरों को तड़पाया, बरबाद किया। मजदूरों ने, बच्चों ने, परिवारों ने सड़कों पर धक्के

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

खाये। मैं खुद मीटिंग लेने गया। हमारे एक साथी हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, और भी मजदूर नेता थे, भाई राजेन्द्र राठौड़ जी भी थे, हमारे डा.किरोड़ी लाल मीणा भी थे। उनको तड़पा-तड़पा कर, जैसे चींटे का एक-एक पैर काटा जाए, एक-एक टांग तोड़ी जाए, ऐसे मजदूरों को तड़पाया गया। शर्म की बात है, अधिकारी भी बैठे हैं और सरकार के नुमाइंदे भी यहां बैठे हैं, कि नौ महीने से मजदूर को वेतन नहीं मिला। कितने बड़े शर्म की बात है। ले-आफ करके रखा था दो महीने का कि मजदूर टूटकर चला जाए। उस ले-आफ के बाद भी मजदूर बिका नहीं, टूटा नहीं, इनसे झुका नहीं। बिलकुल चट्टान की तरह, हिमालय की तरह अडिग रहा। आज स्थिति यह है कि जयपुर मैटल को चालू कर दिया है लेकिन वेतन अभी भी नहीं दिया। बंद फैक्ट्री का तो लगभग बारह, साढ़े बारह करोड़ दिया है और चालू कर दी, लेकिन अभी तक वेतन नहीं दिया। आप उनको वेतन दिलवाएंगे या नहीं दिलवाएंगे, यह तो आप विचार करें। लेकिन आप याद रखिये कि मजदूर की हाय आपको सताएगी।

इसी प्रकार से राजस्थान में केन्द्र सरकार का एक उपक्रम है खेतड़ी कापर काम्प्लैक्स जो खेतड़ी में है। उसके मजदूरों की राजस्थान सरकार मदद कर सकती है वह तो कर सकती है लेकिन उनको और किसी तरह, महंगाई का वेतन दिलाने में, कोई इंडैक्स बनाने में मदद करे। तीन सेंट्रल स्कूल मजदूरों के बच्चों के लिए वहां चल रहे थे, राजस्थान सरकार ने लिखकर उसकी जवाबदेही से मना कर तीन सेंट्रल स्कूल बंद करवा दिये। बच्चे जगह-जगह तड़प रहे हैं खेतड़ी कापर काम्प्लैक्स के, यह स्थिति है।

राजस्थान के अन्य उपक्रम जो राजस्थान सरकार चलाती हैं गंगानगर शुगर मिल, इसको भी बंद करने जा रही है, तिलम संघ को भी बंद करने जा रही है और कुछ उपक्रमों को समायोजित किया जा रहा है। लगभग दो लाख मजदूरों, कर्मचारियों को रोजगार आप दे नहीं सकते, आप उनके पेट पर लात मार रहे हैं। आप उनके बच्चों को तड़पा रहे हैं, आप उनके परिवारों को भूखा मारना चाहते हैं। आपने राजस्थान में सरकार बनाने से पहले घोषणा की, माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, बहुत बड़े महात्मा गांधी हैं, बहुत बड़े महान् पुरुष हैं। महान् पुरुष के गुण गाते रहिये घर में बैठ कर, लेकिन फील्ड में आपकी क्या स्थिति है ? फील्ड में आपकी यह स्थिति है कि आप आपके पोस्टर लेने के लिए, पल्स पोलियो की दवाई का पोस्टर था, इतनी घृणा करने लग गये मुख्य मंत्री से कि उस मुख्य मंत्री के पोस्टर लेने के लिए हनुमानगढ़ का कर्मचारी तैयार नहीं हुआ जिसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी दवा पिला रहे हैं।

यह उद्योग के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण है। सभापति महोदय, अब श्रमिकों के बारे में आवें। आपने श्रमिकों के बारे में जो हवाला दिया है, आश्चर्य की बात है, झूठे आंकड़े हैं। इसमें बताया गया है, हड़ताल एवं तालाबंदी, ले-आफ। यह आपके प्रतिवेदन में है। सभापति महोदय, 26 उद्योग हड़ताल में और 8,839 श्रमिक। 13 उद्योग इस वर्ष बताये

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

गये हैं। मोदी अल्कलीज जैसे उद्योग अघोषित तालाबंदी में हैं। क्लोजर कर दिया माडर्न शूटिंग ने। अघोषित तालाबंदी कर दी जयपुर के उद्योगों ने। आप श्रमिकों को किस ढंग से तड़पा कर मारना चाहते हैं ? सारे आंकड़े गलत हैं। कंसिलियेशन वार्ताएं होती नहीं, जिसको समझौता वार्ताएं कहते हैं। लेबर इंसपैक्टर, रजिस्ट्रेशन के लिए यूनियन आती है और उद्योगपतियों को पहले खबर करते हैं लेबर डिपार्टमैंट के लोग। एक अधिकारी को अलवर का भी चार्ज दिया गया जोइंट लेबर कमिश्नर का, रैफरेंस का भी चार्ज दिया हुआ है और यहां के भी डी.एल.सी. आफिस का चार्ज हसनपुरा का दिया हुआ है, आपके पास अधिकारियों की कमी पड़ गई ? कमी पड़ गई तो औरों को रोजगार दीजिए। रैफरेंस कर नहीं रहे, कंसिलियेशन केस फाइनल हो नहीं रहे। असफल प्रतिवेदन वहां आते हैं, फुटबाल की तरह से लुढ़क रहे हैं। दिल्ली के अलग-अलग लेबर डिपार्टमैंट से सम्बद्ध, मैं श्रम विभाग से लाया हूं, लगभग 15 हजार पत्र ऐसे पड़े हैं जिनका जवाब दो साल से राजस्थान सरकार दे नहीं रही है। ले-आफ, तालाबंदी के गलत आंकड़े हैं। कितने उद्योग हैं जिनमें अघोषित तालाबंदी है, अघोषित क्लोजर है, अघोषित लोक-आउट है। इसके बारे में आपने आंकड़े बिलकुल गलत प्रस्तुत किये हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। इसके बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहें तो और अधिक जानकारी मैं आपको दे सकता हूं। कई हमारे एम.एल.ए. को जानकारी नहीं होगी कि रैफरेंस क्या होता है। किसी मजदूर को या किसी मांग पत्र को उद्योगपति, मैनेजमैंट नहीं मानता। नहीं मानता तो वहां से असफल प्रतिवेदन आता है जयपुर, श्रम आयुक्त के पास। श्रम आयुक्त उसको लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल को रैफर करता है। आपके पास में पिछले डेढ़ साल से पांच परसेंट केस भी रैफर नहीं हुए। ऐसा अन्याय हमारे शासन में नहीं हुआ। ऐसा अन्याय मजदूरों के साथ नहीं हुआ। जो अन्याय आपने किया है उस अन्याय को भुगतना तो पड़ेगा ही। ''इकबाल तेरे इश्क ने सब खम दिये निकाल, मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई।'' सीधा तो हो ही जाओगे सारा टेढ़ापन, सारा बांकापन निकल ही जाएगा आप लोगों का। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) : आपके शेर का जवाब मैं देती हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : ''देखो हाय गरीब की कभी न निष्फल जाये, मरे बैल की चाम से लौह भस्म हो जाए।'' आप लोग तो भस्म हो गये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : धन्यवाद आपको।

श्री रामस्वरूप : एक शेर मैं भी सुना देता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। कोई शेरो-शायरी नहीं है।

श्री रामस्वरूप : ''नशा पिला कर गिराना तो बड़ा आसान है, माननीय +++। ''नशा पिला कर गिराना तो बड़ा आसान है, मजा

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

तब है जो कोई गिरते को थाम ले।'' +++ संभाल लो बात को।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमने तो थाम ही लिया है। भाई, +++ मत कहो। ठेके मत कहो, मतलब टेण्डर झूठे हैं ?

श्री सभापति : शेरो-शायरी नहीं, माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय श्रम आयुक्त महोदय, माननीय सैक्रेटरी महोदय, उद्योग सैक्रेटरी महोदय, माननीय मंत्री महोदय को, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदय का एप्रूवल हो गया औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत, जिसमें संशोधन करना कानून में था। वह संशोधन था यूनियनों की मान्यता का। इन्होंने प्राइवेट उद्योगपतियों की मर्सी पर, अधिकारियों की मर्सी पर छोड़ रखा है। उद्योग में मान्यता देने का यह सर्टिफिकेट उस अधिनियम, 1947 के तहत दिया जाता है। राष्ट्रपति का एप्रूवल आ गया, डेढ़ साल से राजस्थान सरकार एप्रूवल नहीं दे रही। हमारी चुनौती है आपको कि आप अपनी इंटक की यूनियन या जिसको भी पनपाना चाहते हैं, पनपाएं। पूरी ताकत लगाएं, सरकार जाए, मंत्री जाएं, संतरी जाएं और कोई आपके तंत्री, मंत्री हों जंत्री, मंत्री जाएं, आप फैक्ट्री गेटों पर मान्यता का चुनाव कराएं तो पता तो लग जाए कि आप किस हैसियत पर खड़े हैं, मजदूरों में आप किस जगह खड़े हैं, आपकी हैसियत क्या है उन श्रमिकों, मजदूरों में मान्यता का चुनाव करवा कर देखिये आपको पता लग जाएगा। जैसे बैलट से एम.एल.ए. चुन कर आया, आप और हम जन प्रतिनिधि चुन कर आये, जिला परिषद के सदस्य, एम.पी. चुन कर आये, पंचायत के सदस्य चुन कर आये, ऐसे मान्यताओं के चुनाव करवाइये। राष्ट्रपतिजी का एप्रूवल कराया जाए, यह माननीय श्रम मंत्रीजी और उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं।

मिनिमम वेज अभी तक 1600, कोई महंगाई इंडैक्स नहीं। हमारे श्रम आयुक्त और श्रम सैक्रेटरी महोदय को, आपको, सरकार को, आप लोगों को यह शर्म आनी चाहिए कि अभी तक 1600 ही, अब 1600 के नीचे से कोई है ही नहीं। इसके कारण से नुकसान बोनस एक्ट में होता है, इसके कारण से नुकसान मिनिमम वेज में होता है, इसके कारण से नुकसान हम लोगों को होता है। 1600 जो महंगाई का इंडैक्स है उसको इंडैक्स के रूप में नया, ओम प्रकाश माथुर कमेटी कभी थी, उसके लिए बनाया जाए, यह मेरा आप लोगों से कहना है।

ई.एस.आई. की रेंज जो 3500 रुपये है, श्रमिकों ने डिमाण्ड की थी कि 5000 की जाए। राजस्थान सरकार एक डी.ओ. लैटर, एक रिकमंड लैटर भी नहीं लिख सकती। माननीय श्रम मंत्री हरिसिंहजी कुम्हेर नोट कर लें, एक पत्र तो भिजवा दो। केन्द्र सरकार करेगी ई.एस.आई. की रेंज को लेकिन आप एक पत्र तो भिजवा दो। हमारी हालत यह है कि फैक्ट्री

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

इंसपैक्टर, वायलर का भी एक प्रतिवेदन दिया गया था, आंकड़े बहुत लम्बे-चौड़े होंगे, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी, कृपा करके आप ई.एस.आई., पी.एफ. इंसपैक्टर्स को भेजें, ये लोग जाते नहीं हैं। फैक्ट्री इंसपैक्टर, जिसका काम है समय पर वेतन दिलाना जयपुर मैटल के श्रमिकों को, मोदी अल्कलीज के श्रमिकों को, अलवर और उदयपुर के उद्योगों में श्रमिकों को 7 और 10 तारीख को वेतन नहीं मिलता। कोई फैक्ट्री इंसपैक्टर नहीं जाते। फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 के तहत मिलने वाले ठंडे पानी तक की व्यवस्था उन उद्योगों में नहीं है। सारे फैक्ट्रीज एक्ट का उल्लंघन इस डेढ़ साल में हो रहा है। इस बारे में किसी को चिंता नहीं है। माननीय श्रम मंत्री महोदय, कृपा करके आप इसको देखें।

इसके सारे ही लेबर इंसपैक्टर और शाप इंसपैक्टर हैं, ये क्या करते हैं, ये कहां जाते हैं ? यह कभी श्रमिकों से बात करते हैं, हड़ताल, तालबंदी होती है, उनसे बात करते हैं, कभी किसी ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं से बात करते हैं ? किसी से बात नहीं करते हैं। यह फैक्ट्री इंसपैक्टर, लेबर इंसपैक्टर उद्योगपतियों से मंथली बांध कर चलते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता ये अपनाते नहीं हैं इस डेढ़ साल में, दुर्भाग्य है।

एक चीज जो सबसे बड़ी बात इस डेढ़ साल में राजस्थान सरकार बनने के बाद हो गई थी, वह यह है, श्रम मंत्रीजी, कि भाजपा शासन के समय 80-90 प्रतिशत फैक्ट्री रोल पर परमानेंट लेबर था या उसको ट्रेनिंग देकर फैक्ट्री रोल पर लिया जाता था, आज, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, 90 परसेंट उद्योगों में 90 परसेंट श्रमिक ठेकेदारी का है। केन्द्रीय उपक्रमों में, सचिवालय में जाता हूं, वहां ठेकेदार के लोग काम कर रहे हैं। आर.एफ.सी., रीको, हाउसिंग बोर्ड, रोडवेज, बिजली, ऐसे सारे निगम, बोर्ड में यह बड़े दु:ख की बात है कि वहां ठेकेदार के लेबर काम कर रहे हैं। अब तो सरकार भी ठेके पर ही चला लो, मेरे देवताओं, क्यों बैठे हो हमारे +++, सरकार भी आप ठेके पर ही चला लो जब सारा राज ही ठेके पर चलाना है, सारा राज ही टेम्प्रेरी चलाना है तो आप हमारे +++, क्यों बोझ बन रहे हो राजस्थान की जनता पर, सरकार पर और मजदूर पर, आप भी ठेके पर ही चलाओ सरकार को।

माननीय श्रम मंत्री महोदय, मैं आपका बहुत आदर करता हूं लेकिन दु:ख के साथ कहना पड़ता है...(व्यवधान)

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये, चालू रखिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह श्रम कानूनों की पालना करके एक लेख है, यह कहां पालना हो रही है। माननीय भीखा भाईजी तो बुजुर्ग हैं, हैं तो माननीय हरिसिंहजी कुम्हेर श्रम मंत्री बुजुर्ग, लेकिन कोई अधिकारी वे ऐसा बैठाना चाहें लेबर इंसपैक्टर जो उद्योगों में जांच करने जाते हैं तो उसमें मेरा आपको सुझाव है कि

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

आप एक कम्पोजिट वाच रखें, इंसपैक्शन रखें। लेबर इंसपैक्टर हो और उसके साथ ही फैक्ट्री का एम्प्लायर मैनेजमैंट साइड से हो और एक जन प्रतिनिधि हममें से हो, लेबर लीडर हो। इस तरह त्रिपक्षीय और चार पक्षीय लोग जावें जहां-जहां उद्योग बन्द हैं। मैं कंक्रीट सुझाव दे रहा हूं। मैंने बहुत सुझाव दिये हैं पहले भी उद्योगों के सम्बन्ध में, कि जहां-जहां उद्योग बन्द हैं वहां-वहां जन प्रतिनिधि जितने भी यहां बैठे हैं उनको इस नाते से जवाबदेह बनाया जाए। आप संवेदनशील तो हैं नहीं, आपको कम से कम जवाबदेह तो बनना चाहिए। एक शब्द का उपयोग तो करें कि जन प्रतिनिधि आप ही हैं। 154-55 आप हैं, हम लोग तो कम हैं लेकिन जन प्रतिनिधि, उद्योगपति, श्रम संगठन के पदाधिकारी और सरकारी प्रतिनिधि, लेबर विभाग से जुड़े, सरकार से, प्रशासन से जुड़े हुए एक ऐसी कोई गोलमेज मीटिंग हो, ऐसा गोलमेज सम्मेलन हो कि जहां-जहां औद्योगिक क्षेत्र है वहां क्यों बन्द हैं। मिस मैनेजमैंट के कारण बन्द हैं या सड़क, बिजली, पानी, टेलीफोन, सैल्स टैक्स की सुविधा नहीं दी इस कारण से बन्द हैं ? उद्योगों को हम चलाना चाहते हैं। उद्योग नहीं चलेंगे तो हम लोग कहां जाएंगे ? राजस्थान का उद्योगपति वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। आज स्टैण्डर्ड बढ़ गये हैं, आई.एस.आई. की बजाय आई.एस.ओ. 9001, 9002, 9003 और 9004 के सर्टिफिकेट आप देखें। यह एक उपक्रम चलता है इण्डस्ट्रियल प्रमोशन का, हालांकि उसका काम कुछ नहीं है। करोड़ों रुपये के सफेद हाथी वहां बैठे हुए हैं और उद्योग मंत्री और श्रम मंत्रीजी को इस बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कितनी इण्डस्ट्री लगायीं ? उन्होंने कितना सुझाव दिया ? कितनों ने हमें एडवाइज किया ? इस एडवाइज से कितनी इण्डस्ट्रीज लगीं ? मेरा आपको सुझाव है कि आप जवाबदेह सरकार बनाना चाहते हैं तो हम सब जन प्रतिनिधियों को साथ में लें कि कैसे उद्योग चलें। विदेशों के उद्योगपति आएं, विदेशों में जो हमारे भारतीय उद्योगपति बैठे हुए हैं। मैं किसी भी तरह के मल्टीनेशनल के विरोध में हूं, मल्टीनेशनल उद्योगपतियों को हम किसी भी हालत में पनपने नहीं देना चाहते हैं। दुर्भाग्य है कि परिपाटी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में शुरू हुई थी और वर्तमान केन्द्रीय सरकार उस पर कुछ अंश पर चल रही है। इसके बारे में जन प्रतिनिधि, श्रम संगठन और मंत्रालय के अधिकारी मिलकर सोचें और औद्योगिक वातावरण बनाए। वर्तमान में औद्योगिक डिसीप्लिन और औद्योगिक वातावरण में कुछ न कुछ न्यूनता आई है, कमी आई है। इस नाते से मेरा आप लोगों को कहना है, निवेदन है कि ई.एस.आई. और प्रोविडेन्ट फण्ड जैसे डिपार्टमैंट सेन्ट्रल गवर्नमैंट के हैं लेकिन उसके चेयरमैन यहां के अधिकारी या श्रम मंत्री होते हैं, इनको भी आप चैक करें। दुर्भाग्य की बात है कि लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल वहां है जहां पर बीस-तीस हजार लेबर हैं लेकिन अलवर जहां दो लाख श्रमिक हैं.

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल की ब्रांच नहीं है, राजनीतिक हस्तक्षेप से भरतपुर चली गई। मैं भरतपुर से हटाने के लिए नहीं कह रहा, श्रम राज्य मंत्रीजी कुम्हेर साहब का जिला है, लेकिन

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

अलवर जैसे विकसित औद्योगिक क्षेत्र में हमारी सरकार ने एक रिकमण्ड कर दी थी, आप भी रिकमण्ड करके एक एप्रूवल दे दें ताकि लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल, या श्रम न्यायाधिकरण की यहां स्थापना हो जाए। ई.एस.आई. प्रोविडेंट फण्ड के जोधपुर और उदयपुर में जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वहां 60 हजार लेबर पर क्षेत्रीय कार्यालय है जबकि अलवर के औद्योगिक क्षेत्र के जो बड़े-बड़े क्षेत्र हैं भिवाड़ी, शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड, अलवर, खैरथल और राजगढ़ इनमें आज दो लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष श्रमिक हैं। अप्रत्यक्ष श्रमिक भी उसमें कुछ यू.पी. और बिहार के लोग हैं। बंगाल, उड़ीसा और केरल के लोग भी हैं लेकिन मात्र पांच दस प्रतिशत हैं। इनमें दो-दो लाख प्रत्यक्ष और दो-ढाई लाख अप्रत्यक्ष हैं, ऐसे श्रमिकों के केन्द्र पर ई.एस.आई. का रीजनल आफिस नहीं हो, प्रोविडेंट फण्ड का वहां पर क्षेत्रीय कार्यालय नहीं हो, वहां पर लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल नहीं हो। वैसे तो खैर बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा है, भाइयों, हमारे माननीय सदस्य और हमारे माननीय मंत्रियों, औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली पर गाज गिरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। अभी उद्योग से संबंधित हमोर लोग खुशी मना रहे हैं, उद्योग मंत्री और श्रम मंत्रीजी, वहां पर गाज गिरी पर्यावरण के नाम पर, वहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश हो गये कि इण्डस्ट्रीज को दिल्ली से 50-60 किलोमीटर दूर भेजा जाए। पहले तो उद्योग लगाये थे जब भैरोंसिंह शेखावत साहब मुख्य मंत्री थे उनके समय में। इनकी आठ दस वर्ष की अथक मेहनत से। डोर टू डोर जाकर एक-एक उद्योगपति को समझाकर कन्विंस करके लाये थे। अब जो उद्योग आ रहे हैं उनसे आप खुशी मत मनाइये। आप लोग अखबार पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं लेकिन अख़बारों के आधार पर नहीं होता है। पूरी जानकारी आंकड़ों की डिटेल आपको है। औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली के जो हैं, हाई कोर्ट के आदेश से उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। पास में अलवर जिला पड़ता है, भिवाड़ी पड़ता है, शाहजहांपुर पड़ता है, नीमराना पड़ता है, यहां कुछ राज्य सरकार उनको सुविधा दे। माइनर उद्योग भी चलना चाहिए और उपक्रम भी चलने चाहिए। उनको भी सुविधाएं दें। उनको कुछ राहत दें और सिंगल विंडो काम करे। सिंगल विंडो या टिण्डा या भिण्डी। भिण्डी और टिण्डों इससे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि आज कितने उद्योग लग गये, आप लोगों ने कितने उद्योग विकसित कर दिये। यह तो बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया जो दिल्ली से कितने ही उद्योग यहां आ रहे हैं, उनको तिराकर राहत तो दीजिए। मैं इन उद्योगपतियों को व्यक्तिग रूप से भी जानता हूं, मेरा बड़ा सम्पर्क है। मैंने आपको निवेदन किया कि मेरा 20 वर्ष, दो दशक तक उद्योग से सम्बन्ध रहा है और मैं लेबर लीडर रहा हूं। इसलिए वास्तव में आपको भी सहयोग कर सकते हैं, हमारी पार्टी भी आपको सहयोग कर सकती है मगर उनको राहत तो दीजिए। उनको सहायता दीजिए, उनको यहां उद्योग लगाने के लिए वातावरण बनने दीजिए। आगे उदयपुर तक, राजसंमद तक जाएं, डूंगरपुर तक जाएं। आंकड़े तो ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत कर दिये, वह मैं करता कि हमारे यहां आई.डी.बी.आई. ने, आई.एफ.सी. ने रीको को कितना दिया, राज्य सरकार की बैंकों ने कितना दिया। गुजरात और महाराष्ट्र को क्यों

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

दिया ? गुजरात और महाराष्ट्र के लोग वास्तव में मजदूरों को चाहते हैं और उद्योग भी चाहते हैं लेकिन हमारी सरकार ने पहले तो उद्योगपतियों को और मजदूरों को कहा कि आपको हम प्यार करेंगे। पहले तो इतना प्यार, अब बताइये कि बेवफाई क्यों ? इतनी प्यार भरी बातें करने के बाद, उद्योगों को बुलाने के बाद, अब उद्योग यहां लग नहीं रहे वास्तव में। तो ये आंकड़े जो प्रस्तुत किये हैं इन आंकड़ों के आधार पर मत चलिए। माननीय श्रम मंत्रीजी, माननीय उद्योग मंत्रीजी, माननीय हमारे अन्य बुजुर्ग मंत्रीजी, आपको पिछले पांच दशक का अनुभव हैं, खेतसिंहजी राठौड़ साहब, औद्योगिक वातावरण बनाइये। औद्योगिक वातावरण बना करके उद्योग लगवाइये। जयपुर मैटल और काटन काम्प्लैक्स जैसे उद्योग हैं...

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : आप ही खुद मेहरबानी फरमा दो न, आपकी इतनी जान-पहचान, इतना वास्ट एक्सपीरियेंस है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं करूंगा, साहब। मैं धन्यवाद देता हूं। हमारी पूरी पार्टी करेगी। आपने कह दिया हाथ जोड़कर, आपने रिक्वैस्ट की है तो आपकी मदद करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने अर्ज किया है। अगर कोई मांगने आता है तो उसको देना ही पड़ता है। आपने हमसे कुछ मांगा है तो आपको मदद करेंगे, माननीय राठौड़ साहब, जरूर करेंगे।

मैं निवेदन कर रहा था कि उद्योगों का एटमास्फीयर बनाएं। हम सब मिलकर बनाएं। श्रम और उद्योग विभागों को थोड़ा कसकर रखें और राज्य के उपक्रमों को आप पूरी मदद करें, इनको बन्द नहीं होने दें। बन्द होना हमारी काबलियत नहीं है। उनको समझा-बुझाकर कन्विंस करें। उनको चलाना हमारी योग्यता है। इस योग्यता को आप जब प्रांतीय उपक्रमों में लगाएंगे, उपक्रम बन्द नहीं करेंगे तो प्राइवेट उद्योगपति भी आएंगे। परन्तु जिसके पास पैसा होता है वहीं पैसा आता है। जहां बरसात ज्यादा आती है वहीं बरसात होती है, माननीय राठौड़ साहब, जहां आपको चोट लगी है उसको छेड़ेंगे तो वहीं ज्यादा दर्द होता है। घुटनों में है तो घुटनों में, पैरों में है तो पैरों में। या नाखून छिल जाए और नाखून उतर जाए। इसलिए आप वातावरण बनाएं। राजकीय उपक्रमों को बन्द मत होने दीजिए। जयपुर मैटल या अब गंगानगर शुगर मिल का दुर्भाग्य है कि वहां जी.एम. ऐसा बैठा रखा है जो मैट्रिक पास है लेकिन आई.ए.एस. और आर.ए.एस. के ऊपर बैठा है, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता जो कि योजना बनाता है। जी.एम. हैडक्वार्टर पर बैठकर कैसे-कैसे षड्यंत्र से बनाता है, हमारी सरकार को भी षड्यंत्र से रंगना चाहा था, मैं बारबार माननीय मुख्य मंत्रीजी को उद्योग मंत्रीजी को निवेदन करता हूं, मैं साढ़े चार साल गंगानगर शुगर मिल में डायरेक्टर रहा हूं इस नाते से मुझे जानकारी है । आप कृपा करके राजकीय उपक्रमों को चलाएं। वातावरण बने और प्राइवेट उद्योग भी पनपें। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री ललित भाटी।

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से उद्योग और श्रम की मांग संख्या 42 और 23 पर अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, वाणिज्य और उद्योग, इनकी जितनी विकसित अवस्था होगी उसी से प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली का पता लगाता है। जनता का आय का स्तर...

(15.00 बजे)

श्री सभापति : आपकी बात सबने सुनी, आप चल दिये ?

श्री ललित भाटी : सिर्फ सरकारी नौकरियों के माध्यम से या मात्र राजकीय उपक्रमों के माध्यम से हम प्रदेश की जनता का आय स्तर बढ़ा सकें या उनका जीवन स्तर बढ़ा सकें, यह सम्भव नहीं है। निजी क्षेत्र में उद्योगों को जितना संरक्षण और बढ़ावा मिलेगा उतना ही आम आदमी का स्तर ऊंचा उठेगा। पहले भी जब राजाओं की व्यवस्थाएं थीं, आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है कि उनका विशेष ध्यान होता था उन श्रेष्ठियों को प्रोत्साहन देने में जो उनके राज्यों की आर्थिक स्थिति का मेरुदण्ड साबित होते थे, जो उनकी आर्थिक खुशहाली को बरकरार रखते थे। तो व्यापारियों को और व्यापार को प्रोत्साहन और संरक्षण कोई नई बात नहीं है। इसमें बात यह है कि जो यह चीजें उपलब्ध करवा देता है वहां तरक्की होती है और अब इस जनतांत्रिक प्रणाली में यह अन्तर बिलकुल स्पष्ट देखने को मिलता है। राजस्थान प्रदेश कहां पर खड़ा हुआ है और उसके मुकाबले महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ के कई स्टेट्स कहां हैं। उत्तर भारत के अन्दर यू.पी. को ले लें, उसमें जिस तरीके से औद्योगिक विकास की यात्राएं तय हुई हैं और राजस्थान में हम जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, यह अन्तर अपने आप देखने में आता है। पर अब हमारी सरकार इस तरफ बहुत ध्यान दे रही है।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने एक राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाया। उस दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते ही यह सम्भव हो पाया है कि हमारे प्रान्त में भी सिंगल विंडो क्लीयरेंस शुरू हो गई है। हालांकि यह कार्यक्रम हमारी पूर्ववर्ती सरकार का था, सम्माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब की यह बहुत इच्छा थी, हमने कई बार सुना, उनके भाषणों को अखबार के माध्यम से पढ़ा कि वे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए एकल खिड़की योजना शुरू करना चाहते हैं। मगर मैं यह मानता हूं कि इच्छा शक्ति में कमी और साथ में जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी उस राज के ऊपर हावी थी और एक कुशासन था उसके चलते वे नहीं कर पाये। मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे नौजवान मुख्य मंत्रीजी ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया है और यह सिंगल विंडो क्लीयरेंस हमने शुरू की है। निश्चित रूप से इसके सुखद परिणाम सामने आएंगे। अभी शुरूआत चाहे छोटे स्तर के ऊपर हो रही हो या स्माल स्केल के अन्दर इण्डस्ट्री लगाना चाह रहे हों उनको तुरन्त लाभ इसके अन्दर मिलने लगा है। बड़े उद्यमी यहां इसीलिए

(श्री ललित भाटी)

आने से घबराते थे कि हम जाएं तो वहां हमारे को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और हमारी योजना डिले होगी, उसका प्राइस एस्कलेशन होगा। वे आने में घबराते थे कि सरकार का सहयोगात्मक रवैया नहीं है। यह एकल खिड़की योजना जब शुरू हुई तो मेरे कुछ व्यापारी दोस्तों के मुंह से मुझे यह सुनने को मिला कि अब उद्यमी आएंगे। पहले कोई एक पावर सैक्टर के अन्दर आना चाहते थे, यह मैं सुनी हुई बात कह रहा हूं, सभापति महोदय, मगर इससे एक बात का पता लगता है...

श्री सभापति : सुनी सुनाई बात मत कहिये आप।

श्री ललित भाटी : नहीं, यह इम्पोर्टेंट है।

श्री सभापति : सुनी सुनाई नहीं होनी चाहिए। आपकी जानकारी की बात कहिये।

श्री ललित भाटी : उसमें पावर सैक्टर के अन्दर एक उद्यमी यहां आना चाहते थे।

(15.05 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सरकार से वे मिले, भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी से भी मिले। आश्वासन मिला कि आप शुरू करिये, आपको सारा सहयोग देंगे। वे चक्कर लगाते रहे दिल्ली में काफी। साल भर के बाद उनकी मुलाकात मुख्य मंत्रीजी से हुई, तत्कालीन से, उन्होंने कहा कि आपका काम हुआ ? क्योंकि उन्होंने अफसरों को बुलाकर कहा था कि आप इनका सहयोग करिये, तत्कालीन मुख्य मंत्री ने निर्देश दिये थे तो उन्हें यह आशा थी कि मेरे निर्देशों की पालना हो चुकी है। तो उन्होंने जब उस आदमी को पूछा कि आपका पावर प्रोजैक्ट जो था वह शुरू कर दिया है, उसकी तैयारी शुरू हो गई है ? बोले कि इंस्टालेशन भी हो गया है और चालू भी हो गया है। बोले कहां ? हरियाणा में। यह इस बात की ओर इंगित करता है कि इस तरीके की इच्छाशक्ति पिछली सरकार की थी। जिस दृढ़ इच्छाशक्ति की बात इस कांग्रेस की कल्याणकारी सरकार की नजर आ रही है, इसके लाभ हमारे को मिलेंगे, यह मैं निवेदन कर रहा था।

पूरे राजस्थान के लिए उद्योग नीति आपने बनायी हुई है, मेरा यह निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात का भी आकलन करवाएं, विभागीय स्तर के ऊपर अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि विभिन्न जिलों के अन्दर जिस प्रकार का पोटेंशियल है, अलग-अलग जिले के उन पोटेंशियल्स को देखते हुए आप फिलहाल प्रायोगिक तौर के ऊपर फाइव ईयर मास्टर प्लान डवलप करें। उससे यह होगा कि आप उस क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को मौका भी दे पाएंगे और उसका दोहन भी आप मैक्सिमम रूप के अन्दर कर पाएंगे।

इसी कड़ी के अन्दर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर में एक्सपोर्ट प्रमोशन इण्डस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जानी चाहिए। जिस तरीके से आप अलग-अलग जगह के ऊपर साफ्टवेयर में कर रहे हैं, कहीं आई.टी. के अन्दर आप कर रहे हैं, पार्क की स्थापना कर रहे हैं, हमारे अजमेर के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, इंजीनियरिंग में, मशीन टूल्स

(श्री ललित भाटी)

में, स्टोन प्रोसेसिंग में स्टोन प्रोसेसिंग मशीन्स, चक्की है, ढलाई के कार्य हैं इनके ऊपर वहां ई.पी.आई.पी. का डवलपमैंट कर सकते हैं। इस इण्डस्ट्री का अजमेर के अन्दर बहुत पोटेंशियल है। योरोपीय देशों के अन्दर जिस तरीके से श्रम लागतें बढ़ रही हैं और प्रदूषण कानून के तहत कास्टिंग और मैकेनिकल उत्पादित इकाइयों को डिमोरलाइज किया जा रहा है, योरोप की इस नीति की वजह से, उपाध्यक्ष महोदय, भारत जैसे देशों में तैयार माल खरीदने का एक मौका मिल रहा है। योरोपीय देश हमारे जैसे कंट्रीज से यह माल खरीदते हैं। इसका उदाहरण है कि कोयम्बटूर, बटाला, आगरा और अहमदाबाद इन जगहों से योरोप के अन्दर जैसे मैंने कहा, कास्टिंग और मैकेनिकल बेस्ड इण्डस्ट्री से जो प्रोडक्शन है वह काफी मात्रा के अन्दर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इस प्रकार की संभावनाएं हमारे अजमेर के अन्दर भी हैं जो मैंने ऊपर बताई हैं कि मशीन टूल्स का आप कर सकते हैं, इंजीनियरिंग बेस्ड ई.पी.आई.पी. का वहां आप पार्क डवलप करते हैं। इसके साथ-साथ वहां मार्बल है, ग्रेनाइट है। मार्बल हस्तकला का भी काम वहां होने लगा है और चमड़ा उत्पाद की भी भरपूर संभावना अजमेर जिले के अन्दर है। तो मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि रीको ने जो 1210 बीघा जमीन अवाप्ति के लिए कार्यवाही की है सिलोरा में और करीब 450 बीघा नारेली के अन्दर, दोनों जगह पर्याप्त स्थान हैं। ई.पी.आई.पी. डवलपमैंट के लिए यह अगर आप करते हैं तो सारी सुविधाएं जो इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की चाहिए, अजमेर, कांडला, मुम्बई, अहमदाबाद और दिल्ली इन चारों जगहों से नेशनल हाई-वे से जुड़ा हुआ है। अब तो अजमेर के अन्दर सामूहिक रूप से प्रयास भी किये जा रहे हैं, सरकार भी कर रही है, जन प्रतिनिधियों की भी मांग है कि वहां हवाई पट्टी डाली जाए, तो व्यापारियों को आपके माध्यम से सुविधाएं मिलने के बाद ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की जो जरूरतें हैं उनका पूरा वहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रोले और ट्रक यह मैं विशेष रूप से मैंशन करना चाहता हूं कि राज्य में सबसे ज्यादा अजमेर जिले के अन्दर हैं जिनके द्वारा आज भी कांडला से और इन सारी जगहों से माल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये सारी चीजें वहां पर उपलब्ध हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की रेट भी प्रतिस्पर्धात्मक रहेगी जो व्यापार के हित की चीज है। तो आप ई.पी.आई.पी. अजमेर के अन्दर डवलप करवाएं यह मेरा कहना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक दूसरा निवेदन, उपाध्यक्ष महोदय, कान्ट्रेक्ट फार्मिंग के बारे में मैं आपसे करना चाहूंगा। मैं अजमेर का उदाहरण देते हुए आपसे अपने पूरे प्रदेश के जिलों के अन्दर इन चीजों को लागू करने की बात कर रहा हूं कि जहां जैसी सम्भावनाएं दिखें आप वैसा मास्टर प्लान डिस्ट्रिक्टवाइज बनवाएं तो उद्योगों को हम तेजी के साथ बढ़ा सकते हैं, उनकी गति प्राप्त कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, टमाटर, प्याज, गोभी, गुलाब, अंडे ये पांच चीजें हैं जिसके लिए पूरा अजमेर उत्तर भारत में जाना जाता है, पूरे उत्तर भारत में ख्याति प्राप्त है। गुजरात में, पंजाब में, और केरल में इन तीन प्रदेशों की सरकारों ने पेप्सी को इन्वाइट किया,

(श्री ललित भाटी)

एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उनके हैं उसके ब्रेस्ड इण्डस्ट्री उसने वहां पर डाली हुई है। इसका सीधा-सीधा लाभ सारे किसानों को है, उनको एक तो अच्छी दर मिलेगी, विपणन की प्राब्लम नहीं होगी, खरीदने के लिए कम्पनी तैयार है। इस तरीके की कम्पनियां पेप्सी के अलावा और भी बहुत सारी हैं। रिलायन्स भी इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स के अन्दर आगे आ रही है। तो ऐसी इण्डस्ट्रीज, मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप उनसे सम्पर्क साधें आगे होकर या किसी अधिकारी को लगाएं कि वे लाइजन करें इन कम्पनियों के साथ में या फिर अखबारों के माध्यम से एडवरटाइज करें कि हम ये सुविधाएं इस क्षेत्र के अन्दर विशेष रूप से देंगे। उसमें कम्पनियां यह करती हैं कि अच्छी टैक्निक फार्मर्स को खुद उपलब्ध करवाती हैं। इस तरह हम उन्नत कृषि भी कर पाएंगे और कृषकों को अच्छा मूल्य भी दिला पाएंगे। हम तो चाहते यही हैं। अगर हम अपने कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दें तो हमारे गांव से जो माइग्रेशन जनता का हो रहा है शहरों की ओर, इसको रोकने में भी हमारे को मदद मिलेगी। यह बहुत अहम योजना साबित हो सकती है, इसके ऊपर आप काम करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल। माननीय सदस्य, कोआपरेट कीजिए।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, आज उद्योग और श्रम जो बड़ा प्रासंगिक विषय है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। आज राजस्थान की जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है उसके हिसाब से ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिनसे रोजगार जनरेट हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर यह समय प्रतिस्पर्धा का समय है। केवल जाब ओरियेंटेड अगर हम इण्डस्ट्रीज लगाएंगे तो वह सरवाइव नहीं हो सकती है। यह मजबूरी है, इसके बावजूद भी मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी उद्योग धंधे जहां पर भी लगें, आज जमीनें एक्वायर की जाती हैं, ग्रीन बैल्ट का उपयोग इसके लिए किया जाता है चाहे सीतापुरा यहां का इण्डस्ट्रियल एरिया ले लें, भिवाड़ी ले लें, नीमराना ले लें, कई जगह पर जहां अच्छी क्राप होती है उस क्राप की जमीन का औद्योगिक विकास के लिये अधिग्रहण किया जाता है। खेती किसानों की खतम हो जाती है। उनको मुआवजा दे दिया जाता है, जो भी अधिकारी तय करते हैं, नाममात्र का दिया जाता है। उसके बाद में इन उद्योगों के अन्दर जितना भी रोजगार जनरेट होता है उसमें भी जो स्थानीय लोग हैं उनको प्रायोरिटी नहीं मिलती है। इसलिए वे किसान भी महरूम हो जाते हैं जो कमाकर खाते हैं खेत से। इसके अलावा उनके बाल-बच्चों की कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं होती है। एक ओर तो हम इण्डस्ट्रीज लगा कर राजस्थान का विकास करना चाहते हैं दूसरी ओर जिन किसानों की वे जमीनें हैं, किसान रोजगार के लिए महरूम हो जाता है। आज का जो समय है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आज ऐसी कोई समस्या नहीं है उद्योगों के लिए वातावरण की। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उसमें होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की होनी चाहिए, रा-मैटीरियल मिलना चाहिए, ईंधन मिलना चाहिए। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि आज की तारीख

(श्री सांवर लाल)

में ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्राब्लम नहीं है। आज अगर हम सीतापुरा को डवलप करें, ग्रीन बैल्ट को नष्ट करें, इसके बजाय 40 किलोमीटर आगे जाकर ऐसी जमीन है जो ऊसर जमीन है, बंजर जमीन है या जो बहुत कम फर्टाइल जमीन है उसका उपयोग करें। आने-जाने में घंटा-आधा घंटा लग सकता है, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं होगा। जब आज ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन का ऐसा दौर चल रहा है 21 वीं सदी में कि अमरीका के प्रेसीडेंट क्लिंटन यहां पर आ रहे हैं और सारा सामान बांध कर यहां ला रहे हैं, तो आपकी फैक्ट्री आप ऐसी जगह लगा दें, उससे माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने या उसकी मार्केटिंग की आपके लिए कोई प्राब्लम नहीं होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी औद्योगिक क्षेत्र आप चयन करें, कम से कम एक प्रायोरिटी तो आप तय कर दें कि जो गरीब आदमी खेती करते हैं, ग्रीन बैल्ट में जो फसलें होती हैं, दो-दो, तीन-तीन फसलें करके अपना गुजारा करते हैं ऐसी जमीन को कम से कम मुक्त करें।

इस प्रकार से रीको जो आपका करता है, उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी समस्या है कि जहां पर भी ये उद्योग लगते हैं सोशियल रेस्पांसिबिलिटी है, समाज के प्रति जो जवाबदेही है उसको बिलकुल इग्नोर किया जाता है। उद्योग प्रदूषण करते हैं चाहे अलवर के ले लो, चाहे किशनगढ़ के अन्दर ले लो जहां मार्बल व्यवसाय है, उससे वेस्टेज निकलता है उसको ढंग से कहीं डालने की कोई व्यवस्था नहीं है। अलवर वालों की तो आम समस्या है। ब्रेवरीज इण्डस्ट्री जो लग गई हैं, इन ब्रेवरीज की वजह से किसानों और गांव वालों में कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, आसपास में रहना मुश्किल हो गया है। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि कोई भी उद्योग धंधा लगाते हैं उससे पहले सोशियल रेस्पांसिबिलिटी तय करें कि कोई गंदगी नहीं होगी और गंदगी अगर होगी तो उसकी जिम्मेदारी उस उद्योगपति की या सम्बन्धित जो अधिकारी है उनकी होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ग्रेनाइट है, मार्बल है, कपास के भी कई उद्योग धंधे हैं, कई प्रकार की इण्डस्ट्रीज के स्कोप यहां पर हैं, आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि जैसे जैसे उद्योग लगते हैं पुरानी इण्डस्ट्रीज सिक होती जाती हैं। आपके प्रतिवेदन में कारण बताये सिक होने के, एक तो इन्टरनल और एक्सटर्नल कारण। उपाध्यक्ष महोदय, आप कोशिश करते हो कि यह इण्डस्ट्रीज सिक नहीं रहे, यह बंद हो रही है इसको चालू करें। सरकार बहुत पैसा लगाती है। यह बहुत गम्भीर चिंता का विषय है। उपाध्यक्ष महोदय, इण्डस्ट्रीज तो सिक हो जाती है, उसको वापस चलाने के लिए भी सरकार पैसा लगा देती है परन्तु 90 परसेंट आर्टिफिशियल सिक होती हैं, ओनर की लापरवाही से होती हैं, मैनिपुलेशन से होती हैं। इन सबकी वजह से आज राजस्थान का जो विकास होना चाहिए, वह विकास नहीं होता है। आपने जो इसमें कारण गिनाये हैं-औद्योगिक मंदी, कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी, अन्य वैकल्पिक उत्पादों से उत्पन्न हुई प्रतिस्पर्धा आदि बाह्य कारणों से तो कभी कभी पूरा उद्योग समूह ही प्रभावित

(श्री सांवर लाल)

हो जाता है, जैसा की हाल ही में मिनी सीमेंट, खाद्य तेल, ग्रेनाइट, उद्योग समूह में हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये कारण हो सकते हैं पर जब इण्डस्ट्री लगाई जाती है उसके बाद में उनके सरवाइव करने की उस ओनर की भी जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए। आज आप बता दीजिए, जितनी भी इण्डस्ट्रीज सिक हुई हैं, सिक होने के बाद में उद्योगपति कभी सिक हुआ हो। वह कभी सड़कों पर आया हो तो मुझे बता दें। आज अकाल की हालत है, राजस्थान का किसान सड़कों के ऊपर है, चारे की , पानी की हर प्रकार की समस्या उसके सामने है, उसके परिवार के पालने का संकट है। उसकी सहायता करने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं, पर एक उद्योग सिक हो गया, किस कारण से हुआ उसके लिए कमेटियां बन जाएंगी। ब्यूरोक्रेटिक कमेटी बन गई, वहां पर आपने अपनी ओपिनियन बता दी कि इस कारण से सिक हो गई, यह पावर कट हो गया, यह फलाना कारण हो गया। आप बताइये, आप बिजली किसानों को नहीं देते उनको क्या आप कम्पेनसेट करते हो ? उनकी रुग्णता मिटाने के लिए कभी आपने प्रयास किये हैं ? इसलिए मेरा स्पष्ट रूप से निवेदन है, उद्योग मंत्रीजी, आप किसान हैं लेकिन यह जो सोच है, ट्रेडीशनल सोच है और यह जो एप्रोच दी हुई है यह ब्यूरोक्रेटिक एप्रोच है। ये लोग केवल यह चाहते हैं कि जो पैसा जाता है उस पैसे का दुरुपयोग किस प्रकार से हो। यह दुरुपयोग इसी प्रकार से होता रहा तो राजस्थान में आप जो कल्पना लेकर चलते हो कि औद्योगिक विकास होगा, औद्योगिक विकास कभी नहीं होगा, लोग केवल इसी उद्देश्य से इण्डस्ट्रीज लगाएंगे कि उद्योग लगा लीजिये, सब्सिडी खा जाइये और उसके बाद ताला लगा कर भाग जाएंगे। आपके पास ऐसी भी व्यवस्था नहीं होगी कि आप उनको उनसे वसूल कर सकें। इसलिए उसमें कोई ऐसी एप्रोच बनाइये कि वास्तव में जो गड़बड़ करता है उस व्यक्ति को सजा मिले। आज आपकी आर.एफ.सी. की यूनिट्स देख लीजिए, जितनी भी आर.एफ.सी. से फाइनेन्स की हुई यूनिट्स हैं उनको दूसरी किश्त मिलती है उसमें से पहली किश्त का ब्याज काटते हैं । समय पर किश्त नहीं देते हैं। आपकी आर.एफ.सी. से फाइनेन्स जितनी भी यूनिट हैं उसमें 80 परसेंट सिक होंगी, चल नहीं रही होंगी या बंद पड़ी होंगी। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, आपकी यह जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को भी हमको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। इस राजस्थान का हम विकास करना चाहते हैं तो विकास के लिए जिम्मेदारी भी फिक्स करिये क्योंकि मोटी-मोटी छूटें हम दे देते हैं, इंटरेस्ट पर छूट दे देते हैं, दस वर्षों में यह नहीं लगेगा, कम लगेगा, फलानी सैल्स टैक्स में छूट दे दी, उद्योग लगाएंगे तब सब्सिडी दे दी। लोगों ने इसे धंधा बना रखा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चीज को भी देखें कि वास्तव में उद्योगपति उद्योग लगाने आया है वह उद्योग लगाने में इंट्रैस्टेड भी है कि नहीं है, वह उस यूनिट को चलाना चाहता है कि नहीं चाहता है। अगर नहीं चाहता है तो यह राजस्थान की जनता का पैसा है, उस पैसे को आप तत्काल किस प्रकार से वसूल करें अगर इस प्रकार की व्यवस्था कायम नहीं करेंगे तो हालात बड़े गंभीर हो जाएंगे।

(श्री सांवर लाल)

अभी माननीय सदस्य सारी चीजें गिना रहे थे। 60 परसेंट इंडस्ट्रीज फाइनेंस होने के बाद बंद पड़ी हैं। अब राजस्थान में उद्योग का बहुत स्कोप है और भारतीय जनता पार्टी के टाइम में औद्योगिक पालिसी भी बनी। यह तो आंकड़े बता देंगे, मंत्रीजी के पास सारे हैं कि आपके डेढ़ साल में कितनी इंडस्ट्रीज, कितने उद्योगपति आये हैं और हमारे टाइम में कितने आये हैं...

श्री रतनलाल ताम्बी : कहां-कहां उद्योग लगे हैं ?

श्री सांवर लाल : आपके, ताम्बीजी, लग गया। जहाजपुर में तो कहीं लग गया...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह आप गलत तारीफ करना छोड़ दो, उद्योग राजस्थान से गये हैं उलटे, बंद हो गये। कोटा में बंद हो गये। यह ध्यान है कि नहीं आपको कुछ ?

श्री सांवर लाल : आपके यहां तो खूब लगे हैं। पट्टे खूब लगवाये हैं हमने। अब आपकी जानकारी में नहीं है, आप देखते नहीं हो गरीब आदमियों की तरफ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग लगाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, प्रवासी राजस्थानी, प्रवासी भारतीय राजस्थान के उद्योग में अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि एक साल, सवा साल, डेढ़ साल जब से यह सरकार आयी है, आते ही इन्होंने एक श्वेत पत्र जारी किया कि राजस्थान में तो ये हालात हैं। फिर बिजली नहीं दे पा रहे हैं, कानून-व्यवस्था की स्थिति इन्होंने खराब कर दी इसलिए यहां पर उद्योग लगाने का जिनका मानस बना था वे व्यक्ति भी आने से कतराने लगे हैं। मैं चाहूंगा, उद्योग मंत्रीजी, राजस्थान सरकार से वातावरण बनवाइये, राजस्थान में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। कमी है तो व्यवस्था करिये, यहां पर उद्योग बहुत लग सकते हैं, हर क्षेत्र के उद्योग लग सकते हैं। माइनिंग के हिसाब से राजस्थान हिन्दुस्तान के अन्दर बिहार के बाद में दूसरे नम्बर पर आता है। तो किस प्रकार से ये उद्योग लगाने हैं, उसके लिए अच्छा वातावरण दीजिए, अच्छी कानून और व्यवस्था की स्थिति दीजिए, बिजली के लिए आश्वस्त कीजिए। आप आश्वासन एक और दीजिए कि राजस्थान के अन्दर खजाना खाली नहीं है, राजस्थान का खजाना भरा हुआ है। खजाने की व्यवस्था करने वालों में अगर दिमाग है तो खजाने की व्यवस्था हो सकती है। +++ तो फिर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। खजाना तो खाली पड़ा है, जो होगा जो होगा। आप अपनी बात समाप्त करिये।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकिंड में कनक्लूड कर रहा हूं।

श्रम मंत्रीजी बिराजमान हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में बना हुआ है, यह आपकी

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सांवर लाल)

सरकार आने के बाद बता रहे हैं, आपका प्रतिवेदन दिया हुआ है कि 98-99 में टोटल निरीक्षण किये हैं 8219, न्यायालय में प्रस्तुत चालान हैं 249 और जुर्माना वसूल किया 54,935। यह पेज नम्बर 9 पर है।1999-2000 में आपके निरीक्षण तो बढ़ गये 8361 लेकिन जुर्माने की राशि वसूल नहीं कर पा रहे हो। कहने का मतलब यह है कि इन श्रमिकों को प्रोटक्ट नहीं करते हैं। मिनिमम वेजेज भी नहीं दे रहे हैं। आपके निरीक्षक हों चाहे इण्डस्ट्री का आफिसर हो, चाहे लेबर इंसपैक्टर हो, आजकल केवल बंधी वसूल करने के अलावा इनका धंधा नहीं है। माननयी मंत्री महोदय, फैक्ट्री का काम बड़ा हार्ड होता है, लोग अपना परिवार पालने के लिए जाते हैं इसलिए वहां पर जो व्यवस्थाएं फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से होनी चाहिए वे व्यवस्थाएं भी आप सुनिश्चित करें। किसी इंसपैक्टर या अधिकारी के हलके के अन्दर जो इण्डस्ट्रीज आती हैं वहां पर अगर इसकी उपेक्षा की जाती है तो मैं आप लोगों से यह अपेक्षा करूंगा कि आप उनकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करावें, उस अधिकारी को दंडित करावें।

माननीय उद्योग मंत्रीजी, एक मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, यह है जयपुर , 14 अगस्त, रीको को 43 लाख रुपये का घाटा। इसमें जो आरक्षित रेट दी थी वह दी थी 3200 रुपये और मार्च में रेट घटाते हैं। घटाने के बाद इन्होंने इस रेट को 1760 कर दिया, इस प्रकार 43 लाख रुपये का घाटा किसी व्यक्तिगत पार्टी जो सिनेमा लगाना चाहता था उसके इंट्रैस्ट में इन्होंने किया। अब आप बताइये, अप्रैल और मार्च के अन्दर दोगुनी रेट का अंतर हो सकता है ? अगर विभाग का कोई क्राइटेरिया बना रखा हो तो यह हमारे समझ के बाहर की बात है, बाकी इस प्रकार का वेरिएशन है। आरक्षित रेट 1760 करते हो, उसने 1785 में छुड़ा लिया। मिलीभगत करके सारी व्यवस्था कर ली। और इसी एरिया से 3200 रुपये प्रति वर्ग गज की आरक्षित रेट दी थी। इस प्रकार की अनियमितताएं जो आफिसर करते हैं, मारवाड़ी में कहावत है कि बात को और भाटे को जमाओ जैसे जम जाता है और ये आफिसर इस काम में माहिर हैं। आप लोग अगर पकड़ नहीं रखोगे तो आपके विभाग और इस राजस्थान की जनता को ये जिस प्रकार का धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, वह करते रहेंगे और राजस्थान का और हमारा कल्याण नहीं होगा। आप यहां विराजमान हैं, इस प्रकार की अनियमितताएं अगर होती हैं तो उनके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए।

अब हमारे यहां केकड़ी और अजमेर जिले के अन्दर सरवाड़ औद्योगिक एरिया है। माननीय मंत्री...

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : मैं जवाब दूंगा लेकिन आप...

श्री उपाध्यक्ष : जवाब तो आप सबका दोगे ही।

डा. चन्द्रभान : पर्टीकुलर आपने जो यह बात कही है संबंधित...

श्री उपाध्यक्ष : बीच में क्यों जवाब दे रहे हो आप ? माननीय मंत्रीजी, आप सबका एक साथ देना ना जवाब।

डा. चन्द्रभान : यह बाद में रह जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह बाद में दे देना।

डा. चन्द्रभान : लेकिन यह जो कह रहे हैं ना 1765,1785 यह बात ठीक कह रहे हैं। वह इण्डस्ट्रियल कन्वर्जन का मामला था, उसमें चौगुनी रेट लेते हैं, लेकिन जब यहां नीलामी करते हैं, नीलामी में कोई आया नहीं इसलिए उसको दुगुने रेट पर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जुगल काबरा। माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री सांवर लाल : यह रेट 3200 जो आरक्षित थी उसको 1760 कर दिया...

डा. चन्द्रभान : आरक्षित रेट थी उसका चार गुना 3200 रुपये है...

श्री सांवर लाल : आप उसकी जानकारी कर लेना, मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी...

डा. चन्द्रभान : नहीं-नहीं, मेरी जानकारी में है। 800 रुपये थी उसका चार गुना 3200 रुपये होता है, लेकिन 3200 में कोई आया नहीं। नीलामी होती है तो जब उसका दुगुना किया गया, दुगुने से भी ज्यादा वह 1785 पर हुई इश्यू।

श्री सांवर लाल : मेरा यही निवेदन है कि ये भाटे को और बात को जमाना जानते हैं। आप इसकी वस्तुस्थिति की जानकारी करो। उस हलके के अंदर इससे ज्यादा रेट में प्लाट गये हैं कि नहीं गये ? मेरा यही निवेदन है, केकड़ी और सरवाड़ अगर ये दोनों आपके इण्डस्ट्रियल एरिया हैं और इसमें कुछ इन्फ्रास्ट्रक्चर आप...

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगल काबरा। बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल : डवलप करोगे वह एरिया आपका डवलप हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज मांग संख्या 42 उद्योग तथा मांग संख्या 23, श्रम व रोजगार के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, राज्य के औद्योगिक विकास के लिए पिछले कई वर्षों से निरन्तर प्रयास किया जाता रहा है और उसका प्रभावी लाभ भी इस प्रदेश को मिला है। बाहर से उद्यमियों तथा उद्योगपतियों को राजस्थान में निवेश के लिए समय-समय पर कई योजनाएं बना करके आमंत्रित किया गया। राज्य की प्रत्येक सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए कोई न कोई पैकेज बनाया, उस पैकेज के माध्यम से उद्योगपतियों को यहां आमंत्रित किया गया, आकर्षित किया गया। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम उद्यमियों तथा उद्योगपतियों को इन आकर्षक योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए बड़े-बड़े नगरों और शहरों में जाते हैं। बम्बई, कलकत्ता, बैंगलोर तथा अन्य कई शहरों में जाकर उद्योगपतियों को बुलाकर इनसे चर्चा करते हैं। उद्योग विभाग के अधिकारी भी जाते हैं, मंत्री लोग भी जाते हैं, कई एक दफा पूर्व में मुख्य मंत्री महोदय भी

(श्री जुगल काबरा)

गये। ऐसा वातावरण बनाया जाता है कि राजस्थान में आते ही उद्योगों को सारी सहूलियतें तथा सभी रियायतें दी जाएंगी। इस आशा और अपेक्षा से उद्योगपति तथा उद्यमी राजस्थान में आते हैं लेकिन राजस्थान में आने के बाद उनका अनुभव बड़ा कटु है। छोटी-सी बात के लिए उन्हें महीनों घूमना पड़ता है, भटकना पड़ता है और वह जो अपनी योजना लेकर आता है कि इतना निवेश करके हम अपना उत्पादन प्रारम्भ कर देंगे, 4-6 महीने तो उनके इसी बात में समाप्त हो जाते हैं कि उनके उद्योगों को जमीन नहीं मिली, बिजली नहीं मिली, पानी की व्यवस्था नहीं हुई तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं और संसाधन नहीं प्राप्त हो सके। इस चक्कर के अन्दर वह आधा-अधूरा भटकता हुआ वापस अपने मूल स्थान की तरफ जाने की कोशिश करता है। राजस्थान के जितने भी प्रवासी हैं उनका अपने प्रदेश से, अपने प्रांत से, अपने मूल स्थान से लगाव है। जैसी भी देश की परिस्थितियां रही हैं, राजनीतिक वातावरण रहा है, हालात रहे हैं, हरेक प्रवासी चाहता है कि मैं अपना उद्योग धंधा अपने मूल प्रदेश में स्थापित करूं, अपने इलाके में रोजगार की व्यवस्था करूं, उद्योग की व्यवस्था करूं ताकि मैं अपनी जमीन से जुड़ा रहूं, दूसरे लोगों के भरोसे मैं अपना व्यापार, उद्योग नहीं चलाऊं, किन्तु यहां आकर जब उसे ऐसे हालात मिलते हैं तो वह वापस लौटने लगता है।

इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इन सारे हालात को देखकर पुनः यहां प्रयास किये हैं और एकल खिड़की योजना के माध्यम से उद्योगपतियों को आमंत्रित करने का प्रयास किया है ताकि वे राजस्थान में आकर अपना निवेश करें, यहां के औद्योगिक उत्पादन में सहयोग करें, औद्योगिक प्रगति में अपना योगदान करें। उसका निश्चित रूप से प्रभाव हुआ है। एन.आर.आई. भी राजस्थान आने के लिए बड़े उत्सुक हैं। यह खुशी की बात है कि राज्य सरकार के प्रयासों से विदेशों में रहने वाले राजस्थानी भाइयों ने यहां पर निवेश करने की इच्छा जाहिर की है। कई योजनाएं इसके लिए बनकर आई हैं और उनके निवेश की कई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

मान्यवर, आज गुजरात की तरफ देखें, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु की तरफ देखें, बाहर के जितने भी निवेशकर्ता हैं इन प्रान्तों की तरफ पहले जाते हैं, राजस्थान की तरफ उनका झुकाव कम होता है। इस बात पर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा, चिंतन करना होगा कि हम सारी सहूलियतें देना चाहते हैं निवेशकर्ताओं को, उद्योगपतियों को, किन्तु फिर भी क्यों नहीं वह हमारे यहां फटकता है, क्यों नहीं वह यहां आकर अपना उद्योग स्थापित करना चाहता है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकार गंभीरता से इस बात पर विचार करे कि औद्योगिक निवेश के लिए हम किस तरह से बाहर से आने वाले लोगों को, हमारे प्रांत के प्रवासियों को आमंत्रित करें।

मान्यवर, उद्योगों की स्थापना में विद्युत एक बहुत बड़ी समस्या रही है। अकाल की स्थिति लगातार दूसरे साल भी हमारे यहां है।

(श्री जुगल काबरा)

किसानों को हम बिजली देने की पूरी कोशिश करते हैं किन्तु पर्याप्त बिजली नहीं दे पाते हैं। पेयजल के लिए भी विद्युत आपूर्ति में तकलीफ होती है। ये सारे समाचार समाचार-पत्रों के माध्यम से पूरे देश और विदेशों में सभी लोग पढ़ते हैं तो उनमें भय का वातावरण पैदा होता है कि राजस्थान के अन्दर विद्युत का संकट है, अगर उद्योग स्थापित कर भी लिया तो किस तरह से हम अपने उद्योग को जिन्दा रख पाएंगे, किस तरह से हम अपने उद्योग चला पाएंगे। मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, जिनके पास में विद्युत विभाग भी है, कि राजस्थान में विद्युत परियोजनाओं को जल्दी से जल्दी चालू कराने के लिए आप प्रयास करें और यह कोशिश करें कि उद्योगों की जो दरें तय हैं उन दरों पर चाहे आप बाहर से खरीदकर भी बिजली दें लेकिन उनको बिजली उपलब्ध कराएं। जब कभी भी विद्युत की कटौती होती है तो निश्चित रूप से प्राथमिकता हमारी पेयजल की है, किसानों की है किन्तु उद्योगों को बिजली देते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम महंगी दर पर उद्योगों को बिजली देते हैं। कई उद्योग जिनके अन्दर निरन्तर उत्पादन की आवश्यकता है, निरन्तर बिजली की आवश्यकता है उन उद्योगों को आप महंगी दर के ऊपर भी अगर बिजली खरीदकर देंगे तो वे महंगी दर पर भी बिजली खरीदना पसन्द करते हैं, क्योंकि न केवल उनका उत्पादन जारी रहेगा बल्कि उनका रा-मैटीरियल का जो वेस्टेज होता है उसमे भी वे बच जाएंगे। एक उत्पादन की इकाई जिसे नियमित उत्पादन की आवश्यकता है, जिसके अन्दर नियमित बिजली काम में आती है उसका बीच में उत्पादन रुक जाने पर उसका रा-मैटीरियल खराब हो जाता है और ऐसे उद्योगों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए, माननीय उद्योग मंत्रीजी, आप सुनिश्चित करें, चाहे आप उद्योगों की बिजली दर और कुछ बढ़ा दीजिए किन्तु उनको समयबद्ध तरीके से पूरी बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करें ताकि वे अपना उत्पादन नियमित रूप से जारी रख सकें।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व की सरकारों ने कई योजनाएं लागू की थीं जिसमें बिक्री कर प्रोत्साहन योजना एक थी। लेकिन इस योजना को 24 जनवरी, 2000 को बन्द कर दिया गया। रियायत यह दी गई कि जो उद्योग 1 अप्रैल, 2000 तक अपना पंजीयन करा लेंगे उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें इस तरह की योजनाओं को आगे के लिए भी लागू रखना होगा। उद्योगों की स्थापना से न केवल हमारे प्रदेश का विकास जुड़ा हुआ है बल्कि इससे रोजगार की संभावनाएं भी जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ प्रदेश की जो दूसरी योजनाएं हैं उनकी प्रगति भी जुड़ी हुई है, इसलिए मैं चाहूंगा कि बिक्री कर प्रोत्साहन योजना को आप आने वाले समय के लिए जारी रखें।

मान्यवर, इसी तरह से पूंजी विनियोजन अनुदान की योजना राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई थी जिसमें लघु उद्योगों को 20 प्रतिशत तथा वृहद् व मध्यम श्रेणी के उद्योगों को 15 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी। इस योजना

(श्री जुगल काबरा)

को सन् 1997-98 में केवल लघु उद्योगों के लिए ही जारी रखा गया है और 31.3.98 के बाद में इस योजना को लघु उद्योगों के लिए भी समाप्त कर दिया गया है। केवल मात्र उसमें यह रियायत दी गई है कि जिन उद्योगों ने अपनी परियोजना लागत का 25 प्रतिशत निवेश कर दिया है, इन्वैस्ट कर दिया है उन्हें यह लाभ मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विनियोजन अनुदान योजना को आप आने वाले समय के लिए भी जारी रखें ताकि जो उद्योग यहां आकर अपना इन्वैस्टमैंट करना चाहते हैं, जो यहां पर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके और उन्हें इसका आकर्षण बना रहे।

मान्यवर, बिजली की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने डीजल जनरेटिंग सैट के ऊपर सब्सिडी प्रारंभ की और उसमें 25 प्रतिशत या ढाई लाख रुपये का अधिकतम अनुदान दिया जाता रहा है। मैं चाहूंगा कि बिजली की अधिक खपत के लिए जहां बड़े पाइप के जनरेटिंग सैट की आवश्यकता होती है वहां पर इस अनुदान की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि ढाई लाख की अधिकतम राशि की बजाय इसको पांच लाख रुपये तक रखने की इजाजत दिलाएं ताकि जो लोग अपना स्वयं का जनरेटिंग सैट खरीदकर अपने उत्पादन को जारी रखना चाहते हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके।

मान्यवर, ब्याज अनुदान योजना के माध्यम से लघु उद्योगों को ब्याज के रैगुलर पेमेन्ट पर सब्सिडी दी जाती है। यह योजना भी उद्योगों के लिए बहुत आकर्षक योजना है। मैं चाहूंगा कि इस योजना की भी अधिकतम राशि जो प्लांट और मशीनरी के इन्वैस्टमैंट पर 60 लाख रुपये है इसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, उद्योगों के विकास में राजस्थान में रीको और आर.एफ.सी. का बहुत बड़ा योगदान है। रीको ने अलग-अलग क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करके यह प्रयास किया है कि यहां पर उद्योगों का विस्तार हो, विकास हो। इसी तरह से आर.एफ.सी. ने भी अपने वित्त पोषण के द्वारा उद्योगों को स्थापित करने में मदद की। किन्तु हमारे जितने भी सरकारी उपक्रम हैं या संगठन हैं वे राज्य सरकार की घोषणाओं के बावजूद, योजनाओं के बावजूद उनकी क्रियान्विति के अन्दर वह स्पीरिट नहीं रखते हैं जो उनको रखनी चाहिए। मान्यवर, समय पर सब्सिडी देने की जो बात होती है वह सब्सिडी समय पर नहीं मिलती है। उद्योग लगाने वाला यह सोचता है कि मेरे उद्योग की स्थापना के बाद मुझे समय पर सब्सिडी मिल जाएगी किन्तु उसे समय पर सब्सिडी नहीं मिलती है और छोटी-मोटी खानापूर्ति के लिए उसे घूमते रहना पड़ता है जिससे उसको जो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है, वह उससे महरूम हो जाता है। उससे उसको तकलीफ होती है।

मान्यवर, इसी तरह से जो इकाइयां रुग्ण हो जाती हैं उनको भी आर.एफ.सी., रीको की सैटलमैंट स्कीम द्वारा पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। योजनाएं घोषित की जाती हैं लेकिन तकनीकी आधार पर उनकी

(श्री जुगल काबरा)

क्रियान्विति नहीं की जाती। इससे यहां के रुग्ण उद्योगों को सही मायने में सहायता नहीं मिल सकती। राजस्थान में आज कई रुग्ण उद्योग हैं जिनमें राजस्थान सरकार, आर.एफ.सी. और रीको का पैसा लगा हुआ है। यह जनता का पैसा है इसलिए इनके साथ में बैठकर सही तरीके से योजना बनाकर इनको पुनर्जीवित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारे यहां के लोगों को रोजगार भी मिल सकें, उत्पादन बढ़ सके और सरकार के पैसों का रिटर्न भी मिल सके। आज यह स्थिति है कि रुग्ण उद्योगों पर ताला लगा हुआ है, सरकार को न तो इनके ब्याज का पैसा मिल रहा है और न लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस तरह राजस्थान की अर्थ व्यवस्था पर ये उद्योग भार बने हुए हैं।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1997 में आर.एफ.सी. ने टाइमली सैटलमैंट स्कीम निकाली थी, उस स्कीम के तहत उद्योगों से कहा गया था कि नवम्बर, 1997 तक आकर जो लोग अपना 10 प्रतिशत पैसा जमा करवा देंगे मूल बकाया का, उनके साथ सैटलमैंट की स्कीम जारी कर दी जाएगी। कुछ उद्योगपतियों ने 29 तारीख को ले जाकर चैक जमा कराया, आर.एफ.सी. ने चैक जमा कर लिया, बाद में भुगतान चैक का उनके खाते में एक या दो तारीख को आया तो उन्होंने कह दिया कि आप स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं क्योंकि हमें तो बैंक से भुगतान एक या दो तारीख को मिला है। मान्यवर, इस तरीके की तकनीकी खामियां निकाल कर उद्यमियों को परेशान करने की जो योजना है वह ठीक नहीं है। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम इस तरह की तकनीकी खामियां हटा कर वास्तव में उद्योगों को मदद करें। मान्यवर, सब्सिडी भी समय पर नहीं सैंक्शन की जाती है। मैं भीलवाड़ा का ही उदाहरण देना चाहूंगा। भीलवाड़ा के कुछ उद्योग...

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करें। भीलवाड़ा के बारे में बाद में बात कर लेंगे अपन।

श्री जुगल काबरा : आपको नहीं उद्योग मंत्रीजी को बात करनी है, आपको तो पता है क्योंकि आप तो पीड़ित पक्षों को जानते हैं।

मान्यवर, भीलवाड़ा के अन्दर इण्डस्ट्रीज के एक्सपांशन के लिए सब्सिडी दी जाती है, वह उद्योग विभाग द्वारा समय पर सब्सिडी सैंक्शन नहीं की गई। उसके अगेंस्ट में लोन दे दिया गया और सब्सिडी 10 साल के बाद में दी गई। सब्सिडी देने साथ जो लोन दिया गया था उस लोन पर ब्याज सब्सिडी से पांच से सात गुना अधिक हो गया, तो उद्योग किस तरह से जीवित रहेगा ? सरकार की गलती की वजह से, विभाग की गलती की वजह से उस व्यक्ति को सयम पर सब्सिडी नहीं मिली तो अपने उद्योग को जारी रखने के लिए उसने सब्सिडी पर लोन ले लिया और अब जब लोन सैंक्शन हुआ है, उसने अपना हिसाब करना चाहा तो उससे सब्सिडी के अलावा छह गुना पैसा वापस मांगा गया। लेकिन क्या इस तरह से हम उद्योगों को मदद कर पाएंगे ? उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत सोचनीय विषय है, मैं चाहूंगा कि इस बारे में हमारे उद्योग मंत्रीजी विचार करें।

(श्री जुगल काबरा)

पुराने कस्बों के अन्दर, आबादी वाले क्षेत्रों के अन्दर छोटे-छोटे लघु उद्योग लगे हुए थे किन्तु अब स्थितियां बदल रही हैं। कस्बों के अन्दर प्रदूषण की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है इसलिए ज़हां कहीं भी क़स्बाई इलाकों में छोटे उद्योग लगे हुए हैं, उनको बाहर की तरफ भेजा जाए और रीको को यह निर्देश दिए जाएं कि वह नया इण्डस्ट्रियल टाउन डवलप करे।

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने सदन में कहा कि एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्री के लिए, माइनिंग इण्डस्ट्री के लिए, हमें नये क्षेत्रों के अन्दर भी उद्योग लगाने चाहिए। जहां रोजगार के कोई साधन नहीं हैं, लेकिन पास-पड़ोस के इलाकों से खनन होकर वहां खनिज आता है, आप वहां इण्डस्ट्री लगा सकते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे नावां से विधायक आते हैं हरीशजी, इनको जानकारी है कि मकराना से किशनगढ़ जाकर वहां मार्बल की प्रोसेसिंग होती है। कुचामन सिटी के अन्दर इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप कर दिया जाए तो वहां के लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा, वहां भी इस तरह की इकाइयां स्थापित हो सकेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम जैन। माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री जुगल काबरा : दो मिनट। जोधपुर के औद्योगिक विकास के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो योजनाएं पिछले साल चालू की थीं, उन्हें आने वाले वर्ष के लिए भी रियायत देने के लिए मंजूरी दी है, इसके लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देना चाहूंगा। जोधपुर में स्टेनलैस स्टील के विकास के लिए यूटेंसिल बनाने के लिए वित्त मंत्रीजी ने जो प्रोत्साहन दिया है उसके लिए मैं वित्त मंत्रीजी का हृदय से आभारी हूं। मिनी सीमेंट प्लांट के विकास के लिए वित्त मंत्रीजी ने जो सहायता दी है उसके लिए भी हम आभारी हैं। जोधपुर में हैण्डीक्राफ्ट्स उद्योग बहुत बड़ी तादाद में पनप रहा है, मैं चाहूंगा कि हैण्डीक्राफ्ट्स उद्योग के लिए भी कोई न कोई विकास योजना जारी की जाए।

मान्यवर, एक बात और यहां मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार से जो हमें मिलता है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उद्योगों का क्षेत्र हो, उनके अन्दर पूरा उपयोग नहीं होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए हस्तशिल्प, दस्तकारी, बाजार विकास, महिला उद्यमिता विकास के लिए भारत सरकार से हमें जो पैसा मिला है, उसका हम पूरा पूरा उपयोग नहीं कर पाते। महिला उद्यमिता विकास के लिए पिछले साल ग्राण्ट-इन-एड और ट्रेनिंग के लिए 30 लाख रुपये की राशि आंबटित की गई थी लेकिन साल भर के अन्दर मात्र 2.56 लाख रुपय खर्च किये गये, हम किस तरह से महिलाओं की उद्यमिता का विकास कर पाएंगे, यह सोचने की बात है। केवल बंद कमरों में, एयरकण्डीशंड कमरों में बैठकर हम वह लाभ नहीं दे पाएंगे।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग विभाग में हम इस तरह की योजनाएं बनाएं, सर्वे करें कि कौनसी इण्डस्ट्री किस डिस्ट्रिक्ट के अन्दर हम लगा सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं।

(श्री जुगल काबरा)

उन्हें नोडल एजेंसी के रूप में काम करने की आवश्यकता है। आज उद्योग विभाग के हमारे अधिकारी लोग बैठे हुए पोस्ट आफिस की तरफ से काम करते हैं। ऊपर निदेशालय से योजना जाती है, उसको केवल बाहर चिपका कर बैठ जाते हैं। न तो इण्डस्ट्रियल एरिया में जाते हैं और न उद्यमियों से सम्पर्क करते हैं, न उद्यमियों के विकास और प्रशिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम चलाते हैं। प्रदेश के उद्योगों के विकास के लिए उद्योग विभाग को महत्वपूर्ण कार्यवाही करनी होगी। इसके लिए मैं चाहूंगा कि हमारा उद्योग विभाग यह देखे कि किन-किन क्षेत्रों के अन्दर कौन-कौनसे उद्योग को किस तरह से मदद देकर उनके विकास के लिए, उनकी स्थापना के लिए काम कर लें। भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा जो रियायत दी जाती है, जो योजनाएं प्रस्तावित की जाती है, उनका लाभ किस तरह से प्राप्त करें। मुझे आशा है कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी की जो मंशा है, वित्त मंत्रीजी और उद्योग मंत्रीजी की जो मंशा है, उसे हमारे उद्योग विभाग के अधिकारी और कर्मचारी समझते हुए यह प्रयास करेंगे कि राजस्थान में ज्यादा उद्योगों का विकास हो और निवेश को प्रोत्साहन मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम जैन।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम, रोजगार एवं उद्योग के सम्बन्ध में चर्चा पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। रावतभाटा अणु नगरी के नाम से विश्वविख्यात है, वहां अणुशक्ति की दो परियोजनाएं कार्यरत हैं। तीसरी और चौथी पर अभी कार्य चल रहा है। चौथी, पांचवी, छटी, सातवीं और आठवीं, कम से कम आठ यूनिटें और आ रही हैं। वहां हैवी वाटर भी है। मेरा निवेदन है कि वहां सारे हिन्दुस्तान के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहते हैं, देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां के लोग वहां न रहते हों। इसको मिनी इण्डिया कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके बच्चे पढ़े-लिखे हैं और उन पर वे अच्छा खर्च करते हैं लेकिन जब कोई प्रोजेक्ट तैयार होते हैं उनमें भर्ती का सवाल आता है, श्रमिक की हो चाहे कर्मचारियों की, तो मैं सोचता हूं कि स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार नहीं मिलता। विज्ञापन निकालते हैं तो ऐसे अखबारों में निकालते हैं जिसे स्थानीय लोग न पढ़ सकें। उनका प्रचार-प्रसार स्थानीय लेवल पर नहीं होने की वजह से बड़ी ज्यादती होती है, हमारे लोगों के साथ, जो पढ़े-लिखे रावतभाटा आदि जगहों में हजारों की तादाद में बेरोजगार फिर रहे हैं। वैज्ञानिक राजस्थान के न होकर बाहर के हैं इसलिए जब भी इस तरह के विज्ञापन निकालते हैं भर्ती के लिए तो वे अपने-अपने स्टेट्स के लोगों की वहां भर्ती करते हैं। माननीय उद्योग मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी, जब हम उनको रियायती दर पर जमीन देते हैं और कई तरह की रियायतें उपलब्ध करवाते हैं तो हमारा दायित्व है कि हम उनसे दबाव देकर कहें कि स्थानीय लोगों को रोजगार देना भी बहुत आवश्यक है। मैं जब घर से निकल रहा था तो जवाब आया कि सेण्ट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, हम उसमें दखल नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उनको कई तरह की रियायतें देते हैं तो मेरा निवेदन है कि उन्हें पाबन्द भी किया जाए

(श्री घनश्याम जैन)

कि वहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। वहां के लोग बेकार घूम रहे हैं, ऐसा न हो कि उनमें आक्रोश पैदा हो और कोई अनहोनी घटना वे कर बैठें। मेरा निवेदन है कि रोजगार देने के लिए पढ़े-लिखे लोग वहां हैं इसलिए वहां प्रबन्ध कराने का कष्ट करें।

दूसरा उद्योगों के बारे में मेरा निवेदन है, जिस तरह से चित्तौड़ में मार्बल उद्योग है, उसी तरह जहां-जहां पर्टीकुलर उद्योग होते हैं, यदि हम वहां उन उद्योगों के लिए स्किल्ड लेबर के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोलेंगे तो मैं सोचता हूं कि कुशल श्रमिक या इंजीनियर की बिना उपलब्धता के हमारे. उद्योग-धंधों में बड़ा नुकसान होता है। जैसे मार्बल उद्योग चित्तौड़ में है, पोलिटैक्निक कालेज में एक मार्बल गैंगसा लगना चाहिए ताकि वहां शुरू से लेकर आखिर तक ट्रेनिंग हो और जो उद्योग धंधे वहां लगें उनके लिए कुशल श्रमिक वहां से तैयार हों ताकि उन उद्योगों में कुशल श्रमिक हों। आजकल क्या होता है ? उदयपुर में एक पत्थर ठोकने वाला आदमी आता है और हमें कह देता है कि मैं वहां एक फिटर था या मिस्त्री था या इंजीनियर था, तो हम लोग उसको रख लेते हैं और उसकी वजह से मशीनों को बड़ा नुकसान होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पर्टीकुलर इण्डस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग देनी चाहिए तभी हम स्किल्ड लेबर पैदा करके उद्योग धंधों में अच्छा कार्यक्रम दे सकेंगे।

इसके अलावा अभी ब्यावर से पधारने वाले चौधरी साहब ने कहा कि हमारे उद्योग धंधे सबसे ज्यादा परेशान हैं इंसपैक्टर राज से। आज कई तरह के इंसपैक्टर हैं, जैसे इनकम टैक्स में स्थानीय इंसपैक्टर और फ्लाइंग, एक्साइज में लोकल यूनिट और फ्लाइंग यूनिट, सैल्स टैक्स की सैल्स टैक्स और एंटी इवेजन, लेबर इंसपैक्टर, ई.एस.आई., नाप-तौल, फैक्ट्री एण्ड वायलर, पोल्यूशन आदि। कम से कम 15 इंसपैक्टर हर महीने आकर कई तरह की बातें पूछते हैं, परेशान करते हैं। उन्हें कोई लेना-देना नहीं, आये, अपनी मंथली ली और रवाना हो गये। जितने ज्यादा आप इंसपैक्टर बढ़ाएंगे, मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम इंसपैक्टर नियुक्त किये जाएं ताकि उद्योग धंधों को राहत मिल सके।

इसके अलावा जहां-जहां भी उद्योग धंधे हैं, श्रमिकों के कल्याण के लिए मैं सोचता हूं कि हमने कोई कार्यक्रम नहीं दिया। आज चित्तौड़ में इतनी बड़ी मार्बल की इण्डस्ट्री है, कम से कम 200 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन श्रमिक कल्याण केन्द्र नहीं है। न तो वहां श्रमिकों के लिए कोई मनोरंजन का साधन है, न उनके लिए कोई पढ़ाई की व्यवस्था है। मेरा निवेदन है वहां श्रमिक कल्याण केन्द्र खोला जाए, प्राथमिक या मिडिल स्कूल तक की शिक्षा की उनकी व्यवस्था की जाए ताकि उनके बच्चे आराम से पढ़-लिखकर होशियार हो सकें।

इसके अलावा अभी जोधपुर से पधारने वाले माननीय सदस्य ने बिजली की समस्या बतायी, वास्तव में सही बात है। जरूरी है पानी के लिए भी बिजली देना, कृषि वालों को भी बिजली देना, लेकिन चूंकि उद्योग धंधों के लिए बिजली एक महत्वपूर्ण साधन है और रेवेन्यू

(श्री घनश्याम जैन)

का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम उद्योगों से लेते हैं, हालांकि हमारे युवा मुख्य मंत्रीजी और हमारे बिजली व उद्योग मंत्रीजी इस ओर बहुत अधिक ध्यान देकर बिजली पैदा करने की कार्यवाही करेंगे, मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर अधिक से अधिक बिजली उत्पादित कर उद्योग धंधों को दिलाई जाए ताकि हमें रेवेन्यू भी मिले और उद्योग धंधे जो आजकल भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं उनको भी राहत मिल सके। मैं इसी भावना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 23, श्रम और रोजगार एवं मांग संख्या 42, उद्योग पर चर्चा चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी घनश्याम जी का अनुसरण करें।

श्री अमराराम (धोद) : मैं तो आपके हुक्म का पालन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों मांगों पर बोलते हुए कहना चाहता हूं कि इस देश और प्रदेश में नई आर्थिक नीतियां और उदारीकरण की नीतियों पर केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार बढ़ रही हैं। इससे इस क्षेत्र में काम करने वाले दोनों वर्गों पर चाहे वो श्रमिक हो, चाहे उद्योगपति हो, एक साथ इन नीतियों का विपरीत असर पड़ा है। पिछले 10 साल का नतीजा यह है कि चाहे श्रमिकों की संख्या का सवाल हो, उनके रोजगार घटने का सवाल हो, चाहे औद्योगिक इकाइयां बंद होने का सवाल हो, इन नीतियों के कारण राजस्थान के उद्योग और श्रम पर सबसे ज्यादा विपरीत असर पड़ा है। जितने भी राजस्थान के बड़े-बड़े कारखाने हैं, चाहे वो कोटा का जे.के. उद्योग हो, चाहे सीमेंट के मिनी प्लांट हों या जो छोटे-छोटे औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान में हर जिले और तहसील हैडक्वार्टर पर विकसित हुए थे, इन नीतियों के कारण वे मृतप्राय: हालत में हैं और अपना दम तोड़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का इन श्रमिकों के प्रति रवैया संवेदनहीनता का रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि श्रमिकों के हितों के प्रति किस तरह से दोनों सरकारें, चाहे वो निवर्तमान सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, संवेदनहीन रही हैं। श्रम सलाहकार बोर्ड की बैठक, बोर्ड और सरकार के द्वारा तय किया गया था कि हरेक साल में कम से कम एक दफा होनी चाहिए लेकिन पिछले पांच साल में एक मीटिंग हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से उत्तर आया उसके अनुसार 17.7.95 को श्रम सलाहकार बोर्ड की बैठक हुई थी उसके बाद 2000 आ गया, लेकिन श्रम सलाहकार बोर्ड की आज तक बैठक नहीं हुई। इसका पुनर्गठन अभी राजस्थान की सरकार ने किया है। श्रमिकों की समस्याओं को समाधान किये बगैर कोई भी औद्योगिक विकास संभव नहीं है लेकिन श्रमिकों की हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। निर्माण श्रमिक जिनके हकों को सुरक्षित करने के लिए केन्द्रीय कानून बने कई साल हो गये, लेकिन राजस्थान की सरकार ने उस कानून को

(श्री अमराराम)

अंगीकार ही नहीं किया है। निर्माण श्रमिक जो बड़ी रिस्क के रूप में राजस्थान के निर्माण के कार्य करते हैं, जो राजस्थान का निर्माण करने में अग्रणी हैं और अपना श्रम व्यय करते हैं, उनके बारे में सरकार ने आज तक किसी भी प्रकार की रुचि नहीं दिखाकर इस बात का प्रमाण दिया है कि राजस्थान की सरकार श्रमिकों के प्रति कितनी संवेदनशील है। श्रम विभाग जो नियोजक और श्रमिक के बीच में उठने वाले विवादों के लिए मध्यस्थ का काम करता है वह मध्यस्थ का काम न करके नियोजक और उद्योगपतियों के पक्षधर के रूप में काम कर रहा है। ऐसा करके हमारी सरकार निश्चित रूप से संवेदनहीनता का परिचय दे रही है। श्रम विभाग में जो लम्बे समय से रिक्त पोस्टें हैं, उनको भरने के लिए न पूर्ववर्ती सरकार तैयार थी और न वर्तमान सरकार तैयार है। उन पदों का यह परिणाम होता है कि रैफरेंस कैसेज होने चाहिए वे आज राजस्थान में लंबित हैं। राजस्थान में असंगठित मजदूर जिनकी सबसे बड़ी संख्या खेत मजदूर के रूप में हैं, जो राजस्थान के 39 हजार गांवों में कृषि के विकास को आगे बढ़ाने में अपना खून-पसीना बहाते हैं उनके लिए राजस्थान की सरकार कानून बनाना तो दूरा, जो मिनिमम वेज उन पर लागू है उसकी पालना नहीं करवा पायी। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे, 1997-98 में निरीक्षण जरूर किये गये, लेकिन चालान केवल एक का हुआ। 1998-99 में आपका प्रगति प्रतिवेदन बताता है कि निरीक्षण जरूर हुए लेकिन चालान एक नहीं हुआ। निरीक्षण जो किये गये हैं वे केवल मात्र फार्मेलिटी के रूप में किये गये हैं। अगर जितने निरीक्षण आपने बताये हैं उतने निरीक्षण निश्चित रूप से किये जाते तो, मैं समझता हूं, उनमें निश्चित रूप से किसी न किसी का चालान होता। लेकिन केवल एक फार्मेलिटी की गई। राजस्थान के उस श्रमिक के हक जो मिनिमम वेज पर आधारित हैं, उसकी ओर हम ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हम कृषि को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और न हम उद्योगों को आगे बढ़ा पाएंगे।

(16.00 बजे)

श्रम मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि श्रम विभाग जिसका मुख्य ध्येय श्रमिकों के हकों को प्रोटैक्ट करना है, आज वह पूर्ण रूप से अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक उद्योग का सवाल है, निश्चित रूप से उद्योग विकसित हों, लेकिन राजस्थान में विशेष तौर से आज आवश्यकता है कृषि आधारित उद्योगों की जिनकी बहुत बड़ी कमी है। अगर कृषि आधारित उद्योग बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को भी उसका बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। आज 53 साल की आजादी के बाद बहुत रेयर केस में ऐसे उद्योग होंगे जो कृषि पर आधारित हैं। बहुत कम हैं। जो कुछ राजस्थान में शुरू हुए थे चाहे वह तिलम संघ हो, चाहे स्पिन फैड हो, उन्हें भी भ्रष्ट नीतियों के कारण, अफसरों और सरकार की गलत नीतियों के कारण से दम तोड़ना पड़ रहा है। इसलिए इसको भी देखना होगा। जैसें टमाटर है, खेती में बहुत अधिक पैदा होता है लेकिन टमाटर सास बनाने का शायद ही कोई उद्योग होगा। न ही सहकारिता में है। जब आफ सीजन

(श्री अमराराम)

होता है तो टमाटर 6 से लेकर 20 रुपये तक बिकता है लेकिन जब पैदावार किसान की सम्पूर्ण रुप से आती है तो 50 पैसे किलो में भी कोई टमाटर लेने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए वह किसान भी मारा जाता है और उसका लाभ जो राजस्थान को मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल रहा है।

बन्द उद्योग हैं उनको भी रिवाइव करने के लिए राजस्थान की सरकार की तरफ से समुचित प्रयास नहीं किये गये हैं। जो कुछ भी प्रयास किया जाता है, उपाध्यक्ष महोदय, उसको रोकने का काम राजस्थान की सरकार की इच्छा के बाद भी राजस्थान के अधिकारी कर देते हैं। मैं एक उदाहरण आपके माध्यम से मंत्री महोदय को देना चाहूंगा कि राजस्थान में कोटा में पावर केबल कारखाना काफी लम्बे समय से बन्द था। बी.एफ.आई.आर. में केस गया, वहां कोई पार्टी उसको रिवाइव करने के लिए तैयार थी। जो भी उसके ड्यूज थे उनको डैफर करने का निर्णय, जहां तक मेरी सूचना है राजस्थान की कैबिनेट ने लिया था, लेकिन उसके बाद सचिव महोदय ने एक लैटर दिया बी.एफ.आई.आर. में कि हमारा जो डैफर किया गया है हम उसको वसूल करेंगे, डैफर नहीं करेंगे। कोटा में जे.के. उद्योग बन्द होने के बाद कुछ आशाएं बंधी थीं कि पावर केबल जो पहले बन्द था वह शुरू होगा लेकिन कैबिनेट के निर्णय के बाद भी सरकार के उप सचिव ने लैटर भेज दिया कि हमने जो डैफर किया है वह वसूल करेंगे। सरकार की जो कुछ भी इच्छा है उसको वापस इस सरकार के अधिकारी किस कारण से करते हैं, मैं नहीं समझता। राजस्थान की जनता का, सरकार का, वित्तीय संस्थाओं का जितना भी पैसा इन रुग्ण उद्योगों में लगा हुआ है हम इनको रिवाइव कर वसूल कर सकते हैं। आपने आंकड़े दिये हैं कि श्रमिक विवाद कम हुए हैं, तो राजस्थान का मजदूर आज भी तैयार है। इन आर्थिक नीतियों के कारण उद्योग बन्द हो रहे हैं, श्रमिक विवाद के कारण पिछले 4 साल में एक भी उद्योग बन्द नहीं हुआ। वे भी इस बात के लिए तैयार हैं, वे आज अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार हैं कि राजस्थान की सरकार का जो अरबों-खरबों रुपया राजस्थान के बड़े और लघु उद्योगों में लगा हुआ है उनको हम किस तरह से वापस रिवाइव कर सकते हैं, कैसे चालू कर सकते हैं। हम नये उद्योग लाने के लिए, उद्योगपतियों के लिए तो सब कुछ व्यवस्थाएं, प्रचार करने के लिए तैयार हैं लेकिन इस बात के लिए नहीं कि अरबों-खरबों रुपया जिन उद्योगों पर लगा हुआ है उनको हम किस तरह से वापस रिवाइव कर सकते हैं। सरकार को अगर छूट देनी भी पड़ी तो निश्चित रूप से देनी चाहिए और जो संगठित श्रमिक वर्ग है उसके साथ बैठकर बात करनी चाहिए। किस तरह से उद्योगों में रोजगार दिया जाए, किस तरह वे विकास में अपना योगदान दे सकते हैं, उनको हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं इसके लिए राजस्थान की सरकार को प्रयास करना चाहिए। मैं समझता हूं, अगर प्रयास करेंगे तो राजस्थान का श्रमिक वर्ग, राजस्थान की जनता सहयोग करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं उद्योग मंत्री से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने उद्योग नीति में महिलाओं को आगे

(श्री अमराराम)

बढ़ाने के लिए 10 प्रतिशत का प्रोविजन किया है लेकिन महिलाओं को रीको द्वारा वहीं प्लाट दिया जाएगा जहां कोई प्लाट लेने के लिए तैयार नहीं है। जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित हैं वहां महिलाओं को प्लाट देने में आपका रीको आज भी आनाकानी करता है। केवल नाम का रिजर्वेशन करके हम वाहवाही ले लेना चाहते हैं। महिलाएं जो इस समाज का आधा अंग हैं, उनको बराबर लाने के लिए, उद्योग में भी उनकी शिरकत करने के लिए हमने 10 प्रतिशत का अगर प्रोविजन किया है तो निश्चित रूप से कोई भी औद्योगिक क्षेत्र हो जहां वे उद्योग लगाना चाहती हों, जहां भी कुछ सम्भावनाएं हों, वहां उन्हें प्लाट दिया जाना चाहिए। उद्योग की सबसे पहली सीढ़ी है उद्योग का प्लाट लेना, रीको उसमें आनाकानी करता है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जो श्रमिक विरोधी नीतियां अपना रही है इस पर विचार करेगी और श्रमिकों को उनका हक दिलाने में अपना सहयोग करेगी, इसी आशा और विश्वास के साथ, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशचन्द।

श्री हरिशचन्द (नावां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम और उद्योग की मांगों पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। नागौर जिला उद्योग की दृष्टि से वैसे तो पिछड़ा हुआ जिला है परन्तु यहां पर रा-मैटीरियल उपलब्ध है जैसे लाइम स्टोन, टंगस्टन, मार्बल और लवण। इस कारण से यह जिला भी हिन्दुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में अपनी अहमियत रखता है। नागौर क्षेत्र के मूंडवा व नागौर जायल के ग्रामीण क्षेत्र में काफी लाइम स्टोन है उस कारण से वहां पर चूना भट्टे भी लगे हुए हैं, कई सीमेंट मिनी प्लांट भी लगे हुए हैं परन्तु वे बन्द हो गये हैं। उसका कारण यह है कि कई फैक्ट्रियां हैं उनके मुकाबले इनकी जो कीमत है सीमेंट बनाने की वह ज्यादा पड़ती है। इस कारण से वे फैल हो गये हैं और बन्द हैं। सरकार की भी इससे राशि रुक गई है, जो रोजगार श्रमिकों को मिलता था वह भी बन्द हो गया है और जिन लोगों ने पैसा लगा रखा था वे भी घाटे में हैं। इस कारण से उन मिनी प्लांट्स के लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, एक्साइज ड्यूटी या सैल्स टैक्स में कमी करनी चाहिए ताकि उनके सीमेंट प्लांट भी चल सकें। उनके बोरों की अलग पहचान हो सकती है और ट्रांसपोर्टेशन भी दूर से नहीं करना पड़ेगा। आजकल सीमेंट का उपयोग हर किसी काम में होता है चाहे मकान बनाओ, चाहे नाली बनाओ या सीमेंट सड़क है। सभी में सीमेंट का उपयोग हो सकता है इसलिए उनको ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर लोहा ग्रेड का भी लाइम स्टोन है, भिलाई कारखाने में भी जाता है लेकिन वहां जो आर.एस.एम.डी.सी. है उसी को वह लाइम स्टोन निकालकर भेजने की स्वीकृति है। कई निजी ऐसे लोग हैं जिनके खेतों में काफी लाइम स्टोन है, उन लोगों को भी इस प्रकार की स्वीकृति मिलनी चाहिए ताकि वे भी अपना लाइम स्टोन निकालकर वहां भेज सकें। अभी नागौर के पास में ही जैसलमेर में तथा और सीमाओं पर भी गैस उपलब्धता की बात बतायी जा रही है, गैस यदि वास्तव में वहां पर्याप्त मात्रा में है तो सीमेंट फैक्ट्री के लिए, चूना भट्टे के लिए गैस की पाइप लाइन डालनी चाहिए, इसके आधार पर उनको सुविधा रहेगी।

(श्री हरिशचन्द्)

दूसरा, हमारे यहां पर मार्बल उद्योग है मकराना में जो विश्वविख्यात है। मार्बल आजकल कई जगह निकलता है, मकराना के मुकाबले में वह मार्बल ठीक तो नहीं है, मकराना के नाम से बिकता भी है परन्तु जो मकराना में मार्बल है उस पर कई प्रकार की पाबंदियां हैं उसके कारण से वह पिछड़ रहा है, उस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहां पर यू.आर.डी. रजिस्टर्ड डीलर हैं और अनरजिस्टर्ड डीलर हैं। अनरजिस्टर्ड डीलर तो वे लोग हैं जिनके पास खानें हैं, अपना माल निकालते हैं। उनकी काफी संख्या है, वे हिसाब-किताब भी नहीं रखते, उनसे टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। जो रजिस्टर्ड डीलर हैं, स्लैब बनाते हैं उनसे परचेज टैक्स वसूल किया जाता है। जबकि कानूनी रूप से रा-मैटीरियल वह लगना चाहिए। तीन परसेंट उन पर जो टैक्स लगा दिया गया है उसका वहां के लोगों ने, व्यापारियों ने विरोध किया। सरकार से मिले एसोसिएशन के लोग तब 95 तक यह माफ कर दिया था। उसके बाद अधिकारियों से कई बार बैठकें हुईं, कई बार मिले परंतु अभी तक उसका निदान नहीं हुआ। अभी 29.12.99 को कर भवन में आयुक्त महोदय से उनकी एसोसिएशन मिली, बातचीत हुई और एक समझौता पैकेज तैयार किया गया। उस समझौता पैकेज के आधार पर उनका टैक्स एक परसेंट करने का तय किया गया था। इस समझौता पैकेज के आधार पर उनसे टैक्स वसूल किया जाता है तो 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय सरकार को सालाना हो सकती है। वित्त मंत्रीजी बैठे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि उन्होंने जो पैकेज तैयार किया है उस पैकेज की राज्य सरकार स्वीकृति दे ताकि वह उन पर लागू हो सके और सरकार की भी आमदनी हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो मार्बल भेजा जाता है उसकी बिलिंग की पद्धति सब जगह एक-सी नहीं है। वाणिज्य कर विभाग वाले मकराना में अलग असैस करते हैं, दूसरे अलग असैस करते हैं। मकराना में जो असैस करते हैं उससे उनको काफी असुविधा है और उनकी व्यापक जांच भी होती है। इस कारण से भी वहां पर ट्रकों का लदान कम हो रहा है और मकराना का जो मार्बल का विक्रय है वह पिछड़ रहा है। मेरा अनुरोध है कि बिलिंग सिस्टम एक-सा होना चाहिए। मकराना से सरकार को काफी आमदनी होती है, परचेज टैक्स के रूप में लीजिए, रायल्टी के रूप में लीजिए, सैल्स टैक्स के रूप में लीजिए, एक्साइज ड्यूटी में लीजिए, फिर भी मकराना के विकास के लिए उसमें से कुछ खर्च नहीं होता। इस बार सीमेंट सड़क बनाने का जो प्रावधान किया है, बनायी भी है उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, परन्तु वह छोटी-सी सड़क है। जितना आप टैक्स वसूल करते हैं उसका 10 प्रतिशत भी यदि मकराना में खर्च हो तो मकराना एक ऐसी जगह बन सकता है जहां पर हर कोई आने की इच्छा रखता हो। अभी बरसात के समय में तो वहां कोई आ ही नहीं सकता है, इस प्रकार की हालत हो जाती है। मकराना में भीड़ भी बहुत है, जोधपुर से आने वाले माननीय विधायक ने सही कहा था कि इस इण्डस्ट्रियल एरिया का विस्तार होना चाहिए। कुचामन सिटी पास में है, नारायणपुरा मोड़ पर, नावां मोड़ पर, रेलवे स्टेशन के पास में इण्डस्ट्रियल एरिया

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

को नहीं मिल पाएगा, इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि अजमेर जिले को डी श्रेणी घोषित किया जाए ताकि लोगों को वहां सब्सिडी मिले ओर सैल्स टैक्स फ्री जोन के रूप में जो सुविधाएं मिल रही हैं वे अजमेर जिले को मिलें।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग की एकल खिड़की योजना पूरे राजस्थान के अन्दर लागू की गई है, इसके लिए आदरणीय गहलोत साहब के हम लोग आभारी हैं। मेरे अजमेर जिले के अन्दर ही केकड़ी के अन्दर रीको का बहुत बड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया है, रोजगार के साधन के लिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वहां रीको का ब्रांच आफिस खोल दिया जाए। सरवाड़ के अन्दर रीको इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप हो रहा है लेकिन मूलभूत सुविधा वहां उपलब्ध नहीं होने के कारण से कोई उद्योगपति वहां उद्योग नहीं लगा पा रहा है। इनकी तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाए और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो मैं समझता हूं कि रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और लोग अपना उद्योग स्थापित कर पाएंगे।

इसी प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र केकड़ी की बात है। पूरे अजमेर जिले में किशनगढ़ के अन्दर तो लोगों के वेयरहाउस हैं, मकराना से माल लाकर किशनगढ़ के अन्दर बेचान करते हैं, राजसमंद से लाकर मार्बल वहां बेचान करते हैं। लेकिन अजमेर जिले के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के अन्दर, सावर के अन्दर मार्बल की खानें हैं, अच्छा खनन हो रहा है। सावर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, केकड़ी विधान सभा क्षेत्र का बहुत बड़ा कस्बा है, खानों का बड़ा भण्डार है इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां पर रीको इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप किया जाए। आज जैसे मकराना के अन्दर मार्बल की खानें बंद हो गईं या बंद होने जा रही हैं तो सावर के इण्डस्ट्रियल एरिया में आकर अपना उद्योग स्थापित करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से कादेड़ा भी बहुत बड़ा कस्बा है मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, जहां की मिर्च मण्डी पूरे राजस्थान में प्रख्यात है और भीलवाड़ा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, अगर वहां पर भी रीको इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप किया जाए तो वहां पर मिर्च मसाले के हिसाब से फूड प्रोडक्ट के उद्योग स्थापित कर सकते हैं। मेरा यह भी मानना है कि केकड़ी उप खण्ड के अन्दर या प्रापर केकड़ी शहर के अन्दर या केकड़ी हैडक्वार्टर पर अगर रीको का ब्रांच आफिस खोल दिया जाए और आर.एफ.सी. का ब्रांच आफिस खोल दिया जाए तो वहां के उद्योगपतियों के अंदर एक नये उत्साह का संचार होगा और लोग अपना उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां श्रम और रोजगार की बात है, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अकुशल श्रमिक को 44 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये की न्यूनतम मजदूरी दी है अर्द्धकुशल को 47 रुपये से बढ़ाकर 64 रुपये मजूदरी दी है और कुशल श्रमिक को 50 रुपये से बढ़ाकर 68 रुपये न्यूनतम मजदूरी दी है, उसके लिए कांग्रेस सरकार के हम आभारी हैं। जहां रोजगार के माध्यम से नौजवानों का भला हो सकता है, कांग्रेस सरकार ने उनको नौकरियां दी हैं और स्वरोजगार के लिए शहरी क्षेत्रों के अन्दर भी गुमटियों का निर्माण चल रहा है,

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

पंचायत स्तर पर भी गुमटियों का निर्माण चल रहा है, इसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा। व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर मेरी करबद्ध प्रार्थना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि नौकरियों की तरफ ध्यान न देकर व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार हो ताकि इसके माध्यम से लोगों को स्वरोजगार मिले। एन.आर.आई. का पैसा पड़ा है, प्रवासी लोगों का पैसा पड़ा है। अजमेर जिले के अन्दर जब भी जिला उद्योग केन्द्र की मीटिंग होती है या बैंक वालों की मीटिंग होती है, उसके अन्दर एक बात आती है कि एन.आर.आई. का सारा पैसा बैंक के अन्दर पड़ा हुआ है। सरकार भी उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पा रही है। मेरा मानना है कि अजमेर जिला ए श्रेणी होने के कारण से कोई उद्योगपति वहां उद्योग स्थापति नहीं कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार अपने स्तर पर इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप करे ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और वह पड़ा हुआ पैसा जिसका सदुंपयोग नहीं हो रहा उस पैसे का सदुपयोग हो।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से 10-10, 20-20 फार्म दे दिये जाते हैं जबकि टार्गेट होते हैं पांच के। 20 फार्म बैंक के अन्दर पहुंचते हैं लेकिन पांच ही स्वीकृत करने होते हैं। उस मौके पर वहां का फील्ड आफिसर 20 आदमियों के अन्दर बार्गेनिंग करता है जिससे कि आपसी सैटिंग हो जाती है। पांच लोगों को प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण दे दिया जाता है और बाकी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने आपके टार्गेट्स हैं उतने ही फार्म डी.आई.सी. से निकाले जाएं ताकि उन्हीं लोगों को वहां पर ऋण मुहैया हो। मेरी आपसे पुन: करबद्ध प्रार्थना है कि अजमेर जिले के अन्दर एन.आर.आई. का पैसा पड़ा हुआ है, उसके सदुपयोग के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर वहां इण्डस्ट्रीज डवलप करे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योग स्थापित होंगे। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रम मंत्रीजी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)(राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं, आपका और सदन के उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने श्रम की मांग पर चर्चा की और अपने बहुमूल्य सुझाव दिये। मैं आभारी हूं उन सभी माननीय सदस्यों का जो इस समय बिराजे हुए हैं और श्रम की चर्चा में दिलचस्पी ले रहे हैं। और मांग पारित कराने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे, उन सबका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने गत वर्ष में श्रमिकों के हितों के लिए, श्रमिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए जितने कार्य किये हैं, मैं समझता हूं, राजस्थान में पिछले किसी वर्ष में नहीं हुए । मैं आपको कुछ ही दृष्टांत देकर अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कभी किसी सवा साल की अवधि के अन्दर या डेढ़ साल की अवधि के अन्दर न्यून्तम मजदूरी के अन्दर दो बार बढ़ोतरी नहीं हुई, इस सरकार ने सवा साल के अन्दर दो बार न्यूनतम मजदूरी की दरों में

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। मैं बताता हूं न, आप बिराजें। मैंने कहा था कि साढ़े चार बजे मुखबंद करना चाहता हूं, माननीय किसी सदस्य ने कहा कि छह बजे तक इसको एक्सटेंड कीजिए। मैंने जब कहा था कि इसको और देख लेंगे, मैंने मुखबंद नहीं किया। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, सैंक्टिटी है इसकी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज की कार्य सूची में है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बैठिये। आप बिराजिये प्लीज, बिराजें। माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आज की कार्यवाही में साढ़े चार बजे मुखबंद लिखा हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उसका अधिकार है मुझे एक्सटेंड करने का, उसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है ? I have the right to extend it.

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, मुखबंद की एक सैंक्टिटी है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यदि मुखबंद का समय बढ़ाना है तो इसको आप डिक्लेयर करेंगे हाउस में, उसके रीजन्स बताते हुए और जस्टिफिकेशन...

श्री उपाध्यक्ष : कर दूंगा न मैं डिक्लेयर, जल्दी क्यों कर रहे हैं आप ? जब मुखबंद करूंगा तब कर दूंगा, आप बिराजें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इसकी एक सैंक्टिटी है। हर परम्परा के पीछे कोई न कोई कारण होता है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी साढ़े चार बजे ही हैं, कर दूंगा मैं, आप चिंता मत करो। माननीय दोनों मंत्रीजी के जवाब शेष हैं इसलिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : बढ़ा दिया न, आगे बढ़ा दिया। बात पूरी हो गई।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, प्लीज बिराजें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : बढ़ा दिया उपाध्यक्षजी ने।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बात सुन तो लीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मिनिमम वेजेज की बात बताओ आप।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, शिवनाथ सिंहजी, बिराजें। नहीं, अब यह इसके बाद ही समाप्त होगा। आप चाहे कितनी ही बहस करें, फायदा क्या है ?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ये गलत परम्पराएं डाल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : परम्पराएं तो बनाई जाती हैं और बिगाड़ी जाती हैं, परम्पराओं का क्या है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं यह निवेदन कर रहा था, धोद से आने वाले माननीय सदस्य से, जिन्होंने रचनात्मक सुझाव दिये हैं, कि हमने राज्य स्तरीय समितियों का भी पुनर्गठन कर दिया है और केन्द्र स्तरीय समिति बीड़ी श्रमिक कल्याण समिति...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अभ्रक श्रमिक कल्याण समिति, डोलोमाइट श्रमिक कल्याण समिति इनका भी पुनर्गठन कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : गलत और सही भी आसन ही करता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम तो बैठ जाएंगे आपके आर्डर आर्डर कहते ही लेकिन आसन गलत परम्पराएं न डाले, हमारा यह निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न, आप बिराजें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : बढ़ा दिया न, साहब।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हम 11 बजे प्रश्नकाल क्यों शुरू करते हैं ? 12 बजे क्यों प्रश्नकाल समाप्त करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय ? किसी न किसी परम्परा की सैंक्टिटी होती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, 12 बजे से आगे भी कभी-कभी चला जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इसको अदरवाइज नहीं लें। कोई परम्परा है, किसी परम्परा को तोड़ने के लिए उसके पीछे कारण होने चाहिए, किसी परम्परा को तोड़ने के पीछे कोई स्ट्रांग रीजन होना चाहिए, स्ट्रांग जस्टिफिकेशन होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : 12 बजे से कभी आगे चला जाता है, परिस्थितियां हैं। What do you want now ? आप चाहते क्या हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : नहीं, आप सुप्रीम हैं, इस हाउस से ज्यादा सुप्रीम हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बस तो बिराजें फिर, आप कहें जो मैं कह दूं न।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : पर नियम और परम्पराएं उससे भी ज्यादा सुप्रीम हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं, यह कह दो। आप क्या चाहते हैं, यह बता दो।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हम तो सिर्फ यही याद दिलाना चाहते हैं जो यह...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान) आप मुखबंद करके मांग पारित करा दें। जब बहुमत है सत्तापक्ष के पास, मांग पारित कराइये। खुद ये कंफ्यूज्ड हैं, इनको मालूम ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, बिराजें। आपको बहुत जल्दी है क्या ? मुखबंद की बहुत जल्दी है क्या।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : करवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, बहुत जल्दी है तो कह दो। मेरे क्या तकलीफ है, मैं तो कर देता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जल्दी की बात नहीं, सवाल सैंक्टिटी का है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। माननीय मंत्रीजी, समाप्त कीजिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हां, सर। मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय उपाध्यक्ष जी, कि राजस्थान में भी हम बाल श्रमिकों को रोकने के लिए...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : रामनारायणजी को बुलाइये...

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : बाल श्रम को रोकने के बाद जो बाल श्रमिक बच्चे हैं उनके पुनर्वास की समस्या का समाधान करने के लिए राजस्थान सरकार ने इस वर्ष में काफी कुछ किया है। अब तक केवल दो स्थानों पर परियोजना चलती थी बाल श्रमिकों के पुनर्स्थापन के लिए, एक तो जयपुर में थी जहां बीस स्कूल चलते थे और एक उदयपुर में थी जहां साठ स्कूल चलते थे। हमने इस साल इसको बढ़ाकर तीन और अधिक स्थानों पर किया है।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक छोटा-सा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें न, क्यों अब डिस्टर्ब कर रहे हैं ?

श्री शिवनाथ सिंह : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप जितनी देर करेंगे, उतना ही ज्यादा समय लगेगा।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं आपको स्मरण करा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे सब याद है, मेरी मति खराब नहीं हुई अभी। आप बिराजें।

श्री शिवनाथ सिंह : एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, बिराजिये प्लीज।

श्री शिवनाथ सिंह : यह लो बिराज गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शिवनाथ सिंह : अब सुन लें आप मेरी। अब मेरी सुन लीजिए, साहब, मैं बिराज गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में हुआ है ऐसा। यहां निरंजननाथ आचार्यजी आसन पर थे और तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मोहनलालजी सुखाड़िया जवाब दे रहे थे। थोड़ा ही उनका बाकी था और मुखबंद का समय हुआ, आचार्यजी ने उस समय के मुख्य मंत्रीजी को कहा कि मुखबंद है वे उसी वक्त बैठ गये। यह परम्परा इस सदन की रही है। इसलिए मैं आपसे निवदेन करना चाहूंगा कि मुखबंद की एक सैंक्टिटी है, उस सैंक्टिटी को हमें मेन्टेन करना चाहिए था। आपने बढ़ा दिया सो बढ़ा दिया, लेकिन वह सैंक्टिटी बनी रहनी चाहिए थी, यह हम आपसे कहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सुखाड़िया साहब का जमाना बहुत चला गया। बहुत समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई । माननीय मंत्रीजी, समाप्त कीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन तो परम्पराओं से बंधा हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आसन परम्पराओं, नियमों से चलेगा न। इसमें सदन की गरिमा है, आसन की भी गरिमा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हम एस्पर्शन कास्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप फिर वही बहस कर रहे हैं, I never said कि साढ़े चार बजे मुखबंद होगा। I never said it. यह बैठे हैं माननीय सदस्य, पूछ लीजिए। आप बिराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आज की कार्य सूची देख लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनसे पूछ लीजिए, मैंने साढ़े चार बजे कहा था कि मुखबंद करना चाहते हैं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आज की कार्य सूची में लिखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उसी के तो अगेंस्ट कहा मैंने।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आज की कार्य सूची देख लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : उसी के अगेंस्ट कहा न। इसमें लिखा हुआ है साढ़े चार बजे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : साढ़े चार बजे।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये न, मैंने कहा कि साढ़े चार बजे मैं मुखबंद करना चाहता हूं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह तो हो गया, साहब...(व्यवधान) आपने व्यवस्था दी...

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये तो सही। नहीं दी व्यवस्था। आप बिराजें प्लीज। आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिए। उसके बाद माननीय किसी सदस्य ने कहा कि साहब छह बजे तक करिये, उस वक्त मैंने यह कहा कि अभी इस पर बाद में चर्चा कर लेंगे, अभी आप उसको चलने दीजिए। सीधी बात है, I have not declared. (व्यवधान) बिराजिये प्लीज। आप बिराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपने उसके बाद में हाउस की परमीशन ली है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप थे ही नहीं हाउस में।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपने क्या उसके बाद में हाउस की परमीशन ली है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप थे ही नहीं हाउस में।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : कि मैं साढ़े चार बजे से बढ़ाने के लिए...

श्री उपाध्यक्ष : परमीशन हो गई न।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : नहीं, परमीशन नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गई न।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : वह एक्सक्लूजिव परमीशन ली जाती है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : देखिये, रूल्स के बाहर आप भी नहीं हैं, रूल्स के ऊपर हम भी नहीं हैं, रूल्स के ऊपर कोई भी नहीं है। रूल्स में स्पष्ट है। अगर आप आज की कार्य सूची को वायोलेट करना चाहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। छुट्टी करो ना, मेरे क्या।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन परम्पराओं से बंधा हुआ है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आसन अभी परम्पराओं से बंधा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : बंद कर दें, मेरा क्या बिगड़ रहा है इसमें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप इसको अदरवाइज मत लीजिए। Please don`t take it otherwise.

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या बात है, आप बेकार ही बहस कर रहे हैं फालतू (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, बेकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : You were not present in the House. आप हाउस में नहीं थे उस वक्त।

श्री सांवर लाल : हम नियम और कानून की बात करना चाहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कहा, हाउस ने स्वीकार किया। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपको अपनी कार्य सूची बदलनी है तो उसके लिए डिक्लेयर करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : I said so.

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हाउस की परमीशन भी अगर...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सदन की अनुमति लेनी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप मानते ही नहीं है, सुन ही नहीं रहे हैं, आप थे ही नहीं यहां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह लिखा हुआ है, आय-व्ययक 2000-2001 की शेष मांगे मध्याह्न पश्चात् साढ़े चार बजे मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी। मतदान हेतु प्रस्तुत कराओ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप फिर वही रिपीट कर रहे हैं। ये बैठे हैं, कटारिया साहब पूछो।

श्री सांवर लाल : सदन की परमीशन तो होनी चाहिए थी, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। हां, परमीशन मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि हां, साहब, ठीक है। क्या बात करते हैं आप ? बिराजिये। (व्यवधान) कन्टीन्यू। बिराजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पिछली गवर्नमेंट के वक्त में यह कई दफा बढ़ा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो एतराज कर ही नहीं रहे हैं न।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह थोड़े ही एतराज कर रहे हैं, एतराज तो वह कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बताइये कब बढ़ा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके पांच साल के राज में दो दफा बढ़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। आप बिराजें, प्लीज। माननीय अमरारामजी। या तो आपको नहीं बोलने दें, आप कहते हैं तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, ऐसी बात नहीं है, साहब। हम तो परम्पराओं की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या बात कर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम परम्पराओं और नियमों की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : परम्पराएं ठीक हैं, मैं कर रहा हूं परम्परा। ठीक है, बिराजें। आप प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, हम तो बैठ जाएंगे लकिन इस प्रकार से...

श्री उपाध्यक्ष : जब इतनी बात हो गई उस वक्त, आप इसको यों ही इश्यू बना रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सदन की अनुमति लिए बिना ही आपने कर दिया फैसला...

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय सुमित्राजी, मुखबंद का समय अनेक बार बढ़ा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सदन की अनुमति ही नहीं ली है समय बढ़ाने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये। बोलिये, हरिसिंहजी। माननीय मंत्रीजी, बोलिये।

मांग संख्या 23 व 42 पर विचार

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि बाल श्रमिकों की परियोजनाएं, इनमें इस साल आशातीत वृद्धि हुई है। अब तक केवल दो शहरों में ये योजनाएं चलती थीं, जयपुर में 20 स्कूल और उदयपुर में 60 स्कूल। गत वर्ष में हमने टौंक में 20 स्कूल, जोधपुर में 20 स्कूल और अजमेर में 20 स्कूल और किये, हर स्कूल में एक हजार बाल श्रमिकों का पुनर्स्थापन करने के लिए, शिक्षा देने के लिए। शिक्षा के संबंध में उनको स्टाइपंड देते हैं, उनको रिफ्रैशमैंट देते हैं। एक योजना इस वर्ष हमने और लागू की है। इसके अलावा एक और प्रसन्नता की बात यह है कि हम (आई.एल.ओ.) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से दो हजार बाल श्रमिकों के लिए दो करोड़ रुपये की दो वर्ष की योजना और स्वीकृत करा कर लाये हैं।

अभी यह चर्चा आई कि श्रम के कानून में काफी दिक्कत आती है, बहुत समय लग जाता है। कंसीलियेशन आफिसर काम करता है, उसके बाद में रैफरेंस होता है, फिर ट्रिब्यूनल में जाता है, इसमें इतना लम्बा समय लगता है

(श्री हरिसिंह)

कि श्रमिक को जो राहत मिलनी चाहिए वह राहत नहीं मिल पाती है। इसके संबंध में हमने इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसमें कुछ अमैंडमैंट करने के लिए भारत सरकार से इजाजत ली है और यह सरकार उन पर विचार करके शीघ्र ही यह अमैंडमैंट करने जा रही है। उससे यह फर्क पड़ेगा कि जो भी डिस्चार्ज का मामला है, रिट्रैंचमैंट का मामला है या डिसमिसल का मामला है वह एक बार समझौते में नहीं आता तो उसके बाद वे सीधे लेबर कोर्ट में, लेबर ट्रिब्यूनल में जा सकेंगे। यह अमैंडमैंट हम करने के लिए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह चर्चा चल रही थी कि श्रमिकों के लिए बहुत कम रियायत दिलायी गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष हमने उपादान भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत 49,43,487 रुपये, न्यूनतम वेतन अधिनियम में 35,68,682 रुपये, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक अधिनियम में 22,260 रुपये, वेतन भुगतान अधिनियम में एक करोड़ 51 लाख 9730 रुपये, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम में 4 करोड़ 73 लाख 23 हजार 170 रुपये, इस प्रकार 7 करोड़ 9 लाख 67 हजार 330 रुपये की राशि श्रमिकों को दिला करके उनको राहत पहुंचायी है। हमने यह भी निश्चित किया है, जो लेबर इंसपैक्टर के बारे में अभी यह कहा गया था कि वे निरीक्षण नहीं करते हैं और जो सुविधा मिलनी चाहिए श्रमिकों को वह नहीं मिल पाती है, हमने मानदंड तय किये हैं कि एक निरीक्षक को कम से कम 50 निरीक्षण साल भर में करने पड़ेंगे।

अभी औद्योगिक शिकायतों के संबंध में, विवादों के संबंध में चर्चा हो रही थी कि काफी मिल्स बंद पड़ी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दिसम्बर, 1999 तक 3602 शिकायतों और 2084 विवादों का निपटारा सिर्फ न्यायालय द्वारा किया गया है। 27-28 मामले इस संबंध में निपटाये गये हैं। जहां पर हमने बैठा कर समझौता कराके फैक्ट्रीज को फिर से चालू कराया है वो हैं जे.सी.टी. मिल्स गंगानगर, सिमको भरतपुर, आटोपाल जयपुर, और किशनगढ़ के जैसा कि माननीय सदस्य चिन्ता कर रहे थे, 450 पावरलूम्स को पुनः चालू कराया है। भीलवाड़ा में स्पिनर्स व राजस्थान पैट्रोल सिंटेक्स, उदयपुर में हस्तक्षेप करके इनके विवाद निपटाये हैं। हमने और भी एक काम किया है कि अब राजस्थान में एक कंट्रोल रूम जयपुर स्तर पर हमने स्थापित किया है। कोई भी वाद किसी भी जिले में होगा उसकी त्वरित गति के साथ यहां पर इन्फार्मेशन होगी और उस विवाद को हम हल करने का पूरा प्रयास करेंगे।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ई.एस.आई. के अन्तर्गत भी सुविधा बढ़ाने के लिए डिस्पेंसरीज हम खोलने जा रहे हैं। हमने एक और किया है, अब तक जितने भी गम्भीर रोगियों के मामले थे, गम्भीर रोग जो होते थे उनका ई.एस.आई. में इलाज नहीं होता था, अब हमने केन्द्र सरकार से एक रिवाल्विंग फंड कायम किया है। डेढ़ करोड़ रुपये के करीब रिवाल्विंग फंड है उससे हम जो गम्भीर रोग हैं उनके इलाज के लिए पैसा एडवांस भी देते हैं और रीएम्बर्स भी करते हैं। जो कुछ राजस्थान में हुआ है उन सब बातों की माननीय सदस्यों के लिए जानकारी देने का प्रयास किया

(श्री हरिसिंह)

है, आशा है वे उससे संतुष्ट होंगे। मैं आपसे और सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि श्रम की मांग को स्वीकार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उद्योग मंत्री।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा प्रश्न है। न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड में तय हुआ 60 रुपये में एक हजार बीड़ी लेकिन बिना बोर्ड की मीटिंग बुलाये विभाग ने 60 रुपये में 1400 बीड़ी का वर्क लोड कर दिया। गरीब श्रमिक के प्रति इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा ? यह मंत्री महोदय की जानकारी में हो या नहीं, मैं पूछना नहीं चाहता, नोट कर लें। 60 रुपये में एक हजार बीड़ी लेकिन बिना बोर्ड की मीटिंग बुलाये 60 रुपये में 1400 बीड़ी कर दी, यह नोट कर लें। इसमें विभाग के अधिकारियों का आप क्या करेंगे न्यूनतम मजदूरी के बारे में इस निर्णय के सम्बन्ध में ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, कितनी देर बोलना चाहते हैं ? कितने मिनट बोलना चाहते हैं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अकाल राहत श्रमिकों को भी न्यूनतम मजदूरी देने के लिए मंत्री महोदय ने कहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारे उद्योग बंद पड़े हैं फिर बोलेंगे क्या ?

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अनुशासन में ही रहूंगा, जितना समय आप निश्चित करेंगे उतने ही समय में मैं अपनी बात रख दूंगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, साहब। सारे उद्योग तो बंद पड़े हैं, बोलेंगे क्या ?

सदन की कार्यवाही

मुखबन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की सहमति से 5 बजे तक के लिए मुखबंद का समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

5 बजे तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 23 व 42 पर विचार

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने राज्य में उद्योग धंधे लगाने के लिए और जो उद्योग धंधे स्थापित हैं उनका अच्छी तरह से संचालन हो और राज्य का औद्योगिक विकास हो इसके संबंध में अपने रचनात्मक सुझाव दिये। 9 माननीय सदस्यों ने यहां अपने विचार प्रकट किये। कटौती प्रस्तावों के जरिये भी माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की है, सवाल खड़े किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी देश हो या राज्य हो, औद्योगिक विकास के बिना उस देश और राज्य का आर्थिक विकास संभव नहीं है। यह बात सही है कि हमारा राज्य और हमारा देश कृषि प्रधान है लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार दिलाने के लिए, आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए और राज्य के राजस्व को बढ़ाने के

(डा. चन्द्रभान)

लिए केवल कृषि के उत्पादन पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता, केवल उसके विकास से ही सब कुछ संभव नहीं है। आज बदलता हुआ जमाना है, नयी सदी है उसमें निश्चित रूप से किसी भी राज्य को अपने सर्वांगीण विकास के लिए उद्योग के क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा।

अभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की और कुछ हद तक मैं उनकी चिन्ता से सहमत भी हूं कि तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद राजस्थान में उद्योग धंधे जिस गति के साथ बढ़ने चाहिए, आने चाहिए, जिस तरह से इन्वैस्टमैंट आना चाहिए वह क्यों नहीं आ पा रहा है। कई सदस्यों ने यहां अपने विचार व्यक्त किये कि हमारा औद्योगिक उत्पादन घट रहा है। हमारी जो इण्डस्ट्रियल यूनिट्स हैं चाहे वे बड़े उद्योग धंधे हो या छोटे उद्योग धंधे हो, वे रुग्ण होती जा रही हैं। नयी इकाइयां स्थापित नहीं हो रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हम सब जानते हैं कि अब उद्योग के क्षेत्र में कोई अनुदान नहीं रह गया है, कोई किसी तरह के दूसरे इंसेंटिव भी नहीं रह गये हैं। यह प्रतिस्पर्धा का युग है, इसमें इन्वैस्टमैंट लाना, नये उद्योग धंधे स्थापित कराना और नये उद्योग धंधों को सही रूप से पूरी कैपेसिटी के साथ चलाना कोई आसान काम नहीं है। जब से आर्थिक उदारीकरण का युग आया है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना आया है, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। उसके चलते हमारे जो उद्योग धंधे हैं उनके सामने निश्चित रूप से चुनौतियां खड़ी हुई हैं। अब जो यह सवाल उठता है कि हमारा उत्पादन घटा है, उपाध्यक्ष महोदय, तो पिछले तीन वर्ष में पूरे देश भर में औद्योगिक उत्पादन घटा है। जहां तक हमारे राज्य का सवाल है, पिछले सालों में हमारा औद्योगिक उत्पादन जो मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस सैक्टर है वहां तो बढ़ा है लेकिन एग्रीकल्चर में कमी आयी है। आर्थिक मंदी का जो यह वक्त है इसमें न केवल हमारे प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी उद्योग धंधों को विकसित करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जहां तक छोटी रुग्ण इकाइयों की बात है, लघु उद्योग इकाइयों का एक सर्वेक्षण हुआ है उसमें हमारे यहां दो लाख 11 हजार लघु उद्योग इकाइयां हैं उनमें से करीब सवा तीन हजार रुग्णता की स्थिति में हैं, यह 2 प्रतिशत के करीब है और देश भर के पैमाने पर यह 6 प्रतिशत के करीब है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब जब समान बिक्री कर की व्यवस्था बन गई है और दूसरी तरह की भी कोई छूट या अनुदान नहीं है तो निश्चित रूप से किसी भी राज्य में इस प्रतिस्पर्धा के समय में इन्वैस्टमैंट लाना और उद्योग धंधे लगाना मुख्य रूप से तीन बातों पर निर्भर करेगा। पहला, उस राज्य में पोलिटिकली स्टैबिलिटी है या नहीं, वहां का प्रशासन कुशल है कि नहीं, वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर है या नहीं और वहां पर ह्यूमन स्किल कैसा है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि राजस्थान में नयी सरकार ने इस दृष्टि से कई ठोस प्रयास किये हैं, उनके परिणाम आएंगे। अभी बिजनेस टुडे के 23 दिसम्बर के अंक में प्रकाशित हुआ है कि सरकार ने जो कदम उठाये हैं प्राइवेट इन्वैस्टमैंट लाने के लिए उसके परिणाम आने वाले दो-तीन साल में जरूर आएंगे। सरकार के साधन सीमित हैं इसलिए निश्चित रूप से निजी क्षेत्र से निवेश

(डा. चन्द्रभान)

आना चाहिए। यह केवल हमारे लिए जरूरी नहीं है पूरे देश और सभी राज्यों के लिए यह जरूरी है। राजस्थान प्रदेश का जहां तक सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में मैं यह तो नहीं कहता कि इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थिति एकदम ही खराब है लेकिन निश्चित रूप से कई राज्यों के मुकाबले में हम लोग पीछे हैं, इस क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। जो बड़े राज्य हैं उनमें हम 14 वें स्थान पर हैं। अभी यहां पर चर्चा की गई कि महाराष्ट्र और गुजरात में लोग उद्योग धंधे लगाने के लिए क्यों चले जाते हैं। राजस्थान प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा मरुस्थलीय है जहां पर पीने के पानी की दिक्कत है। हमारे यहां बोट की कोई सुविधा नहीं है। गुजरात और महाराष्ट्र में वह सुविधा है जिसके कारण कई यूनिट जो एक्सपोर्ट ओरियेंटेड होती है वे गुजरात और महाराष्ट्र में चली जाती हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री) : और बिजली भी नहीं है। पानी का तो कह दिया, बिजली का भी कह दो।

डा. चन्द्रभान : माननीय मंत्रीजी ठीक कह रहे हैं, बिजली की भी कमी है। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मुझे यह कहते हुए संतोष है, मैं भी सरकार में साढ़े 16 महीने से मंत्री हूं, किसान लोग तो बिजली की मांग को लेकर थोड़ा नाराज होते हैं, कई बार आंदोलित भी होते हैं लेकिन इण्डस्ट्री के लोगों ने कभी आज तक मुझसे यह शिकायत नहीं की कि उन्हें बिजली नहीं मिल रही। कई बार हम लोग कटौती भी करते हैं लेकिन जब स्थिति में सुधार होता है तो हम कटौती को बंद भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने जो न्यू कैप्टिव पावर प्लांट पालिसी बनायी है उसके जरिये हमारे इण्डस्ट्री के लोगों ने अपने खुद के पावर प्लांट लगा रखे हैं और उनकी कैपिसिटी राजस्थान में 400 मेगावाट की है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आज की कार्य सूची समाप्त होने तक ?

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : एक घंटे में नहीं होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय 6 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय 6 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

आपका नहीं, माननीय मंत्रीजी, आपका तो 5 बजे तक ही है।

मांग संख्या 23 व 42 पर विचार

डा. चन्द्रभान : अब जब 6 बजे तक बढ़ा ही दिया तो पांच मिनट तो बढ़ा देना आज।

(डा. चन्द्रभान)

ठीक है, यदि आपको मेरा भाषण अच्छा नहीं लगेगा तो मैं बीच में बैठ जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक नये उद्योग धंधे लगाने का सवाल है, ऐसी बात नहीं है कि नई इकाइयां नहीं आई हैं और नया इन्वैस्टमैंट नहीं आया है। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि 1998-99 में 2787 करोड़ रुपये का इन्वैस्टमैंट आया है और अब वह बढ़कर 5000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वैस्टमैंट प्रस्तावित है। हमारी जो बोर्ड आफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमैंट की दो मीटिंगें हुई उनमें ही 1500 करोड़ का इन्वैस्टमैंट आने का फैसला हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ यह भी कहना चाहूंगा कि गत वर्ष में जो हमारी लघु औद्योगिक इकाइयां, वृहत् और मध्यम स्तर की इकाइंया हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। राजस्थान में प्राइवेट और पब्लिक इन्वैस्टमैंट को लोने के लिए, इनकी पार्टनरशिप के लिए कुछ अभिनव प्रयास शुरू किये गये हैं। आपकी जानकारी में भी है कि एक इकोनोमिक डवलपमैंट बोर्ड माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में बनाया गया है जिसमें देश के प्रसिद्ध उद्योगपति, अर्थशास्त्री, वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि, एन.आर.आईज., सीनियर मिनिस्टर, सीनियर आफिसर हैं। यह इकोनोमिक डवलपमैंट बोर्ड जहां जरूरत हो सरकार को दिशा देने का काम करेगा जिससे कि यहां पर इन्वैस्टमैंट ज्यादा से ज्यादा आए।

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि यहां इण्डस्ट्री के लोग आते हैं और परेशान होकर चले जाते हैं, उनका वक्त चला जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती, उनको परेशान किया जाता है, अलग-अलग विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके लिए पूरे देश में पहली बार सिंगल विंडो सिस्टम यहां पर 10 मार्च से प्रारम्भ किया गया है। इस सिस्टम के अन्तर्गत मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में बी.आई.डी.आई. का गठन किया गया है। 3 करोड़ रुपये तक के जितने भी मामले होंगे वे जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, और 25 करोड़ रुपये तक के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और 25 करोड़ रुपये से ऊपर के इन्वैस्टमैंट के मसले इस बोर्ड में जाएंगे और उसमें जो फैसला होगा वह सबको मान्य होगा। अब चाहे रीको हो, चाहे आर.एफ.सी. हो, चाहे आ.एस.ई.बी. हो, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, सबको इसके फैसले मानने पड़ेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, मांग पारित कराओ।

डा. चन्द्रभान : मैं पांच मिनट लूंगा, मुझे मेरी घोषणा तो करने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अब नहीं हो सकती। आप मांग पारित करवाइए। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो दो मिनट है, दो मिनट तो दीजिए। आप घड़ी देखिए (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, फिर परम्परा क्या रहेगी ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट बाकी हैं, उनको आगाह कर रहा हूं मैं।

डा. चन्द्रभान : निजी निवेश के लिए राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर के स्तर को सुधारने के लिए एक नयी योजना तैयार की जाएगी। जो रुग्ण उद्योग हैं उनके लिए भी अलग से कार्यवाही करने की व्यवस्था करेंगे, नीति बनाएंगे। जो इण्डस्ट्रीज आ सकती हैं उन सब इण्डस्ट्रीज के लिए गैस की जहां जरूरत होगी तो भारत सरकार से बात कर गैस पाइप लाइन लाएंगे। राजस्थान, दिल्ली, कलकत्ता वगैरह में बिजनेस सेंटर खोलेंगे जिससे कि वहां के जो निवेशक हैं उन सभी को वहां जानकारी दी जा सके। राज्य में आई.टी. पालिसी के अनुसार साफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क विकसित करेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल कंक्लेव, 2000 का सितम्बर में आयोजन करेंगे जिसमें राजस्थान के जितने भी लोग बाहर हैं उनको बुलाएंगे और राजस्थान में उनका सम्मान करेंगे। राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा इन्वैस्टमैंट लाएंगे, राजस्थान में उद्योग धंधों को पनपाएंगे और इसके साथ जो उद्योग धंधे हैं उनको चलाएंगे, राज्य का औद्योगिक विकास करेंगे।

मांग संख्या 23 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-23, श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 46,55,43,000 (छियालिस करोड़ पचपन लाख तियालिस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(17.00बजे)

मांग संख्या 42 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-42, उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 78,11,57,000 (अठ्ठहतर करोड़ ग्यारह लाख सत्तावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मुखबंद

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या-1

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-1, राज्य विधान मण्डल के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,61,85,000 (दस करोड़ इकसठ लाख पिचयासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-2

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-2, मंत्री परिषद् के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त

(श्री उपाध्यक्ष)

होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,43,28,000 (तीन करोड़ तियालिस लाख अट्ठाइस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-3

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-3, सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 89,22,58,000 (नवासी करोड़ बाइस लाख अट्ठावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-5

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-5, प्रशासनिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 29,41,51,000 (उनतीस करोड़ इकतालिस लाख इक्यावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-4

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-4, जिला प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,19,07,19,000 (एक अरब उन्नीस करोड़ सात लाख उन्नीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-6

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-6, न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,02,68,02,000 (एक अरब दो करोड़ अड़सठ लाख दो हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-7

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-7, निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्री उपाध्यक्ष)

11,85,13,000 (ग्यारह करोड़ पिच्यासी लाख तेरह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-10

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-10, विविध सामान्य सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,14,000 (सोलह लाख चौदह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-11

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-11, विविध सामाजिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,15,88,000 (दस करोड़ पन्द्रह लाख अट्ठयासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-13

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-13, आबकारी के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,34,97,49,000 (एक अरब चौंतीस करोड़ सत्यानवें लाख उनचास हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-14

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-14, बिक्री कर के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 48,26,19,000 (अड़तालिस करोड़ छब्बीस लाख उन्नीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-15

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-15, पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,28,88,02,000 (ग्यारह अरब अट्ठाइस करोड़ अट्ठयासी लाख दो हजार)

(श्री उपाध्यक्ष)

तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-18

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-18, जन सम्पर्क के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,00,01,000 (आठ करोड़ एक हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-19

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-19, लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,18,43,50,000 (तीन अरब अट्ठारह करोड़ तियालिस लाख पचास हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-21

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-21, सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,07,18,22,000 (चार अरब सात करोड़ अट्ठारह लाख बाइस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-22

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-22, क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,07,24,04,000 (दो अरब सात करोड़ चौबीस लाख चार हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-25

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-25, कोषागार व लेखा प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 41,19,78,000 (इकतालिस करोड़ उन्नीस लाख अट्ठहतर हजार) तक की राशि,

(श्री उपाध्यक्ष)

जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-30

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-30, जनजातीय क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,87,59,16,000 (दो अरब सत्यासी करोड़ उनसठ लाख सोलह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाएं ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-31

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-31, पुनर्वास एवं सहायता के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,13,000 (अट्ठारह लाख तेरह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-32

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-32, नागरिक आपूर्ति के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,16,56,000 (उन्नीस करोड़ सोलह लाख छप्पन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-33

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-33, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,40,82,19,000 (पांच अरब चालीस करोड़ बियासी लाख उन्नीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाएं ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-35

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-35, विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,42,55,59,000 (एक अरब बियालिस करोड़ पचपन लाख उनसठ

(श्री उपाध्यक्ष)

हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-36

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-36, सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 86,47,64,000 (छियासी करोड़ सैंतालिस लाख चौंसठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-37

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-37, कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,18,79,57,000 (दो अरब अट्ठारह करोड़ उनयासी लाख सत्तावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-38

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-38, लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,17,28,87,000 (एक अरब सतरह करोड़ अट्ठाइस लाख सत्यासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-39

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-39, पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,25,29,32,000 (एक अरब पच्चीस करोड़ उनतीस लाख बत्तीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-40

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-40, राजकीय उपक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्ययं के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,56,80,000 (एक करोड़ छप्पन लाख अस्सी हजार) तक की राशि, जिसमें

(श्री उपाध्यक्ष)

लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-44

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-44, लेखन सामग्री एवं मुद्रण के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,37,10,000 (सोलह करोड़ सैंतीस लाख दस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-45

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-45, राज्य कर्मचारियों को ऋण के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,66,16,21,000 (एक अरब छियासठ करोड़ सोलह लाख इक्कीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-47

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-47, पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,35,14,000 (छह करोड़ पैंतीस लाख चौदह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-48

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-48, विद्युत के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,28,23,18,000 (पांच अरब अट्ठाइस करोड़ तेईस लाख अट्ठारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-49

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-49, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,14,93,000 (अट्ठारह करोड़ चौदह लाख तिरानवें हजार)

(श्री उपाध्यक्ष)

तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-50

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-50, ग्रामीण रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,62,50,000 (सैंतीस करोड़ बासठ लाख पचास हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2000

विधायी कार्य। पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक, श्री प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या 3) को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2000 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2000 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 24 अप्रैल, 2000 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.15 बजे, सोमवार, दिनांक 24 अप्रैल,2000 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 461 की सूची)

परिशिष्ट-"क"

नागौर जिले के अनुसूचित जाति के लोगों के खातेदारी की भूमि के विरुद्ध स्वर्ण जाति के लोगों द्वारा कब्जा करने सम्बन्धी राजस्व मण्डल में विचाराधीन प्रकरणों की सूची

1.	अडि 36/98	मसीद खां पुत्र समन खां मुसलमान	बनाम	पूर्णमल पुत्र भागीरथ भांबी	ता. पेशी 19-4-2000
2.	अडि 101/98	मोहन लाल पुत्र जगन्नाथ खाती	बनाम	नारायण उर्फ रामनारायण पुत्र पेमाराम भांबी	ता. पेशी 3-4-2000
3.	अडि 24/98	धनी बेवा पांचाराम कुम्हार	बनाम	प्रभूराम पुत्र बालूराम भांबी	ता. पेशी 14-6-2000
4.	अडि 70/98	मुख्य अभियन्ता पी.एच.ई.डी.	बनाम	मिश्रीलाल पुत्र मघाराम मोची	ता. पेशी 19-4-2000
5.	अडि 8/98/नजर	भैरूराम पुत्र रुघनाथ माली	बनाम	मांगीलाल पुत्र सूरजकरण भांबी	ता. पेशी 5-4-2000

उक्त प्रकरण वर्ष 1998 से ही राजस्व मण्डल में विचाराधीन हैं, यह सभी मामले राजस्व कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224के तहत द्वितीय अपीलीय प्रक्रिया के अन्तर्गत राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के विरुध राजस्व मण्डल में लम्बित हैं, जहां तक राजस्व अपील अधिकारी के आदेशों को बदलने का प्रश्न है तो वह राजस्व मण्डल के निर्णय के उपरान्त ही सम्भव है।

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 464 की सूची)

सूची- "क"

DEPARMENTAL VETERINARY INSTITUTE 1999-2000

S.NO.	D.A.H.O.	Polyclinic Hos.	Ist Gr. Hos.	Vety Hos.	TOTAL	DISPEN-SARY	TOTAL	SUB-CENTRE	WORKING AT POINTS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	AJMER	1	-	47	48	16	64	31	84
2.	ALWAR	1	-	56	57	15	72	92	114
3.	ANUPGARH	-	-	26	26	0	26	38	56
4.	BANSWARA	1	-	36	37	25	62	55	82
5.	BARAN	-	1	26	27	3	30	31	39
6.	BARMER	-	1	53	54	3	57	42	28
7.	BHARTPUR	1	-	45	46	8	54	84	104
8.	BHILWARA	-	1	61	62	21	83	96	123
9.	BIKANER	1	-	45	46	0	46	25	53
10.	BUNDI	-	1	25	26	1	27	33	50
11.	CHITTORGARH	-	2	53	55	7	62	85	98
12.	CHURU	-	1	51	52	8	60	33	48
13.	DAUSA	-	1	28	29	7	36	35	60
14.	DHOLPUR	-	1	18	19	5	24	13	44

1	2	3	4	5	6	7.	8	9	10
15.	DUNGARPUR	-	1	34	35	13	48	84	101
16.	JAIPUR	1	-	84	85	20	105	113	165
17.	JAISALMER	-	1	33	34	0	34	16	6
18.	JALORE	-	1	43	44	1	45	27	60
19.	JHALAWAR	-	1	28	29	2	31	38	44
20.	JHUNJHUNU	-	1	54	55	14	69	66	85
21.	JODHPUR	1	-	76	77	16	93	42	48
22.	KOTA	1	-	27	28	0	28	33	50
23.	KUCHAMAN CITY	-	-	32	32	4	36	29	29
24.	NAGAUR	-	1	37	38	8	46	38	39
25.	PALI	1	-	58	59	13	72	43	53
26.	RAHSAMAND	-	1	33	34	11	45	57	71
27.	SAWAI MADHOPUR	-	1	19	20	5	25	29	42
28.	SIKAR	1	-	54	55	17	72	88	143
29.	SIROHI	-	1	27	28	6	34	49	40
30.	GANGANGAR	1	-	27	28	5	33	49	51
31.	TONK	-	1	34	35	6	41	18	60
32.	UDAIPUR	1	-	60	61	17	78	141	142
33.	KAROLI	-	1	26	27	5	32	26	54
34.	HANUMANGARH	-	1	30	31	3	34	38	45
	TOTAL	**12**	**21**	**1386**	**1419**	**285**	**1704**	**1727**	**2311**

परिशिष्ट "ख"

ऐसे होमियोपैथिक चिकित्सकों की सूची जो नियुक्ति दिनांक से तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही स्थानान्तरण पर वर्ष 1999-2000 में जयपुर शहर में पदस्थापित किये गये हैं

क्र.स.	नाम चिकित्सक	वर्तमान पदस्थापन स्थान
1.	डा. आलोक कुमार वर्मा	हीरापुरा-जयपुर
2.	डा. साधना शर्मा	गांधीनगर-जयपुर
3.	डा. नमीता राजवंशी	थाना एयरपोर्ट, सांगानेर-जयपुर

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर क्रियान्विति

467. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार को प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो कब ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो कौन-कौनसी सिफारिश को क्यों, किस कारण लागू नहीं करना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी हां। आयोग ने दिनांक 4.3.2000 को निम्न पांच प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये हैं :-

1. राजस्व प्रशासन

2. पंजीयन एवं मुद्रांक

3. शहरी सम्पत्ति पर कर, गृह कर, भूमि एवं भवन कर तथा शहरी सम्पत्तियों का निर्धारण।

4. राज्य लोक सेवकों हेतु स्थानान्तरण नीति।

5. जन समस्याओं का निराकरण।

(2) आयोग से प्राप्त प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण के पश्चात् यथोचित कार्यवाही की जावेगी।

निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में प्रवेश सम्बन्धी अनियमितता

468. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) एवं **श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या वर्ष 1999-2000 में निजी क्षेत्र में मेडिकल/डेन्टल कालेज व नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर खोलने के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं ? उक्त में से कितने प्रस्ताव स्वीकृत किये व कितने किस मानदण्ड से अस्वीकृत किये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) निज़ी क्षेत्र के किन-किन मेडिकल कालेज/नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर व डेन्टल कालेज में छात्रों को प्रवेश देकर अध्ययन प्रारम्भ किया गया है ?

(3) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में आरसी मेडिकल/डेन्टल कालेज व नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर को प्रोत्साहन हेतु कोई रियायत प्रदान की है ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

(4) क्या उक्त कालेजों में प्रवेश सम्बन्धी अनियमितताओं की शिकायतें सरकार को मिली हैं ? य़दि हां, तो क्या-क्या अनियमितताएं हुईं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। मेडिकल कालेज के 11, डेन्टल कालेज के 17 तथा नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर के 6 प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं। मेडिकल/डेन्टल कालेज के 7 प्रस्ताव अपूर्ण होने के कारण अस्वीकृत किये गये हैं।

(2) निजी क्षेत्र के मेडिकल व डेन्टल कालजों की किसी की भी स्वीकृति एम.सी. आई./डी.सी.आई./भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। अत: छात्रों को प्रवेश का अभी प्रश्न ही नहीं उठता। निजी क्षेत्र में निम्न नर्सिंग शिक्षण संस्थानों में अभ्यर्थियों का चयन कर प्रवेश दिया गया है :-

1. इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल टेक्नोलोजी एण्ड नर्सिंग एजूकेशन, लालकोठी स्कीम, जयपुर।
2. एम.एन.हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, बीकानेर।
3. एस.एन. इन्स्टीट्यूट आफ पैरा मेडिकल, श्रीगंगानगर।
4. हैल्थ एण्ड हाईजिन नर्सिंग एजूकेशन इन्स्टीट्यूट, अलवर।
5. इन्दिरा एजूकेशन इन्स्टीट्यूट एण्ड हैल्थ सोसायटी, उदयपुर।
6. व्यास नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, सरदारपुरा, जोधपुर।

(3) जी नहीं।

(4) उदयपुर में स्थापित होने वाले दर्शन डेन्टल कालेज के विरुद्ध अधिक धनराशि लेकर प्रवेश देने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर, उदयपुर से जांच कराई गई और कालेज के प्रबन्धक ट्रस्टी से स्पष्टीकरण मांगा गया। ट्रस्टी ने अवगत कराया है कि उन्होंने किसी से भी धनराशि नहीं ली और न ही किसी छात्र को प्रवेश दिया है। उन्होंने यह भी लिखित में दिया है कि राज्य सरकार द्वारा मेरिट के आधार पर उपलब्ध कराई जाने वाली विद्यार्थियों की सूची के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय व डेन्टल कौंसिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही प्रवेश दिया जावेगा। शिकायतकर्ता द्वारा भी शिकायत वापस ले ली गई है।

जिला डूंगरपुर में बनाये गये बांध

469. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत वर्षों में भू-संरक्षण के जिला डूंगरपुर में कई कार्य कराये

(श्री नाथूराम अहारी)

गये हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1995 से 1999 तक कहां-कहां किस-किस क्षेत्र में कितना-कितना कार्य हुआ है ? उक्त कार्यों की मौके पर क्या स्थिति है ?

(2) क्या डूंगरपुर में एनीकट/बांध के कार्य भी किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र में कितने एनीकट/बांध बनाये ?

(3) क्या उक्त एनीकट/बांधों से सिंचाई भी होती है ? यदि हां, तो कितनी भूमि में विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत वर्षों में जिला डूंगरपुर में कई भू-सरंक्षण कार्य करवाये गये हैं। वर्ष 1995 (वित्तीय वर्ष 1994-95) से वर्ष 1999 (वित्तीय वर्ष 1999-2000) तक 67231 हैक्टेयर क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्य करवाये गये हैं जिस पर कुल 18.13 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई है। पंचायत समितिवार एवं जलग्रहण क्षेत्रवार करवाये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उक्त कार्यों की मौके पर स्थिति ठीक है। कार्यों का लाभ जलग्रहण क्षेत्र के कृषकों को मिल रहा है।

(2) हां। जिला डूंगरपुर की पंचायत समिति बिछीवाड़ा में 2, पंचायत समिति सागवाड़ा में 3 एवं पंचायत समिति सिमलवाड़ा में 4, इस प्रकार कुल 9 एनीकटों का निर्माण करवाया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उक्त एनीकटों से सिंचाई नहीं होती है। जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा निर्माण किये गये एनीकटों का मूल उद्देश्य सिंचाई न होकर भूमि जलस्तर में बढ़ोतरी करना है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण

470. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों/मनोनीत सदस्य एवं पदाधिकारियों को राज्य सरकार के किन नियमानुसार चिकित्सा/पुनर्भरण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सा बिलों के पुनर्भरण हेतु क्या बोर्ड के अपने प्रावधान/नियम हैं ? यदि हां, तो ऐसे नियम/प्रावधान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बोर्ड राज्य सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा बिल पुनर्भरण नियमों/निर्देशों में कोई संशोधन करने में सक्षम है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों एवं

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

अध्यक्ष को राज्य सरकार के चिकित्सा सुविधा/पुनर्भरण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये नियम राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम, 1970 कहलाते हैं, जिनकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। इन्हें राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड रेगुलर एम्पलाइज सर्विस रेगूलेशन, 1977 के नियम 38 के अन्तर्गत अपनाया गया है।

(2) अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अध्यक्ष के चिकित्सा बिलों के पुनर्भरण हेतु राज्य सरकार के चिकित्सा नियम ही मान्य हैं। पृथक से कोई नियम नहीं हैं।

(3) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम में बोर्ड अपने नियम, जिनमें चिकित्सा नियम भी हैं, अपनाने का प्रावधान है। किन्तु बोर्ड द्वारा राज्य सरकार के नियमों को ही अपना लिया गया है। अधिनियम में संबंधी प्रावधान की फोटो प्रति संलग्न है।

(नियम की प्रति प्रश्न शाखा के मूल सैट में सुरक्षित रखी गई।)

ग्राम खवांरानी (जयपुर) के आम रास्ते पर अतिक्रमण

471. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) के ग्राम खवारानी जी के बस स्टैण्ड से ग्राम तक के आम रास्ते को पत्थरों की दीवार बनाकर रोक दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण कब और किन व्यक्तियों द्वारा किया गया है ? उक्त सरकारी भूमि पर कब्ज़ा कर रास्ता रोकने के लिए राजस्व विभाग के कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

(2) क्या उक्त रास्ते को रोकने के सम्बन्ध में ग्राम की जनता द्वारा अनेक प्रार्थना पत्र भी सम्बन्धित विकास अधिकारी, जिला कलेक्टर एवं तहसीलदार को दिये गये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। रास्ते को पत्थरों की दीवार बनाकर नहीं रोक रखा है, रास्ते के साथ-साथ बनी हुई जमवारामगढ़ की नहर पर 68 लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

तहसीलदार द्वारा 63 अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दिनांक 5.4.2000 को शास्ती व बेदखली की कार्यवाही की गई है तथा 5 अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही जेरकार है। मामला न्यायिक प्रक्रिया में है।

(2) जी, नहीं।

ग्राम खवारानी जी के बस स्टैण्ड ग्राम तक के आम रास्ते की अतिक्रमियों की सूची

क्र.सं.	नाम अतिक्रमण	खसरा	रकबा	अतिक्रमण होने का वर्ष किस्म	वर्ष	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री पूर्ण. नहनू महादेव पि. मांग लाल कुम्हार नि. खवारानी	112/9	22 वर्गगज	गै.मु. नहर	सम्वत् 2048 से पुरानी है	फैसला बेदखली दिनांक 5.4.2000
2.	श्री शंकर पुत्र लादू राम खाती नि. खवारानीजी	,,	6×3दुकान 18 वर्गगज	,,	,,	,,
3.	रामजी लाल पुत्र महादेव हरि.ब्रा. नि. जारूडा	,,	2×2दुकान 4 वर्गगज	,,	,,	,,
4.	श्री ओंकार पुत्र भैरू खाती सा.देह	,,	5×3दुकान 15 वर्गगज	,,	,,	
5.	श्री अब्दूला सलाम पुत्र अमीर खा. नि. खवारानीजी	,,	2×2दुकान 4 वर्गगज	,,	,,	
6.	सलेमान पुत्र छोटू खां सा.देह	,,	2×2दुकान 4 वर्गगज	,,	,,	
7.	श्री सलभा पुत्र इमामुदीन खां नि. खवारानीजी	,,	2×2दुकान 4 वर्गगज	,,	,,	
8.	श्री इब्राहीम, छुट्टन पि. इमामुदीन खां मुसलमान नि.खवारानीजी	,,	4×4दुकान 16 वर्गगज	,,	,,	
9.	श्री कल्याण पुत्र नारायणा राणा नि. खवारानीजी	,,	2×2दुकान 4 वर्गगज	,,	,,	
10.	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री नारायण ब्रा. नि. बादडी	,,	2×2दुकान 4 वर्गगज	,,	,,	फैसला जेरकार
11.	श्री रामनारायण पुत्र लादू गूर्जर नि. शिवपुरा	,,	2×2दुकान 4 वर्गगज	,,	,,	फैसला बेदखली दि. 5.4.2000
12.	श्री बुद्धि प्रकाश पुत्र सुवा कोली नि. खवारानीजी	,,	2×2दुकान 4 वर्गगज	,,	,,	,,
13.	श्री रामकिशोर पुत्र चुन्नीलाल ह. ब्रा. सा.देह	,,	6×3डण्डा 18 वर्गगज	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
14.	श्री रामू पुत्र छीतर धोबी सा.देह	112/9	2×2दुकान 4 वर्गगज	गै.मु. नहर	सम्वत् 2048 से पुरानी है	फैसला बेदखली दिनांक 5.4.2000
15.	श्री नहनू पुत्र धन्ना हरि.ब्रा.नि.देह	,,	9×3दुकान 27 वर्गगज	,,	,,	,,
16.	श्री जमन पुत्र देवबक्स गुर्जर नि. शिवपुरा	,,	2×2दुकान 4 वर्गगज	,,	,,	,,
17.	श्री घीतर पुत्र मुलचन्द हरि.ब्रा. बन्दावाला नि. देह	,,	डेहरा,रेवडा 1×1वर्गगज	,,	,,	,,
18.	श्री रामू पुत्र बृद्धी नारायण कोली नि. देह	,,	डेहरा, रेवडा 2×1, 2वर्ग.	,,	,,	,,
19.	श्री महादेव पुत्र नहनू हरि.ब्रा. नि. देह	,,	डेहरा, रेवडा 3×1, 3वर्ग.	,,	,,	,,
20.	श्री गिरधारी पुत्र गंगाराम माली नि. देह	,,	डेहरा, रेवडा 13×2 26 वर्गगज	,,	,,	,,
21.	श्री राधेश्याम पुत्र बाल किशन ब्रा. नि. देह	,,	डेहरा, 4×3 12 वर्गगज	,,	,,	,,
22.	श्री सीताराम पुत्र कल्याण हरि. ब्रा. सा. देह	,,	डेहरा, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	,,
23.	श्री छोटिया पुत्र नारायण धोबी सा. देह	,,	रेवडा, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	,,
24.	श्री रामचन्द्र राधेश्याम पिता नारायण धोबी सा. देह	,,	रेवडा, 2×2 4 वर्गगज	,,	,,	,,
25.	श्री लक्ष्मण पुत्र छीतर धोबी सा. देह	,,	रेवडा, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	,,
26.	श्री कल्याण पुत्र सत्यनारायण हरि. ब्रा. सा. देह	,,	डेहरा, डण्डा 8×2, 16 वर्गगज	,,	,,	,,
27.	श्री राजू पुत्र छीतर धोबी सा. देह	,,	रेवडा, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	फैसला जेरकार

1	2	3	4	5	6	7
28.	श्री किशन लाल पुत्र नारायण	112/9	रेवडा, 2×1 2 वर्गगज	गै.मु. नहर	सम्वत् 2048 से पुरानी है	फैसला बेदखली दिनांक 5.4.2000
29.	श्री रामजी लाल पुत्र भोरी लाल हरि. ब्रा. पण्डा सा. देह	,,	रेवडा, 2×1 2 वर्गगज	,, ,,	,, ,,	,, ,,
30.	श्री बाबूलाल पुत्र रामजी लाला सोनी सा. देह	,,	रेवडा, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	,,
31.	श्री रामजी लाल पुत्र भूरया हरि. ब्रा. सा. देह	,,	रेवडा, 3×2 6 वर्गगज	,,	,,	,,
32.	श्री प्रभू पत्र नहनू हरि. ब्रा. सा. देह	,,	रेवडा, 3×1 3 वर्गगज	,,	,,	,,
33.	श्री रामकिशन पुत्र महादेव हरि. ब्रा. सा. देह	,,	रेवडा, 4×2 8 वर्गगज	,,	,,	,,
34.	श्री लक्ष्मी नारायण पुत्र ऊमनाथ हरि. ब्रा. सा. देह	,,	रेवडा, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	,,
35.	श्री लक्ष्मण पुत्र लादूराम हरि ब्रा. सा. देह	,,	रेवडा, 2×1 2 वर्गगज	,,	2050	,,
36.	श्री धन्ना लाल पुत्र श्योला हरि. ब्रा. सा. देह	,,	रेवडा, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	,,
37.	श्री भेरिया पुत्र कालू हरि. ब्रा. सा. देह	,,	रेवडा, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	,,
38.	श्री रामू पुत्र श्योला हरि. ब्रा. सा. देह	,,	रेवडा, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	,,
39.	श्री रामजी लाल पुत्र रामसहाय हरि. ब्रा.	,,	रेवडा, 2×1 2 वर्गगज	,,	2048	,,
40.	श्री हनुमान पुत्र भैरू हरि. ब्रा. सा. हरि ब्रा. सा. देह	,,	रेवडा, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	फैसला जेरकार
41.	श्री नारायण, छोगूराम, रामेश्वर गंगासहाय हरि. ब्रा. सा. देह	,,	डेहरा, रेवडा 4×3 12 वर्गगज	,,	,,	फैसला बेदखली
42.	श्री कल्याण, कन्हैया लाल पि. गंगासहाय हरि. ब्रा. सा. देह	,,	रेवडा, 2×2 4 वर्गगज	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
43.	श्री भौरी लाल पुत्र गोबिन्दा माली सा. देह	112/9	थडी, 2×1 2 वर्गगज	गै.मु. नहर	सम्वत् 2048	फैसला बेदखली
44.	श्री रामचन्द्र पुत्र हीरालाल कुम्हार सा. देह	,,	थडी, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	फैसला जेरकार
45.	श्री लल्लू पुत्र गणपत शर्मा सा. देह	,, ,,	थडी, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	फैसला बेदखली
46.	श्री हरसहाय पुत्र बाबूराम लुहार सा. देह	,,	थडी, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	,,
47.	श्री सलीम पुत्र गफूर साह मुसलमान सा. देह	,,	थडी, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	,,
48.	श्री बुन्दू पुत्र रमजान गुसाई सा. देह	,,	थडी, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	,,
49.	श्री रामेश्वर पुत्र रूपनारायण गुसाई सा. देह	,,	थडी, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	,,
50.	श्री रामस्वरूप पुत्र रामेश्वर पंचोली हरि. ब्रा. सा. देह	,,	थडी, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	,,
51.	श्री बद्री पुत्र देवा माली सा. देह सा. देह	,,	थडी, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	,,
52.	श्री गोविन्दा पुत्र काना हरि. ब्रा. नि. गुढाबासनेवट सा. देह	,,	थडी, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	,,
53.	श्री लाला पुत्र अलादीन साह सा. देह	,,	थडी, 2×1 2 वर्गगज	,,	2053	,,
54.	श्री नाथू पुत्र मूलचन्द माली सा. देह	,,	छप्पर, 9×2 18 वर्गगज	,,	,,	,,
55.	श्री सीता राम पुत्र जोहरी लाल हरि. ब्रा. सा. देह	,,	छप्पर, 8×2 16 वर्गगज	,,	,,	,,
56.	श्री बाबूलाल पुत्र कल्याण हरि. ब्रा. सा. देह	,,	थडी, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	,,
57.	श्री राजू पुत्र बद्री हरि. ब्रा. सा. देह	,,	थडी, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	,,
58.	श्री कल्याण पुत्र श्योनारायण हरि. ब्रा. सा. देह	,,	थडी, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
59.	श्री भौरमा पुत्र बालू हरि. ब्रा. सा. देह	112/9	छप्पर, थडी 2×1 2 वर्गगज	गै.मु. नहर	सम्वत् 2054	फैसला बेदखली
60.	श्री लाला पुत्र नहनू हरि. ब्रा. सा. देह	,,	छप्पर, थडी 8×5 40 वर्गगज	,,	2048	,,
61.	श्री कैलाश पुत्र प्रभात हरि. ब्रा. सा. देह	,,	थडी, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	,,
62.	श्री जगदीश पुत्र छीतर धोबी सा. देह	,,	थडी, 2×1 2 वर्गगज	,,	,,	,,
63.	श्री काना पुत्र छोटू माली सा. देह	,,	पत्थर, रेवडा 3×2 6 वर्गगज	,,	,,	,,
64.	श्री लक्ष्मण पुत्र नहनू हरि. ब्रा. सा. देह	468	डण्डा, 4×2 8 वर्गगज	,,	,,	,,
65.	श्री कल्याण पुत्र धन्ना हरि. ब्रा. सा. देह	459	पु. मकान 6×2 12 वर्गगज	,,	,,	,,
66.	श्री भौरीलाल पुत्र बिरदा हरि. सा. देह	63	डण्डा, 19 ×12 228 वर्गगज	,,	,,	फैसला जेरकार
67.	श्री तेज्या पुत्र मंगल्या हरि. ब्रा. सा. देह	444	डण्डा 22 ×2 44 वर्गगज	,,	,,	फैसला बेदखली 5.4.2000
68.	श्री छाजू पुत्र नूर खां मुसलमान सा. देह	448	पत्थर 12×2 24 वर्गगज	,,	,,	,,

जिला धौलपुर में विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्य

472. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1999-2000 में जिला धौलपुर में विभिन्न योजनाओं के तहत कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? सूची आबंटित राशि के विवरण सहित सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत राशि का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त प्रकरणों में दोषी कौन-कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धौलपुर द्वारा वर्ष 1999-2000 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में 860 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। योजनावार कार्यों का विवरण तथा कार्य के लिए स्वीकृत/आबंटित राशि का विस्तृत विवरण संबंधित कार्य के सम्मुख परिशिष्ट-"अ" में अंकित है।

(2) जी नहीं। कुछ कार्यों के लिए स्वीकृतियां वित्तीय वर्ष के अन्त में जारी हुई हैं, राज्य कर्मचारियों की हड़ताल तथा ग्राम पंचायतों/जिला परिषदों के चुनाव के कारण कुछ कार्यों में आबंटित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं करवाया जा सका। इस परिप्रेक्ष्य में कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है।

(3) कुछ कार्यों के लिए स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अन्त में जारी होने, पंचायतों के चुनाव व राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण वस्तुतः स्वीकृत राशि का पूर्ण उपयोग करने में समय लगना स्वाभाविक है। अतः इस संदर्भ में किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं माना जा सकता।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

राज्य के मदिरा ठेकों से प्राप्त राशि

473. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1997-1999 के ठेके जिलेवार समूहों के थे जिन्हें 1999-2001 में बदल कर समूहों की संख्या बढ़ा दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) राज्य में विभिन्न समूहों के ठेके उठाने के लिए नीलामी कार्यवाही कब-कब कहां-कहां रखी गई ? समूहों के ठेके किस-किस तिथि में नीलाम हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1999-2000 में समूहवार लक्ष्य के विपरित कितनी राशि प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा घोषित आबकारी नीति अनुसार वर्ष 97-98 के

(आबकारी मंत्री)

लिए 216 मदिरा समूह एवं 352 भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर क्षेत्रों का गठन किया गया था। बंदोबस्त में आई कठिनाइयों के कारण अधिकांश जिलों का बंदोबस्त राजस्व जिलेवार संपादित हुआ परन्तु स्वीकृतियां समूह एवं क्षेत्रवार पृथक-पृथक ही जारी की गई। वर्ष 1999-2001 के लिए 67 मदिरा समूहों का गठन किया गया था, जिनमें से पड़त रहे समूहों को पुनर्गठित कर कुल 120 समूहों में बंदोबस्त सम्पन्न कराया गया।

(2) आबकारी बंदोबस्त वर्ष 1999-2001 के लिए जिन दिनांक को जिस स्थान पर निविदा/प्रस्ताव आमंत्रित किये गये, उसकी सूची परिशिष्ट-1 पर है। समूहों के ठेके जिस-जिस तिथि में निलाम हुए, उसका विवरण परिशिष्ट-2 में सम्मिलित है।

(3) वर्ष 1999-2000 में समूहवार आरक्षित राशि (लक्ष्य) रु. 81130.60 लाख के विरुद्ध वार्षिक राशि रु. 77395.85 लाख प्राप्त हुई। चूंकि कुछ समूह वर्ष 1999-2000 में विलंब से अलग-अलग तिथियों को उठे थे अत: इस वर्ष की कुल अनुपातिक राशि रुपये 68719.15 लाख प्राप्त हुई। समूहवार आरक्षित राशि एवं प्राप्त राशि का विवरण परिशिष्ट-2 में उल्लिखित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

आयुर्वेद विभाग कोटा के उप निदेशक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति

474. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, कोटा के विरुद्ध आरोप पत्र विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस-किस प्रकरण में कब से कितने ?

(2) क्या सरकार उक्त आरोप पत्रों को तत्काल जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त उप निदेशक के विरुद्ध पूर्व में भी आरोप पत्र जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(4) क्या सरकार उक्त उप निदेशक को प्रशासनिक सुधार के लिए चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में उप निदेशक, कोटा के पद पर कार्यरत अधिकारी के विरुद्ध निम्न प्रकरणों में प्रस्तावित आरोप पत्र जारी करने हेतु विचाराधीन है :-

1. आयुर्वेद चिकित्सक श्री मदनलाल गौतम की सेवानिवृत्ति तिथि की सूचना समय पर नहीं भिजवाने के कारण दिनांक 24.7.97 से।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

2. सिविल वाद संख्या 371/95 (381/84) में प्रभारी अधिकारी के रूप में न्यायालय में प्रकरण की प्रभावी प्रस्तुति नहीं करने एवं निर्णय उपरान्त की प्रति व राजकीय अधिवक्ता की राय अपील समयावधि में नहीं भेजने के कारण दिनांक 26.5.98 से।

3. आयुर्वेद चिकित्सक श्री महावीर प्रसाद शर्मा के वेतन बिल की पूर्ण जांच नहीं कर कार्यालय पद्धति से हटकर कार्य करने के कारण।

4. वाद संख्या 650/74 एवं सिविल अपील संख्या 354/79 श्रीमती कमलेश बोहरा बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में हुए विलम्ब में दोषी दिनांक 7.7.99 से।

(2) अभिलेखों की जांच की जा रही है, जांच के उपरान्त इन प्रकरणों पर निर्णय लिया जा सकेगा।

(3) जी हां। दिनांक 20.5.99 को दो आरोप पत्र तथा दिनांक 27.8.99 को एक आरोप पत्र जारी किये गये हैं।

(4) नियमों के अन्तर्गत अन्य अधिकारियों के साथ इस पर भी निर्णय लिया जा सकेगा।

जिला पाली के विभिन्न विभागों में रिक्त पद

475. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली में जनवरी, 2000 तक किस-किस विभाग में किस-किस श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं ?

(2) उक्त जिले में गत एक वर्ष में कितने पद संमाप्त कर दिये गये एवं कितने पदों को नई भर्ती द्वारा भरा गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) उक्त जिले में आवश्यक सेवाओं के रिक्त पद कब तक भर दिये जाएंगे ?

उत्तर

(1) पाली जिले में जनवरी, 2000 तक विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–अ)

(2) पाली जिले में स्थित विभिन्न विभागों में गत एक वर्ष में समाप्त किये गये पदों एवं नई भर्ती द्वारा भरे गये पदों सम्बन्धी विभागवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट-ब एवं स पर संलग्न है।

(3व4) समस्त प्रकार की नियुक्तियां/भर्तियां कार्मिक विभाग/वित्त विभाग की सहमति से की जा सकती हैं।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजकीय चिकित्सालय ब्यावर की ट्रोमा यूनिट हेतु भवन निर्माण

476. डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर में कोई ट्रोमा यूनिट स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो इस हेतु भवन क्यों व कैसे बनवाया गया ? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ट्रोमा यूनिट के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति तथा उपकरण एवं अन्य साधन सुविधाएं स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से ? क्या उक्त स्वीकृतियों के अनुसार यहां स्टाफ की नियुक्ति तथा उपकरणों की आपूर्ति कर दी गई ? यदि नहीं, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त ट्रोमा यूनिट के लिए भवन का निर्माण किसी दानदाता से करवाया गया है ? यदि हां, तो किससे व किन शर्तों पर ? क्या निर्धारित की गई शर्तों को पूर्ण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा राजकीय अमृतकौर, चिकित्सालय, ब्यावर में कोई ट्रोमा यूनिट स्वीकृत नहीं की गई है।

दिनांक 18.3.97 को चिकित्सालय सलाहकार समिति की बैठक में मैसर्स ताराचन्द मालानी चेरीटेबल ट्रस्ट, ब्यावर के सौजन्य से कुल लागत का 75% खर्चा ट्रस्ट द्वारा तथा 25% खर्चा या 2.75 लाख जो भी कम हो, डी.आर.डी.ए. अजमेर द्वारा अनटाईड फण्ड से ट्रोमा यूनिट के भवन निर्माण करवाये जाने का निर्णय लिया गया। जिससे अनुक्रम में सचिव, चिकित्सालय सलाहकार समिति ने भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की। स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, ट्रोमा यूनिट के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों के पदों का सृजन एवं उपकरण हेतु स्वीकृति जारी नहीं की है, परन्तु उक्त यूनिट चिकित्सालय में उपलब्ध स्टाफ एवं उपकरणों से ही चलाये जाने की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सुविधाएं उपलब्ध करवा कर संचालित की जा रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) जी हां, मैसर्स ताराचन्द मालानी, चेरीटेबल ट्रस्ट द्वारा उक्त भवन का निर्माण निम्नलिखित शर्तों पर करवाये जाने की स्वीकृति सचिव, चिकित्सालय सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 22.3.97 को प्रदान की गई :-

1. जिला कलेक्टर फण्ड से 2.75 लाख या निर्माण कार्य का 25% जो भी कम हो, दिये जावेंगे।

2. ट्रोमा यूनिट का निर्माण इस कार्य हेतु गठित कमेटी के पर्यवेक्षण में आपके द्वारा किया जावेगा।

3. इस यूनिट पर ट्रस्ट का नाम दर्शाया जा सकेगा।

निर्धारित शर्तों को पूर्ण किया गया है।

प्रश्न के भाग एक की प्रति

सचिव,
चिकित्सालय सलाहकार समिति

विसस/एकेएच(97/2048) दिनांक 22.3.97

विषय :- ट्रोमा यूनिट के निर्माण बाबत।

प्रिय श्री............,

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 18.3.97 को श्रीमान् जिला कलेक्टर, अजमेर की अध्यक्षता में चिकित्सालय सलाहकार समिति की मीटिंग में लिए गये निर्णयानुसार एवं आपके पत्र दिनांक 18.3.97 के क्रम में निम्नानुसार शर्तों पर ट्रोमा यूनिट निर्माण की स्वीकृति दी जाती है :-

1. जिला कलेक्टर फण्ड से रुपये 2.75 लाख या निर्माण कार्य का 25% जो भी कम हो, दिये जावेंगे।

2. ट्रोमा यूनिट का निर्माण इस कार्य हेतु गठित कमेटी के पर्यवेक्षण मे आपके द्वारा किया जावेगा।

3. इस यूनिट पर आपके ट्रस्ट का नाम दर्शाया जा सकेगा।

अतः आप ट्रोमा यूनिट का निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराने का श्रम करें।

सादर,

भवन्निष्ठ,
ह/-
(डा. सी.जे.एस.आहलुवालिया)

श्री विवेक मालानी,
अधिकृत अधिकारी,
ताराचन्द मालानी चेरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली,
मार्फत कृष्णा मिल्स, ब्यावर।

जिला हनुमानगढ़ में डी.सी.सी. की दरों का निर्धारण

477. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला हनुमानगढ़ में डी.सी.सी. की दरें निर्धारित करने का आधार क्या है और प्रतिवर्ष दरें बढ़ाये जाने का आधार क्या है ?

(2) क्या उक्त जिले में डी.एल.सी. की दरें एवं बाजार भाव एक समान है ? यदि नहीं, तो क्या अन्तर है ?

उत्तर

(1) जिला स्तरीय समिति का गठन राज्य सरकार की अधिसूचना के अन्तर्गत किया जाता है। उक्त भूति की वास्तविक अवस्थिति, उपयोग, विकास इत्यादि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भूमि की दरों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं। उक्त प्रस्तावों पर जिला स्तरीय समिति द्वारा विचार-विमर्श कर प्रचलित बाजार भाव के अनुरूप ही भूमि की दरों का अनुमोदन/निर्धारण किया जाता है।

(2) डी.एल.सी. द्वारा भूमि की दरें निर्धारित की जाती हैं तो यह माना जाता है कि समिति द्वारा बाजार भाव के अनुरूप ही दरें तय की गई हैं।

ग्राम कौथून (जयपुर) के निर्माण कार्यों में अनियमितताएं

478. श्री रूपाराम (डीडवाना) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरपंच ग्राम कौथून, पंचायत समिति चाकसू, जिला जयपुर ने वर्ष 1995 से 2 फरवरी, 2000 तक किस-किस मद से क्या-क्या कार्य करवाये ? उक्त सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत के अंशदान की राशि किस मद में काम में ली गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि माध्यमिक विद्यालय कौथून के भवन निर्माण में निम्न स्तर का सामान लगाया और उच्च स्तर की राशि के बिल बनाये जाकर प्रधानाध्यापक कौथून द्वारा सत्यापित कर भुगतान किया गया? क्या उक्त विद्यालय में कार्यरत मजदूरों से मजदूरी के भुगतान की रसीद लिखाई जाकर उन्हें भुगतान नहीं किया ? यदि हां, तो भुगतान नहीं करने के क्या कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सरपंच ने अपने कार्यकाल में कितने कार्य पूर्ण करवाये तथा कितने अपूर्ण रहे ?

(4) क्या राशि आबंटन के बाद भी कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये ?

(5) क्या यह सही है कि पशु चिकित्सालय कौथून में भवन निर्माण किया गया है ? सरकार द्वारा कितनी राशि आबंटित की गई तथा उसका व्यय किस-किस कार्य में किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरपंच ग्राम पंचायत कौथून, पंचायत समिति चाकसू जिला-जयपुर द्वारा वर्ष 1995 से दिनांक 2 फरवरी, 2000 तक विभिन्न योजनाओं में 23 कार्य करवाये

(ग्रामीण विकास मंत्री)

गये, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। सरपंच कौथून द्वारा ग्राम पंचायत के अंशदान की राशि के उपयोग का मदवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। सरपंच ग्राम पंचायत कौथून, पंचायत समिति चाकसू के कार्यकाल में 22 कार्य पूर्ण करवाये गये तथा एक कार्य प्रगति पर है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। ग्रामीण विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कौथून में पशु चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु 2.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये जिसके विरुद्ध राशि रुपये 1,99,636 व्यय की गई जिसमें से 58,088 रुपये श्रम एवं 1,41,548 रुपये सामग्री पर व्यय किये गये।

ग्राम पंचायत कौथून द्वारा वर्ष 1995 से फरवरी, 2000 तक कराये गये निर्माण कार्यों की सूची

परिशिष्ट-अ

क्र.सं.	वर्ष	योजना (मद)	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	1995-96	ई.ए.एस.	तालाब खुदाई, कौथून	100000	89382	पूर्ण
2.	,,	अगाअका	रा.मा.शा. कौथून दो हाल निर्माण	150000	135000	,,
3.	,,	,,	सार्व. तालाब पर बाढ़ सुरक्षा दिवार निर्माण, कौथून	150000	105000	,,
4.	,,	जेआरवाई	रास्ता दुरुस्ती, ब्रजलाल पुरा	10000	10000	,,
5.	,,	डीएलएफ	सार्व. कूप मरम्मत, कौथून	12000	12000	,,
6.	1996-97	,,	आंगनबाड़ी भवन निर्माण कौथून	70000	70000	,,
7.	,,	,,	तीन दुकान निर्माण कौथून	75000	75000	,,

1	2	3	4	5	6	7
8.	1996-97	आरजीसी	पशु औषधालय निर्माण कौथून	200000	199636	पूर्ण
9.	,,	अगाअका	तालाब खुदाई व सुरक्षा दीवार घाट निर्माण,कौथून	425000	425000	,,
10.	,,	जेआरवाई	उ.प्रा.शा. कमरा निर्माण	16500	16500	,,
11.	,,	,,	रास्ता दुरुस्ती, ब्रजपुरा	3800	3800	,,
12.	,,	,,	प्रा.शा. ब्रजपुरा	6000	6000	,,
13.	,,	,,	पुलिया निर्माण, कौथून	15000	15000	,,
14.	,,	,,	खुर्रा व उगाल निर्माण, कौथून	12800	12800	,,
15.	,,	अगाअका	रा.प्रा.शा. कौथून में चार कमरे निर्माण (पूर्ण) व अति.कार्य (अपूर्ण)	546000	450000	प्रगतिपर
16.	1997-98	ईएएस	डब्ल्यू.बी.एम.सड़क सांवलिया लालसोट, कौथून	537000	488000	पूर्ण
17.	,,	अगाअका	स्माल वैल, कौथून	33370	33370	,,
18.	,,	जेआरवाई	खुर्रा व ओगल निर्माण सांवलिया	18000	18000	,,
19.	1998-99	आरजीती	बैंक भवन निर्माण, कौथून	250000	211000	,,
20.	,,	जे.आर.वाई	तालाब घाट निर्माण किशनपुरा	13000	13000	,,
21.	,,	,,	खुर्रा निर्माण हनुमानजी का रास्ता	10000	10000	,,
22.	,,	,,	तालाब घाट निर्माण श्री किशनपुरा	20000	20000	,,
23.	99-2000 ,,	,,	नाली निर्माण एन.एच. 12 से महादेव जी का मन्दिर	40000	40000	,,

परिशिष्ट-"ब"

1994-95 से 2.2.2000 तक प्राप्त अंशदान द्वारा राशि का मदवार व्यय

क्र.सं.	वर्ष	प्राप्त राशि	व्यय मद	राशि
1	2	3	4	5
1.	1994-95	6,384/-	स्टेशनरी	180/-
			मानदेय चपरासी	1650/-
			राष्ट्रीय पर्व	1584/-
			चुनाव खर्च	793/-
			स्टेशनरी	786/-
			शिविर खर्च	551/-
			विविध	343/-
			योग व्यय :-	**5,877/-**
2.	1995-96	11,483/-	स्टेशनरी	817/-
			मानदेय चपरासी	1900/-
			सार्वजनिक खर्च	1298/-
			राष्ट्रीय पर्व	1936/-
			मानदेय सरपंच व पंच	5080/-
			विविध	3594/-
			योग व्यय :-	**14,625/-**
3.	1996-97	10,022/-	स्टेशनरी	418/-
			चुनाव	781/-
			मानदेव चपरासी	2500/-
			यात्रा भत्ता, मानदेय सरपंच व बैठक भत्ता पंचगण	7237/-
			राष्ट्रीय पर्व	900/-
			योग व्यय :-	**11,773/-**

1	2	3	4	5
4.	1997-98	12,528/-	स्टेशनरी	973/-
			चपरासी सरपंच व पंचगण बैठक भत्ता व मानदेय	11265/-
			चुनाव खर्च	410/-
			स्थाई समान	270/-
			योग व्यय :-	**12,918/-**
5.	1998-99	10,022/-	स्टेशनरी	1459/-
			चपरासी मानदेय	2750/-
			सरपंच मानदेय	3990/-
			बैठक भत्ता सरपंच व पंच	2355/-
			चुनाव कार्य	630/-
			योग व्यय :-	**11,187/-**
6.	1999-2000	19,488/-	स्टेशनरी	2560/-
			चपरासी मानदेय	2250/-
			सरपंच मानदेय	4800/-
			बैठक भत्ता पंच	1500/-
			प्रतियोगिता व समारोह	2019/-
			साइन बोर्ड पीले	2500/-
			राष्ट्रीय पर्व	3605/-
			चुनाव खर्च	510/-
			योग व्यय :-	**19,744/-**

राज्य सरकार द्वारा लिए गये कर्जे का चुकारा

479. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1990-91 से मार्च, 2000 तक किस-किस वर्ष में राज्य पर कितना कर्जा बाकी रहा ?

(2) उक्त कर्जे का किस-किस वर्ष कितना-कितना चुकारा किया गया ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 से 1999-2000 वर्ष की समाप्ति पर बकाया रहे लोक ऋण (Public Debt) की विगत परिशिष्ट "क" में दी गई है।

(2) वर्ष 1990-91 से 1999-2000 में प्रत्येक वर्ष में चुकाई गई ऋण की राशि का विवरण परिशिष्ट "ख" में दिया गया है। किसी एक वर्ष में चुकाई गई राशि उस वर्ष से पूर्व के वर्षों में प्राप्त ऋण के चुकारे से संबंधित किश्तों का योग है।

परिशिष्ट "क"

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्षों में संस्थावार बकाया कर्जे का विवरण

(राशि करोड़ों में)

		ऋण के प्रकार			
क्र.सं.	वर्ष	संस्थागत एवं बाजार ऋण	भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम	केन्द्रीय सरकार से ऋण	वर्ष की समाप्ति पर बकाया कुल ऋण
1	2	3	4	5	6
1.	1990-91	1209.24	-	3452.60	4661.84
2.	1991-92	1425.62	-	3829.93	5255.55
3.	1992-93	1654.59	-	4263.59	5918.28
4.	1993-94	1892.98	-	4726.63	6619.61
5.	1994-95	2251.34	-	5420.83	7672.17
6.	1995-96	2726.00	145.76	6276.98	9148.74
7.	1996-97	3245.07	498.70	7203.26	10947.42
8.	1997-98	3874.71	47.11	8318.60	12240.42

1	2	3	4	5	6
9.	1998-99	4894.86	884.99	9933.76	15713.61
10.	1999-2000	6585.17		12682.38	19267.55
	(संशोधित अनुमानों के आधार पर/महालेखाकार द्वारा लेखे तैयार होने की स्थिति में परिवर्तन संभव है।)				

नोट : सूचना ऋण से सम्बन्धित है अत: इसमें लोक लेखों के अन्तर्गत वर्गीकृत "अन्य देनदारियां" सम्मिलित नहीं हैं।

परिशिष्ट "ख"

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्षों में संस्थावार किये गये चुकारे का विवरण

(राशि करोड़ों में)

		ऋण के प्रकार			
क्र.सं.	वर्ष	संस्थागत एवं बाजार ऋण	भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम	केन्द्रीय सरकार से ऋण	वर्ष की समाप्ति पर बकाया कुल ऋण
1	1990-91	30.02	805.74	230.45	1066.21
2	1991-92	9.08	286.91	180.24	476.23
3	1992-93	34.15	132.16	171.43	337.74
4	1993-94	53.97	17.61	198.22	269.80
5	1994-95	15.19	1343.00	193.27	1551.46
6	1995-96	17.27	2324.14	284.08	2625.49
7	1996-97	19.29	4313.87	563.60	4896.76
8	1997-98	76.90	3514.03	763.99	4354.92
9	1998-99	155.21	3009.81	348.34	3513.36
10	1999-2000 (संशो. अनु)	181.09	6300.73	807.73	7289.10

निदेशक, आयुर्वेद के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक

480. श्री हरिशचन्द (नावां) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, आयुर्वेद विभाग का पद दिनांक 30 अप्रैल, 2000 को रिक्त हो रहा है ?

(2) क्या सरकार उक्त पद को नियमानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर शीघ्र भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। शीघ्र भरने का मानस है।

प्रश्न संख्या 481

(स्थगित)

राज्य में एड्स रोग की रोकथाम

482. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान एड्स रोग के फैलाव की दृष्टि से सर्वाधिक फैलाव वाले प्रथम आठ प्रदेशों में सम्मिलित हो गया है ?

(2) क्या राजस्थान में एड्स रोग के सर्वाधिक रोगी अजमेर और उदयपुर में चिह्नित किये गये हैं ? यदि हां, तो इस खतरनाक रोग के फैलाव को रोकने की दृष्टि से सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ?

(3) क्या भविष्य में अन्य जिलों में इसके बढ़ते फैलाव को रोकने की दृष्टि से राज्य की आम जनता में जन शिक्षण हेतु प्रयास किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, जिला अजमेर एवं उदयपुर में वर्ष 1994 से 1999 की अवधि में क्रमश: 15-15 व्यक्ति एड्स रोग से ग्रसित पाये गये। राज्य सरकार द्वारा एड्स रोग के फैलाव को रोकने के प्रयासों का विवरण संलग्न है।

(3) जी हां, राज्य के सभी जिलों में एड्स रोग के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन शिक्षण के अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। विवरण संलग्न है।

राज्य सरकार द्वारा अजमेर व उदयपुर जिलों में इस रोग के फैलाव को रोकने के लिए निम्न प्रयास प्रारम्भ किये गये हैं

(अ) अधिक जोखिम वर्ग में यौन रोग से पीड़ित रोगियों की सुविधा के लिए मेडिकल कालेज के चिकित्सालयों में कार्यरत एस.टी.डी. क्लिनिकों का राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के सहयोग से सुदृढ़ीकरण किया जाकर यौन रोग के निदान व उपचार की नि:शुल्क व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है।

(ब) अजमेर व उदयपुर मेडिकल कालेज चिकित्सालय के ब्लड बैंकों को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की सहायता से मेजर ब्लड बैंक की श्रेणी में चयन किया जाकर इनका आधुनिकीकरण किया गया है। इस हेतु इन्हें प्रतिवर्ष 3.00 लाख रुपये कन्जूमेबल के लिए उपलब्ध करवाये जाने हैं, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा नि:शुल्क उपकरण व एच.आई.वी. जांच/टेस्ट किट उपलब्ध करवाये जाते हैं।

(स) राज्य सरकार द्वारा इन जिलों के मेडिकल कालेजों में स्वैच्छिक एच.आई.वी. रक्त जांच की सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। भारत-सरकार द्वारा उपकरण उपलब्ध करवाये जाने के साथ ही यह सुविधा इन जिलों में प्रारम्भ की जावेगी।

(द) इन जिलों के चिकित्सा अधिकारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को एड्स व यौन रोग व बचाव व उपचार का प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 1999 से केप्सूलर मल्टीलेयर प्रशिक्षण प्लान के अन्तर्गत दोनों जिलों के सभी सरकारी क्षेत्र के चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिये जाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

(घ) भारत-सरकार के निर्देशानुसार परिवार स्वास्थ्य जागरण सप्ताह के पाइलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अजमेर जिले का चयन किया गया था, परिवार स्वास्थ्य जागरण सप्ताह के दौरान अजमेर जिले के ग्रामीण व शहरी स्लम (Slum) क्षेत्रों के 15-49 आयु वर्ग के 82095 व्यक्तियों द्वारा परिवार स्वास्थ्य जागरण सप्ताह के कैम्पों में भाग लिया जिन्हें यौन रोग की जानकारी उपलब्ध करवाई गई व 757 यौन रोग पीड़ित व्यक्तियों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर यौन रोग का निदान किया जाकर नि:शुल्क उपचार किया गया।

(च) भारत-सरकार के दिशा निर्देशानुसार 1 दिसम्बर, 99 से 15 दिसम्बर, 99 तक परिवार स्वास्थ्य जागरण अभियान के अन्तर्गत अजमेर व उदयपुर जिलों का प्राथमिकता के आधार पर चयन किया गया। जहां स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर 15 से 49 आयु वर्ग के व्यक्तियों में यौन रोग/एड्स से बचाव की चेतना जागृत की गई।

(छ) जन साधारण में एड्स रोग के बचाव व उपचार के प्रति जन चेतना जागृत करने के लिए प्रचार प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत टी.वी., रेडियो, पोस्टर, स्टीकर, पहेली आदि के माध्यम से प्रचार व प्रसार किया गया है।

(ज) इन जिलों के मेडिकल कालेजों के चिकित्सालयों में एड्स रोगियों में अवसरवादी संक्रमण के नि:शुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

भाग 3 की सूची

राज्य के सभी जिलों में एड्स के प्रति जागरूकता लाने हेतु जन शिक्षण की दृष्टि से अनेक कार्य कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

अ. 1 दिसम्बर, 99 से 15 दिसम्बर, 99 तक परिवार स्वास्थ्य जागरण अभियान राज्य के 16 जिलों में आयोजित किया गया जिसमें 15-49 आयु वर्ग के व्यक्तियों को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर यौन रोग व एड्स के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई। 1 जून, 2000 से 15 जून, 2000 तक परिवार स्वास्थ्य जागरण अभियान राज्य के सभी जिलों में प्रारम्भ किया जावेगा।

ब. टी.वी. रेडियो, नुक्कड़ नाटक, नाटक, पोस्टर, स्टीकर, प्रदर्शनी पहेली आदि के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।

स. युवा वर्ग में एड्स रोग की जानकरी देने हेतु स्कूल एड्स शिक्षा का कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसके प्रथम चरण में राज्य के 10 से 20 प्रतिशत विद्यालयों का चयन कर नोडल अध्यापक पियर ग्रुप विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जावेगा।

द. अधिक जोखिम वर्ग समूह में विशेष प्रयास हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से यौन कार्यकर्ताओं, ट्रक चालकों, माइग्रेटेड लेबर, गली के बच्चों (स्ट्रीट चिल्ड्रन) को जानकारी देने व सुरक्षित व्यवहार की जानकारी उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

च. एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के सभी चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ को केप्सूलर प्रशिक्षण दिये जाने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

छ. जन साधारण से सूचना प्राप्त करने व उनको ग्रहण करने की आवश्यकताओं की जानकरी हेतु कम्युनिटी निड्स असेसमेन्ट करवाया जा रहा है जिसके अनुरूप ही प्रचार-प्रसार गतिविधियों का आयोजन किये जाने के प्रयास प्रारम्भ किये जा सकेंगे।

ज. स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से राज्य की राजधानी में टेलिफोन कौंसलिंग सेवा के आधार पर जन शिक्षण का कार्यक्रम लागू किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

घ. राज्य के प्रमुख चिकित्सालयों की एस.टी.डी. क्लिनिकों पर स्वैच्छिक जांच केन्द्र व कौंसलिंग सेन्टर स्थापित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

ङ. इन्टर सेक्ट्रोल कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य विभागों में भी जन शिक्षण हेतु तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

जिला दौसा में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

483. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला दौसा में कुल कितनी बीघा चरागाह भूमि है ? विधान सभा क्षेत्रवार गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अतिक्रमियों द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) उक्त जिले में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जिला दौसा में कुल 1,07,830 बीघा 13 बिस्वा चरागाह भूमि है। तहसीलवार/विधान सभा क्षेत्रवार ग्रामों की सूची परिशिष्ट- अ सदन की मेज पर रख दी है।

(2) जी, हां। अतिक्रमियों को अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जा रहा है। पुनः अतिक्रमण के मामलों में धारा 91(2) एल.आर. एक्ट के तहत सिविल कारावास एवं 91(6) के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कराई जा रही है।

(3) जिले में चरागाह भूमि पर चालू वर्ष में अब तक 4171 प्रकरण 6149 बीघा रकबे के दर्ज हुए हैं जिनमें 3611 प्रकरणों में बेदखली/पैनल्टी एवं 129 प्रकरणों में सिविल जेल की सजा तथा 1538 प्रकरणों में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कर अतिक्रमियों को दण्डित किया गया है। साथ ही फसल उलटने तथा फसल जब्ती व नीलामी की कार्यवाही भी की गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

कपासन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त विषय

484. श्री मोहन लाल चित्तौड़िया (कपासन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कपासन में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कपासन में ही है ? क्या उक्त विद्यालय में आसपास के गांवों की बालिकाएं अध्ययन करती हैं ?

(श्री मोहन लाल चित्तौड़िया)

(2) क्या सरकार उक्त बालिका विद्यालय में अतिरिक्त विषय गृह विज्ञान/ भूगोल/ संस्कृत/अंग्रेजी अगले सत्र से चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति चल रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त विद्यालय में आसपास के गांवों की बालिकाएं भी अध्ययन करती हैं।

(2) जी नहीं।

जिला भरतपुर एवं अलवर में अवैध शराब के बिक्री केन्द्र

485. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला भरतपुर तथा अलवर में कौन-कौनसे गांव/शहर में किस-किस स्थान पर शराब बेचने के लाइसेंस कब से कब तक के लिए किस-किसको दिये गये हैं ? चिह्नित स्थान मय पड़ोस के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के ऐसे नियम हैं जिसके अनुसार शराब बेचने की दुकान और बूथ किसी धार्मिक स्थल व स्कूल, कालेज आदि से निश्चित दूरी पर होनी चाहिए ? यदि हां, तो कितनी दूरी पर ? उक्त जिलों में यदि कोई दुकान नियम विपरीत चल रही है तो सरकार उन्हें कब तक बन्द कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि बिना लाइसेन्स की जगह भी ठेकेदारों के द्वारा जिला भरतपुर व अलवर में शराब बेची जाती है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर और क्यों ?

उत्तर

(1) जिला भरतपुर एवं अलवर में शराब के लिए लाइसेंस 1.4.1999 से 31.3.2001 तक की अवधि के लिए दिये गये थे। अनुज्ञाधारी का नाम तथा स्थान (मय पड़ोसी) जहां पर बिक्री हेतु लाइसेंस दिया गया है, परिशिष्ट "अ" के रूप में संलग्न है।

(2) राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 (2) के अनुसार सामान्यत: कोई भी मदिरा दुकान धार्मिक स्थल एवं महाविद्यालय/सीनियर सैकण्डरी स्कूल/ कन्या विद्यालयों से 200 मीटर की परिधि में अवस्थित नहीं होनी चाहिए परन्तु पर्याप्त कारण होने पर आबकारी आयुक्त को नियम 75 (4) के अन्तर्गत इसमें शिथिलता प्रदान करने के अधिकार प्राप्त हैं। जिला आबकारी अधिकारी, भरतपुर एवं अलवर से प्राप्त सूचना अनुसार भरतपुर जिले में पाइबाग, भरतपुर में देशी, भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर दुकान गुरुद्वारे से 200 मीटर से कम दूरी पर एवं अलवर जिले में मालाखेड़ा गेट स्थित दुकान गुरुद्वारे/सिनेमा हाल से 200 मीटर से कम दूरी पर स्थित होकर नियम 75(4) के अन्तर्गत प्रदान की गई शिथिलता के अन्तर्गत संचालित है।

(3) जिला आबकारी अधिकारी, भरतपुर एवं अलवर जिलों में ठेकेदारों द्वारा बिना

(आबकारी मंत्री)

लाइसेंस की जगह शराब की बिक्री करना नहीं पाया गया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जयपुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

486. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जयपुर के विरुद्ध उक्त विभाग में आरोप पत्र विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कब से कितने ?

(2) क्या सरकार इनके विरुद्ध विचाराधीन आरोप पत्रों को जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त आरोप पत्र उनकी सेवानिवृत्ति से पूर्व उन्हें देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) अब तक इसमें विलम्ब के क्या कारण रहे हैं ? उक्त आरोप पत्र जारी करने में विलम्ब करने हेतु कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, दो विभागीय जांचें विचाराधीन हैं।

(2) जी हां, आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं।

(3) आरोप पत्र जारी किय जा चुके हैं।

(4) जी नहीं ।

जिला जैसलमेर का नकली घी प्रकरण

487. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला जैसलमेर में मार्च 1999 में नकली घी का स्केण्डल उजागर हुआ है ? यदि हां, तो किस विभाग के किस अधिकारी द्वारा यह मामला पकड़ा गया ?

(2) उक्त प्रकरण में कितना नकली घी किस-किस कम्पनी या व्यक्ति का पकड़ा ? पकड़े गये घी में क्या-क्या मिलाया गया था ?

(3) उक्त प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? मिलावटी घी के लिए कहां-कहां छापे मारे गये और किस-किसके यहां कब-कब कितनी मात्रा में क्या पदार्थ प्राप्त हुए ?

(4) क्या श्री बंशीलाल नाम का व्यक्ति इस प्रकरण में पकड़ा गया ? उसने क्या बयान दिये थे ? बयानों की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त बयानों के आधार पर कौन-कौनसी फर्म संदेह के घेरे में आती है और उन पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में 12 मार्च, 99 को नकली घी का स्केण्डल उजागर हुआ। उक्त

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

मामला श्री एम.सी.वर्मा, अधीक्षक, सहायक आयुक्त कस्टम डिवीजन, जैसलमेर के द्वारा पकड़ा गया।

(2) उक्त प्रकरण में पकड़ा गया घी श्री बंशीलाल माहेश्वरी पुत्र श्री केशरी लाल माहेश्वरी निवासी गांव-साता तहसील चौहटन जिला बाड़मेर की फर्म उत्तम टेडर्स बाड़मेर का था। पकड़े गये 470 किलो घी पर आबिन ब्राण्ड एवं दूध धारा डेयरी प्रोडेक्ट का लेबल लगा था। पकड़े गये घी में असली घी, वनस्पति तेल तथा पीले कलर का एसेंस मिला हुआ था। जांच विश्लेषक रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) उक्त घी में मिलावट पाये जाने पर घी के मालिक श्री बंशीलाल माहेश्वरी के विरुद्ध पी.एफ.ए. एक्ट 7/16,1954 के तहत न्यायालय में चालान पेश किया गया।

दिनांक 12.3.99 को श्री एम. सी. वर्मा अधीक्षक सहायक आयुक्त कस्टम डिवीजन जैसलमेर द्वारा चैकिंग के दौरान श्री बंशीलाल माहेश्वरी पुत्र श्री केशरीमल माहेश्वरी फर्म उत्तम ट्रेडर्स बाड़मेर का 470 किलो घी आविन ब्राण्ड एवं दूध धारा डेयरी प्रोडेक्ट का लेबल लगा हुआ पकड़ा, इसके बाद दिनांक 13.3.99 को एस.डी.एम. पुलिस विभाग एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की संयुक्त टीम ने गायत्री जनरल स्टोर, गायत्री ट्रेडर्स, जैसलमेर के यहां छापे मारे परन्तु छापे में कोई नकली घी प्राप्त नहीं हुआ।

वर्ष 1999 में घी के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ के 05 नमूने जांच हेतु लिये गये जिनमें से 01 अपमिश्रित पाये गये।

(4) जी हां, बंशीलाल नाम का व्यक्ति पकड़ा गया। बयानों की सत्य प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। उक्त बयानों के आधार पर गायत्री जनरल स्टोर जैसलमेर संदेह के घेरे में आती है। उक्त दोनों फर्मों के यहां एस.डी.एम. पुलिस विभाग एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के संयुक्त दल द्वारा छापा दिनांक 13.3.99 को मारा गया परन्तु दोनों ही फर्मों के यहां कोई घी नहीं पकड़ा गया।

(रिपोर्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

भरतपुर/उपखण्ड डीग हेतु जल वितरण योजना

488. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) यमुना नदी के जल बंटवारे से राजस्थान को कितना पानी उपलब्ध होगा ?

(2) उक्त जल समझौते के अन्तर्गत अब तक सरकार की ओर से क्या कोई क्रियान्विति हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) भरतपुर और उप खण्ड डीग के लिए भरतपुर फीडर, गुडगांवा-कैनाल और डीग स्कैप से जल वितरण की क्या योजना बनाई गई है ? क्या नहरें इसके लिए सक्षम हैं?

(4) क्या सरकार भरतपुर फीडर, गुडगांवा-कैनाल और डीग स्कैप से पानी लेने में सक्षम है ?

(श्री अरूण सिंह)

(5) वर्ष 2000-2001 में गुडगांवा कैनाल के लिए कितनी राशि स्वीकृत करने का प्रावधान है ? अपूर्ण नहरें और माइनरों का निर्माण पूर्ण करने का क्या सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 12.5.1994 को हुए समझौते के अनुसार ओखला बैराज तक उपलब्ध उपयोगी जल 12 बी.सी.एम. (9.73 एम.ए.एफ.) में से राजस्थान राज्य को 1.119 बी.सी.एम. (0.91 एम.ए.एफ.) जल आबंटित हुआ है।

(2) बेसिन राज्यों में यमुना जल के आबंटन के अनुसार जल के नियमन हेतु गठित अपर यमुना रिवर बोर्ड की विभिन्न बैठकों में समझौते के प्रावधान के अनुरूप राज्य के हिस्से के आबंटन हेतु सरकार द्वारा पक्ष रखा जाता रहा है। यमुना जल समझौते के अन्तर्गत राजस्थान को जुलाई से अक्टूबर में 800 क्यूसेक्स, नवम्बर से फरवरी 238 क्यूसेक्स, मार्च से जून में 288 क्यूसेक्स जल अधिकृत किया जाता रहा है। राज्य को आंबंटित हिस्से के विपरीत वास्तविक जल प्राप्ति पूर्व में कम रही है, जिसके मुख्य कारण उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा राज्यों में स्थित गुड्गांव नहर में सिल्ट का जमा होना था। राज्य द्वारा हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से सम्पर्क कर गुडगांव नहर में से सिल्ट निकालने का कार्य करवाया गया है। जो कि मार्च, 2000 में ही पूर्ण हुआ है। गुडगांव नहर से सिल्ट निकालने से राज्य को हिस्से के अनुरूप यमुना जल मिलने की सम्भावना बढ़ गई है। भरतपुर, झुंझुनूं एंव चूरू जिलों में यमुना जल के उपयोग के लिए तीन परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग को क्रमश: जुलाई 1996, जनवरी 1998 एवं जुलाई 1999 में अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जा चुके हैं। उपरोक्त प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग के पास विचाराधीन हैं। केन्द्रीय जल आयोग ने हरियाणा सरकार से सहमति हेतु प्रतिवेदन भेजे हुए हैं।

(3) भरतपुर फीडर/गुडगांवा कैनाल एंव डीग एस्केप क्रमश: 300, 500 एवं 40 क्यूसेक्स क्षमता की नहरें निर्मित हैं तथा पानी लेने के लिए सक्षम हैं, हिस्से के शेष पानी के लिए अन्य प्रस्तावित योजना केन्द्रीय जल आयोग में विचाराधीन है।

(4) जी नहीं, हिस्से के शेष पानी हेतु अन्य योजनाएं प्रस्तावित हैं।

(5) गुडगांवा नहर के लिए राज्य योजना में वर्ष 2000-2001 में मात्र 0.01 लाख रुपयों का बजट प्रावधान रखा गया है।

राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गणगौरी बाजार जयपुर का अवकाश स्वीकृति प्रकरण

489. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गणगौरी बाजार जयपुर में कार्यरत किन्हीं अध्यापिकाओं के अवकाश स्वीकृति के

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

प्रकरण लम्बित हैं ? यदि हां, तो किस-किस का कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पीड़ित अध्यापिकाओं में से किसी की मृत्यु भी हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण का निस्तारण अभी तक नहीं होने के क्या कारण हैं और उसके लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त प्रकरण का शीघ्र निस्तातरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में रा.बा.उ.मा.वि. गणगौरी बाजार, जयपुर के किसी भी कर्मचारी का अवकाश प्रकरण लंबित नहीं है।

(2) उक्त विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती विजय लक्ष्मी पारीक का आकस्मिक निधन दिनांक 6.9.99 को हुआ, इनके बकाया अवकाश प्रकरण का निपटारा आदेश दिनांक 10.4.2000 के द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी ठहराया जाकर कार्यवाही की जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

पंचायत समिति जहाजपुर के कनिष्ठ लेखाकार का स्थानान्तरण प्रकरण

490. डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि कनिष्ठ लेखाकार पंचायत समिति जहाजपुर का स्थानान्तरण जून, 1999 में उप कोषालय रायपुर (भीलवाड़ा) में किया गया है ? यदि हां, तो उक्त कनिष्ठ लेखाकार को कार्यमुक्त नहीं करने के लिए कौन अधिकारी दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है तथा अब उक्त कनिष्ठ लेखाकार को कब तक कार्यमुक्त कर दिया जावेगा ?

उत्तर

जी हां, यह सही है कि विभागीय आदेश दिनांक 26.6.99 के द्वारा पंचायत समिति, जहाजपुर (भीलवाड़ा) में पदस्थापित कनिष्ठ लेखाकार श्री मोहनलाल बैरवा का स्थानान्तरण उप कोषालय रायपुर (भीलवाड़ा) में किया गया था। चुनाव के कारण आचार संहिता लागू होने एवं श्री बैरवा के पास अकाल राहत संबंधी कार्य होने के कारण उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया। श्री बैरवा को कार्यमुक्त करने के बारे में निदेशक, कोष एवं लेखा द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

राज्य में प्रशासनिक कार्यों में विलम्ब

491. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य में प्रशासनिक कार्य विलम्ब से होते हैं ? यदि हां, तो सरकार प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। सरकार की तत्परता एवं जागरूकता से सभी क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्य समय समय पर हो रहे हैं। सरकार ने प्रशासन को और अधिक चुस्त-दुरस्त करने के लिए निम्न कदम उठाये हैं :-

1. प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना:

सरकार ने आदेश संख्या प.2(1) प्र.सु./सम./अनु.1/99 दिनांक 11.5.99 द्वारा पूर्व मुख्य मंत्री एवं विधायक श्री शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कर उन्हें सुधार के लिए सुझाव देने का कार्य सौंपा है। आयोग ने दिनांक 4.3.2000 को प्रथम चरण में निम्नलिखित पांच प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये हैं :-

1. राजस्व प्रशासन।
2. पंजीयन एवं मुद्रांक।
3. शहरी सम्पत्ति पर कर, गृह कर, भूमि एवं भवन कर तथा शहरी सम्पत्तियों का निर्धारण।
4. राज्य लोक सेवकों हेतु स्थानान्तरण नीति।
5. जन अभाव अभियोगों का निस्तारण।

उपरोक्त प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जा रहा है। इनके क्रियान्वयन के संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। (आयोग गठन का आदेश परिशिष्ट-1 पर है)

2. ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों की उनके कार्य स्थलों पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपाय :

1. आदेश संख्या प.6(28)प्र.सु./अनु.3/99 दिनांक 2.7.99 जारी कर प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच की अध्यक्षता में स्थाई ग्रामीण निरीक्षण समिति का गठन कर ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों की उनके कार्य स्थलों पर उपस्थिति का निरीक्षण करने के अधिकार प्रदान किये गये हैं।

2. आदेश संख्या प.18(5)प्र.सु./सम./अनु.1/99 दिनांक 2.7.99 जारी कर सभी संभागीय आयुक्तों को उनके अधीनस्थ जिलों में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर उनका अन्य जिलों में स्थानान्तरण करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। ग्रामीण निरीक्षण समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्यवाही करने की शक्तियां भी संभागीय आयुक्तों को दी गई हैं। (आदेशों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।)

3. अधिकारियों के निरीक्षण, भ्रमण एवं दौरे :

सरकार ने परिपत्र संख्या प.3 (39) प्र.सु./अनु.2/97 दिनांक 19.4.99 द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे उनके अधीनस्थ अधिकारियों/कार्यालयों का नियमित निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप निरीक्षण, भ्रमण एवं रात्रि विश्राम व दौरे करें। निरीक्षण के दौरान सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं समस्याओं की समीक्षा कर,

(प्रशासनिक सुधार मंत्री)

उनके प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सरकार को तथ्यात्मक एवं ठोस टिप्पणी प्रस्तुत करें। (परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।)

4. निरीक्षण :

1. सरकार ने कर्मचारियों एवं अधिकारियों की कार्यालयों में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये परिपत्र सं.5(14)प्र.सु.4/95 दिनांक 22.5.97 द्वारा समय की पाबन्दी के सम्बन्ध में निर्देश प्रसारित किये हैं।

2. उपरोक्त निर्देशों की क्रियान्विति सुनिश्चित करने एवं कार्यालयों में समय की पाबंदी का निरीक्षण करने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग में निरीक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना कर निरीक्षण का कार्य सौंपा गया है। निरीक्षण प्रकोष्ठ में कार्यरत निरीक्षण दल द्वारा 1 जनवरी, 99 से 31 दिसम्बर,99 तक विभिन्न जिलों में स्थापित 1327 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया है।(समय की पाबंदी संबंधी परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-4 पर एवं विभिन्न जिलों में आयोजित निरीक्षण का विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।)

परिशिष्ट-1

Government of Rajasthan
Department of Administrative Reforms

No.F.2 (1)/AR/Gr.I/99 Jaipur, May 11, 1999

ORDER

The State Government hereby constitutes an Administrative Reforms Commission to examine the public administration in the State and to make recommendations for reforms, reorientation and reorganisation where necessary.

2. The Commission shall consist of the following :

i)	Shri Shiv Charan Mathur	Chairman
ii)	Shri G.S. Bapna, Advocate	Member
iii)	Shri Bhagirath Sharma, IAS (Retd.)	Member
iv)	Principal Secretary, Adminstrative Reforms Department, Government of Rajasthan	Member Secretary

3. The Commission may invite any person for assisting the Commission.

4. The Commission will make its recommendations for ensuring highest Standards of efficiency and integrity in public services and in particular suggest measures for :

i) Restructuring the administration with a view to ensuring speedy and efficient disposal of administrative work;

ii) Streamlining procedures, rules and regulations with a view to simplifying Government systems and promoting transparency;

iii) Effecting economy and reducing administrative costs;

iv) Improving the system of redressal of public grievances; and

v) Reorienting and inducing attitudinal changes making the administration more accountable and responsive to the needs of the people.

5. The Commission may submit its interim/ part reports from time to time and the final report shall be furnished by 31.3.2000.

Sd/-
(Arun Kumar)
Chief Secretary

<u>परिशिष्ट-2</u>

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक: प. 6(28)अनु.-3/99 जयपुर, दिनांक: जुलाई 02, 1999

आज्ञा

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पटवारी, अध्यापक, ए.एन.एम., एम.पी.डब्ल्यू., ग्राम सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कम्पाउण्डर (आयुर्वेद विभाग) अपने मुख्यालय पर नियमित रूप से रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम स्तरीय स्थायी समिति के निम्नानुसार गठन की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

1.	सरपंच	अध्यक्ष
2.	संबंधित ग्राम का वार्ड मैम्बर (महिला, यदि सरपंच महिला नहीं है) ग्राम पंचायत द्वारा मनोनीत।	सदस्य
3.	संबंधित ग्राम में निवास करने वाला वरिष्ठतम सेवानिवृत्त कर्मचारी (संबंधित पंचायत समिति द्वारा मनोनीत)	सदस्य

4. स्थानीय स्कूल का प्रधानाध्यापक सदस्य

यदि अनुच्छेद प्रथम में वर्णित कोई भी कर्मचारी मुख्यालय से अनुपस्थित रहता है तो उक्त समिति उसकी अनुपस्थिति के संदर्भ में संबंधित नियंत्रक अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, साथ ही समिति जिलाधीश और संभागीय आयुक्त को भी अपने मुख्यालय से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के बारे में सूचित करेगी।

समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियंत्रक अधिकारी संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध प्रशासनिक/अनुशासनिक कार्यवाही करेगा और एक महीने के भीतर की गई कार्यवाही से समिति को अवगत करायेगा। संभागीय आयुक्त, आज्ञा: प.18(5)प्र.सु./ग्रुप-1/99 दिनांक 02.07.99 के अनुसार ऐसे कर्मचारी का स्थानान्तरण अन्य जिले में कर सकेंगे।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग होगा।

आज्ञा से,
ह./-
(बी.एल.वर्मा)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-1) विभाग

क्रमांक : प.18(5) प्र.सु. एवं सम./ग्रुप-1/99 जयपुर, दिनांक 2 जुलाई, 1999

समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर।

आज्ञा

विभिन्न विभागों में पदस्थापित कार्मिकों के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने की शिकायतें मिलती रहती हैं। इस संबंध में पटवारियों, ग्राम सेवकों, अध्यापकों, ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू. तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मुख्यालय से अनुपस्थिति पर कार्यवाही के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। अगर ये कर्मचारी अपने मुख्यालय से अनुपस्थित पाये जाते हैं तो यह समिति कर्मचारी के अनुपस्थित काल की रिपोर्ट उनके सुपरवाइजरी अधिकारी को तथा संभागीय आयुक्त को भी करेगी।

माननीय मंत्री महोदय/संभागीय आयुक्त या जिला कलेक्टर द्वारा उनके जिलों में भ्रमण के दौरान जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े हुए विभागों यथा राजस्व (पटवारी व आई.एल.आर.),

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (चिकित्सा अधिकारी व उनका अधीनस्थ स्टाफ), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता व उनका अधीनस्थ स्टाफ) तथा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता व उनका अधीनस्थ स्टाफ) से संबंधित कार्मिकों के विषय में उनके मुख्यालय पर उपस्थित न रहने की शिकायतें प्राप्त होने पर एवं निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाये जाने पर माननीय मंत्री महोदय/जिला कलेक्टर द्वारा संभागीय आयुक्त को सूचित किया जावेगा।

माननीय मंत्री महोदय एवं जिला कलेक्टर द्वारा अपने भ्रमणकाल के दौरान उक्त विभागों के अनुपस्थित अधिकारी/कर्मचारी की अनुपस्थिति की सूचना तथा उपरोक्त समिति द्वारा अनुपस्थिति की रिपोर्ट संबंधित संभागीय आयुक्त को की जाने पर संभागीय आयुक्त को, उनके द्वारा तथ्यों व परिस्थितियों का आकलन करते हुए संबंधित कार्मिक का अपने संभाग के दूसरे जिले में स्थानान्तरण के लिए प्राधिकृत किया जाता है। अंन्य जिलों में उसका पदस्थापन संबंधित विभाग के शीर्षस्थ अधिकारी करेंगे और संभागीय आयुक्त को सूचित करेंगे। इस प्रकार के स्थानांन्तरण की सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष को संभागीय आयुक्त और जिला अधिकारी द्वारा तत्काल दी जाएगी। संभागीय आयुक्त द्वारा इस प्रकार से किये गये स्थानान्तरण संबंधित विभाग द्वारा निरस्त नहीं किये जा सकेंगे। उक्त स्थानान्तरण आदेश की मंत्रिमंडलीय उप समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही परिवर्तन करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

ह./-
प्रमुख शासन सचिव

परिशिष्ट-3

अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनु.2) विभाग

प. 3(39)प्र.सु./अनु.2/97 जयपुर, दिनांक 19.4.99

परिपत्र

विषय : अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे/रात्रि विश्राम के संबंध में।

प्रशासन में कार्य कुशलता तथा शीघ्र कार्य सम्पादन की दृष्टि से प्रत्येक अधिकारी का यह दायित्व है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कार्यालयों का समय-समय पर सुव्यवस्थित ढंग से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निरीक्षण/दौरे एवं रात्रि विश्राम किये जावें।

उपरोक्त सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं (पूर्व में जारी किये गये परिपत्रों की सूची संलग्न है) जिनकी पालना पूर्णत: की जानी अपेक्षित है। निरीक्षण/दौरों से सकारात्मक ठोस एवं सामयिकी परिणाम प्राप्त हों, इसके लिए आवश्यक है कि निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप वर्तमान समस्याओं/लक्ष्यों/सरकार की नीतियों एवं उनके क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में रचानत्मक व तथ्यात्मक अपनी टिप्पणी दें ताकि वस्तुस्थिति में सुधार किया जाकर प्रभावी कार्यवाही की जा सके और फलस्वरूप ठोस प्ररिणाम प्राप्त किये जा सके।

निरीक्षण/दौरों का संक्षेप में निर्धारित मापदण्ड

अधिकारी	कार्यालय	वर्ष में दौरे दिन/	रात्रि
1. विभागाध्यक्ष	स्वयं का/राज्य स्तर/जिला स्तर के कार्यालय वर्ष में एक बार	30	22
2. प्रादेशिक स्तर के अधिकारी	स्वयं के कार्यालय का प्रत्येक छ: माह में एक बार तथा जिला स्तर के कार्यालयों का वर्ष में एक बार	90	60
3. जिला स्तर के अधिकारी	स्वयं के कार्यालय का प्रत्येक तिमाही में एक बार/ जिला स्तर के कार्यालय का छ: माह में एक बार	112	75
4. सम्भागीय आयुक्त	जिला कलेक्टरों के कार्यालयों का वर्ष में एक बार/ उपखण्ड अधिकारी के 50 प्रतिशत कार्यालय प्रथम वर्ष में	80	50
5. जिला कलेक्टर	स्वयं के/उपखण्ड अधिकारी कार्यालय का वर्ष में एक बार, सहायक कलेक्टर के 50 प्रतिशत कार्यालय प्रथम वर्ष में तहसील/उप तहसील 33 प्रतिशत वर्ष में कोषागार/उप कोषागार वर्ष में एक बार, जेल मुख्यालय तीन माह में एक बार	60	45
6. पुलिस अधिकारी, अतिरिक्त महा-निदेशक	स्वयं के कार्यालय/अपने अधीनस्थ कार्यालय का वर्ष में एक बार		
7. उप महानिदेशक रेंज	स्वयं के कार्यलय का वर्ष में एक बार तथा 50 प्रतिशत रेंज सर्किल कार्यालय, सम्बन्धित जिले का एक पुलिस स्टेशन वर्ष में एक बार		

8.	पुलिस अधीक्षक	स्वयं के कार्यालय/सी.ओ. आफिस/ट्रेफिक शाखा/ विशिष्ट शाखा का वर्ष में एक बार, जिला पुलिस लाइन का वर्ष में दो बार, जिले के 50 प्रतिशत पुलिस स्टेशन तथा फायरिंग रेंज वर्ष में एक बार

शासन के ध्यान में यह भी आया है कि अधिकारीगण निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप रात्रि विश्राम नहीं करते हैं। अत: समस्त विभागाध्यक्षों/सम्भागीय आयुक्तों/जिला कलेक्टरों/पुलिस अधिकारियों को पुन: निर्देश दिये जाते हैं कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप निरीक्षण/दौरे एवं रात्रि विश्राम किये जावें। निरीक्षण के दौरान विभागाध्यक्ष विशेष रूप से यह भी देखें कि राजकीय कार्यों की प्रक्रिया में कोई दोष/गलतियां हैं तो उनका निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख करें साथ ही निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों/त्रुटियों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही पर निरन्तर ध्यान दें।

वर्ष 1998-99 में किये गये निरीक्षण/दौरों/रात्रि विश्राम की सूचना 15.5.99 तक इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

ह/-
(अरूण कुमार)
मुख्य सचिव

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निम्नांकित परिपत्र प्रेषित किये गये हैं

क्र.सं.	परिपत्र संख्या एवं	दिनांक
1.	प.2 (4) प्र.सु./अनु.5/83	दिनांक 2.9.83
2.	प.2 (4) प्र.सु./अनु.5/83	दिनांक 21.6.86
3.	प.2 (4) प्र.सु./अनु.5/83	दिनांक 13.10.86
4.	प.2 (4) प्र.सु./अनु.5/83	दिनांक 27.7.87
5.	प.2 (4) प्र.सु./अनु.5/83	दिनांक 13.10.87
6.	प.2 (4) प्र.सु./अनु.5/83	दिनांक 27.7.87
7.	प.7 (7) प्र.सु./अनु.5/89	दिनांक 09.04.91
8.	प.7 (7) प्र.सु./अनु.5/89	दिनांक 23.9.91
9.	प.7 (2) प्र.सु./अनु.5/93	दिनांक 26.07.93
10.	प.7 (2) प्र.सु./अनु.5/93	दिनांक 01.03.94
11.	प.3 (39) प्र.सु./अनु.2/97	दिनांक 04.04.97

परिशिष्ट-4

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-4) निरीक्षण विभाग

दिनांक प.5(14) प्र.सु./4/95 **जयपुर, दिनांक : 22.5.97**

परिपत्र

विषय :- समय की पाबन्दी।

अधिकारियों/कर्मचारियों की सरकारी कार्यालयों में समय की पाबन्दी के अनुपालना के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.22(2) प्र.सु./1/83 दिनांक 11.4.90, प.5(13) प्र.सु./4/92 दिनांक 20.10.92 एवं प.5(14) प्र.सु./4/95 दिनांक 26 अक्टूबर, 96 प्रसारित कर समस्त शासन सचिवों/विशिष्ट शासन सचिवों एवं विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे इन निर्देशों की कड़ाई से पालना करायेंगे तथा विलम्ब से कार्यालय में उपस्थित होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे। कार्यालयों में समय पर आने की अनुपालना करवाना सभी कार्यालयाध्यक्षों व विभागाध्यक्षों का प्रथम दायित्व है। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा कार्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण से पता चलता है कि कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों द्वारा उक्त परिपत्रों की पालना पूर्ण रूप से नहीं की जा रही है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों द्वारा समय की पाबन्दी की अनुपालना करवायेंगे। जो अधिकारी/कर्मचारी निरीक्षण के दौरान विलम्ब से कार्यालय में उपस्थित होते हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार उल्लिखित परिपत्र के निर्देशों के अतिरिक्त निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(1) कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपस्थिति का समय प्रात: 9.30 बजे तथा अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति का समय प्रात: 10.00 बजे है। अत: सभी अधिकारी/कर्मचारी को निर्धारित समय पर ही कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है।

(2) जो अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय में 10.10 बजे तक उपस्थित नहीं होंगे उनके नाम के आगे उपस्थिति पंजिका में क्रोस(×) लगा दिया जाएगा।

(3) सभी अधिकारी/कर्मचारी भोजनकाल 1.30 से 2.00 बजे अपराह्न तक ही रखें तथा इससे पहले व बाद में कार्यस्थल न छोड़ें।

(4) प्रत्येक क्रोस के लिए आधे दिन का अवकाश काट लिया जाएगा। यदि वर्ष (कलेण्डर वर्ष) की समाप्ति के पूर्व किसी अधिकारी/कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश समाप्त

हो जाता है तो उससे उपार्जित अवकाश हेतु आवेदन पत्र भरवाया जाकर उपार्जित अवकाश काटा जाएगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी उपार्जित अवकाश हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

(5) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी माह में 3 बार विलम्ब से उपस्थित हो (तीन बार क्रोस) तो वह आदतन विलम्ब से उपस्थित होने वाला अधिकारी/कर्मचारी माना जावेगा और उसके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 व अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 10 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(6) अगर कोई कर्मचारी क्रोस को मिटाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर देता है, तो यह नियमों के विपरीत माना जाएगा तथा ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(7) कार्यालय समय में यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी केन्टीन, पान की थड़ी आदि के इर्द गिर्द घूमते हुए पाये जाएंगे तो उनके प्रति कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(8) समस्त अधिकारी अपने अधीन अधिकारी/कर्मचारी का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी अधिकारी/कर्मचारी निरीक्षण के दौरान एक बार से अधिक अनुपस्थित पाये जावें उनके विरुद्ध अभिलेख में प्रतिकूल प्रविष्टि की जावे।

निरीक्षण के दौरान निरीक्षण दलों ने यह पाया है कि पूर्व में जारी किये गये आदेशों/निर्देशों की पालना एवं उपस्थिति की आकस्मिक जांच की प्रक्रिया अपनाने में शिथिलता बरती जा रही है जिससे अनुपस्थिति का प्रतिशत बढ़ा है। अधिकतर विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष प्रतिदिन प्रात: 10.10 बजे उपस्थित पंजिकाओं का निरीक्षण कर अपने लघु हस्ताक्षर नहीं करते हैं। यह स्थिति खेदजनक है।

कार्यालय प्रशासन का प्रथम केन्द्र बिन्दु निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित होना है। अत: अधिकारी एवं कर्मचारी प्रात: 10.00 बजे प्रतिदिन आवश्यक रूप से उपस्थित हों। विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्ष को प्रात: 10.10 बजे के तत्काल पश्चात् अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नामों के सामने उपस्थिति पंजिका में क्रोस (×) लगाना आवश्यक है।

अत: समस्त प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों, विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों से

अपेक्षा की जाती है कि समय पर उपस्थिति निश्चित करने के लिए उक्त आदेशों की कड़ाई से पालना की जावेगी। यह भी अपेक्षित है कि प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर पूरे राज कार्य लगन एवं निष्ठा से सम्पन्न करेंगे।

सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर इस विभाग के दलों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण भी किये जाएंगे।

इस विभाग का निरीक्षण दल जब निरीक्षण हेतु आवे तो निरीक्षण के दौरान आपके विभाग का पूर्ण सहयोग भी अपेक्षित है।

ह/-
(बी.एल.मेहरड़ा)
शासन सचिव.

परिशिष्ट-5

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-4) निरीक्षण विभाग

विषय : दिनांक 1 जनवरी, 99 से 31.12.99 तक विभिन्न जिलों में किये गये निरीक्षण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत में दिनांक 1 जनवरी, 99 से 31.12.99 तक कुल 15 जिलों का निरीक्षण किया गया। सूचनार्थ प्रेषित है।

ह/-
अनुभागाधिकारी

संलग्न : तीन

सहायक शासन सचिव,
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-1) विभाग।

अशा.टीप प.5(2) प्र.सु.4/98
दिनांक : 1.4.2000

दिनांक : 1.1.99 से 31.12.99 तक विभिन्न जिलों में निरीक्षण की सूची

क्र.सं.	जिला	निरीक्षण अवधि	निरीक्षण किये गये कार्यालयों की संख्या
1.	हनुमानगढ़	1.2.99 से 2.2.99 तक	91
2.	श्रीगंगानगर	3.2.99 से 5.2.99 तक	107
3.	कोटा	1.4.99 से 2.4.99 तक	57
4.	बारां	3.4.99 से 5.4.99 तक	115
5.	झालावाड़	6.4.99 से 9.4.99 तक	110
6.	जयपुर	8.6.99 -	9
7.	झुंझुनूं	9.6.99 से 11.6.99 तक	73
8.	जयपुर	29.6.99 से 30.8.99 तक	14
9.	दौसा	6.7.99 से 8.7.99 तक	95
10.	जयपुर की तहसीलें चाकसू, फागी, कोटपूतली, शाहपुरा, जमवारामगढ़ एवं चौमूं।	20.7.99 से 24.7.99	135
11.	चूरू	4.8.99 से 7.8.99 तक	139
12.	बीकानेर	11.8.99 से 13.8.99 तक	63
13.	अलवर	21.9.99 से 24.9.99 तक	133
14.	अजमेर	27.9.99 से 1.10.99 तक	104
15.	पाली	16.11.99 से 18.11.99 तक	82
		योग	1327

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के चिकित्सालयों में रिक्त पद

492. श्री मांगीलाल गरासिया (गोंगुन्दा): क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां पर कब से स्वीकृत हैं ?

(2) क्या उक्त केन्द्रों पर स्वास्थ्यकर्मी नियमानुसार पूरे समय कार्य करते हैं ? यदि हां, तो कब से कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में एक उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 54 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

स्वीकृति के वर्ष सहित संस्थाओं की सूची संलग्न है।

(2) चिकित्सालयों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उपस्वास्थ्य केन्द्रों का राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्य समय :

गर्मियों में (1 अप्रेल से 30 सितम्बर)

	प्रात:	सायं
रविवार व अन्य राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त	8 बजे से 12 बजे तक	5:30 बजे से 7 बजे तक
रविवार व अन्य राजपत्रित अवकाश के दिन	8:30 बजे से 10:30 बजे तक	-

सर्दियों में (1 अक्टूबर से 31 मार्च तक)

	प्रात:	सायं
रविवार व अन्य राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त	9 बजे से 1 बजे तक	5 बजे से 6.30 बजे तक
रविवार व अन्य राजपत्रित अवकाश के दिन	9 बजे से 11 बजे तक	-

स्वीकृत समस्त केन्द्रों पर पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी राज्य सरकार के उक्त निर्देशों के अनुसार पूरे समय कार्य करते हैं।

(3) जी हां, सैक्टर सुपरवाइजर, महिला स्वास्थ्य दर्शिका के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर, नर्स श्रेणी द्वितीय, सहायक रेडियोग्राफर, लैब टैक्नीशियन एवं प्रसाविका के रिक्त पदों को राज्य सरकार से नवनियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप केन्द्रों के स्वीकृति वर्ष सहित नाम की सूची

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान	स्वीकृति वर्ष
1	2	3
1.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोगुन्दा	90-91
1.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सायरा	1997 से पूर्व
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नान्देश्मा	85-86
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानपुरा	86-87
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पदराड़ा	92-93
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माण्डवा	94-95
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिकरणी	90-91
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेकरिया	88-89
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पडावली कलां	90-91
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालवो का चोरा	95-96
1.	उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, पलासमा	88-89
2.	उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, मोरवल	88-89
3.	उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, करदा	88-89
4.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, पुनावली	1967
5.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, कमोल	1967
6.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, मजावद	1967
7.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, भादवी गुड़ा	1967
8.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, छाली	67-68
9.	उप स्वास्थ्य केन्द्र,रावलिया कलां	67-68
10.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, चाटीयां खेड़ी	85-86
11.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, ढोल	85-86
12.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, काछबा	85-86
13.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, मजावड़ी	85-86

1	2	3
14.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, ओबरा कलां	85-86
15.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, मोडी	85-86
16.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सेमड़	86-87
17.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सुरजगढ़ (सिंगाड़ा)	85-86
18.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, झाड़ोली	86-87
19.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सिवडिया	88-89
20.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, पिपरना (झेमली)	88-89
21.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, मोखी	88-89
22.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, ढुढी	88-89
23.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, गुन्दाली	88-89
24.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, चित्रावास (पदराड़ा)	88-89
25.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, जसवन्तगढ़	90-91
26.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बोखाड़ा	96-97
27.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, रावच	98-99
28.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बगड़न्दा	95-96
29.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, दियाण	95-96
30.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, तिरोल	95-96
31.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, तरपाल	89-90
32.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, पानेर	88-89
33.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, ब्राहमणों का कलवाना	95-96
34.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सुवावतो का गुड़ा	95-96
35.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बरवाड़ा	96-97
36.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, गगावल	96-97
37.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, विरवा	96-97
38.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, जैमली	88-89
39.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, पाटिया	99-2000
40.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सामोली	95-96

1	2	3
41.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, जेड	95-96
42.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, कुकावास	67-68
43.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, सुलाव	88-89
44.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, मेरपुर	83-84
45.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, गोगरूद	88-89
46.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, मेवाडो का मठ	83-84
47.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, बैराज	95-96
48.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, उखलियात	96-97
49.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, तेजा का वास	95-96
50.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, लोहारचा	88-89
51.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, क्यारी	82-83
52.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, समीचा	83-84
53.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, मादड़ा	95-96
54.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, पड़ाली खुई	96-97

ग्राम मोघुनगर (हनुमानगढ़) में सेम समस्या का समाधान

493. श्री आदराम मेघवाल (टीबी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला हनुमानगढ़ के गांव मोघुनगर से कलालों की ढाणी के बीच में सेम का पानी पम्प सैटो द्वारा निकालकर घग्घर नहर में डाला जावे तो इन गांवों की हजारों बीघा भूमि को सेम समस्या से बचाया जा सकता है ?

(2) क्या सरकार इस संबंध में कोई योजना तैयार कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ के मोघुनगर से कलालों की ढाणी तक सेम का पानी लगभग 150 हैक्टेयर में खड़ा है। सेम का पानी भयंकर रूप से क्षारीय होने के कारण घग्घर नहर में डाला जाना सम्भव नहीं है क्योंकि घग्घर नहर वर्ष में बहुत अल्प समय के लिए ही चलती है। अतः इस पानी को घग्घर नहर में पम्प करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(2) जी नहीं। इस सम्बन्ध में कोई योजना विभाग में विचाराधीन नहीं है।

जिला कोटा व बारां में शिक्षा विभाग में नियम विरुद्ध स्थानान्तरण

494. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा कोटा व बारां में समानीकरण के नाम से कितने-कितने स्थानान्तरण किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि समानीकरण के नाम से किये गये स्थानान्तरणों में सक्षम अधिकारी द्वारा अनियमितताएं की गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानान्तरणों की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) समानीकरण के अन्तर्गत संबंधित अधिकारियों ने निम्नानुसार स्थानान्तरण किये हैं :-

1.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) कोटा	188
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) बारां	100
3.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. I) कोटा	506
4.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. II) कोटा	288
5.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) बारां	292
	कुल योग	**1374**

(2) जी नहीं।

गंगानगर शुगर मिल के रखरखाव हेतु स्वीकृत राशि

495. श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (करणपुर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दी गंगानगर शुगर मिल को चालू वित्तीय वर्ष में मरम्मत के लिए दी गई राशि वापस ले ली गई है ? यदि हां, तो क्यों और नहीं तो मरम्मत कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ ?

(2) क्या सरकार किसानों के हित में आगामी वर्ष में उक्त शुगर मिल को चालू कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त मिल की मरम्मत के लिए सरकार बजट में कितनी राशि रखने का प्रावधान कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) कम्पनी के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 13.3.2000 में प्रदान की गई स्वीकृति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2000-2001 में शुगर फैक्ट्री श्रीगंगानगर में मरम्मत हेतु 45 लाख रुपये की राशि का प्रावाधान रखा गया है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की गडरा ब्रांच हेतु स्वीकृत राशि

496. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में वर्ष 1999-2000 में कितनी राशि निर्माण हेतु प्रस्तावित थी व कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) क्या यह सही है कि नहर बोर्ड के निर्णयों के अभाव में कार्य की शिथिलता रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि द्वितीय चरण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर 50% से अधिक स्वीकृत राशि व्यय की गई है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त वित्तीय वर्ष में जितनी नहर की लाइनिंग पक्की करनी थी उसका 50 % कार्य भी नहीं हुआ है ?

(5) क्या सरकार आगामी वर्ष में गडरा ब्रांच का कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में वर्ष 1999-2000 में निर्माण कार्यों हेतु 9916.06 लाख रुपये की राशि संशोधित बजट में प्रस्तावित थी इसके विरुद्ध 9916.06 लाख रुपये व्यय किये गये।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। द्वितीय चरण में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर व्यय की गई राशि 23.32 प्रतिशत है।

(4) जी नहीं। निर्धारित संशोधित लक्ष्य 186.00 किलोमीटर के विरुद्ध 198.00 किलोमीटर लाइनिंग हुई।

(5) बजट की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराने का विचार रखते हैं।

इस्लामपुर का मातृ शिशु कल्याण केन्द्र का भवन निर्माण

497. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ग्राम इस्लामपुर (झुंझुनूं) में वर्ष 1975 में अस्पताल एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के एक भवन का निर्माण श्रीमती जाडिया देवी रामप्रताप सौथलिया द्वारा तत्कालीन राज्य सरकार की स्वीकृति से करवाया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1975 से उक्त भवन का उपयोग डिस्पेन्सरी के रूप में ही हो रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस्लामपुर कस्बे की आबादी 12000 से अधिक है ? क्या यह भी सही है कि वर्ष 1975 में इस भवन के दान पत्र का अनुबंध भी राज्य सरकार से हो गया था जिसके अनुसार सरकार के इस अस्पताल को मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के रूप में चालू कर देना चाहिए था ?

(4) उक्त अस्पताल को अब तक चालू

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

नहीं करने के क्या कारण हैं तथा अब कब तक चालू कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1976 में सेठ रामप्रताप चेरिटी ट्रस्ट, इस्लामपुर को ग्राम इस्लामपुर में डिस्पेंसरी भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी।

(2) जी नहीं, वित्तीय वर्ष 1990-91 में राजकीय डिस्पेंसरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत कर उक्त भवन का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में हो रहा है।

(3) जी नहीं, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार इस्लामपुर की जनसंख्या 7,463 है।

जी नहीं, उक्त भवन के दान-पत्र का राज्य सरकार से वर्ष 1995 में निष्पादन हुआ था जिसमें राज्य सरकार अथवा दानदाता द्वारा ऐसी कोई शर्त नहीं थी जिसके तहत सरकार को इस अस्पताल को मातृ शिशु कल्याण केन्द्र स्वीकृत करवाया जावे।

(4) उक्त भवन में वर्ष 1990-91 से स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को भवन निर्माण पश्चात् संचालित किया गया है जिसके विभिन्न कार्यकलापों में मातृ शिशु कल्याण सेवाएं उपलब्ध करवाया जाना भी एक कार्य है, अत: उक्त संस्थान के माध्यम से मातृ एवं शिशु सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 580 की सूची)

परिशिष्ट-'क'

वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त आवासों की सूचना

1.	प्रथम श्रेणी	02 आवास
2.	द्वितीय श्रेणी	18 आवास
3.	तृतीय श्रेणी	24 आवास
4.	चतुर्थ श्रेणी	23 आवास
5.	पंचम श्रेणी	06 आवास

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 589 की प्रति)

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) लाडनूं

क्रमांक/भू.अ./97/2696 दिनांक: 10.12.97

प्रेषिति :- श्रीमान् जिला कलेक्टर (भू.अ.) महोदय नागौर

समाप्त 24421
दिनांक 15/12/97

विषय : शिकायत विरुद्ध श्री अमृताराम पटवारी रताऊ द्वारा प्रेमाराम की जांच कर जांच प्रतिवेदन भेजने बाबत

प्रसंग : श्रीमान् का पत्र क्रमांक/भू.अ/प्रा.जा./97/522 दिनांक 20.2.97

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के साथ प्राप्त शिकायतों की जांच मेरे द्वारा की जा चुकी है। जांच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ मय मूल शिकायतों सहित श्रीमान् की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न :- 14

ह/-
तहसीलदार (भू.अ.)
लाडनूं

जांच प्रतिवेदन बाबत शिकायत विरुद्ध श्री अमृता राम पटवारी रताऊ द्वारा प्रेमा राम

श्रीमान जिला कलेक्टर (भू.अ.) महोदय नागौर के पत्र क्रमांक भू.अ./प्रा.जा./97/522 दिनांक 20.2.97 की अनुपालना में प्रासंगिक पत्र के साथ प्राप्त शिकायतों से सम्बन्धित तथ्यों की जांच निरीक्षक भू.अ. निम्बीजोधा से पूर्व में कराई गई थी। आपके आदेश प्राप्त होने पर मैंने स्वयं ने पुन: उपलब्ध रिकार्ड एवं क्षेत्र के मौजीजान से जानकारी प्राप्त की। ग्राम रताऊ के मौजीजान ने भी अमृता राम तत्कालीन पटवारी रताऊ के कार्य की सराहना की एवं बताया कि पटवारी हमेशा मुख्यालय पर रहकर समय पर ग्रामीणों के समस्त रिकार्ड सम्बन्धी आदि कार्य बिना किसी भेदभाव के करता रहा है। चुनाव सम्बन्धी परिचय पत्र भी उसने समय-समय पर घर-घर जाकर वितरित किये हैं। मतदाता सूची से नाम काटने की जानकरी दी जाने पर उन्होंने बताया कि ऐसी कोई शिकायत ग्रामबासियों के बीच नहीं सुनी गई। कोई नाम कटे हैं तो नियमों के अनुसार ही कटे होंगे, ग्राम में कोई असंतोष नहीं है। तहसील में उपलब्ध रिकार्ड की जानकरी के अनुसार वर्ष 1996 के माह मार्च व अप्रैल 96 में 12 पटवारियों को समस्त तहसील क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों की जांच कर जिन व्यक्तियों ने फोटू पहचानय पत्र नहीं बनवाये थे उनकी सूची बना कर पेश करने के निर्देश दिये गये थे। सभी पटवारियों ने यह कार्य संयुक्त रूप से संपादित कर ऐसी सूचियां तैयार कर पेश की थीं। चूंकि सभी कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से कार्य किया, कुछ ने नामावलियों के नाम पढ़कर फोटो पहचान पत्र नहीं बनाये जाने की दशा में उनके नाम बोले एवं कुछ में ऐसे बोले गये नामों की सूची तैयार कर पेश की। किस कर्मचारी ने किस क्षेत्र की नामावली की जांच की एवं सूची तैयार की इसकी पुष्टि नहीं हो सकती। इतने व्यापक कार्यक्रम को महज 10 दिन में अंजाम देना कठिन कार्य था। शिकायत में 10 व्यक्तियों के नाम हटना स्वाभाविक है तथा यह प्रमाणित नहीं हो सकता कि यह किस कर्मचारी द्वारा जान-बूझकर किया गया है। अत: श्री अमृता राम पटवारी को दोषी बिना आधार ठहराया नहीं जा सकता। तहसील क्षेत्र में ऐसे काफी मतदाताओं के नाम हटाये गये जिसके लिए किसी कर्मचारी विशेष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह प्रक्रिया उपखण्ड कार्यालय में अपनाई गई थी।

अत: पटवारी हल्का रताऊ को उक्त शिकायत के आधार पर दोषी करार नहीं दिया जा सकता।

रिपोर्ट अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

ह/-
तहसीलदार (भू.अ.)
लाडनूं

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 590 की प्रति)

कार्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय, श्रीनगर पं.स.बस्सी

सेवार्मे,
श्रीमान विकास अधिकारी जी,
पंचायत समिति, बस्सी
ज़ि. जयपुर

विषय :- स्थानीय शाला प्रांगण से अतिक्रमण हटवाने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषायन्तर्गत निवेदन है कि स्थानीय शाला रा.प्रा.वि. श्रीनगर के खेल के प्रांगण में गांव के लोगों ने अतिक्रमण कांटेदार बाड़ डालकर तथा गोबर डालकर कर रखा है तथा कुछ लोगों ने स्थाई बाड़े भी बना रखे हैं।

उपरोक्त विषय में पत्र क्रमांक 01/94-95 दिनांक 28.6.94 के अनुसार आपको अवगत कराया जा चुका है लेकिन आज तक इस संदर्भ में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है।

अत: आपसे अनुरोध है कि तत्काल कार्यवाही करके शाखा प्रांगण का अतिक्रमण हटवाने की कृपा करें।

धन्यवाद।

अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति :-

1. श्री देवाराम S/o श्री रामेश्वर शर्मा
2. श्री नानग राम S/o श्री गिरधारी शर्मा
3. श्री सेडू राम S/o श्री गिरधारी शर्मा
4. श्री जगन्नाथ S/o श्री जादूराम शर्मा
5. श्री प्रभात S/o श्री जयनारायण शर्मा
6. श्री महादेव S/o श्री मांगी लाल शर्मा
7. श्री कल्याण S/o श्री मांगी लाल शर्मा

भवदीय
ह/-
प्रधानाध्यापक,
राजकीय प्राथमिक विद्यालय, श्रीनगर,
प.स. बस्सी (जयपुर)

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 597 का विवरण)

राज. कुष्ठ रोग चिकित्सालय में मदवार आबंटित एवं व्यय का विवरण

क्र.सं.	मद	स्वीकृत बजट	खर्च
1.	संवेतन	17,12,000.00	12,00,000.00
2.	यात्रा भत्ता	14,000.00	170.00
3.	चिकित्सा व्यय	10,000.00	9,996.00
4.	कार्यालय व्यय	16,000.00	11,634.00
5.	क्लाथ बेडिंग	40,000.00	38,617.00
6.	डाइट	2,92,000.00	80,858.00
7.	एम.ई.टी.पी.	4,000.00	-----
8.	सामग्री (एम.एस.)	9,000.00	4,430.00
9.	लिवरिज	12,000.00	10,155.00
10.	औषधि एवं भेषज	96,000.00	86,226.00
11.	पानी/बिजली	20,000.00	18,274.00
12.	स्टेशनरी	10,000.00	-----
13.	प्रिंटिंग	10,000.00	-----

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 598 का विवरण)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्रसवोत्तर केन्द्र, श्रीडूंगरगढ़ में स्टाफ के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण मय कार्यरत एवं रिक्ति की अवधि सहित

पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	पदस्थापित अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	कार्यरत एवं रिक्त की अवधि
1	2	3	4
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्री डूंगरगढ़ (चूरू)			
कनिष्ठ विशेषज्ञ	2 (मेडिसन, सर्जरी)	डा. भरत चौपड़ा (मेडिसन)	22.7.97 से
		रिक्त (सर्जरी)	1.2.99 से
वरिष्ठ चिकित्सा-अधिकारी	2	डा. श्री कृष्ण बिहानी	27.6.95 से
		डा. (श्रीमती) रेखा रस्तौगी (पद विरुद्ध चिकित्सा अधिकारी कार्यरत)	1.11.99
नर्स श्रेणी प्रथम	1	श्री फूसा राम	21.5.90 से
नर्स श्रेणी द्वितीय	5	सुश्री नवनीत कौर	23.11.98 से
		श्री रमाकान्त शर्मा	1.6.98 से
		श्री कृष्ण कुमार	11.11.98 से
		श्री बंशीधर	3.11.98 से
		रिक्त	29.10.97 से
प्रसाविका	2	श्रीमती जगदम्बा	26.8.89 से
		श्रीमती शंकामणी	7.5.98 से
रेडियोग्राफर	1	श्री नगेन्द्र सिंह महला	24.2.99 से
सहायक रेडियोग्राफर	1	श्री दौलत राम कस्बा	26.11.98 से
वरिष्ठ लैब. टैक्नीशियन	1	श्री संजय कुमार द्विवेदी	7/94 से
लैब टैक्नीशियन	1	श्री रफअतवारजी समदानी	5.10.88 से
वरिष्ठ लिपिक	1	श्रीमती शशि जोशी	12.5.92 से
कनिष्ठ लिपिक	1	श्री इस्लाम मोहम्मद	30.11.98 से
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	7	श्रीमती गायत्री देवी,	6/94 से
		श्री सीताराम शर्मा	2/74 से

गेस्ट्रोइन्ट्रोलोजी	सहायक आचार्य	1
क्लीनिक साइकोलोजिस्ट		1 पद
प्रशासनिक अधिकारी		1 पद
	कुल रिक्त पद	49

अराजपत्रित वर्ग से संबंधित रिक्त पदों की सूची

कार्यालय सहायक	1
स्टोर वेरीफायर	2
फार्मासिस्ट	1
वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन	2
स्पीच थेरापिस्ट	1
क्यूरेटर आफ म्यूजियम	1
मेडिकल सोशियल वर्कर	1
साइट्रिक सोशल वर्कर	1
रेडियोग्राफर	1
कम्प्यूटर आपरेटर	2
वरिष्ठ लिपिक	1
वरिष्ठ लिपिक कम स्टोर कीपर	13
लैब टैक्नीशियन	6
सहायक रेडियोग्राफर	3
दन्त तकनिशियन	1
आडियोमेट्रिशियन	1
डार्क रूम सहायक	2
टेलीफोन आपरेटर	1
इलैक्ट्रिशियन	1
टेलर	1
लैब अटेन्डेन्ट	3
लाइब्रेरी अटेन्डेन्ट	1
डिसेक्शन हाल अटेण्डेन्ट	1
चतुर्थ श्रेणी	2
कुल रिक्त पद	**50**

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 600 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा (भीलवाड़ा) में संचालित माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची

	विवरण		छात्र/छात्रा संख्या	अध्यापन हेतु नियुक्त अध्यापक
	1		2	3
1.	रा.उ.मा.वि.	सहाड़ा	186	12
2.	रा.उ.मा.वि.	गंगापुर	624	30
3.	रा.उ.मा.वि.	कोशीथल	266	13
4.	रा.उ.मा.वि.	पोटला	299	12
5.	रा.उ.मा.वि.	रायपुर	298	22
6.	रा.बा.उ.मा.वि.	गंगापुर	399	14
7.	रा.बा.उ.मा.वि.	रायपुर	187	11
8.	रा.मा.वि.	आमली	140	08
9.	रा.मा.वि.	भूणास	179	09
10.	रा.मा.वि.	ढोसर	109	08
11.	रा.मा.वि.	खांखला	202	09
12.	रा.मा.वि.	लाखोला	102	08
13.	रा.मा.वि.	मांघावास	104	08
14.	रा.मा.वि.	महेन्द्रगढ़	116	08
15.	रा.मा.वि.	सरगांव	145	08
16.	रा.मा.वि.	सोनियाणा	74	08
17.	रा.मा.वि.	नगड़ियाखेड़ा	59	06
18.	रा.मा.वि.	आशाहोली	122	08
19.	रा.मा.वि.	बोराणा	240	09
20.	रा.मा.वि.	देवरिया	140	08
21.	रा.मा.वि.	झाड़ोल	179	08
22.	रा.मा.वि.	कोट	123	08

1			2	3
23.	रा.मा.वि.	मोखुन्दा	197	08
24.	रा.मा.वि.	नाहरी	203	09
25.	रा.मा.वि.	नांदसाजागीर	128	08
26.	रा.मा.वि.	नाथड़ियास	85	08
27.	रा.बा.मा.वि.	कोशीथल	73	08
28.	रा.बा.मा.वि.	पोटला	263	08

परिशिष्ट "ख"

बिन्दू संख्या 2 की सूची

क्र.सं.	विद्यालय का नाम		रिक्त पदों की सूचना	
			I-ग्रेड	II-ग्रेड
1.	रा.उ.मा.वि.	रायपुर	03	01
2.	रा.उ.मा.वि.	कोशीथल	02	-
3.	रा.उ.मा.वि.	पोटला	01	-
4.	रा.बा.उ.मा.वि.	रायपुर	-	01
5.	रा.बा.उ.मा.वि.	गंगानगर	02	-
6.	रा.मा.वि.	नगरियाखेड़ा	-	01
7.	रा.मा.वि.	कोट	-	01
8.	रा.मा.वि.	आशाहोली	-	01
9.	रा.मा.वि.	सरगांव	-	01
10.	रा.बा.मा.वि.	पोटला	-	02
			08	08

परिशिष्ट -11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 601 का विवरण)

राज्य में तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	स्वीकृत	कार्यरत
1	2	3	4
1.	चूरू	2740	2643
2.	बीकानेर	2601	2415
3.	श्रीगंगानगर	2224	2188
4.	झुंझुनूं	2838	2736
5.	हनुमानगढ़	1938	1844
6.	जयपुर	6411	6095
7.	भरतपुर	3216	3006
8.	अलवर	4365	4218
9.	धौलपुर	1297	1196
10.	दौसा	1809	1794
11.	सीकर	3177	2998
12.	जोधपुर	4142	4038
13.	पाली	3222	3052
14.	जैलमेर	0917	0866
15.	जालौर	1885	1742
16.	सिरोही	1460	1392
17.	बाड़मेर	2436	2266
18.	उदयपुर	3789	3694
19.	बांसवाड़ा	2598	2440
20.	डूंगरपुर	2117	2050
21.	राजसंमद	1786	1646

1	2	3	4
22.	चित्तौड़गढ़	3017	2707
23.	अजमेर	4065	4065
24.	भीलवाड़ा	3290	3227
25.	टौंक	1997	1770
26.	नागौर	3647	3427
27.	कोटा	2216	2180
28.	झालावाड़	1887	1836
29.	सवाईमाधोपुर	1431	1430
30.	बून्दी	1524	1481
31.	बारां	1619	1601
32.	करौली	1530	1508
	योग	**83191**	**79591**

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 603 का विवरण)

नागौर जिले में दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 2000 तक किये गये स्थानान्तरणों का विवरण

संवर्ग	माह	किये गये स्थानान्तरण			योग
		व्याख्याता	द्वितीय श्रेणी अध्यापक	तृतीय श्रेणी अध्यापक	
माध्यमिक शिक्षा संवर्ग	दिसम्बर, 98 से फरवरी, 2000 तक	73	216 3 (शा.शि. II)	48 4 (शा.शि. III)	337 7
प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग	दिसम्बर,98 से फरवरी, 2000 तक	--	86	1544	1630
	कुल योग	73	305	1596	1974

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 606 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 12(1) शिक्षा-1/96 पार्ट-I जयपुर, दिनांक : 24 मार्च, 2000

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :- सी.पी.एड. पाठ्यक्रम को बंद किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में शारीरिक शिक्षक वेतन श्रृंखला तृतीय के लिए एक वर्षीय सी.पी.एड. पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। मांग एवं पूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों/महाविद्यालयों में संचालित सी.पी.एड. पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2000-2001 से बंद करने की निर्देशानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	संस्था का नाम	स्वीकृत सीटें
1.	राजकीय शा.शि.प्र. महाविद्यालय, जोधपुर	90
2.	गांधी शा.शि.प्र. विद्यालय, गुलाबपुरा भीलवाड़ा	105
3.	राणा प्रताप शा.शि.प्र. विद्यालय, हिन्ता भिण्डर, उदयपुर (सामान्य-60, माडा-60, टाडा-60)	180
4.	सनातन धर्म शा.शि.प्र. विद्यालय, केकड़ी अजमेर	105
5.	रंगाजी शा.शि.प्र. विद्यालय, देशनोक बीकानेर	60
6.	भारत माता शा.शि.प्र. विद्यालय, किशनगंज बारां	60
7.	राजस्थान महिला शा.शि.प्र. विद्यालय, उदयपुर	100
8.	आदर्श शा.शि.प्र. विद्यालय, सूरोठ स.मा.	90
	योग :-	**790**

उपरोक्त संस्थाएं यदि बी.पी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करना चाहें तो विभाग उनको इस पाठ्यक्रम की अनुमति देने पर विचार करेगा। अतः कृपया उपरोक्त सभी संस्थाओं को तद्नुसार सूचित करायें।

भवदीय,
ह/-
(आर.सी.अग्रवाल)
उप शासन सचिव

परिशिष्ट 'ख'

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 12(1) शिक्षा-1/95 पार्ट-I जयपुर, दिनांक : 24 मार्च, 2000

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय : जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण को बंद करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य में संचालित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में वर्तमान में संचालित सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को नये अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2000-2001 से तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है।

भवदीय,
ह/-
(आर.सी.अग्रवाल)
उप शासन सचिव

परिशिष्ट "ग"

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(प्रारम्भिक शिक्षा)

क्रमांक: एफ.139(5)/ग्राविप/शिक्षा/99/723		जयपुर, दिनांक : 23.4.99

संभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलेक्टर/
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव,
जिला परिषद-समस्त

विषय : राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोलने के संबंध में।

शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार ने राजस्थान की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष में राज्य के विद्यालय विहीन ग्राम/ढाणियों/बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इन शिक्षा केन्द्रों का नाम राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला होगा।

मापदण्ड :

उपरोक्त वर्णित प्राथमिक शिक्षा सुविधा ऐसे स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएगी जहां निम्न मापदण्डों की पूर्ति होती हो :-

(1) 200 या 200 से अधिक की आबादी वाले विद्यालय विहीन ग्राम/ढाणी/बस्ती जिसमें 6 से 11 वर्ष की आयु के 40 बच्चे उपलब्ध हों एवं जिसकी एक किलोमीटर की परिधि में शिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं हों।

(2) मरुस्थलीय/जनजातीय/मेवात/मगरा/डांग क्षेत्रों में एवं अनिवार्य शिक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित राजसमंद एवं झुंझुनूं जिलों में 150 अथवा 150 से अधिक आबादी वाले विद्यालय विहीन ग्राम/ढाणी/बस्ती जिसमें 6 से 11 वर्ष के 25 बच्चे उपलब्ध हों एवं जिसकी 1 किलोमीटर की परिधि में शिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं हो।

(3) प्रथम चरण में प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिकतम एक ही राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोली जानी है।

राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोलने के प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया :

1. सर्वप्रथम प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 अध्यापकों का चयन किया जाएगा जो उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संचालित समस्त औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षण संस्थाओं का विवरण, जैसे स्थान, अध्यापक संख्या, छात्र संख्या आदि तैयार करेंगे। इसी कार्य के साथ वह राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोलने के लिए निर्धारित मापदण्ड व शिक्षा सहयोगी के लिए निर्धारित योग्यताएं व प्राथमिकताओं बाबत ग्रामवासियों को जानकारी उपलब्ध करायेंगे। यह कार्य दिनांक 30.4.99 तक पूर्ण कर दिया जाए।

2. उक्त शैक्षणिक सर्वे के आधार पर यह अध्यापक उस पंचायत क्षेत्र में स्थान चयनित करेंगे जहां मापदण्डानुसार राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोली जा सकती है। चूंकि प्रथम चरण में प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिकतम एक ही राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोली जानी है, अत: उपरोक्त चयनित स्थानों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। जिन ग्राम पंचायतों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अथवा लोक जुम्बिश के अन्तर्गत किसी प्रकार के विद्यालय को सर्वे के आधार पर चिह्नित कर लिया गया है, वहां उस विद्यालय को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

3. दिनांक 1.5.99 को आयोजित ग्राम सभा में उक्त अध्यापक उस पंचायत का उपरोक्त अनुसार तैयार किया गया शैक्षणिक विवरण पढ़ कर ग्रामवासियों को सुनायेंगे। इस अवसर पर उस पंचायत में संचालित अनौपचारिक शिक्षा एवं शिक्षाकर्मी केन्द्रों की भी समीक्षा की जाएगी। तत्पश्चात् उक्त अध्यापकों द्वारा राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोलने बाबत तैयार की गई प्राथमिकता सूची पर ग्राम सभा द्वारा विचार कर सर्वोच्च प्राथमिकता वाले स्थान का अनुमोदन किया जाएगा।

4. जिस ग्राम, ढाणी अथवा बस्ती में उपरोक्तानुसार उक्त पाठशाला खोली जानी है, उस वार्ड के वयस्क निवासी स्वत: यह प्रस्ताव एक आम सभा में पारित करेंगे। यह आम सभा भी दिनांक 1.5.99 को आयोजित की जाएगी जिसकी पूर्व सूचना ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर तथा संबंधित वार्ड के सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाएगी। इस आम सभा का आम जनता में व्यापक प्रसार-प्रचार किया जावेगा जिसकी व्यवस्था संबंधित विकास अधिकारी ग्राम सेवक के माध्यम से सुनिश्चित करेगा।

5. आम सभा में निम्नलिखित जन प्रतिनिधियों/आधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जाएगा :

1. संबंधित सरपंच अथवा उप सरपंच जो इस आम सभा के अध्यक्ष होंगे।

2. उक्त वार्ड के पंच।
3. उक्त वार्ड के समस्त ग्रामवासी।
4. नजदीकी शाला के प्रधानाध्यापक।
5. नजदीकी शाला की महिला अध्यापक।
6. उक्त वार्ड में कार्यरत कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी।
7. संबंधित पंचायत समिति का प्रतिनिधि जो कि उक्त बैठक का संचालन करने हेतु ग्रामवासियों का सहयोग करेगा तथा आम सभा की समस्त कार्यवाही को रिकार्ड करेगा।

6. आम वार्ड सभा के प्रस्ताव में यह प्रमाणित किया जाएगा कि उक्त ग्राम, ढाणी अथवा बस्ती में पाठशाला खोले जोने से संबंधित सभी आवश्यक मापदण्डों की पूर्ति होती है।

7. वार्ड सभा के प्रस्ताव में यह भी प्रमाणित किया जाएगा कि उक्त ग्राम/ढाणी/बस्ती में 6 से 11 आयुवर्ग के पढ़ने योग्य 40/25 बच्चे उपलब्ध हैं एवं उक्त ग्राम, बस्ती अथवा ढाणी की 1 किलोमीटर की परिधि में कोई शिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है।

8. उक्त दोनों प्रस्तावों का तथ्यों के आधार पर प्रमाणीकरण पंचायत समिति के अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा किया जाएगा।

9. आम सभा में घोषणा की जाएगी कि उक्त पाठशाला में शिक्षा सहयोगी का चयन वार्ड सभा द्वारा किया जाएगा। शिक्षा सहयोगी पद हेतु योग्यताओं, वरीयता निर्धारण, सेवा शर्तों आदि के संबंध में घोषणा की जावेगी। आशार्थियों के आवेदन पत्र भी उसी आम सभा में प्राप्त कर लिए जावेंगे तथा सरकारी रूप से अधिकृत कर्मचारी को संभला दिये जाएंगे। आशार्थियों से आवेदन के साथ वचन लिया जाएगा कि वह शिक्षा सहयोगी के पद पर स्वेच्छा से 1200/- रुपये प्रतिमाह के मानदेय पर एक शैक्षिक सत्र के लिए शिक्षण कार्य करने को तत्पर है। आवेदन पत्रों को प्राप्त कर चयन समिति के पास भेजा जावेगा। चयन समिति द्वारा निर्धारित वरीयता के आधार पर 3 शिक्षा सहयोगियों का पैनल बनाया जाएगा जो वार्ड सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

10. यदि कोई मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था अथवा पंजीकृत मदरसा राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला संचालित करने का प्रस्ताव वार्ड सभा में रखती है तो उस पर विचार किया जा सकता है एवं इस शर्त के साथ स्वीकार किया जा सकता है कि उसके नाम में राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला/मरदसा शामिल होगा एवं राजकिय विद्यालयों के समान ही पाठ्यक्रम अपनाया जाएगा।

राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला की स्वीकृति की कार्यवाही :

1. आम सभा के द्वारा राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोलने का प्रस्ताव निम्नानुसार

प्रमाण पत्रों के साथ ग्राम पंचायत को प्रेषित किया जावेगा :-

I. जिस ग्राम/मजरा/ढाणी में प्राथमिक शिक्षा केन्द्र प्रस्तावित है उसके 1 किलोमीटर दायरे में कोई विद्यालय नहीं है और वहां पर पढ़ने योग्य 6 से 11 वर्ष के 40/25 बच्चे हैं।

II. दिशा-निर्देशों व मापदण्डों का अनुसरण किया गया है और चयन पद्धति बिल्कुल सही है।

III. चयन वार्ड सभा की बैठक में सर्वसम्मति/पर्याप्त बहुमत से किया गया है।

IV. पाठशाला हेतु ग्राम/वार्ड/बस्ती में भवन/भूखण्ड उपलब्ध है/ करा दिया जावेगा।

सुविधा के लिए वार्ड सभा द्वारा पारित किये जाने वाले प्रस्तावों का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है।

2. गाम पंचायत के द्वारा उक्त प्रस्ताव के आधार पर राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला की स्वीकृति दिनांक 1.5.99 को ही जारी की जाएगी। स्वीकृति का प्रारूप संलग्न है।

3. यदि ग्राम पंचायत में एक से अधिक राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोलने बाबत प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो शेष प्रस्तावों को प्रमाण पत्रों सहित पंचायत समिति के मार्फत जिला परिषद को भिजवाया जाएगा।

शाला भवन की व्यवस्था/निर्माण की प्रक्रिया :-

1. वार्ड सभा के प्रस्ताव में पाठशाला खोलने के स्थान का भी स्पष्ट चयन किया जावेगा। यदि उस स्थान पर पाठशाला हेतु कोई सार्वजनिक भवन पूर्व में उपलब्ध हों तो उसका उपयोग किया जाये। भवन के अभाव में उसकी व्यवस्था अगर जनसहयोग से हो तो अति उत्तम होगा। किसी दानदाता द्वारा उक्त ग्राम, बस्ती, ढाणी में स्वेच्छा से पाठशाला हेतु भवन/जमीन आदि उपलब्ध कराने के संबंध में भी वार्ड सभा द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

2. यदि उपरोक्तानुसार भवन की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो चयनित भूमि पर भवन निर्माण की कार्यवाही निम्नानुसार की जावेगी-

A. यदि चयनित स्थान अभवाग्रस्त क्षेत्र हो, तो वहां सामग्री पर व्यय दसवें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की राशि से किया जाएगा एवं मजदूरी पर व्यय अकाल राहत के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाएगा। इस बाबत राहत विभाग ने वितन्तु संदेश क्रमांक एफ.1(2)(1)आरसी/खरीफ/र-क/98-99/7062-82 दिनांक 21.4.99 के द्वारा आवश्यक निर्देश जिला कलेक्टरों को जारी कर दिये हैं। इसके लिए 10 श्रमिकों के मस्टर रोल जिला कलेक्टर के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 28.4.99 को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि

अभावग्रस्त ग्राम में, जहां राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोलने का निर्णय लिया जाये, यह मस्टर रोल दिनांक 1.5.99 तक पहुंच जाये ताकि शाला भवन का निर्माण कार्य दिनांक 2.5.99 को आरंभ किया जा सके।

B. शेष स्थानों पर निर्माण कार्य का सम्पूर्ण व्यय दसवें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की राशि से किया जाएगा।

C. दसवें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की राशि, जो ग्राम पंचायत के पास पूर्व में ही उलब्ध है, से व्यय करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश इस विभाग के द्वारा जारी किए जा रहे हैं जिसके अनुसार ही व्यय किया जाये।

D. शाला भवन विभाग द्वारा दिये गये नक्शे अनुसार ही बनाया जाएगा। जिन ग्राम पंचायतों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अथवा लोक जुम्बिश के अन्तर्गत विद्यालय भवन बनाया जाना है, वहां उस कार्यक्रम/परियोजना के अनुमोदित नक्शे अनुसार ही भवन निर्माण कराया जाएगा।

शिक्षा सहयोगी के पद पर चयन हेतु योग्यता एवं वरीयता निर्धारण की प्रक्रिया :

1. जिस ढाणी/बस्ती/ग्राम में राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोली जानी है उसी बस्ती/ढाणी/ग्राम/वार्ड में उपलब्ध शिक्षित बेरोजगारों में से शिक्षा सहयोगी का चयन किया जाएगा। शिक्षा सहयोगी के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी/ हायर सैकण्डरी होगी। दुर्गम, दूरस्थ, रेगिस्तानी एवं जनजातीय क्षेत्रों/ स्थानों पर शिक्षा सहयोगी के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्याता आठवीं पास होगी। इन स्थानों पर भी अधिक योग्य आशार्थी मिलने पर नियुक्ति में प्राथमिकता उसी को दी जाएगी। प्रशिक्षित आशार्थियों को चयन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। प्रशिक्षित आशार्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में अधिक योग्यताधारी अप्रशिक्षित आशार्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। जिस ढाणी/बस्ती/ग्राम में राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोली जानी है। उस ढाणी/बस्ती/ग्राम/वार्ड में योग्य आशार्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित राजस्व ग्राम में उपलब्ध आशार्थियों में से शिक्षा सहयोगी का चयन किया जाएगा। राजस्व ग्राम में भी योग्य आशार्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित ग्राम पंचायत में उपलब्ध आशार्थियों में से शिक्षा सहयोगी का चयन किया जाएगा।

2. जिस अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/ महिला की श्रेणी हेतु वार्ड आरक्षित है उसी श्रेणी का आशार्थी उपलब्ध होने पर उस को शिक्षा सहयोगी के रूप में चयनित किया जाएगा। यथा अनु. जाति के वार्ड में यदि शाला खुलनी हो तो अनु. जाति के बेरोजगार को चयन में प्राथमिकता मिलेगी। यदि अनु. जाति की महिला

आशार्थी उपलब्ध हो तो उसे अनु. जाति के आशार्थियों में प्राथमिकता मिलेगी। महिला आशार्थियों में विधवा/परित्यक्ता को प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के योग्य आशार्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में ही अन्य श्रेणियों के आशार्थियों में से शिक्षा सहयोगी का चयन किया जा सकेगा।

3. **शिक्षा सहयोगियों के चयन हेतु समिति का गठन निम्न प्रकार होगा :**

1.	सरपंच	अध्यक्ष
2.	ग्राम सेवक	सचिव
3.	वार्ड पंच	सदस्य
4.	नदजीकी विद्यालय का प्रधानाध्यापक	सदस्य
5.	वार्ड में कार्यरत कोई भी महिला कर्मचारी, जिसका विकास अधिकारी द्वारा मनोनयन किया गया हो।	सदस्य
6.	विकास अधिकारी का प्रतिनिधि	सदस्य

4. चयन समिति द्वारा मूल प्रमाणपत्रों की जांच भली प्रकार की जाकर ही चयन किया जाएगा।

5. शिक्षा सहयोगियों को 1200 रुपये प्रतिमाह ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाएगा।

6. राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला में शिक्षा सहयोगियों के चयन के प्रस्ताव को चयन समिति निम्नानुसार प्रामणपत्रों के साथ ग्राम पंचायत को प्रेषित करेगी :-

   I. दिशा-निर्देशों व मापदण्डों का अनुसरण किया गया है और चयन पद्वति बिल्कुल सही है।

   II. चयनित आशार्थि निर्धारित योग्यता रखते हैं और स्थानीय निवासी की शर्त पूरी करते हैं।

   III. चयन वार्ड सभा की बैठक में सर्वसम्मति/पर्याप्त बहुमत से किया गया है।

7. अप्रशिक्षित शिक्षा सहयोगियों को चयन के पश्चात् अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।

उक्त पाठशालाओं में रुपये 8000/- तक की आवश्यक सामग्री उपलब्ध करायी जाएगी जिस बाबत विस्तृत निर्देश प्रथक से जारी किए जाएंगे। (सामग्री की सूची संलग्न है)

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस संबंध में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाये :-

-दिनांक 30.4.99 तक प्रत्येक पंचायत में नियुक्त अध्यापकों के द्वारा शैक्षणिक सर्वे पूर्ण कर लिया जावें एवं पंचायत क्षेत्र में मापदण्डानुसार राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोलने बाबत प्राथमिकता सूची तैयार कर ली जावे।

-दिनांक 1.5.99 को ग्राम सभा में राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला का चयन/अनुमोदन कर संबंधित ग्राम/वार्ड में आमसभा आयोजित कर इस बाबत कार्यवाही पूर्ण की जावे एवं ग्राम पंचायत के द्वारा उसकी स्वीकृति जारी की जावे।

-राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला के लिए भवन की व्यवस्था हो। जहां भवन बनाना आवश्यक हो, वहां भवन का स्थान दिनांक 1.5.99 को आम सभा में चयन कर निर्माण कार्य दिनांक 2.5.99 से प्रारम्भ किया जावे।

-अभाव ग्रस्त गावों के लिए 10 श्रमिकों के मस्टर रोल जिला कलेक्टर से दिनांक 28.4.99 तक प्राप्त कर संबंधित ग्राम पंचायतों को दिनांक 1.5.99 तक पहुंचाने की व्यवस्था की जावे।

ह./
(राजीव स्वरूप)
विशिष्ट शासन सचिव
(प्रारंभिक शिक्षा)
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान

शिक्षा सहयोगी का सहमति पत्र

मैं......आत्मज/पत्नी श्री......ग्राम......पंचायत समिति......जिला......स्वेच्छा से शिक्षा सहयोगी के रूप में कार्य करने के लिए निम्न शर्तें स्वीकार करता करती हूं :-

1. मैं गांव की राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला में शिक्षा सहयोगी की हैसियत से कार्य करूंगा/करूंगी एवं अपने आपको राजकीय नौकर नहीं समझूंगा/समझूंगी। मैं इस कार्य लिए केवल मानदेय के रूप में नियमानुसार देय मानदेय ही प्राप्त करूंगी/करूंगी।
2. यदि मेरे द्वारा अपेक्षित संतोषप्रद कार्य नहीं किया जावे तो मेरे कार्य के लिए दी गई स्वीकृति अपने आप रद्द हो जाएगी।

3. मैं 6 से 11 वर्ष के समस्त बालक/बालिकाओं को पाठशाला से जोडूंगा/जोडूंगी। मुझसे अपेक्षा की जाती है कि मैं अपना दायित्व निभाते हुए समस्त गांव को एक सूत्र में बांधकर ग्रामवासियों की सहभागिता एवं सहयोग प्राप्त करूंगा/करूंगी।

4. यदि कभी भी यह पाया जावे की मैं पाठशाला परिक्षेत्र का रहने वाला/रहने वाली नहीं हूं अथवा मैंने तथ्य छुपाये हैं तो उसी समय बिना नोटिस के मेरे कार्य करने की स्वीकृति रद्द कर दी जावे।

5. मैं निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित शैक्षित स्तर बनाए रखूंगा/रखूंगी यदि मेरे प्रति ग्राम समुदाय में किसी भी प्रकार की विपरीत धारणा बनती है तो मुझे हटा दिया जावे।

6. मैं ग्राम पंचायत/ग्राम सभा में लिए गये निर्णयों का सम्मान करूंगा/करूंगी और अपने स्वार्थवश कोई उजरदारी नहीं करूंगा/करूंगी।

7. प्रत्येक सत्र के मूल्यांकन में यदि मैं सफल नहीं हो सका/हो सकी तो मेरे कार्य करने की स्वीकृति निरस्त करने की सहमति मैं ग्राम पंचायत को देता/देती हूं।

दिनांक

हस्ताक्षर शिक्षा सहयोगी

हस्ताक्षर साक्ष्य ग्रामवासी (सरपंच)

हस्ताक्षर सचिव

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 607 की सूची)

परिशिष्ट "क"

18 वर्षीय चयनित वेतनमान की स्वीकृत सूची

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	कार्यरत स्थान
1.	श्री प्रेम प्रकाश अवस्थी	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. श्यालावासखुर्द (बांदीकुई)
2.	श्री सुरेश चन्द शर्मा	अध्यापक	आदर्श वि.मंदिर बांदीकुई
3.	श्री रामस्वरूप शर्मा	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. गुल्लाना (बांदीकुई)
4.	श्री कैलाश चन्द शर्मा	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. भेडौली (बांदीकुई)
5.	श्री गंगा सहाय कोली	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. अरनिया (बांदीकुई)
6.	श्री हरसहाय मीना	स.क.	कार्या.व.उ.जि.शि.अ. बांदीकुई
7.	श्री कन्हैया लाल शर्मा	स.क.	कार्या.व.उ.जि.शि.अ. सिकराय
8.	श्री सीताराम शर्मा	स.क.	कार्या.जि.शि.अ. (प्रा) दौसा
9.	श्री हजारी लाल शर्मा	स.क.	कार्या.जि.शि.अ. (प्रा) दौसा
10.	श्री मांगी लाल शर्मा	क.लि.	कार्या.जि.शि.अ. (प्रा) दौसा
11.	श्री गोकुल राम गुर्जर	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. ढण्ड (महवा)
12.	श्री मथुरेश कुमार जोशी	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. ढण्ड बाड़ाबुजुर्ग (महवा)
13.	श्री कमल कान्त जोशी	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. ढण्ड रींदली
14.	श्री राधेश्याम पुरी गोस्वामी	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. ढण्ड कल्याणपुरा (लाल)
15.	श्री मनोहर लाल शर्मा	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. घासमण्डी दौसा
16.	श्री ग्यारसी लाल वर्मा	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. बड़ागांव (दौसा)
17.	श्री राम बाबू शर्मा	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. बिशाला (महवा)
18.	श्री बीरबल गुर्जर	स.क.	रा.उ.प्रा.वि. गादरवाडाब्राह्मणान (बांदी)
19.	श्री शिवचरण शर्मा	स.क.	रा.उ.प्रा.वि. बेसिक बांदीकुई
20.	श्री मोहन लाल हरिजन	स.क.	का.व.उ.जि.शि.अ. (महवा)
21.	श्री घासी लाल पाण्डे	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. ओण्डमीना (महवा)
22.	श्री उमा शंकर शर्मा	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. खौचपुरी (महवा)
23.	श्री गिर्राज सिंह	स.क.	रा.उ.प्रा.वि. जौपाडा (दौसा)
24.	श्री कजोड मल मीना	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. सिण्डौली (दौसा)
25.	श्री राधेश्याम गुप्ता	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. बिशनपुरा (दौसा)
26.	श्रीमती चन्द्र कला बजाज	अध्यापक	रा.मा.वि. सैथल (दौसा)

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	कार्यरत स्थान
27.	श्री कल्याण प्रसाद शर्मा	शा.शि.	रा.उ.प्रा.वि. मेहन्दीपुर बालाजी (सिक)
28.	श्रीमती कमला बाई शर्मा	स.क.	रा.उ.प्रा.वि. गीजगढ़ (सिकराय)
29.	श्री सिकन्दर सिंह	स.क.	रा.उ.प्रा.वि. पलानहेड़ा (महवा)
30.	श्री रघुवीर प्रसार शर्मा	स.क.	रा.उ.प्रा.वि. ईटका (सिकराय)
31.	श्री राधेश्याम शर्मा	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. शीशवाड़ा (महवा)
32.	श्री रामनिवास शर्मा	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. शीशवाड़ा (महवा)
33.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. सलेमपुर थाना (महवा)
34.	श्री गिर्राज प्रसाद कुम्हार	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. रोतहड़िया (महवा)
35.	श्री मुकुट नारायण गोयल	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. टुडियाना (महवा)
36.	श्री अनिल कुमार पारासर	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. पाखार (महवा)
37.	श्री जय नारायण तिवाडी	अध्यापक	रा.मा.वि. गढहिम्मतसिंह (महवा)
38.	श्री गोवर्धन लाल पूर्विया	प्रधानाध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. रलावता
39.	श्री रमन लाल शर्मा	स.क.	का.व.उ.जि.शि.अ. (महवा)
40.	श्री कजोड मल शर्मा	प्रधानाध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. चडियावास (दौसा)
41.	श्री रामशरण आर्य	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. किशोरपुरा (लालसोट)
42.	श्री रामजी लाल शर्मा	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. पाखार (महवा)
43.	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. मानपुर (सिकराय)
44.	श्री बजरंग लाल शर्मा	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. नाहरखोरा (सिकराय)
45.	श्री राम नारायण शर्मा	स.क.	रा.उ.प्रा.वि. नाहरखोरा (सिकराय)
46.	श्री ठण्डा राम मीना	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. गेरोटा (सिकराय)
47.	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	अध्यापक	रा.मा.वि. लोटवाडा (बांदीकुई)
48.	श्री सुरेश चन्द शर्मा	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. गढी (सिकराय)
49.	श्री मूल सिंह राजपूत	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. झापडावास (सिकराय)
50.	श्री गोपाल लाल वर्मा	शा.शि.	रा.उ.प्रा.वि. बेसिक बांदीकुई
51.	श्री इन्दू कुमार शर्मा	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. पीचूपाड़ाखुर्द (बांदी)
52.	श्री छगन लाल सैन	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. अलियापाडा (बांदी)
53.	श्री घनश्याम शर्मा	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. भोजवाड़ (बांदी)
54.	श्री राधा किशन शर्मा	स.क.	रा.उ.प्रा.वि. गादराडागूजरान (बांदी)
55.	श्री हनुमान प्रसाद शर्मा	अध्यापक	रा.प्रा.वि. रैगरोकातिबारा बांदीकुई
56.	श्री जगमोहन शर्मा	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. मोरेड (सिकराय)
57.	श्री गोविन्द राम यादव	शा.शि.	रा.उ.प्रा.वि. मीनासीमला (सिकराय)
58.	श्री सुख लाल बैरवा	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. गढी (सिकराय)
59.	श्री बाबू लाल कोली	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. पीपलकी (सिकराय)

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	कार्यरत स्थान
60.	श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. बावनपाडा (सिकराय)
61.	श्री बाबूलाल गुप्ता	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. बीदरवाडा (सिकराय)
62.	श्री राधेश्याम भट्ट्ट	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. डिगो (लालसोट)
63.	श्री गोपाल कृष्ण शर्मा	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. खोरापिडा लालसोट
64.	श्री राम प्रसाद शर्मा	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. खोरापिडा लालसोट
65.	श्री मन मोहन टेलर	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. लाम्बापाडा लालसोट
66.	श्री कान्ति प्रसाद शर्मा	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. डूंगरपुर (लालसोट)
67.	श्री मोती लाल गुप्ता	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. श्री रामपुरा (लालसोट)
68.	श्री रामावतार शर्मा	प्रधानाध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. पट्टीकिशोरपुरा (लालसोट)
69.	श्री राम जीलाल शर्म	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. बेसिक लालसोट
70.	श्री भजन लाल मीना	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. खुर्रा (लालसोट)
71.	श्री नवनीत पारिक	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. खुर्रा (लालसोट)
72.	श्री महबूब खां	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. बगडी (लालसोट)
73.	श्री रामकरण शर्मा	प्रधानाध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. राजौली (लालसोट)
74.	श्री बाबू लाल जैन	क.लि.	का.व.उ.जि.शि.अ. लालसोट
75.	श्री राम नाथ मीना	प्रधानाध्यपक	रा.उ.प्रा.वि. व्यासोकानोहरा लालसोट
76.	श्री जगदीश प्रसाद नापित	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. तलावागांव (लालसोट)
77.	श्री रामस्वरूप बैरवा	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. बावनपाडा (सिकराय)
78.	श्री ताराचन्द अग्रवाल	प्रधानाध्यपक	रा.उ.प्रा.वि. कालवान (सिकराय)
79.	श्री नारायण लाल मीना	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. किरोड़ी (सिकराय)
80.	श्री मदन लाल शर्मा	अध्यापक	रा.उ.प्रा.वि. खोरापिडा (लालसोट)
81.	श्री घनश्याम आर्य	प्रधानाध्यापक	रा.उ.सा.वि. इन्दावा (लालसोट)
82.	श्री रामकिशोर शर्मा	अध्यापक	रा.उ.सा.वि. (लालसोट)
83.	श्री लल्लू प्रसाद शर्मा	प्रधानाध्यापक	रा.उ.सा.वि. (लालसोट)
84.	श्री रूप सिंह राजावत	प्रधानाध्यापक	रा.मा.वि. नीजामपुरा (लालसोट)
85.	श्री प्रहलाद कुमार सैन	अध्यापक	रा.उ.सा.वि. बिलौनाखुर्द (लालसोट)
86.	श्री मुरारी लाल शर्मा	अध्यापक	रा.उ.सा.वि. टोडाठेकला (लालसोट)
87.	श्री मुरारी लाल स्वर्णकार	प्रधानाध्यापक	रा.उ.सा.वि. लालपुरा (लालसोट)
88.	श्री सीताराम शर्मा	अध्यापक	रा.उ.सा.वि. बिदरखा (लालसोट)
89.	श्री लल्लू योगी	अध्यापक	रा.उ.सा.वि. बिदरखा (लालसोट)
90.	श्री कल्लू राम महावर	प्रधानाध्यापक	रा.उ.सा.वि. खाटवा (लालसोट)
91.	श्री मूल चन्द मीना	अध्यापक	रा.उ.सा.वि. चौण्डियावास (लालसोट)
92.	श्री सत्य नारायण शर्मा	अध्यापक	रा.उ.सा.वि. चांदपुर (लालसोट)

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	कार्यरत स्थान
93.	श्री प्रेम शंकर शर्मा	अध्यापक	रा.उ.सा.वि. कल्योणपुरा (लालसोट)
94.	श्री कन्हैया लाल शर्मा	प्रधानाध्यापक	रा.उ.सा.वि. धौसाडा (लालसोट)

परिशिष्ट "ख"

18 वर्षीय वेतनमान के बकाया प्रकरण मय कारण

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	कार्यरत स्थान	कारण
1.	श्री बीरबल प्रसाद योगी	अ.	रा.उ.सा.वि. कमालपुरा	वेतन देरी से होने के कारण व आवेदन पत्र नहीं होने के कारण
2.	श्री रमेश चन्द्र	सह.क.	रा.उ.सा.वि. रामसपुरा	आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण
3.	श्री मिश्ररू खां	प्र.अ.	रा.उ.सा.वि. सीत	प्रकरण प्रक्रिया में है।
4.	श्री जय सिंह राजपूत	अ.	रा.उ.सा.वि. फराशपुरा	अंकेशक्षण वसूली जमा नहीं कराने के कारण
5.	श्री राजाराम राव	प्र.अ.	रा.उ.सा.वि. ढिगारी कपूर	प्रकरण प्रक्रिया में है
6.	श्री जगदीश प्रसाद गूजर	अ.	रा.उ.सा.वि. कोलाना	आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण
7.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	प्र.अ.	रा.उ.सा.वि. टोडागांगा	प्रस्तुत किया गया है प्रकरण प्रक्रिया में है
8.	श्री रामजी लाल कोली	प्र.अ.	रा.उ.सा.वि. चांदपुर	,, ,,
9.	श्री रामचरण गौतम		रा.उ.सा.वि. देवली	एम.एड वेतन वृद्धि प्रकरण एवं प्रकरण प्रक्रिया में है
10.	श्री सुखजी राम रेगर	अ.	रा.उ.प्रा.वि. मिर्जापुर	प्रस्तुत किया गया है प्रकरण प्रक्रिया में है

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 608 का विवरण)

राजकिय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, फुलेरा, जयपुर में कार्यरत कर्मचारियों की सूची

परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	नाम कर्मचारी/अधिकारी	पदनाम
1.	श्रीमती विनोद रावत	प्रधानाचार्या
2.	श्रीमती अर्चना शर्मा	व्याख्याता
3.	श्रीमती सुशीला अग्रवाल	व्याख्याता
4.	श्रीमती भंवरी सैनी	वरि.अध्यापिका
5.	श्रीमती मंजू दूबे	वरि.अध्यापिका
6.	सुश्री मधु जैन	वरि.अध्यापिका
7.	सुश्री अनित्ता अग्रवाल	वरि.अध्यापिका
8.	सुश्री सुमन शर्मा	वरि.अध्यापिका
9.	श्रीमती ममता भार्गव	वरि.अध्यापिका
10.	श्रीमती अनिता पीटर्स	वरि.अध्यापिका
11.	श्रीमती शर्मिला भाटिया	पुस्तकाल्याध्यक्ष
12.	श्रीमती स्नेहलता पारीक	शारिरीक शिक्षक
13.	सुश्री कुसुम गुप्ता	अध्यापिका
14.	सुश्री बदरूनिशा खां	अध्यापिका
15.	श्रीमती सुषमा वर्मा	अध्यापिका
16.	श्रीमती माधुरी शर्मा	अध्यापिका
17.	श्रीमती पद्मजा सक्सेना	अध्यापिका
18.	श्रीमती पुष्पा राजावत	अध्यापिका
19.	श्रीमती गायत्री परसोया	अध्यापिका
20.	श्रीमती मधुबाला जोशी	अध्यापिका
21.	श्रीमती मंजू अग्रवाल	अध्यापिका
22.	श्री ओंकार मल शर्मा	कार्यालय सहायक
23.	श्रीमती मीना झा	वरिष्ठ लिपिक
24.	श्री माधव सिंह शेखावत	कनिष्ठ लिपिक
25.	श्री घीसालाल मीणा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
26.	श्रीमती सरजू बाई	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

क्र.सं.	नाम कर्मचारी/अधिकारी	पदनाम
27.	श्री सुवालाल बलाई	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
28.	श्री मुरारी लाल शर्मा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
29.	श्री राम प्रसाद शर्मा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान सरकार

कार्यालय शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक), जयपुर संभाग, जयपुर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक :- प.4(5) शिक्षा-1/95 दिनांक 31.7.99 एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज.बीकानेर के पत्र क्रमांक :- शिविरा-माध्य/बजट/बी-2/25560/98-99/53 दिनांक 30.8.99 के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना/योजना एवं आयोजना भिन्न में सृजित पदों को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर के पत्र क्रमांक :- शिविरा/माध्य,/साप्र/बी-2/4371/95/276 दिनांक 08.10.99 के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का समायोजन विभाग में समकक्ष अन्य खाली पदों पर तुरन्त किये जाने के निर्देश प्राप्त होने के फलस्वरूप निम्नांकित वरिष्ठ लिपिक जो कि व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत थे का समायोजन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है। संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि इन्हें अविलम्ब समायोजित स्थान के लिए कार्यमुक्त कर पालना से निदेशालय-बीकानेर, इस कार्यालय को अवगत करावें। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण समय देय होगा।

क्र.सं.	नाम वरिष्ठ लिपिक मय कार्यरत स्थान	समायोजित स्थान
	सर्व श्री/श्रीमती :-	
1.	मंजू श्री भौतिक, व.लि. उ.मा.वि. माणकचौक, जयपुर।	रा.मा.वि. लवाना (आमेर) (जयपुर)
2.	सुशीला पालीवाल, व.लि. उ.मा.वि. पौद्धार, जयपुर।	रा.बा.मा.वि. गोनेर (जयपुर)
3.	मीना झा, व.लि. रा.बा.उ.मा.वि. सांगानेर जयपुर।	रा.बा.उ.मा.वि. फुलेरा (जयपुर)

क्र.सं.	नाम वरिष्ठ लिपिक मय कार्यरत स्थान	समायोजित स्थान
4.	गणपत लाल, व.लि. उ.मा.वि. खाचरियावास (सीकर)	रा.मा.वि. डासरौली (सीकर)
5.	ताराचन्द्र नैनावत, व.लि. उ.मा.वि. कोटपूतली (जयपुर)	उ.मा.वि. राजनौता (जयपुर)
6.	रामजी लाल मीणा, व.लि. उ.मा.वि. बांदीकुई (दौसा)	उ.मा.वि. मुण्डावर (दौसा)

ह/-
उप निदेशक (मा.) शिक्षा
जयपुर, संभाग, जयपुर

परिशिष्ट "ग"

कार्यालय शिक्षा उप निदेशक (मा.), जयपुर संभाग, जयपुर

कार्यालय-आदेश

श्रीमती मीना झा, वरिष्ठ लिपिक, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, फुलेरा (जयपुर) का माह अक्टूबर, 99 से लगातार वेतन विद्यालय में उपलब्ध वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पद से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रधानाचार्य, बा.उ.मा.वि. फुलेरा (जयपुर) को निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती झा का वेतन अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र, उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं अवकाश प्रकरण स्वीकृत कर उनके वेतन आहरित किये जाने की कार्यवाही कर पालना से अवगत करायें।

ह/-
उप निदेशक (मा.) शिक्षा
जयपुर, संभाग, जयपुर

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 613 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

वागीदौरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले तालाबों की सूची

क्रम संख्या	तालाब का नाम
1.	राम का मुन्ना तालाब
2.	गांगड तलाई तालब
3.	खोडालीम तालाब
4.	उदयपुरा बड़ा तालाब
5.	भुवानपुरा तालाब
6.	शेरगढ खूंटा तालाब
7.	बडियाला तालाब
8.	सुन्द्राव तालाब
9.	काजलिया तालाब
10.	वरेट तालाब
11.	आम्बा तालाब
12.	झेर तालाब
13.	सालीया तालाब
14.	भमरीया तालाब

परिशिष्ट- "ब"

विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा के अन्तर्गत तालाबों के व्यय की सूची।

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	वित्तीय वर्ष									
		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		1998-99	
		राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	मद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	खोडालीम	4.27	अकाल राहत	3.33	अकाल राहत	-	-	-	-	-	-
2.	गांगड तलाई	0.91	अकाल राहत	3.59	सुनिश्चित रो.यो.	-	-	-	-	-	-
3.	राम का मुन्ना	1.04 3.76	अकाल राहत सुनिश्चित रो.यो.	3.00	अकाल राहत	-	-	-	-	-	-
4.	बडियाला	2.00	जवाहर रो.यो.	-	-	2.34	सुनिश्चित रो.यो.	2.65	सुनिश्चित रो.यो.	-	-
5.	काजलिया	4.99	जवाहर रो.यो.	-	-	1.25	सुनिश्चित रो.यो.	3.05	सुनिश्चित रो.यो.	0.68	सुनिश्चित रो.यो.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	भमरिया	4.26	जवाहर रो.यो.	-	अकाल राहत	-	सुनिश्चित रो.यो.	4.34	सुनिश्चित रो.यो.	0.64	सुनिश्चित रो.यो.
7.	उदयपुर बडा	9.25	अकाल राहत	3.32	सुनिश्चित रो.यो.	1.98	सुनिश्चित रो.यो.	3.02	सुनिश्चित रो.यो.	-	-
8.	झेर	-	-	4.55	अकाल राहत	-	-	-	-	-	-
9.	वरेट	0.81	सुनिश्चित रो.यो.	3.35	अकाल राहत	-	-	-	-	-	-
		2.56	अकाल राहत								
10.	आम्बा	-	-	2.85	अकाल राहत	0.25	सुनिश्चित रो.यो.	1.62	सुनिश्चित रो.यो.	0.18	सुनिश्चित रो.यो.
11.	भुवानपुरा	-	-	1.96	अकाल राहत	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 617 का विवरण)

राज्य, क्षेत्रीय एवं जिला रोग निदान प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 1998-99 में सम्पादित कार्य का विवरण

क्र.सं.	कार्य विवरण	रोग निदान प्रयोगशालाएं		
		राज्य	क्षेत्रीय	जिला
	संख्या :	1	5	23
1.	रक्त परीक्षण	5042	3893	8659
2.	मूत्र परीक्षण	103	1183	2208
3.	दुग्ध परीक्षण	180	1536	2886
4.	मल परीक्षण	776	4759	20445
5.	त्वचा परीक्षण	42	698	681
6.	कल्चर सैंसिटिविटी परीक्षण	352	142	--
7.	क्षय रोग जांच	69	--	320
8.	ब्रुसलोसिस जांच	177	217	63
9.	जोहनिन जांच	--	--	150
10.	उपचार	--	697	3102
11.	औषधि वितरण	--	23	2228
12.	मरेक्यूरिक क्लोराइड परीक्षण	--	65	93
13.	दवा पिलाना	--	--	249
14.	शिविर आयोजन	20	28	105
15.	– टीका करण	--	--	5851

राज्य कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला, जयपुर द्वारा वर्ष 1998-99 में किये गये कार्य का विवरण

क्र.सं.	कार्य विवरण	कार्य प्रगति
1.	शव परीक्षण	4466
2.	मल परीक्षण	1476
3.	रक्त परीक्षण	99
4.	परजीवी परीक्षण	31
5.	फार्म विजिट	72
6.	पुलोरम जांच	608
7.	लेयर्स का स्वास्थ्य परीक्षण	28642
8.	बायलर्स का स्वास्थ्य परीक्षण	386715

कुक्कुट रोग निदान एवं आहार विश्लेषण प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 1998-99 में किये गये कार्य का विवरण :-4

क्र.सं.	कार्य विवरण	कार्य प्रगति
1.	आहार विश्लेषण	876
2.	शव परीक्षण	5110
3.	मल परीक्षण	7096
4.	रक्त परीक्षण	3103
5.	फार्म निरीक्षण	1085
6.	उपचार	2224

क्षय एवं ब्रुसलोसिस रोग नियन्त्रण इकाइयों द्वारा वर्ष 1998-99 में किये गये कार्य का विवरण :-3

क्र.सं.	कार्य विवरण	कार्य प्रगति
1.	क्षय रोग जांच	3553
2.	ब्रुसलोसिस रोग जांच	2897
3.	रक्त परजीवी जांच	1520

पुलोरम एवं मैरेक्स इकाइयों द्वारा वर्ष 1998-99 में किये गये कार्य विवरण :-3

क्र.सं.	कार्य विवरण	कार्य प्रगति
1.	फार्म विजिट	266
2.	क्यू.पी.टी.	11675
3.	टी.ए.टी.	251
4.	मैरेक्स टेस्टिंग	209
5.	शव परीक्षण	224
6.	हेचरी परीक्षण	34

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 620 की प्रति)

अध्याय-8

<u>पंचायत समितियों और जिला परिषदों की स्थायी समितियों के सदस्यों का निर्वाचन</u>

64. पंचायत समिति और जिला परिषद् की स्थायी समितियां :- (i) पंचायत समिति या, यथा रिक्त, जिला परिषदें इस प्रयोजन के लिए आहूत किसी बैठक में पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों में से अधिनियम की क्रमश: धारा 56 और 57 के अधीन गठित स्थायी समितियों में से, प्रत्येक के लिए सदस्यों का निर्वाचित करेगी। स्थायी समितियों के सदस्यों के निर्वाचन की ऐसी बैठकों की अध्यक्षता, पंचायत समिति के मामले में प्रधान द्वारा और जिला परिषद् के मामले में प्रमुख द्वारा की जायेगी।

(ii) अधिनियम की धारा 56 और 57 में यथा-उपबंधित के सिवाय, स्थायी समितियों के सदस्य, स्थायी समिति की प्रथम बैठक में उसके अध्यक्ष को भी निर्वाचित करेंगे।

(iii) यदि ऐसी स्थायी समितियां, पंचायत समिति या यथास्थिति, जिला परिषद् के गठन या पुनर्गठन की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर गठित नहीं की जाती है तो जिले का कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, स्थायी समितियों के सदस्यों के निर्वाचन के लिए पंचायत समिति या, यथास्थिति, जिला परिषद् के सदस्यों की बैठक आयोजित करेगा। कलेक्टर या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा और सिवाय इसके कि उसे मत देने की शक्ति नहीं होगी, वह प्रधान या, यथास्थिति, प्रमुख के समस्त कार्यों का प्रयोग करेगा।

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 621 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में संचालित उ.प्रा.विद्यालयों एवं उनमें रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पद
1.	उ.प्रा.वि. दौलतपुरा (बे)	01
2.	उ.प्रा.वि. आवलहेड़ा (बे)	-
3.	उ.प्रा.वि. डेकड़ीखेड़ा (बे)	01
4.	उ.प्रा.वि. भीमचा (बे)	02
5.	उ.प्रा.वि. धनोरा (बे)	-
6.	उ.प्रा.वि. डोराई (बे)	02
7.	उ.प्रा.वि. दुगार (बे)	02
8.	उ.प्रा.वि. गोपालपुरि (बे)	01
9.	उ.प्रा.वि. जोधपुरिया (बे)	01
10.	उ.प्रा.वि. कल्याणपुरा (बे)	-
11.	उ.प्रा.वि. मण्डावरी (बे)	-
12.	उ.प्रा.वि. मेघनिवास (बे)	01
13.	उ.प्रा.वि. राजगढ़ (बे)	01
14.	उ.प्रा.वि. सावरियाखुर्द (बे)	01
15.	उ.प्रा.वि. तेजपुर (बे)	-
16.	उ.प्रा.वि. रामपुरीया (बे)	01
17.	उ.प्रा.वि. रावड़दा	01
18.	उ.प्रा.वि. इटवा	01
19.	उ.प्रा.वि. पाछुंदा	01
20.	उ.प्रा.वि. जयनगर	01
21.	उ.प्रा.वि. मोधापुरा	-
22.	उ.प्रा.वि. अनोपपुरा	-
23.	उ.प्रा.वि. खेड़ी	01

परिशिष्ट "ख"

प्रश्न के भाग संख्या 2 की सूची (रिक्त पदों का विवरण)

क्र.सं.	नाम विद्यालय	पद नाम	रिक्त पद की संख्या
1.	रा.उ.मा.वि.,बेगूं	प्रधानाचार्य	01
		व्याख्याता	02
2.	रा.उ.मा.वि., पारसोली	व.अध्यापक	02
		अध्यापक	01
3.	रा.उ.मा.वि., भैसरोड़गढ़	व्याख्याता	02
		व.अध्यापक	02
4.	रा.उ.मा.वि., खातीखेडा	व्याख्याता	02
		व.अध्यापक	03
5.	रा.उ.मा.वि., बड़ोरिया कुण्डाल	प्रधानाचार्य	01
		व्याख्याता	04
		व.अध्यापक	01
5.	रा.उ.मा.वि., जावंदानिमण्डी	प्रधानाचार्य	01
		व्याख्याता	03
6.	रा.बा.उ.मा.वि., बेंगू	व्याख्याता	02
		व.अध्यापक	01
		अध्यापक	01
7.	रा.बा.उ.मा.वि., रावतभाटा	व्याख्याता	01
8.	रा.मा.वि., बसस्टैण्ड बेगूं	प्रधानाध्यापक	01
		व.अध्यापक	01
9.	रा.मा.वि., बोराव	प्रधानाध्यापक	01
10.	रा.मा.वि., एकलिंगपुरा	व.अध्यापक	01
11.	रा.मा.वि., लाडपुरा	व.अध्यापक	01
12.	रा.मा.वि., देवपुरा	प्रधानाध्यापक	01
		व.अध्यापक	01
		अध्यापक	03
13.	रा.मा.वि., शादी	प्रधानाध्यापक	01
		व.अध्यापक	01
		अध्यापक	03
14.	रा.मा.वि., मेधपुरा	प्रधानाध्यापक	01
		व.अध्यापक	01
		अध्यापक	03

परिशिष्ट-20

(अतारांकित प्रश्न संख्या 625 की प्रति)

सरकार v/s रूडमल वगैरह

Case No. 2131\99

12.11:99 एपीपी उप. 1 एपीपी ने यह आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. का विरुद्ध अभियुक्तगण रूडमल, मोहन उर्फ मोहनलाल, कालूराम, ताराचन्द एवं रामू उर्फ रामलाल के पेश किया। अभियुक्तगण उपस्थित है। दर्ज रजिस्टर हो। आरोप पत्र की नकल अभियुक्तगण को दी गई। अभियुक्तगण रूडमल, मोहन उर्फ मोहनलाल, कालूराम ताराचन्द प्रत्येक यदि पांच-पांच सौ रुपये तथा अभियुक्त रामू उर्फ रामलाल यदि एक हजार रुपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका पेश कर तस्दीक करा दे तो आजाद रहे अन्यथा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जावे।

अभियुक्तगण ने निवेदन किया कि पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश की गई जमानत को ही पर्याप्त माना जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश की गई जमानत को ही न्याय हित में पर्याप्त माना जाता है।

अभियुक्तगण को मौखिक आरोप सारांश अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. को सुनाया व समझाया गया तथा अभियुक्त से दोषी होने का अभिवाक करने अथवा प्रतिरक्षा चाहने बाबत पूछा गया जिस पर अभियुक्तगण ने दोषी होने का अभिवाक् कर स्वेच्छापूर्वक जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वेच्छा जुर्म स्वीकार किया।

अभियुक्तगण के स्वेच्छा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसके विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के अपराध में दोष सिद्ध करार दिया जाता है।

संजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक ने अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर छोड़ने का निवेदन किया। एपीपी ने विरोध किया।

वर्तमान में बढ़ती हुई द्यूत क्रीड़ा को देखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर छोड़ने से उनकी आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा अत: अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता ।

चूंकि अभियुक्तगण ने स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना जुर्म स्वीकार किया है अत: प्रत्येक अभियुक्तगण को उनके विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 13 आर.जी.पी.ओ. के अपराध में 75/-, 75/- रुपये के अर्थदण्ड कुल 375/-(तीन सौ पिचेत्तर रुपये मात्र) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी जुर्माना प्रत्येक

अभियुक्त या एक माह का साधारण कारावास भुगतेंगे।

माफिक आदेशानुसार अभियुक्तगण द्वारा कुल अर्थदण्ड राशि 375/- (तीन सौ पिचहत्तर रुपये मात्र) जमा कराई गई जो बरसीद सं. 28544/ज.12 दिनांक 12.11.99 द्वारा राजकोष में जमा की गई।

प्रकरण में जब्तशुदा राशि 265/- बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन राजकोष में जमा कराई जावे। प्रकरण में जब्तशुदा 52 ताश के पत्ते बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नष्ट किये जावें। प्रकरण में जब्तशुदा जीप नं. आर.जे.14पी-8435 पूर्व से सुपुर्दगी पर है अत: बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा निरस्त करा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

प्रति हस्ताक्षरित
सत्य प्रतिलिपि

प्रभारी अधिकारी
केन्द्रीय प्रतिलिपि विभाग (मुंसिफ)
जिला एवं सैशन न्यायालय, जयपुर नगर

परिशिष्ट - 21

(अतारांकित प्रश्न संख्या 626 की सूचना)

वर्ष 1999-2000 में पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान में आयोजित मेले एवं त्यौहार तथा उन पर व्यय की गई राशि की सूचना

क्र.सं.	कार्यक्रम का विवरण	स्थान	राशि रु.
1.	वायुसेना स्टेशन में सांस्कृतिक कार्यक्रम	जयपुर	4840.00
2.	हैण्ड एक्रांस दा बार्डर अभियान दल के आगमन पर जवाहर कला केन्द्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम	जयपुर	4185.00
3.	खासा कोठी में सांस्कृतिक कार्यक्रम	जयपुर	1000.00
4.	जोधपुर स्थापना दिवस, 99	जोधपुर	23248.00
5.	पाटा निदेशको के सम्मान में आमेर में सांस्कृतिक कार्यक्रम	जयपुर	9838.00
6.	तीज समारोह,99	जयपुर	133690.00
7.	विश्व पर्यटन दिवस समारोह	जयपुर	6225.00
8.	मारवाड़ समारोह, जोधपुर	जोधपुर	227615.00
9.	पुष्कर मेला, पुष्कर	अजमेर	173710.00
10.	ग्रासिम मिस्टर इण्डिया, के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम	जयपुर	5060.00
11.	आई.ए.टी.ओ. कांन्फ्रेन्स	जयपुर	50000.00 (स्वीकृत राशि)
12.	राजस्व मण्डल की स्वर्ण जयन्ति समारोह के उपलक्ष में सांस्कृतिक कार्यक्रम	अजमेर	10002.00
13.	इंडिया इन्टरनेशनल स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम	जयपुर	9980.00
14.	ऊंट उत्सव	बीकानेर	74983.00
15.	मरू समारोह	जैसलमेर	33162.00
16.	हाथी समारोह	जयपुर	100000.00 (स्वीकृत राशि)
17.	गोडवाड मेला	पाली	10000.00 (स्वीकृत राशि)

राजस्थान में आयोजित सेमिनार एवं प्रर्दशनियों की सूचना

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	स्थान	व्यय की गई राशि
1.	विश्व पर्यटन दिवस,99	जयपुर	134500.00
2.	दशहरा मेला,99	जयपुर	5300.00
3.	इण्डियन एसोसियेशन आफ ट्यूर आपरेटर्स (आई.आई.टी.ई.एम.,99)	जयपुर	31843
4.	इण्डिया स्टोन मार्ट, 2000	जयपुर	2171.00
5.	47 वी पशुधन एवं कुक्कुट प्रर्दशनी-2000	जयपुर	680.00
6.	राजस्थान दिवस (सूचना केन्द्र)	जयपुर	7111.00

परिशिष्ट - 22

(अतारांकित प्रश्न संख्या 628 का विवरण)

स्वीकृत सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम	पंचायत समिति	स्वीकृति दिनांक
1.	बड़ौदिया (ए)	किशनगंज	18.7.95
2.	बड़ौदिया (बी)	किशनगंज	18.7.95
3.	चौकी	छबड़ा	18.7.95
4.	सम्बेलपुर	बारां	18.7.95
5.	अकलेरामिसाई	किशनगंज	18.7.95
6.	नन्दगांवडी	अन्ता	22.6.94
7.	जैतपुरा	किशनगंज	18.7.95
8.	भावपुरा	छीपाबड़ौद	7.1.97

परिशिष्ट-23

(अतारांकित प्रश्न संख्या 631 की सूची)

पाली जिले में जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों की कार्यालयवार सूची

क्र. सं. कार्यालय	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यरत दिनांक	विशेष विवरण
1 2	3	4	5	6
1.उप निदेशक, पाली	श्री एन.के. कोठारी	उपनिदेशक	10.6.99	
	श्री नरेश कुमार माथुर	सहा. कृषि अभियंता	3.2.99	
	श्री इशाक मोहम्मद शेख	सहा. कृषि अधिकारी	19.10.99	
	श्री निर्मल प्रकाश जैन	लेखाकार	15.1.97	
	श्री सुभाष चन्द्र माली	स्टेनो	7.7.93	
	श्री कानसिंह राजपुरोहित	कार्यलय सहायक	23.9.98	
	श्री सतनारायण श्रीमाली	कनिष्ठ लिपिक	7.9.97	
	श्री किशोर सिंह चौधरी	कनिष्ठ लिपिक	1.9.98	
	श्री मगनलाल	वाहन चालक	27.11.97	
	श्री नरपत सिंह	सहायक कर्मचारी	23.11.89	
	श्री श्रवण सिंह	सहायक कर्मचारी	19.6.93	
2.इकाई पाली	श्री भवानी सिंह बारठ	सहा. कृषि अभियंता	7.8.99	
	श्री रामेश्वर प्रसाद	सहा. कृषि अधिकारी	24.3.99	
	श्री हेमन्त वैष्णव	कनिष्ठ अभियंता	7.10.99	
	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा	कनिष्ठ अभियंता	11.4.00	
	श्री भेंरू सिंह राजपुरोहित	कनिष्ठ अभियंता	11.4.00	
		कनिष्ठ अभियंता		रिक्त पद
	श्री रामगोपाल पुरोहित	वरिष्ठ लिपिक	5.9.98	
	श्री अमराराम चौधरी	कनिष्ठ लिपिक	30.3.76	

1 2	3	4	5	6
	श्री लूण सिंह राठौड़	कृषि पर्यवेक्षक	12.5.88	
	श्री घनश्याम	कृषि पर्यवेक्षक	9.7.99	
	श्री जबर सिंह	सहायक कर्मचारी	5.9.93	
3.इकाई	श्री बन्नाराम पंवार	सहा. कृषि अभियंता	1.4.00	
सोजत	श्री शेषमल	सहा. कृषि अधिकारी	7.6.99	
		सहा. कृषि अधिकारी		रिक्त पद
	श्री भीकाराम चौधरी	सहा. कृषि अधिकारी	30.9.98	
	श्री प्रेम प्रकाश मरमिट	कनिष्ठ अभियंता	24.9.97	
		कनिष्ठ अभियंता		रिक्त पद
	श्री देवी सिंह	वरिष्ठ लिपिक	16.8.83	
	श्री बृजकिशोर माथुर	कनिष्ठ लिपिक	7.4.00	
	श्री हरि सिंह भाटी	कृषि पर्यवेक्षक	12.6.98	
	श्री शैतान सिंह	कृषि पर्यवेक्षक	2.10.99	
	श्रीमती भंवरी देवी	सहायक कर्मचारी	20.1.00	
4.इकाई	श्री हरि सिंह टाक	सहा. कृषि अभियंता	22.9.98	
सुमेरपुर	श्री यशवन्त सिंह	सहा. कृषि अधिकारी	26.4.99	
	श्री तनमय सेन	कनिष्ठ अभियंता	12.2.99	
	श्री संजीव सोनी	कनिष्ठ अभियंता	15.7.99	
	श्री सुरेन्द्र तिवारी	कनिष्ठ अभियंता	16.4.99	
		कनिष्ठ अभियंता		रिक्त पद
	श्री जयनारायण नागौरी	वरिष्ठ लिपिक	1.1.00	
	श्री प्रहलाद सिंह	कनिष्ठ लिपिक	1.4.00	
	श्री नाथूसिंह	कृषि पर्यवेक्षक	12.2.99	
	श्री सतीश कुमार शर्मा	कृषि पर्यवेक्षक	12.2.99	
	श्री भगवानराम	सहायक कर्मचारी	30.4.99	
5.इकाई	श्री अतुल कुमार जैन	सहा. कृषि अभियंता	3.6.99	
रानी	श्री लीलाराम मिस्त्री	सहा. कृषि अधिकारी	14.7.99	

1	2	3	4	5	6
		कनिष्ठ अभियंता	सहा. कृषि अधिकारी		रिक्त पद
		श्री भागीरथ प्रजापत	कनिष्ठ अभियंता	29.6.95	
		श्री तेजपाल सिंह	कनिष्ठ अभियंता	3.7.96	
		श्री अशोक वर्मा	कनिष्ठ अभियंता	1.4.99	
			वरिष्ठ लिपिक		रिक्त पद
		श्री भीकालाल शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	21.9.91	
		श्री अनोप सिंह	कृषि पर्यवेक्षक	18.7.99	
		श्री खीमाराम	कृषि पर्यवेक्षक	30.7.94	
		श्री मांगीलाल	सहायक कर्मचारी	10.7.89	